U.S. Dependence on Middle Eastern Oil and its Future

Aijaz Ahmad Wani

Research Scholar at R D University Jabalpur (M.P.)

Abstract :- Since the dawn of the petroleum age, the geopolitical strategies concocted by developed nations have increasingly been centered on maintaining easy access to the world's oil supplies. The United States is also having an obvious objective of an access to the cheapest oil supplies. The United States has an additional unique incentive regarding the world's oil, namely, ensuring that all oil around the globe, both current supplies and future discoveries, remain priced in U S dollars. Control could be most easily maintained via a number of despotic feudal oligarchies in the Gulf which ensured the extraordinary wealth of region would be shared between a small number of ruling families and US oil companies, rather than European commercial competitors and the population of these states. Moreover, I will in this paper that the U.S. is developing a strategy whereby it could reduce the dependence of Middle Eastern Oil.

Key Words: Oil, Dollar, Cheap, Access, discovery, Persian Gulf.

Introduction Oil is a vital commodity, and the Persian Gulf is the world's essential oil producing region. During the present decade, the US role on these issues has been spasmodic. Also Obama administration robbed its image in the region due to its aggressive and opportunistic policies via extracting cheap oil production to strengthening the economy and improving balance of trade. While the US was producing about 40% of oil that it consumes its imports have exceeded domestic production since the early 1990. Since the US oil consumption continues to rise and oil production continues to fall this ratio may continue to raise its oil production to fall.[1] Former US president George W Bush identified dependence on imported oil as an urgent national security concern two thirds of world's proven oil reserves are estimated to be found in Persian gulf despite its distance, the Persian gulf was first proclaimed to be of national interest to the united states during World war, second petroleum is of central importance to modern armies, and the US as the world's leading oil producing for allied armies. Many US strategists were concerned that the war would dangerously reduced the US oil supply and so they sought to establish good relations with Saudi Arabia a kingdom with large oil reserves still Saudi Arabia is acting not only as a major exporter to US companies but also as a frontline ally against several US declared rough states such as Iran, Syria and recently in a US concealed maneuver against the first democratically regime of Egypt. A broad consensus among national security experts holds that wars and other forms of instability near the Gulf threaten access to oil and therefore jeopardize core U.S. national interests. As a result, the region has been a focus of U.S. military policy for decades.[2]

Significance of Middle Eastern oil for U.S.

A simple examination of America's foreign policy efforts in the wake of the 'oil shock' of 1973, and in the ensuing foundation of the petrodollar system in the mid 1970′s makes it painstakingly clear to any casual political observer that a central goal of Washington has been to control global oil supplies, specifically in West Asia, so for the purpose of achieving this goal from the middle of last century Washington's foreign policy priority in the Middle East was to establish US control over what the state department described as "a stupendous source of strategic power and one of the greatest material prizes in the world history"[3], namely the regions vast oil reserves of crude oil. Middle Eastern oil was regarded in Washington as "probably the richest economic prize in the world in the field of foreign investment"[4], in what President Eisenhower described as the most "strategically important area in the world'.

Defending the Oil Supplies The short history of U.S. policy in the Middle East confirms the centrality of oil and its role in justifying U.S. intervention. The succession of presidential "doctrines" from Eisenhower to Carter to Bush II

and at present Obama leaves no doubt as to U.S. commitment to use force in securing its interests, including "regime change." That is precisely what was done in Iran in 1953, when as a result of Iranian Prime Minister Mohammed Mossadeq's nationalization of the Anglo-Iranian oil company, the U.S. and U.K. collaborated in a covert coup to bring down that regime. It was replaced by the Shah, who remained in power until 1979. In 1956 the British and French, along with Israel, invaded Egypt in response to Nasser's nationalization of the Suez Canal Company. Two years later, President Eisenhower resisted the British prime minister's call to intervene in Iraq, where revolution brought down the Hashemite monarchy and the entire political edifice on which it rested,[5] which was a product of the British mandate and continuing British power. Within hours of that event, Eisenhower called for U.S. troops to intervene in Lebanon, then in the midst of its first civil war, while also backing British intervention in Jordan. U S action in Lebanon, preceding the events in Baghdad, was designed to assure the emergence of a politically reliable leadership that excluded the socialist Kamal Jumblatt..

Moreover**,** from 1946 to 1989 the Americans policy in Middle East remained relatively constant but after the demise of Soviet Union President Bush who came to office in 1989 has forced to grapple with the new dramatic changes in this region of pivotal importance. He tailored his policies to reflect the new world order. Access to oil could be challenged in the landscape with the new events as revolution of 1979 and Islamic radicalism so they focused now on the Israeli–Palestinian peace process and continued access to the Persian Gulf, but it was not possible under the US auspicious because he was a party in conflict same as at present the Iran in the Syrian Conflict and how feasible it would be to arbitrate about the Syrian situation under the Iranian Auspicious as it needs a party which would be neutral in conflict e.g., European Union. When Iran drifted away it used Iraq to balance it and Iraq by GCC countries through the dual containment. According to Martin Indyk in May 1993 this approach rested on the “necessity of an informal alliance” between Israel, Egypt, Saudi Arabia, and With the fall of the Shah in 1979 and the emergence of the Khomeini regime in Teheran, Washington's calculations concerning the Middle East underwent a major shock but its objectives did not change. In supporting the despotic regime of Saddam Hussein, the U.S. used Iraq to contain Iran's influence in the Arabian Peninsula and the Middle East, a policy the Saudis actively promoted.[6] Washington along with its allies and other states with compatible interests supported Baghdad in the long and bloody war that ensued between 1980 and 1988 aimed at establishing a cost efficient way of securing U S interests in the Gulf, while most diplomatic and political energies were spent on mitigating the dispute between Israel and the Palestinians. After all, maintaining an empire dependent upon a “dollars for oil” system is no cheap task and requires careful monitoring and oversight of the world’s oil supplies. Chief among the potential concerns for the petrodollar guardians are: threats of restrictions on oil supplies, new oil discoveries in potentially “anti-Western” oil fields, the nationalizing of a country’s oil supplies, and perhaps most importantly, devising “permanent solutions” to the problems presented by nations who dare to challenge the current “dollars for oil” system. As the primary guardian of the petrodollar, the U.S. often finds its militaristic adventurism at odds with the goals of foreign nations who do not share the same enthusiasm for confronting sovereign nations over a system in which they share no real direct incentives.

The Future Strategy It has been revealed that US now-a-days is preparing for to cut imports from West Asia in the face of several regional crisis which according to analysts would lead to disturbance of US oil supplies which will cost largely its economy and it is likely that within the next thirty years the U.S. will rely less on oil from Saudi Arabia and the Middle East, and more from its own backyard, Canada and Mexico. As it is, Canada, Mexico and Venezuela already are the key suppliers of oil to the US but Middle Eastern oil nations have gotten the U S into more than one tight spot on foreign policy matters.[7] Moreover, importing oil from so far away can be costly. It’s not that Middle Eastern oil kingdoms are falling by the wayside; they’re not, according to the International Energy Agency’s “World Energy Outlook” report, released in London. It’s just that the direction of Middle Eastern oil will flow to Asia rather than North America. Between now and 2035, the U.S. will become more of an exporter of oil and gas than an importer. For example, in 2010, natural gas-rich U.S. imported around 20 percent max of its natural gas needs. But by 2035, the U.S. will likely be a natural gas exporter according to current models from IEA, when it

comes to oil, the U.S. imports around 60 percent of its needs, falling to around 30 percent by 2035.[8] As this unfolds, the U.S. is projected to become the largest global oil producer before 2020, exceeding Saudi Arabia until the mid-2020s when U.S. production starts to decline again. At the same time, new fuel-efficiency measures in transport begin to curb U.S. oil demand.

Conclusion

Since the end of the world war second U.S. has been largely dependent on the Middle Eastern oil for energy purposes. Supplying Oil from Middle East almost remained a favourable concern for the Washington due to its high quantity at the lowest prizes. While importing oil from this faraway region of world U.S. has not been immune from the anti-imperial movement. For Supplying largest sums of oil U.S. has always been embarked on the policy of containment for the protection of its interests. Moreover it has also been revealed that the United States is drawing on a policy to decrease imports from the Middle East in future due the relentless destabilization of region. So the Washington will rely mostly on the domestic oil reserves vis a vis neighbor oil exporting countries.

References

1. Sheldon H. Richman, The Unites States and Persian Gulf, Cato Institute Policy Analysis No. 46, January 10, 1985. http://www.cato.org/publications/policy-analysis/united-states-persian-gulf
2. Ian Rutledge, Addicted to Oil: America's Relentless Drive for Energy Security (London: I.B. Taurus, 2005), 7, 132, 197–98.
3. Sheldon H. Richman. The Unites States and Persian Gulf, Cato Institute Policy Analysis No. 46, January 10, 1985. http://www.cato.org/publications/policy-analysis/united-states-persian-gulf
4. Noam, Chomsky. The State-Corporate Complex: A Threat to Freedom and Survival, Text of lecture given at the The University of Toronto, April 7, 2011. http://www.chomsky.info/talks/20110407.htm
5. Irene, Gendzier. Oil, Politics and the Military in the US War on Terror, Dissident Voice, December 18, 2002http://dissidentvoice.org/Articles/Gendzier.htm

Globalization Paradox : Gender Inequality and Economic Development in India

Prashant Thote
Gyanodaya Vidya Mandir,Narsingarh

ABSTRACT This study using access to education and health as the indicators of gender inequality examines gender inequality and state level openness in the different states of India. Further, the study‟s findings show that at the sub-national level in India higher per capita income is accompanied with lower gender inequality. However, in some high income states gender inequality is also very high. High gender inequality was also observed in the states which score high in the openness index.

Keywords: India, Gender Inequality, Openness Index, Economic Development; Sub-National level

INTRODUCTION India is increasingly portrayed as „high globaliser‟ and a „poster state‟ of globalization (Rato, 2007)1. The extensive trade reforms and other reforms were carried out by the Indian government in 1991 with the objective of reducing controls and easing policies to achieve greater integration with the world economy and to stimulate economic growth. Often referred to as „globalisation‟, the impact of integration in a large economy could differ for different groups of people like rich, poor, women, disabled, marginalized groups such as, those belonging to low caste, regions, and rural and urban areas. In recent years, globalisation and its implications for gender have been much discussed and commented upon in the wider literature. In the Indian context, a large literature has examined regional disparities in the country and has suggested that the disparities have increased since the reforms2. Yet in this discourse the issue of gender inequality at the sub-national level and its impact on economic growth and development has remained unexplored. Some studies have explored this in the context of globalisation, but only in a localized context and their geographical scope does not extend to all the states of India 3.
This paper examines gender inequality, economic development and globalisation in the different states of India. Specifically, it examines whether gender inequality differs across the Indian states and whether it is lower in more open and „globalised‟ states. The question is significant as in a large economy social and economic characteristics at the sub-national level could vary sharply from that at the national level. Even localized field level studies focused on a single state or selected parts of state may not be able to present a macro state level perspective. The question is also significant as it unfolds whether in a fast growing and global integrating economy to what extents its population, differentiated by gender, is able to partake in its integration and growth.

Gender inequality, that is, disparities between individuals due to gender has defined differently by different studies. Sen (2001) defined gender inequality as "not one homogeneous phenomenon, but a collection of disparate and interlinked problems." According to him, these could be mortality inequality; natality inequality;
basic facility inequality for instance, unequal access to schooling to girls; special opportunity inequality such as, unequal access to higher education, professional trainings etc.; professional inequality in certain occupations; inequality in ownership of assets; and inequality within household in the division of labour. Gender inequalities also exist in the workforce for example, wage gap between men and women and unequal treatment meted out to women in higher promotions, postings etc. In our study, gender inequality is defined as inequality in women‟s access to education and health.

Increased trade openness through increased trade opportunities and increased output may lead to greater participation of women in paid workforce. Our study does not consider participation of women in the paid workforce as one of the indicators of gender inequality, as it may be low even among women with high education due to cultural and social expectations. Participation in workforce is also governed by women‟s education and health and other cultural factors such as, mobility of women. The mobility of women, particularly in many parts of South Asia, is limited as young girls and women are often expected to take responsibility of the household duties

and men are expected to be the earners of the family. This, however, is changing rapidly in the major towns and cities as in the post-reform period "while the loosening of restrictions on physical mobility are seen as a hallmark of modernity, any attempts to restrict women‟s access to education and work constitute proof of „backwardness‟ (Ganguly-Scrase & Vandenbroek, 2005).

The findings of our study show that at the disaggregate and sub-national level in India, by and large, high per capita income was associated with lower gender inequality and low per capita income in states with high gender inequality; however, in some states high income per capita coexisted with high gender inequality. In terms of openness, the study found that most of the states (with the exception of Tamilnadu) which ranked high in the openness index also had high gender inequality. The results of the study, however, should be treated with caution as it is constrained by lack of firm state level trade data: state level openness as defined here is based on the methodology developed by Marjit, Kar and Maiti (2008); and pattern of female employment. The contribution of this study to the existing literature on gender and development is twofold: it contributes to the literature on gender inequality and growth; and also contributes to the literature on gender inequality and trade openness. What distinguishes this study from others is that it attempts to examine above issues at the disaggregate sub-national level rather than at the national level alone.

Rest of the paper is organised as follows. Section II discusses the literature on gender inequality and economic growth and globalisation. This is relevant in understanding the relationships examined, and the role of gender. Data and methodology are outlined in Section III. The findings of the study are discussed subsequently in Section IV. The section examines gender inequality in the major states of India and builds Gender Inequality Index. It examines whether in the high per capita income states gender inequality is low, and whether „open‟ states are more gender friendly than other states which are less open. In section V, the study concludes based on its findings.

RELATIONSHIP BETWEEN GENDER INEQUALITY, GLOBALISATION, AND ECONOMIC GROWTH

Women‟s contribution to economic growth can be through accumulated capital- both physical and human capital; their participation in the paid workforce and through increased savings. In the theoretical endogenous growth literature, human capital is recognized as an important source of economic growth. Human capital, defined as "direct expenditure on education, training, health and internal migration" was first recognised as a source of economic growth by Shultz (1961, p.1). Becker in 1964 (third edt. 1993) even titled his book „Human Capital‟ and described the forms of human capital as schooling, on-the-job-training, medical care and migration to improve income prospects. Women‟s role in endogenous growth literature is linked to the changed fertility pattern, a consequence of increase in capital per worker and higher wages leading to reduction in fertility and economic growth (Galor & Weil, 1996).

Women‟s role in development is reflected in reduced maternal mortality and improved maternal care, better education and nutrition of children, reduced fertility, and increase in the average age at first marriage (Shen & Williamson, 1999). Besides, the improved status of women in general, and better education of the mother in particular influences overall attitudes, including preferences of women towards the girl child. Often, it is this discrimination against the girl child from the moment she is born, or even before her birth, which culminates eventually in the low status of women, and leads to many other poor economic and social outcomes.

Dollar and Gatti (1999) examined the relationship between economic growth and gender inequality. Their results showed that gender inequality is higher in poorer and developing countries than the developed countries. Gender inequality is also high in certain religions. Besides, high gender inequality in terms of poor access to education by

women also contributes to low economic growth and income. The study argued that increase in economic growth leads to reduction in gender inequality. The authors, therefore, suggested that growth is „good for women‟.

Stotsky (2006) argued that a simultaneous relationship exists between gender inequalities and economic growth. Similar to Dollar and Gatti (1999), Stotsky too emphasised that gender inequalities lead to low economic growth and high economic growth, on the other hand, leads to reduction in gender inequality. She also suggested that macroeconomic policies particularly those relating to financial markets should take into account the gendered differences.

In a cross-country setting, Gümbel (2004) examined the role of gender inequality in economic growth in the context of developed and industrialized countries. His results too indicated that high per capita income is associated with low gender inequality. Gümbel (2004) also pointed out that while absolute growth levels and gender inequality move in reverse direction, this does not hold true if the percentage growth and gender inequality are considered.
Forsythe, Korzeniewicz, Majid, Weathers and Durrant (2003) examined the effect of economic reforms and economic growth on gender inequality. Their results suggest that besides policies, socio-economic characteristics also play a role in gender equality. They found that macroeconomic policies including changes in trade policy do not explain gender inequality. The variable which influences gender inequality most is the expenditure on education, and decline in gender inequality is associated with increased expenditure on education.
Morrison, Raju and Sinha (2007) argued that gender equality occurs through greater access of women to land and credit market and their enhanced decision making power within households. This leads to increased women‟s empowerment, reduction in poverty and increase in economic growth. The authors argued that while significant research has been done at the micro level on understanding the relationship between gender inequality and human development, at the macro level research on gender inequality and poverty reduction and economic growth has been inadequate.

While a large number of studies have found that gender equality and economic growth are positively related, and that higher per capita income is associated with lower gender inequality, the impact of globalisation on gender inequality has not been much researched. The increased trade opportunities through increased employment and output are expected to benefit all population groups including men and women. UNCTAD (2008) summarised the potential positive and negative effects of trade liberalisation on women (Table 1). These effects could, however, vary in developed and developing countries depending on the social, economic and institutional factors.

Oostendorp (2004) examined the gender gap in wages since globalisation. In a cross-country survey of the impact of globalisation on occupational gender wage gap using the data derived from International Labour Organization October inquiry, the study found that increase in economic growth and per capita income leads to reduction in occupational wage gap. The impact of globalisation, however, on gender wage gap was found mixed and uncertain.

Baliamoune-Lutz (2006) using cross-sectional data (5 yearly averages) looked at the effects of globalisation and growth on gender inequality. Her results found that increased trade openness leads to an increase in gender inequality in Africa. This is so as the increased trade openness leads to increase in the supply of unskilled labour and causes gender inequality to increase. The results further suggested that globalisation and economic growth had no effect on gender equality in non-Sub-Saharan countries. Shultz (2005) examined the relationship between trade liberalization and economic status of women. Shultz takes schooling and health as the indicator of gender inequality. His study showed that trade restrictions in the form of tariffs, quotas or other restrictions such as, on foreign exchange lead to low trade and also affect women‟s education and health. His other results indicated that natural resource exports reduce women‟s schooling and health as the girls gain employment and school enrolments decline. Overall, the study indicated that trade liberalization and globalisation through spillover effects and

increased demand for female labour could lead to increased education and health facilities for women in turn leading to increased gender inequality.

Seguino (2006) examined the impact of globalization on gender equality in case of Latin American and Caribbean countries. The results suggest that economic growth has not been beneficial for gender equality in the Latin American and Caribbean countries and has actually had negative effect on some indicators. This could be due to out-migration of women in low paid insecure jobs and men‟s increased financial insecurity because of their reduced earnings leading to domestic violence. The study also measured the impact of four variables on gender equity in well being- female bargaining power, structure of production, macroeconomic condition, and government spending. Her results showed that production structure or shift to manufacturing impacts gender equity positively. Women‟s economic activity leads to their increased bargaining power and has a positive impact on gender equity. The other factors have a negative effect on gender equity. In the Indian context in a country level analysis, Pande (2007) urged researchers to incorporate gender perspective in the globalisation debate and argued that women in the informal sector with poor access to land, credit, education and health facilities remain marginalized despite globalization. They are often exploited by working long hours and paid low wages and also lack voice and participation. In this context, the author pointed out that the emergence of self help groups which provide finance to women to start entrepreneurial ventures is a welcome initiative. Some other studies (Fontana et al., 1998; Fontana & Wood, 2000; Cağatay, 2001) also found that in the agricultural based economies trade actually leads to increase in gender inequality. Stotsky (2006) too argued: In some countries, mainly those still based primarily on subsistence agriculture, inequalities in women‟s opportunities limit their ability to take advantage of beneficial macroeconomic and structural policies. This is a particular problem highlighted in research on sub-Saharan Africa. Where women are mainly limited to subsistence agriculture, exchange rate depreciation geared toward restoring external balance, can impose a relatively harsher adjustment burden on women. ---In addition, it is important to separate the short-term from the longer-run effects in assessing the impact of changes resulting from structural adjustment.

The review of the literature thus, by and large, shows that at the national or cross country level while the impact of high economic growth and increase in per capita income has been positive for reducing gender inequality, this does not appear to hold true if the impact of globalisation on gender equality is considered. At the sub-national level, the gender-globalisation relationship could still be different from the national or cross-country level due to inter-regional disparities. This, however, remains largely unexplored in the existing literature. We have not come across any study in the wider literature which has examined gender inequality and globalisation at the sub-national level. This is possible as the inter-country trade denotes national sovereignty and national entity. The states or sub-national units do not establish trade relations with other countries primarily due to their lack of sovereign and independent status. However, we believe that it is the firms and industries located in different states and regions of the country which manufacture goods and contribute to the aggregate national trade. The impact of national level trade policies, thus could affect differently different regions, states and people employed in these firms and industries. This study is a first step in this direction.

DATA AND METHODOLOGY The standard trade theory predicts that outward looking policies through greater participation in international economy and increased exports will result in increased employment. The labour surplus countries with large number of unskilled labour are particularly expected to benefit in terms of employment generation. This however, presumes perfect mobility of labour and adjusting markets. In the gender context in developing countries this may not hold valid as women often face severe constraints in terms of mobility, access to resources and human capital. UNCTAD (2008) noted that:These disadvantages raise barriers to perfect mobility and full employment and are likely to result in crowding women into informal sector areas such as domesticservices, petty trading etc., where entry barriers are low, as are remuneration and consequently, productivity levels. Over the years these patterns of development have pushed poor women to progressively lower levels of subsistence livelihood engagements. While trade openness has benefited some countries for instance, Bangladesh and Sri

TABLE 1. POTENTIAL EFFECTS OF TRADE LIBERALIZATION ON WOMEN

Issues	Potential Positive Effects	Potential Negative Effects
Employment	Increase in quantity of jobs available. New alternatives to existing employment. Greater quality in terms of income and work conditions with development of new industries. Opening of new markets for goods and crafts, in particular traditional crafts.	Poor quality of opportunities. Insecurity of employments. Increase in part-time work, home based work, day-labouring and piece-based remuneration. Loss of traditional sector of activities and of business because of foreign competition.
Public Service Availability	More efficient and more adapted services in response to women's specific demands.	Decrease in service availability in some areas because not deemed profitable. Increase in the cost of services and medicines.
Price effects	Growing availability of cheaper foodstuff and goods.	As local production is displaced, gradually rising price of goods and greater sensitivity to fluctuating exchange rates.
Wage gap	Unclear whether trade liberalization can have any effect on the wage gap.	Competitive pressure may drive wages down as firms seek to minimize costs.

Source: UNCTAD (2008).

Lanka, the evidence nevertheless is mixed (UNCTAD 2008). Trade-openness or trade/GDP ratio is often used as the indicator of globalisation of the economy. Although trade openness can be defined in a number of ways, researchers often use value of exports and imports divided by total country‟s output as the indicator of country‟s openness and its participation in globalisation. However, some studies have questioned the rationale of using this ratio as the indicator of globalisation (Birdsall & Hamoudi, 2002). Critiquing Dollar and Kray (2001) on their categorisation of countries into „globalizers‟ and „nonglobalizers‟ based on trade/GDP ratio, Birdsall and Hamoudi (2002) argued that a high trade/GDP ratio indicating openness may be illusory as it may reflect relative commodity prices and has nothing to do with trade liberalisation policies. Also, low trade/GDP ratio may imply countries‟ dependence on primary commodities (in turn a reflection of geographical constraints and social political history of the country concerned), the prices and world demand of which may vary and may have again little to do with the trade liberalisation policies.

The exports and imports/GDP ratio of India has increased significantly since 1990-91 reflecting a shift in policies. The ratios were just 5.8 per cent and 8.8 per cent in 1990-91 and rose to 13.5 per cent and 21.2 per cent respectively in 2007-084 (RBI, 2008a). India‟s share in world trade (exports and imports together) increased from 1.2 per cent in 2006 to 1.3 per cent in 2007. Further, India was the 26th largest exporter and 18th largest importer in the world in 2007 (RBI, 2008b). Although available at the national level, data on trade openness at the subnational level in India is lacking. We, therefore, use the state level openness indices constructed by Marjit, Kar and Maiti (2008). Marjit et al. constructed state level trade openness index by taking into account industry output in each state and

corresponding its exports at the country level. On this basis, they deduced that the state with a larger share of that item in its production set will approximately have a larger share in country‟s exports too. It may be mentioned that the purpose of Marjit et al. was to compute state level data on globalisation (implying trade openness), the data on which is lacking in the context of Indian states. Their study does not examine gender inequality (or any other inequality whatsoever) emanating from globalisation. Our study in a sense extends their analysis further by using their estimates of state level openness and applying them in the context of gender inequality.

Data on other economic indicators at the sub-national level collated by us, that is, extent of state level per capita credit sanctioned, level of urbanisation (percentage of urban population to total), percentage of surfaced roads, percentage of villages electrified and e-readiness index5 also support Marjit et al. rankings of the Indian states in the openness index (Table 2). Thus, while Tamilnadu tops in the openness index, it performs better in other indicators too. At the other end are states like Bihar and UP which rank poorly in the openness index and also on other indicators. Some exceptions are Maharashtra and Haryana which although rank poorly in the openness index, perform well in all the other indicators.

154

TABLE 2. GLOBALISATION INDICATORS AT THE STATES LEVEL

States	Per capita credit sanctioned (in Rs.) (2006)	Per capita credit utilised (in Rs.) (2006)	Urbanisation (% of urban population in total) (2001)	% of surfaced roads (2002)	% of villages Electrified (2005)	E-readiness Index* (2004)	Openness Index value of states** (2002-03)	Openness Index ranking of states** (2002-03)
Uttar Pradesh	3766	4255	20.8	67.1	58.2	4	9	10
Bihar	1670	2204	10.5	43.2	51.3	6	11.5	14
Punjab	16963	16820	33.9	85.7	100.0	2	5	2
Orissa	5870	6991	15.0	22.0	55.2	4	7	5
Karnataka	19159	23559	34.0	68.3	98.1	1	7.5	6.5
Haryana	13398	16239	28.9	93.3	100.0	2	9.5	11
Madhya Pradesh	5568	6182	26.5	48.6	96.3	3	7.5	6.5
Kerala	15512	16246	25.9	33.3	100.0	2	10.5	13
Rajasthan	6686	7446	23.4	62.2	63.9	4	5.5	3.5
Gujarat	11538	15628	37.4	90.3	98.7	2	8	8
Tamilnadu	23494	23247	44.0	75.8	94.9	1	2.5	1
Maharashtra	51292	40811	42.4	78.4	86.5	1	8.5	9
West Bengal	8848	9653	28.0	53.8	84.8	3	5.5	3.5
Andhra Pradesh	12510	13254	27.3	61.1	99.8	1	10	12

Sources: Compiled from CSO (2005); DIT (2004); RBI, Marjit et al. (2008).

*Notes: *Numbers allotted to states by the present study to show the group to which the state belongs. Thus (1) is for Leaders; Aspiring Leaders (2); Expectants (3); Average Achievers (4); Below Average Achievers (5) and Least Achievers (6). **: The state with the lowest openness index value is ranked 1 and so on. Marjit et al. have included Assam too in their study which ranks lowest at 15 with high openness index value at 12.5.*

Gender Development Index (GDI) and Gender Empowerment Measure (GEM) were developed by United Nations Development Programme (UNDP) primarily with a view to draw the attention of researchers and policymakers to gender related issues (Schüller,2006). Gender Development Index or GDI was first introduced by UNDP in its Human Development Report for the year 1995. GDI, similar to the Human Development Index (HDI), takes into account life expectancy, education, and GDP per capita disaggregated by gender. The gender empowerment measure (GEM) examines whether women and men are able to actively participate in economic and political life and take part in decision-making. It shows the share of seats in parliament held by women; female legislators, senior officials and managers, and female professional and technical workers. It also shows the gender disparity in earned income, reflecting economic independence of women. The indices, however, have been subjected to much criticism directed more towards the methodology used in their construction, and their actual usefulness (Bardhan & Klasen, 1999). Also the indices do not take into account social and cultural differences across the countries (Pillarisetti & McGillivray, 1998). Gender inequality has also been measured by other studies

(see Breitenbach, 2007). Dollar and Gatti (1999) used four measures of gender inequality which are: i) access to education; ii) health facilities; iii) legal and economic equality of women- insociety and marriage; iv) women‟s empowerment (measured by women in parliament and women‟s right to vote). Other examples are Norway‟s Gender Inequality Index (Statistics Norway, 2008) and Swedish Gender Inequality Index for the municipalities (Statistics Sweden, 2008).

Norway‟s index published since 1999, measures the extent to which men and women participate in politics, education and working life. The indicators covered are: kindergarten coverage for children aged 1-5; number of women per 100 men aged 20-39; education levels for women and men; labour force participation for women and men; income for women and men; percentage of female municipal council members.

The Swedish Gender Equality Index compares performance of regions on gender equality and is based on 13 variables. Statistics Sweden (2008) points out that Gender Equality Index is a ‛comparison index (not a time series index)‟. The variables which this index takes into account are: people with post secondary education; people in gainful employment; level of job seekers; average income from gainful employment; people with low income; unequal sex distribution by industry; days of parental leave benefit; days of temporary parental leave benefit; sickness rates; young adults (25-34 years of age); women and men in municipal council; municipal executive board; entrepreneurs with at least 1 employee. For each variable and region the relative difference between the statistical values for women and men are calculated. The equation followed is shown below:

Relative Difference = 100* Abs (W-M)/ (W+M)

When the values for men and women are equal (ex. W=50; M=50), the function yields= 0 and is 100 at maximum difference (ex: W= 100, M= 0, or reverse that is, W= 0, M=100). Further, all regions are ranked by the values of relative difference and best is ranked 1 and so on. The index is then computed by averaging rank values for all variables for each region. For some variables such as, unemployment, low incomes and number of days of sickness absolute levels are used.

The Swedish Gender Equality Index (and even Norway‟s Gender Inequality Index) measures gender inequality at a disaggregate level, that is, at the municipality level and, therefore, more appropriate in our context. Besides, as Breitenbach (2007) pointed out the yardstick of the quality of any index should be "quality of the data i.e.
reliability, robustness; clarity; comparability ---, frequency of availability; capacity for trend analysis; capacity to provide profiles for relevant groups and areas---". Also Breitenbach (2007) emphasised the indicators should be „relatively easy to understand‟, and „accessible to a range of users and to the general public‟. The Swedish Gender Equality Index meets the criteria on these fronts too.

Our methodology is similar to the Swedish methodology on Gender Equality Index. As pointed out earlier, we take gender inequality to comprise access to education and health. Our study does not consider participation of women in the paid workforce as it is governed by a number of factors including access to education, health facilities and socio-cultural factors. We, therefore, take education and health as the key indicators of gender inequality. We further divide these indicators into nine sub-indicators each, and for each variable calculate the relative difference between the statistical values for men and women by using the following formula:

variable and best gets rank 1 and worst 15. To arrive at the index the relative difference is:
Dij=100* Abs (Vij_w-Vij_m) / (Vij_w+Vij_m) (3)
For analytical convenience and clarity, the GEI rankings of the states have been further grouped into three categories:
1. 1 > GEI ≤ 5 = low gender inequality

2. 6 > GEI ≤10 = medium gender inequality
3. 11 > GEI ≤ 15 = high gender inequality

The data for education and health are drawn from Population Census and National Family Health Surveys (NFHS, 2006). The NFH survey is a large scale multi-round survey representative household survey and is a rich source of information on state level infant and child mortality6, child health, maternal health and reproductive health. The latest survey results available are for the year 2005-06. **FINDINGS** Figure 1 shows GEI and ranking of states of the major states of India in GEI.

FIGURE 1. GII INDEX OF STATES

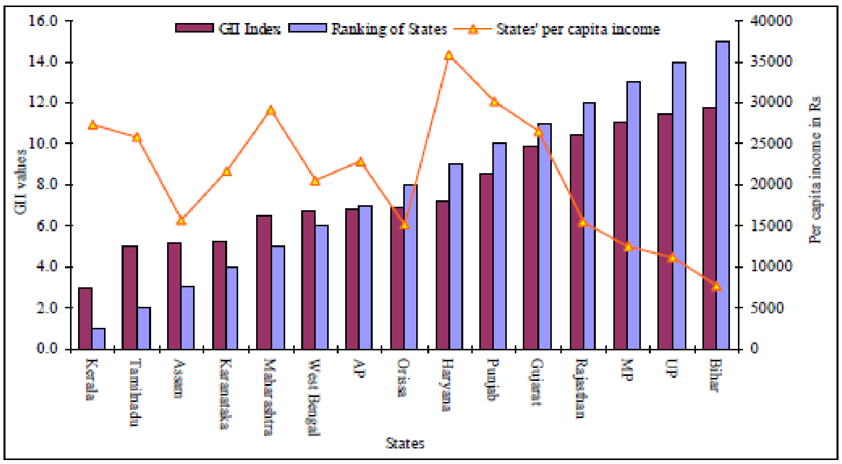

Note: The state with the least gender inequality is ranked 1 and state with highest gender inequality is ranked 15th in Gender Inequality Index.

The figure shows that in states with high per capita income, gender inequality is low and in states with low per capita income, gender inequality is high. This finding corresponds to the finding of other cross-country studies (Dollar & Gatti, 1999 among others) which showed that a reverse association exists between gender inequality and per capita income. At the sub-national level in India, the correlation coefficient between gender inequality and per capita income is negative at -0.53 indicating that lower the gender inequality, higher the per capita income. However, our study also found that even in high per capita income states such as, Punjab and Haryana gender inequality is high. Both child mortality and under-5 mortality rates are much higher for girls than boys in these two states. The cross country and national level regression results, therefore, need a critical look as they may not reveal true picture of gender inequalities within the country particularly, in large countries with high regional disparities. Table 3 displays Gender Inequality Index and also shows openness index of the states.

TABLE 3. RANKING OF STATES IN GENDER INEQUALITY INDEX AND OPENNESS INDEX

States	Gender Inequality Index (GII)	Ranking of states in GII	Openness Index value of states	Openness In ranking of st
Kerala	2.9	1	10.5	13
Tamilnadu	5.0	2	2.5	1
Assam	5.2	3	7.5	6.5
Karnataka	5.2	4	12	15
Maharashtra	6.5	5	8.5	9
West Bengal	6.8	6	5.5	3.5
Andhra Pradesh	6.8	7	10	12
Orissa	6.9	8	7	5
Haryana	7.2	9	9.5	11
Punjab	8.5	10	5	2
Gujarat	9.9	11	8	8
Rajasthan	10.4	12	5.5	3.5
Madhya Pradesh	11.0	13	7.5	6.5
Uttar Pradesh	11.4	14	9	10
Bihar	11.7	15	11.5	14

Note: Data for Gujarat, Madhya Pradesh and Assam relates to NFHS 1998.

Some patterns which emerge from Table 3 (also Figure 1) are that the states which lie in the southern and western part of the country have lower gender inequality than the states in the northern region. The states with medium gender inequality (group ranking 6-10) are West Bengal, Andhra Pradesh, Orissa, Haryana and Punjab. Haryana and Punjab, as mentioned earlier, are very high income agriculturally prosperous states. The BIMARU low income states (Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh) have much higher inequality in gender and fall within the last group of rankings (11-15) in gender inequality. High gender inequality exists in both education and health.
Detailed state level NFHS reports are not yet available for Gujarat, Assam and MP. We, therefore, took the previous survey results (1998) for these three states. We are aware that between the two survey periods 1998 and 2006 improvements might have taken place in these indicators. On verifying with the overall broad results for 2006 available for Gujarat, we found that surprisingly the rates have remained more or less same between the two survey periods 1998 and 2006. For instance, data on trends in children‟s nutritional status reveal that the percentage of children under 3 wasted was 44 percent in 2006 survey. This was more or less similar to the 1998 results. Infant mortality has actually risen during the two survey periods from 63 deaths per 1000 live birth to 69 deaths per 1000 live birth.

The results in regard to the openness index and gender inequality, on the contrary, are mixed. Tamilnadu is the only state which ranks high in both indices. Rajasthan, a state with high gender inequality ranks high in the openness index. The state has a high share in tourism, gems and jewelry exports and minerals. Similar is the case with Punjab which ranks 10 in the gender inequality index, but ranks high among the states in the openness index. This result needs to be treated with caution as openness is measured as contribution of that state to the total bundle of country‟s exports proxied by the state‟s industrial output in export products. Kerala, according to our study, has the lowest gender inequality in terms of both education and access to health. Other studies too have confirmed these results. However,Kerala‟s superior performance in terms of gender equality may be illusory as Kodoth and Eapen (2005) point out that despite favourable Gender Development Index and Gender Empowerment Index in the state, a high proportion of women in the state do not participate in the paid workforce7. The latest results of NFHS (2006) also reveal that despite the lowest gender inequality among all the states of India and high access to education and health, a high percentage of women in Kerala do not participate in the paid workforce. In Kerala only 30.1 percent of the women are employed compared to the states with high gender inequality such as, Rajasthan (55.4 per cent) and Gujarat (50.8 per cent)8. Figure 2 below displays GII index values and participation of women in paid workforce in the different states of India.

It is well recognised that improved health and education of women leads to better development outcomes. However, women‟s contribution to economic growth will only take place if the women increasingly participate in the paid workforce. Stotsky (2006) in this context observed: Higher levels of participation in labor markets increase women‟s contribution to household resources and hence increase their control over the allocation of household resources, potentially affecting consumption, savings, and investment decisions. These effects are negated, however, when household commitments severely limit labor market

FIGURE 2. GII INDEX AND PARTICIPATION OF WOMEN IN PAID WORKFORCE

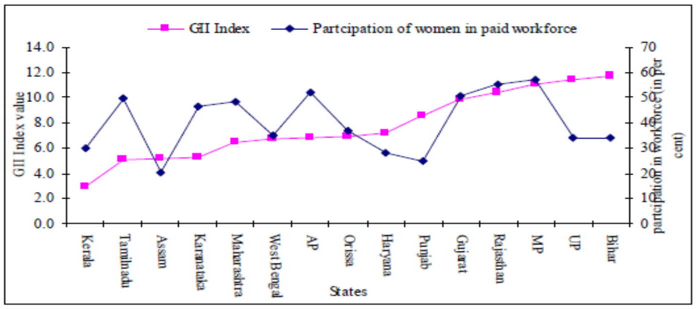

participation.

A number of other studies have also examined women‟s participation in labour markets (for instance, Behrman, 1999; Blundell & MaCurdy, 1999). Participation of women in labour market is complex and is determined by women‟s education, health, social and cultural factors and household commitments. Stotky (2006) argued that discrimination against women including occupational segregation in the labour market also reduces women‟s participation in workforce particularly in the developing countries. Our study does not include participation in paid workforce as an indicator of gender inequality as it believes that lower participation of women than men is in turn an outcome of other inequalities. High gender equality in Kerala along with low participation of women in the paid workforce constrained by social and cultural factors, therefore, warrants a closer look at the state level institutional factors which is beyond the scope of this study.

CONCLUSIONS

In recent years gender has become a significant part of the mainstream discourse on economic growth and development. Gender perspective has been adopted by the international organisations such as, World Bank, WTO and IMF in the formulation of Millennium Development Goals, trade policies and macroeconomic structural programmes. A large number of studies based on cross-country results have also highlighted the role of gender in economic growth and development. At an aggregate level, these studies have shown that inequality in gender is bad for economic growth and lower the gender inequality, higher is per capita income and economic growth. Studies on gender-globalisation nexus have found that higher trade openness may not necessarily lead to higher gender equality. Thus while gender-growth relationship at the country level has been determined, gender-globalisation link remains uncertain. Our study argued that at disaggregate and sub-national level, the above two results could be different and examined them specifically in the case of major Indian states.

This study, perhaps first of its kind in the Indian context on state level gender inequality and trade openness index examined gender inequality in the „open‟ or globalised states of India. We have not come across any study which has examined the relationship between gender inequality and state level openness in the Indian context. Our results showed that while overall high per capita income was associated with lower gender inequality and low per capita income in states with high inequality; in some states high income per capita coexisted with high gender inequality. In terms of openness, the study found that most of the states (with the exception of Tamilnadu) which ranked high in the openness index also had high gender inequality. This result has to be treated with caution as openness based on the methodology constructed by Marjit et al. (2008) is defined as state‟s industrial output and the share of that

product in country‟s total trade. Also, it is possible that women in these industries are employed at the lower rungs of employment performing menial jobs which although leads to their increased employment in terms of number, yet their status in terms of access to education and health may stillremain inferior. Firmer estimates on state level openness could, however, yield different results.

As low per capita income was found associated with high gender inequality, a more inclusive, but strongly focused growth oriented strategy in the states, particularly in those with high gender inequality, is called for. In the Indian context, other studies have also found a strongly negative relationship between income and non-income factors such as, strong reverse relationship between Human Poverty Index and per capita income
(Arora, 2009). Referring to the increased western interest in slum tourism in Kibera, a slum in Nairobi, Kenya, it was remarked, "but people just want to talk about poverty, poverty, poverty all the time" (Cawthorne, 2007, p.B3). In a similar vein, though in a different context, we reiterate that the increased emphasis should be on growth, growth and growth. Further, strong positive measures aimed at increasing women‟s education and better health facilities are required in the states as these will lead to improvement in women‟s status and empowerment. The improved status of women in turn through their increased participation in paid workforce would lead to higher economic growth and reduction in poverty. Female education and better health is linked to many other positive developments such as lower fertility rates, lower child mortality, better education of children. This has been supported by the findings of several studies (Baliamoune-Lutz, 2006; Knowles et al. 2002, World Bank, 2001).

However, improved access to education and better health facilities may still not facilitate women‟s contribution to economic growth and lead to reduction in gender inequality unless accompanied with women‟s increased participation in the labour force and change in overall mind set and attitudes. To enable both men and women to partake in global integration, reduction in gender inequalities, therefore, requires a social transformation which takes place through change in deep-rooted attitudes beginning at the family level. The role of the state is to facilitate that change through ensuring legal rights, increasing awareness of those rights and providing basic social services to women.

REFERENCES

Ahluwalia, M. (2001). State Level Performance under Economic Reforms in India (Working Paper No. 96). Stanford, CA 94305-6015: Centre for Research on Economic Development and Policy Reform, Stanford University.

Arora, R.U. (2009). Bank Credit and Development: A Study of Uttar Pradesh, India. Saarbrucken, Germany, VDM-Verlag Dr.

Baliamoune-Lutz, M. (2006). Globalisation and Gender: Is Africa Different? Journal of African Economies, 16(2), 301–348.

Bardhan, K. & Klasen, S. (1999). UNDP‟s Gender-Related Indices: A Critical Review, World Development, 27 (6): 985–1010.

Becker, G. (1993). Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (Third Edition ed.). Chicago: The University of Chicago Press.

Behrman, J. (1999). Labor Markets in Developing Countries, O. Ashenfelter and D. Card, eds., Handbook of Labor Economics, Volume 3B (Amsterdam: Elsevier Science), pp. 2859- 2939.

Birdsall, N., & Hamoudi, A. (2002). Commodity Dependence, Trade, and Growth: When "openness" is not enough (Working Paper No. 7): Center for Global Development.

Blundell, R., & MaCurdy, T. (1999). Labor Supply: A Review of Alternative Approaches, in O. Ashenfelter and D. Card, eds., Handbook of Labor Economics, Vol. 3A, (Amsterdam: Elsevier Science), pp. 1559-1695.

Breitenbach, E. (2007). Statistics for Gender Equality: Presentation at seminar on 'Indicators and Statistics on gender equality and the new duty on public bodies to promote gender equality from April 2007', Royal Statistical Society, London.

Cağatay, N. (2001). Trade, Gender and Poverty, Background Paper for UNDP‟s Report on Trade and Sustainable Human Development, UNDP.

Cawthorne, A. (2007, February 13). Slum tourism cashing in on poverty. The New Zealand Herald, p.B3.

CSO. (2005). Estimates of State Domestic Product. New Delhi: Central Statistical Organisation, Ministry of Programme and Plan Implementation, Government of India.

DIT. (2004). India E-Readiness Assessment Report 2004, For States/Union Territories. New Delhi, India: Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.

Dollar, D., & Gatti, R. (1999). Gender Inequality, Income, and Growth: Are Good Times Good for Women? (Policy Research Report on Gender and Development: Working Paper Series No. 1). Washington DC: World Bank.

Dollar, D., & Kraay, A. (2001). Trade, growth, and poverty (Working Paper Series No. WPS2615). Washington DC: World Bank.

Fontana, M., Joekes, S. & Masika ,R. (1998). Global Trade Expansion and Liberalization: GenderIssue and Impact, Bridge Report no. 42, IDS, Brighton: UK.

Fontana, M. & Wood, A. (2000). Modeling the Effects of Trade on Women, at Work and at Home, World Development, 28 (7): 1173–90.

Forsythe, N., Korzeniewicz, R. P., Majid, N., Weathers, G., & Durrant, V. (2003). Gender inequalities, economic growth and economic reform: A preliminary longitudinal evaluation (No. 2003/45). Geneva: International Labour Office.

Growing Future Ahead FOR PACKAGED DRINKING WATER INDUSTRIES IN INDIA

Dr. Prabhat Chopra
MBA (ForeignTrade)
SJHS Gujrati Innovative College Indore (M.P.)

Abstract :-Water is VITAL in all forms of life. The drinking-water needs for individuals vary depending on the climate, physical activity and the body culture. But for average consumers it is estimated to be about two to four litres per day. The growing number of cases of water borne diseases, increasing water pollution, increasing urbanization, increasing scarcity of pure and safe water etc. has made the bottled water business just like other consumer items. Scarcity of potable and wholesome water at railway stations, tourist's spots, and role of tourism corp. etc. has also added to the growth. One cannot think about life without water. we are blessed with adequate natural resources of water but increasing population, alarming rate of global warming and rapid industrialization and lack of adequate and improved management of the water supply systems resulted in the increased rate of water consumption, wastage of water and deteriorating condition of the water supply networks and the result is, scarcity of water. the water shortage around the world and particularly in the developing countries has opened new doors for bottled water industry. by the increasing population and the demand for pure and safe water for good health has created a excellent market for packaged drinking water industries which is recently a boom market as compare to other products in the market.

Introduction:-Water is the most important necessity for life. The drinking-water needs for individuals vary depending on the climate, physical activity and the body culture. But for average consumers it is estimated to be about two to four litres per day. The growing number of cases of water borne diseases, increasing water pollution, increasing urbanization, increasing scarcity of pure and safe water etc. has made the bottled water business just like other consumer items. Scarcity of potable and wholesome water at railway stations, tourist spots, and role of tourism corp. etc. has also added to the growth.

Almost all the major international and national brands water bottles are available in Indian market right from the malls to railway stations, bus stations, grocery stores and even at panwala's shop. Before few years bottle water was considered as the rich people's choice, but now it is penetrated even in rural areas. The growth and status of Indian Bottled Industry in comparison with Western or Asian market, India is far behind in terms of quantum, infrastructure, professionalism and standards implementation. The per capita consumption of mineral water in India is a mere 0.5-litre compared to 111 litre in Europe and 45-litre in USA. Also As per UN study conducted in 122 countries, in connection with water quality, India's number was dismal 120. In comparison to global standards India's bottled water segment is largely unregulated.

With the growing of packaged drinking water discovery getting more complex, expensive and time consuming, outsourcing specific research functions to specialized service providers help save substantial time and cost. It imparts competitive advantage to the research driven drinking water companies. The key growth drivers are increased outsourcing and off shoring by big water market which has embraced it as key strategy to expedite new discovery, minimize risk and maximize returns.

Madhya Pradesh is increasingly preferred by the domestic and multinational corporate houses to establish their operational centers . The state offers unmatched advantages in terms of equidistance connectivity,

low manpower and land costs, ample availability of skilled labour etc. The integrated R&D center would further consolidate its position among the upcoming knowledge hubs in the Country.

Government of India, Government of Madhya Pradesh and Madhya Pradesh Industrial Board should make the provisions and policies for packaged drinking water industries for the development of Industries which help in development of the Indore city and also reduce the unemployment. It can also help in economic balance and poverty alleviation.

While the Indore city is on the way of excellent development, the industries are also growing day by day on the other hand population is also increasing which needs to be controlled to make development visible in the city as well as unable people to use natural resources in the city.

Why Bottled Water ? :-Millions of people, both in rural and urban India, suffer from inadequate or no tap water supply. Even some parts of Mumbai, the country's financial capital, get a mere two hours of daily water supply. The city's Virar suburb gets 45 minutes. So bottled water is much in demand by residents - even though the businesses profiting from the sales are thriving from access to public water sources.

Bottled water fills a void created by government failure to address basic services, Peter Gleick of the Pacific Institute writes in its World Water report. "In many parts of the world, tap water is not available or safe to drink," writes. "In these regions, the failure of governments to provide basic water services has opened the door to private companies and vendors filling a critical need, albeit at a very high cost to consumers." The institute reasons that governments should tap into spending on commercial water by consumers to secure funds to provide safe water at fraction of the cost.

Bottled Water: How Safe?:-The bottled water industry has spent billions over the past decade to sell you on the idea that bottled water is better than tap water. Well the short answer is they are both unhealthy. One of the most ironic parts of the bottled water tragedy is that the water bottling industry gets the water free, filters it, bottles it and sells it back to us at **1,900% profit**. The ironic part is that tap water is legislated to be 7.0 pH neutral. They first dump a TON of chlorine in the water to kill off all the bad bacteria, this makes it highly acidic.

Variety of Packages :

Bottled water is sold in a variety of packages:

- Pouches and glasses
- 330 ml bottles
- 500 ml bottles
- one- litre bottles
- 20- to 50-litre bulk water packs.

The formal bottled water business in India can be divided broadly into three segments in terms of cost: premium natural mineral water, natural mineral water and packaged drinking water. Premium natural mineral water includes brands such as Evian, San Pellegrino and Perrier, which are imported and priced between Rs.80 and Rs.110 a litre. Natural mineral water, with brands such as Himalayan and Catch, is priced around Rs.20 a litre. Packaged drinking water, which is nothing but treated water, is the biggest segment and includes brands such as Parle Bisleri, Coca-Cola's Kinley and PepsiCo's Aquafina. They are priced in the range of Rs.18-20 a litre.

Packaged Drinking Water Industries in Indore (MP) :-The State of Madhya Pradesh is centrally located and is often called as the "Heart of India". The State is home to a rich cultural heritage and has practically everything;

innumerable monuments, large plateau, spectacular mountain ranges, meandering rivers and miles and miles of dense forests offering a unique and exciting panorama of wildlife in sylvan surroundings.

Indore is the most populated city in the centrally located state of Madhya Pradesh, and the population is expected to grow to approximately 3.3 million by 2030. Indore is a trading center, and on account of its strategic location serves as a hub of trade and commerce for the whole of western India. The city also sees significant business from various industries, including the textile industry, but these businesses are increasingly concerned about water and power resources in the area. There is a high rate of migration into the city of mostly laborers and students. Being located near the watershed boundary between the Narmada and Chambal Rivers, the local water resources are no longer able to support the growing demands of the city. The water supply is intermittent and faces acute water shortages during summers. Water quality is also a major issue for the city as studies indicate that 70 percent of the tube wells in Indore are contaminated.

Boom Time Ahead For Packaged Drinking Water :-

The Indian market is estimated at about Rs 1,000 Crore and is growing at whopping rate of 40 %. By 2010, it will reach Rs 4,000 - 5,000 Crore with 33 per cent market for natural mineral water. According to a national-level study, there are more than 200 bottled water brands in India and among them nearly 80 per cent are local brands. In fact, making bottled water is today a cottage industry in the country. However though having the large number of small and local producers, this industry is dominated by the big players like - Parle Bisleri, Coca-Cola, PepsiCo, Parle Agro, Nestle, Mount Everest, Kingfisher and Manikchand and so on. These players can be called as the trend setters in the marketing of packageddrinkingwater.

The recent industry figures indicates that the sales of bottled water grew from $189 million (USD) in 2003 to $599 million in 2008 -- a growth rate of 216 percent and it is expected that this figures will be doubled in the next five years. This growth rate makes Indian Bottled water market as one the fastest growing in the world. The factors contributing to such a rapid growth are sound economy, disposable income of the people, poor public water distribution system and infrastructure and the Indian government hardly cares for what happens to the nation's water resources. However like each industry is facing the challenges the Indian bottled water industry is also having bottlenecks like poor transportation infrastructure, low entry barriers, difficulties in brand recognition and sometimes threats from the environment protectors and social activist against the use of bottled water. Though ignoring all these hurdles and only looking at the above mentioned growth rate figure many bottled water companies think about their future business plans. For e.g. PepsiCo announced that it will double the investments in its Indian beverage business in 2009.. Mount Everest presently sells only premium drinking water under the Himalayan brand.In Indore there are 80(on an Approx) companies available for Packaged Drinking Water and are playing excellent role in market and creating good market share day by day. There is average consumption of Packaged drinking in Indore is shown in table as follows:

Table No.1

No. of Stores	**Average Consumption**	**Price**
Small Shops	**Per Day**	
Varieties		

Pouches	2600 Pouches	Rs.1 - 2
Bottles	2500 – 3000 Bottles	Rs.15 -20
Bottles 2 Ltr	1000 -1500 Bottles	Rs.20 -30
Jars 20 ltr	8000 – 10000 jars	Rs.30 - 50

As per the analysis of the table the business and consumption of Packaged Drinking Water is growing day by day and is expected to grow at an growth rate of 216% . This table contains the maximum consumption of Packaged Drinking Water Through various channels such as Kirana stores, Retail outlets, Restrauents, Pan shops, Sanchi Points, Parties, Malls, Wineshop Ahatas etc.

Table No. 2 Production Cost

	Raw Matiearl	**Printing**	**Water**
Pouch 200ml	0.25 Paise	0.15 Paise	0.25 Paise
Bottle	Cap, Seal, Bottle	Label	
	Rs.4	Rs. 2	Rs.3
Jar	Cap, Seal, Jar	Label	
	Rs.20	Rs.5	Rs.10
Cane	Rs 500 - 700		
	One Time Investment	Rs.5	Rs. 10

This table shows about the production cost operated in processing of water. By manipulating these figures we had classified the product according to their variants i.e. Pouch, Bottles, Jars and Canes. The approximate production cost is as follows:

Pouch 0.65 paise

Bottle Rs. 9/-

Jar Rs.35/-

Cane Rs.15/-

By having production cost of Packaged Drinking water there is high profit margin in this industry as well as it is the market which is not being stopped at any stage or level because the need of pure and healthy water is always in the demand by consumers. In the present situation the IMC Certified Industries are playing good role in the market and having bulk supply in all the sectors of market as well as in parties in the selling price of Rs.35 – 45 by the name of chilled water and meeting demand of the consumers as well but in production cost wise they are earning 300% margin on Raw Water. On the other hand major players and BIS certified industries are earning 200% profit margin and there is recession or inflation on this industries and is growing day by day.

Table No.3 Pricing decision for Product Selling Price in the Market

Ranges	Quantity	Price	Price	Price
Pouch	200Ml	Rs. 1 - 2		
Bottle	500Ml , lltr, 2ltr	Rs. 7 - 10	Rs. 15 20	Rs.25 30
Jar	5ltr, 10ltr, 20ltr	Rs. 40	Rs. 50 -60	Rs. 60 - 65
Cane	20ltr	Rs. 35 - 50		

.

This Table Shows the market price of the products available in the market i.e. Pouches are available in the price range of Rs.1 – 2, Bottle 300Ml are available in the price range of Rs.5 – 6,500Ml are available in the price range of Rs.10 – 12, 1ltr are available in the price range of Rs. 15 -20, 2ltr are available in the price range of Rs. 25 – 30, Jars 5ltr are available in the price range of Rs.30 – 40, 10ltr are available in the price range of Rs.45 -50, 20ltr are available in the price range of Rs. 60 – 65and Canes are available in the price range of Rs. 35 – 50 in the market.

These are the prices of bottled water available in different quantity in the market . In Bottles and Jars Major Players has large share in capturing the market i.e. Bisleri, Auafina, Kinley, Bailey, Mc Dowell and on the other hand BIS Certified industries has also good market share i.e. Health plus, Oras, Easeau, Arav etc are doing good business. The IMC Certified industries had captured the market in Canes only named as chilled water and having good market coverage in commercial and Private sectors.

Conclusion:-

Water quality and quantity are interdependent, interacting elements of water system. The term water quality refers to the level of suitability of water for specified purposes. Use of mineral water gradually increased in India due to shortage of pure hygienic water and which also increases the knowledge of water because of pathogenic micro organisms, which are the main, aspect of stomach problem. Due to this reason a part of the society stored safe drinking water i.e. mineral water. There is increase life, major of the working group has to in business in travel from one place to another place, by this time they are now habitual to use mineral water of the tourists are only habitual to take safe most drinking water. Packed bottled mineral water is the only main resources in our country to safe drinking water. On that base, it can be concluded that scope of mineral water will be much more increased in the future.

The main aim or objective of the study is to analyze the Growth impacts and evaluation of the Packaged Drinking water Industry in Madhya Pradesh with reference to Indore city.

The research is based on market potential of Packaged Drinking Water Industries doing the business in Indore City. In the present scenario the market of the Packaged Drinking water is on the growth and in future it will become the next oil industry by the year of 2025. This is the industry which is earning higher and maximum profits in comparison with other industries doing business in Indore. The Indore

market is the vast market having large number of buyers in all the categories with good purchasing power. In Indore there is around 80 manufacturing companies doing the business of packaged drinking water and divided into three categories i.e. Major Players, Bureau of Indian Standards certified and Indore Municipal Corporation registered which are supplying the different variants such as Pouches, Bottles, Jars and Canes as well as satisfying the thirst of people of Indore with higher profit margins.

In the ancient times the drinking water was free for all the public and considered as a free gift of nature which satisfied the need of water for its all uses and the people thought that satisfying the thirst of any person is the sacramental work done for getting the blessings of the god. In the present time if we want to satisfy our thirst we have to buy the water and pay for it, as the ancient people did not think the free gift of nature i.e. water is to be purchased in the country like India which is called as "Gold Finch". By this it is clearly viewed how many changes have occurred from previous time to present time.

On the other hand Government and Indore Municipal Corporation have also opened the way to this industry. As per the result of the research, it is analyzed that by providing all the facilities related to supply of water by Municipal Corporation the shortage of water is there in the whole year as well as the water supplied through the tape is not safe at most of the times whether it is used for drinking or for other use in which the IMC is taking the monthly charge of Rs. 250 – 500/- per month and by paying this charge the peoples are facing the problem of water shortage and impure water for drinking. By having these two main causes of Government and Municipal Corporation the Packaged Drinking Water industries are creating the opportunities for growth as well as the industries have grabbed the opportunities and are satisfying the demand of the people by the supply of drinking water and earning high profits.

After all the study, arguments and analysis I would like to conclude that whatever negative impression of bottled water be given by others, the fact which goes in its favour is that we can't ignore the truth that packaged drinking water industry is giving or fulfilling our basic needs whenever we need it. We can't deny the fact that without water we can't think of life as 70% of earth is made up of water and almost 80% of human body is constituted by water. So, how can we ignore its importance and specially the quality of water required to be healthy.

I would like to suggest that all the industries, which are involved in this business, should follow the rules and hygienic standards to provide safe and pure water only then, they will serve their purpose and flourish in the true sense. On the other hand, government should also improve the quality of drinking water with proper distribution system to solve the problem of shortage of water. With this suggestion, I would say

"DRINK PURE WATER, LIVE HEALTHY LIFE."

References:-

A. Journals & Research Papers :

- Black, Maggie and Rupert Talbot (2005), Water: A Matter of Life and Health, Oxford University Press, New Delhi.
- Das, Keshab (2001), Rural Drinking Water Supply in India: Issues and Strategies.
- Morris (ed.), India Infrastructure Report 2001: Issues in Regulation and Market Structure, Network and Oxford University Press, New Delhi.
- Iyer, Ramaswamy R. (2003), Water: Perspectives, Issues and Concerns, Sage Publications, New Delhi.
- James A. J. (2004), India's Sector Reform Projects and Swajaldhara Programme: A Case of Scaling up Community Managed Water Supply, Submitted to the IRC International Water and Sanitation Centre.
- Joshi, Deepa (2004), Secure Water – Whither Poverty? Livelihoods in the DRA: a Case Study of the Water Supply Programme in India, Overseas Development Institute.
- Khanna, Amod and Chitra Khanna (2005), Water and Sanitation in Madhya Pradesh: A Profile of the State, Institutions and Policy Environment, Water Aid India, New Delhi.

B. Web References

- http://mponline.in/Profile/History/
- http://www.theindorecity.com
- http://ecopackindia.wordpress.com
- http://www.indiawaterportal.org
- http://www.wateraid.org

A LEGAL STUDY ON THE ROLE OF RESERVE BANK OF INDIA FOR SUSTAINABLE OF MICRO FINANCE

DEEPALI RANI SAHOO
Assistant Professor of Law.
Amity Law School,
Amity University.
Gwalior, Madhya Pradesh

.

Abstract :- The micro finance systems do play a crucial role in the economic development of a nation. The effective functioning of the common people. As the most important financial intermediary, the micro finance transfers the savings into investment through the offer of innovative deposits and loan products and other services. Microfinance, the provision of a wide range of financial services to the poor on a sustainable basis, has proved to be immensely valuable. Access to financial services has allowed many families through out the developing world land, indeed, in poorer parts of the developed world to make significant progress in their own efforts to escape poverty. The microfinance industry has traditionally seen poor people's need s for financial services simply as "credit for enterprise". Microfinance helps reduce poverty through increases in income allowing the poor to build assets and reducing their vulnerability and retailing is the most active and attractive sector of last decade. The micro finance in India is undergoing an exponential growth; the road ahead is full of challenges. The Reserve Bank of India plays a vital role to build strong and efficient micro-finance institution. This paper is study the RBI regulating environment of microfinance need to be simplified and to initiate and implement micro-enterprises development programme and support the programme by way of an effective microfinance delivery mechanism.

Keywords: Microfinance, poverty, Banking Act, Policy Formulation, Regulatory Supervision.

Introduction :- The origin of micro finance could be traced back to the beginning of the co-operative movement in Germany. The movement was started in 1944 in the field of cooperative based credit system by the Raiffeisen society as well as Rochdale Pioneers in England. Similarly, the enactment of the cooperative credit societies Act, 1904 could be considered as the beginning of micro finance in India.

Microfinance is a financial service of small quantity institution to the poor. These financial service may include Savings, Credit, Insurance, Leasing, Money transfer etc, that is any type of financial service, provided to customers to meet their normal financial needs, unlike normal credit, micro credit is limited with collateral substitute and credit plans services-Despite the expansion of the organized banking system deep into rural areas, it was found that a very large number of the poor continued to remain outside the fold of the formal banking system. Thus began the search for an alternative delivery mechanism which would meet the requirement of the poor and especially the women members of such households. It was then the idea of organizing self help groups (SHGs) started to take shape. SHG is a group of about 10-20 person from a homogenous class who come together for addressing the common problems. They collected voluntary savings on a regular basis and use the pooled resources to make a small interest bearing loans to their members.

The first official interest in group lending in India took shape during 1986-87 when National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) supported and financial research project on saving and credit management of self help group of Mysore Resettlement and Development Agency (MYRADA). There are two major models under micro finance namely Self-Help Group- Bank Linkage (SHG-BL) and Micro Finance Institution (MFIs). The SHG Banking Linkage programme was invited in 1992 which tried to facilitate the flow of bank credits to SHGs. In 1991-92, a pilot-project for linking about 500 SHGs with banks was launched by NABARD in consultation with the RBI, which advised the banks to actively participate in it. In 1994, the Reserve Bank of India constitutes a working

group of NGOs and SHGs. On the recommendation of the group the Reserve Bank advised that the banks financing of SHGs would be reckoned as part of their lending to weaker sections and such lending should be reviewed by banks and also at the state level at regular intervals.

In India two major SHG networks have access to institutional credit. One is NABARD sponsored SHG bank linkage programme and the second was Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) started by Ministry of Rural Development on April 1, 1999, by combining various programmes like IRDP, TRYSEM, DWCRA, SITRA and GKY. The NABARD sponsored programme has grown much faster than SGSY programme with 51.62 Lakh groups under its purview.

Micro finance institutions could play a significant role in facilitating inclusion, as they are uniquely positioned in reaching out to the rural poor. The Micro Financial Sector (Development and Regulation) Bill, 2007 has been introduced in parliament in March 2007. There is also a need to emphasize linking of micro credit with micro-insurance. Bundling of these products can be of great help to the bottom of the pyramid customers. Further this act amends in parliament in 2012 and it shall come into forced in 17^{th} May, 2012. This Act may be called the Micro Finance Institutions (Development and Regulation) Act, 2012.

The Reserve Bank shall regulate, promote and ensure orderly growth of the micro finance institution and take measures as it deems fit, for the purpose of promoting financial inclusion through such institution.

Objective of the Study :-

- To study the functions of Reserve Bank of India promoting micro finance institution.
- To study the power of Reserve Bank to issue directions to micro finance institutions.
- To study the power of Reserve Bank to impose penalty to micro finance institutions.
- To study the delegation of powers of Reserve Bank to National Bank.

Methodology of the Study :-This research paper is on secondary data collected from books, articles, research papers, Journals and news papers.

Limitation of the Study :- The limitation of the study is that it is confining only the functions and powers of the Reserve Bank as per the Acts for the growth of the micro finance institutions. Microfinance programmes are currently being promoted as a key strategy for simultaneously addressing both poverty alleviation and women's empowerment.

Function of Reserve Bank for the growth of the Micro Finance Institution.
(Micro Finance Institution (Development & Regulation) Act – 2012)
Section – 24 :
Functions and powers of Reserve Bank :

(1) The Reserve Bank shall regulate, promote and ensure orderly growth of the micro finance institutions and take measures as it deems fit, for the purpose of promoting financial inclusion through such institutions.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions contained in sub-section(1), the powers and functions shall include –

(a) grant of certificate of registration to the applicant micro finance institution under section 15 or cancellation of such certificate under section 16;

(b) making of schemes for the orderly growth of the micro finance services provided by micro finance institutions so as to ensure greater transparency, effective management and good governance in an efficient manner;

(c) specifying the maximum limit of the margin and the annual percentage rate to be charged by the micro finance institutions for providing micro credit facilities to its clients;

(d) specifying the sector related benchmarks and performance standards pertaining to methods of operation, fair and reasonable methods of recovery, management and governance including model codes for conduct of activities of micro finance institutions;

(e) facilitating the development of credit rating norms or rating norms for other purposes for micro finance institutions;

(f) specifying the form and manner of books of account to be maintained by micro finance institutions;

(g) specifying the form and manner of accounting of business operations of micro finance institutions and auditing standards relating thereto;

(h) calling for information and data from micro finance institutions of maintaining an appropriate database in the public domain relating to micro finance services and disseminating the same through a national dissemination network;

(i) constitution a Micro Finance Development Fund and to apply it for the purposes as provided in section 32;

(j) promoting development of micro finance institutions, engaged in micro finance services through engaged in micro finance services through training and capacity building measures;

(k) promoting customer education of all institutions engaged in micro finance services for greater awareness and for economic empowerment of micro finance clients;

(l) supporting research, field research, documentation and dissemination thereof relating to micro finance sector;

(m) coordinating with other agencies for orderly growth and development of institutions engaged in the micro finance services;

(n) documenting and disseminating information relating to best practices with a view to ensuring provision of micro finance services at an affordable cost to eligible clients;

Section – 25 : Power of Reserve Bank to issue directions to micro finance institutions :

(1) If the Reserve Bank is satisfied that, in the public interest or to prevent the affairs of any micro finance institution being conducted in a manner detrimental to the interest for the clients availing micro finance services or in a manner prejudicial to the interest of the micro finance institution, it is necessary or expedient so to do, it may give directions to a class or classes or all micro finance institutions generally, as the case may be and such micro finance institution shall be bound to follow the policy so determined and the directions so issued.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such directions may provide for all or any of the following matters, namely;

(a) extent of deployment of assets for providing micro finance services and proportion of clients availing such services, necessary to classify any institution as micro finance institution.

(b) ceiling on amount of micro credit facilities: and the number of Individual clients to whom such micro credit facilities may be provided by any micro finance institution;

(c) tenure of micro credit facilities given to clients and other terms and conditions for which micro credit facilities, can be given, margin caps and periodicity of repayment schedules;

(d) levy of processing fees, interest, life insurance premium and other terms relating to micro credit facilities including the ceiling on the percentage of margin to be maintained by a micro finance institution;

(e) the maximum annual percentage rate which may be charged by a micro finance institution on the micro credit facilities granted to any client;

(f) the locations where micro credit facilities may be sanctioned and disbursed by micro finance institutions;

(g) micro finance institutions to become members of Credit Information Bureaus that may be set up for the micro finance sector;

(h) observing code of conduct formulated by any organization of micro finance institution recognized by the Reserve Bank and setting up of grievance redressal mechanism for their clients as required by such organization;

(i) a Client Protection Code and its acceptance and observance by micro finance institutions;

(j) micro finance institutions to achieve better control, simplification of procedures and reduction of costs by use of information technology;

(k) the minimum net worth of micro finance institutions considering their size of operations and other relevant parameters;

(l) norms for corporate governance to be observed by micro finance institutions;

(m) prudential norms relating to income recognition, accounting standards, provisioning for bad and doubtful debts, capital adequacy based on risk weights for assets and deployment of funds;

(n) disclosure of assignments or securitization of assets as also assets assigned with recourse or with arrangement as agent for collection of loan installments;

(o) raising of preference share capital or other capital by micro finance institution;

(p) grant of recognition to any self Regulatory Organization of micro finance institutions for efficient conduct of the business of micro finance institution; and

(q) Such other directions as may be specified by regulations;

Section – 26 – Margin not to be in excess of Maximum limit :

(1) A micro finance institution engaged in the activity of providing micro credit facilities shall not collect a margin which is in excess of the maximum limit thereof, as may be specified from time to time by the Reserve Bank, for a micro finance institution or a class of micro finance institutions.

(2) The Reserve Bank may specify, by regulations, margin under sub-section (1) for micro finance institutions generally or for a class of micro finance institutions or for any micro finance institution in particular, considering the size of their operations, risk associated with such operations and such other parameters, as it deems fit.

(3) A micro finance institution engaged in the activity referred in Sub-section (1) shall convey to every client or borrower the annual percentage rate comprising of the annual interest rate, processing fees or any other charge or fee levied by the micro finance institution and incorporate the same distinctly and prominently in the loan document of the client or the borrower, in the sanction letter given to the client or borrower, as the case may be.

(4) A micro finance institution shall obtain from the Statutory Auditors a certificate that the margin available to, and realized by, the micro finance institution does not exceed the maximum limit specified by the Reserve Bank and that the micro finance institution has complied with the requirements of sub-sections (1) and (2).

Section – 27 : Inspection :

(1) The Reserve Bank shall, at any time or on being directed so to do by the Central Government cause an inspection of any micro finance institution and its books and accounts and the Reserve Bank shall supply to the micro finance institution a copy of the report of such inspection.

(2) A copy of the report of the scrutiny shall be furnished to the micro finance institution, if the micro finance Institution makes a request for the same or If any adverse action is contemplated against the micro finance institution on the basis of the scrutiny

(3) It shall be the duty of every person who is a director, trustee or a member of managing committee, manager, secretary or other officer or employee of the micro finance institution to produce before any officer authorized to make an inspection, all such books of account, records and other documents in custody or power of such person to furnish any statement or information relating to affairs of the micro finance institution, as the inspecting authority may require within such time as may be specified.

(4) Any officer making an inspection under Sub-section (1) or a scrutiny under sub-section (2) may examine on oath any director, trustee or a member of Managing Committee, manager, secretary or other officer or employee of the micro finance institution in relation to its business, and may administer an oath accordingly.

(5) If the Reserve Bank, after considering the report of inspection under sub-section (1) or scrutiny under sub-section (2), is of the view that the affairs of any micro finance institution are being conducted to the detriment of its clients, it may after giving such opportunity to the micro finance Institution to make representation in connection with the report, take such action as it deems fit including removal of any officer, office bearer or managing committee of the micro finance Institution or prohibiting the micro finance Institution from providing micro finance services for such period as the Reserve Bank may deem fit in the manner as may be specified by regulations.

Section- 28 : Cease and Desist Order :

(1) If on inspection or perusal of annual accounts or any returns submitted by any micro finance Institution, the Reserve Bank is satisfied that activities of that micro finance institution are being conducted in a manner prejudicial to the interest of its clients or members of the self-help group (thrift group) or the micro finance institution itself, the Reserve Bank may pass a Cease and Desist order within sixty days of such inspection directing such micro finance institution to cease and desist from providing the micro finance services, subject to such terms and conditions as may be specified in such order.

(2) In the Cease and Desist order, the Reserve Bank may, direct the micro finance institution not sell, transfer, create any charge or mortgage or deal in any manner with its property and assets without prior written permission of the Reserve Bank during the subsistence of the Cease and Desist order.

(3) The Reserve Bank may, grant time to such micro finance institution for taking necessary steps to comply with the directions of the order passed under sub-section (1).

(4) The Reserve Bank may withdraw the Cease and Desist order issued under sub-section (1), if the Reserve Bank is satisfied that micro finance institution has complied with the directions issued under such order.

Section - 29. Closing nor restructuring of business. –

(1) No micro finance institution registered under this Act providing micro finance services or other services shall close its activity or amalgamate with other institutions, or take over any other business or its shareholding or emerge or divide, or restructure, or otherwise transfer the ownership or control of its activity of providing micro finance services unless a scheme thereof is approved by the Reserve Bank under this section.

(2) The micro finance institution shall formulate a scheme for any of the purposes specified in sub-section (1) and submit it to the Reserve Bank for approval.

(3) The Reserve Bank shall not approve any scheme submitted to it under sub-section (2), unless it is in public interest and has been sanctioned by the appropriate authority under the provisions of the law applicable to such micro finance institutions for the time being in force.

(4) The Reserve Bank may, by an order approve tile scheme under sub-section (2) subject to such terms and conditions as II may specify in the order.

(5) Where a scheme is approved by the Reserve Bank under sub-section (4), the Reserve Bank may, in the order under that sub-section or DY another order direct that on such date the micro finance institution shall stand restructured or cease to function and stand dissolved.

Section–30 : Winding up petition or other application for closure of micro finance activity-

(1) Without prejudice to anything contained in any other law for the time being in force applicable to winding up of any micro finance institution. the Reserve Bank, on being satisfied that a micro finance institution.

(a) is unable to pay its debt; or

(b) has by virtue of provisions of this Act become disqualified to carryon the activity of micro finance institution; or

(c) has tailed to comply with any directives or orders Issued by the Reserve Bank including the Cease and Desist order or otherwise; or

(d) the continuance of the micro finance institution in detrimental to public interest or to tile Interest of the clients of the institution, may file an application for winding up or any other application by whatever name called for closure of its activity before the appropriate authority or Court empowered to wind up the business or activity of the micro finance institution under the law applicable to such micro finance institution:

Provided that where the micro finance institution against whom application for winding up is filed is also engaged in any other activity, the concerned micro finance institution may be permitted to continue such activity and restrict the Winding up or closure of the business only to his activity of providing micro finance services With the approval of the concerned authority or Court.

(2) Any authority or Court, empowered to wind up the business of the micro finance institution, may pass such orders as it deems fit.

Explanation –

For the purpose of this section, a micro finance institution shall be deemed to be unable to pay its debts, if it has refused or has failed to meet within five working days any lawful demand made at any of its offers or branches and the Reserve Bank certifies in writing that such institution is unable to pay its debt.

Section – 34 : Contravention of provisions of Act, orders and directions :

If any provision of this Act is contravened or any default is made in complying with any other requirement of this Act or of any rules, regulations or orders or directions given or notification issued or condition Imposed there under, any person guilty of such contravention or default shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding two years or with fine which may extend five lakh rupees and where, a contravention or default is a continuing one, with further fine, which may extend to ten thousand rupees for everyday after the first, during which the contravention or default continues.

Section – 35 : Giving false information –

Whoever, in any application. declaration, return, statement, information or particulars made, required or furnished by or under or for the purposes of any provision of this Act, or any rule, regulation or order or direction made or given there under, willfully makes a statement which is false in any material particulars knowing it to be false or willfully omits to make a material statement, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years and shall also be liable to fine which may extend to five lakh rupees.

Section – 36 : Offences by micro finance institutions. –

Where an offence under this Act is committed, the person who was in charge of, and was responsible to, the micro finance institution for the conduct of business of the micro finance institution, as well as the micro finance institution itself, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Section – 37 : Powers of Reserve Bank to impose Penalty :

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained In section 34, the Reserve Bank-may impose monetary penalty, which may extend up to five lakh rupees where the contravention is of the nature referred to in section 34.

(2) For the purpose of imposing penalty under this section, the Reserve Bank shall serve notice on the micro finance institution requiring it to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed as a penalty and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such micro finance institution.

(3) **Any** penalty imposed by the Reserve Bank under sub-section (1) shall be payable within a period of thirty days from the date on which the notice by the Reserve Bank demanding payment of the amount is served on the micro finance institution and the orders of the Reserve Bank shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the civil court in a civil suit.

(4) All suns realized by imposition of penalties under this section shall be credited to the consolidated fund of India.

Section – 38 : Bar of Civil Court Jurisdiction :

No civil court shall have jurisdiction against any micro finance institution in respect of any contravention or default for which any penalty has been impose by the Reserve Bank.

Section – 39 : Certain offences to be cognizable :

Notwithstanding anything contained in the Cod of Criminal Procedure, 1973, every offence connected with or arising out of acceptance of thrift or repayment thereof, shall be a cognizable offence.

Section – 40 : Cognizance of Offences :

(1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act 01 rules or regulations made there under except upon a complaint made in writing by a officer or other person authorized by general or special order, by the Reserve Bank.

Provided that no such officer of other person shall be competent to file the complaint unless he is generally or specially authorized in writing by the Reserve Bank.

(2) No court inferior to that of Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.

(3) Notwithstanding anything to contrary contained in the code of criminal procedure, 1973. a court, if it considers fit to do so, may dispense with the attendance of the officer of the Reserve Bank or other person filling the complaint on its behalf, but the court in its discretion at any stage of the proceeding, may direct personal attendance of such officer or the person.

Section – 41 : Application of fine :

The court imposing any fine under this Act may direct that the whole or any part thereof shall be applied for or towards payment of, the cost of the proceeding.

Section – 42 : Delegation of certain powers of Reserve Bank to National Bank :

(1) The Central Government, in consultation with the Reserve Bank may, by notification, delegate any of the powers of the Reserve Bank conferred under this Act, except under sections 30, 37 and 49, to the National Bank or any agency under the control of the Central Government in respect of any micro finance institution or a class of micro finance institutions or micro finance institutions generally, subject to such conditions as it deems fit.

(2) Any notification issued under sub-section (1) shall specify the specific powers under various provisions of this Act which are delegated to the National Bank or any agency under the control of the Central Government.

(3) The National Bank or agency under the Control of the Central Government shall exercise the powers delegated by the Central Government subject to such conditions .as may be specified in the notification under sub-section (1) and such directives and guidelines which may be issued by the Reserve Bank from time to time.

Statement of Objects and Reasons :

(1) The banking system has achieved significant growth in terms of average population covered per bank office and

has also been able to reduce the levels of credit gaps in the economy. In spite of such growth, many of the poor households still do not have access to basic financial services such as savings, credit and remittances and such financial exclusion faced by such people results in discrimination and denial of equal opportunities to them. Financial inclusion IS an important priority of the Central Government.

(2) There are many societies, companies, trusts and bodies corporate and such other institutions which are engaged in providing micro finance services to the poor households as a complementary to the banking system. Since these institutions lack a formal statutory framework for providing such micro finance services, it is expedient to provide a statutory framework for the promotion, development, regulation and orderly growth of such micro finance institutions and thereby facilitate financial inclusion. It is, therefore, considered necessary to enact a law for the said purpose.

(3) It has now been decided to introduce the Micro Finance Institutions (Development and Regulation) Bill, 2012, with certain modifications. The Micro Finance Institutions (Development and Regulation) Bill, 2012, *inter alia*, provides for the following, namely:-

(a) regulation of micro finance institutions providing micro finance services. such as micro credit facilities, thrift, pension or insurance services and remittance of funds and prohibit micro finance institutions from – carrying on the activities of micro finance services without registration with the Reserve Bank but allows the existing non-banking finance companies registered under the Reserve Bank of India Act, 1934 to continue ;

(b) constitution of the Micro Finance Development Council to advise the Central Government on formulation of policies, schemes and other measures required to be taken in the interest of orderly growth and development of micro finance institution and advice on such other matters as specified in sub-clause (2) or clause 7 of the Bill;

(c) establishment of State Micro Finance Council in each state or for two or more states, considering the extent of micro finance activities in such States and such Council shall report to the Central Government on the implementation and the measures undertaken for the promotion and development of micro finance institutions and shall be responsible for the matters specified in items (a) to (d) of sub-clause (3) of clause 8 and discharge such other functions as may be entrusted by the Central Government;

(d) establishment of a District Micro Finance Committee in each District, to be headed by the Collector of the District or any officer not below the rank of Additional Collector, to review the growth and development of micro finance activities in the district monitor over indebtedness and methods of recovery used by the micro finance institutions and discharge the functions specified in clause 11;

(e) make provision for cancellation of registration for failure to carry on business of providing micro finance services, contravention of the conditions of registration or directions issued by the Reserve Bank of failure to comply with the directives stipulated in Cease and Desist order;

(f) confer power upon the Reserve Bank to;

(i) specify the maximum limit of the margin and annual percentage rate which can be charged by any micro finance institution, sector related benchmarks and performance standards pertaining to methods of operation, fair and reasonable methods of recovery of loan advance by the micro finance institutions;

(ii) cause inspection of the accounts of the micro finance institutions and take necessary action including of the Cease and Desist order and to impose monetary penalty for contravention or non-compliance of the provisions of the proposed legislation;

(g) prohibit micro finance institutions to close or restructure their activities without the approval of the Reserve Bank;

(h) enable the Reserve Bank to file winding up petition or application for the closure of the activities of the micro finance Institution if such Institution is unable to pay its debt or fails to comply with the directives of the Reserve Bank or the conditions of the registration or continuance of such institution is detrimental to the public interest or interests of its clients;

(i) make provisions for constitution of the Micro Finance Development Fund to be applied for the purpose of providing loans, grants or seed capital as also for training of personnel engaged in micro finance institution services;

(j) make provisions for formulation of schemes for redressal of grievances of the beneficiaries of the micro finance

services;

(k) provide for levy of penalties for contravention of the provisions of the proposed legislation or default made in complying with any other requirement of the proposed legislation or giving false information.

Conclusion : Micro finance programme has a significant role to play in Indian Economy for boosting micro entrepreneurial activities for creating productive assets coupled with employment generation. So in order to cover all the poor households, particularly BPL households, there is need for providing full support by the government, financial institutions and NGOs to SHGs programme. So far the SHGs bank linkage programme has been much successful in achieving quantitative targets. The need of the hour is to make the programme more qualitative that is, enriching the lives of poorest of the poor in the context of globalised socio-economic environment. Political interference in the functioning of self help groups should be avoided. Around 90 percent of the aggregate groups are women self help groups. These groups have to face problems such as indifferent attitude of bank officers, exploitation by promoting NGOs, Lack of marketing facilities for product/services. These bottlenecks should be rooted out on priority basis. Women groups should be given responsibility of running Anganwadi, Fairprice shops so that they become a permanent entitities. The banks and the respective NGOs should nourish and develop the SHGs by providing financial assistance; organizing skill based training programmes in rural as well as semi urban areas.

Reference :

(1) Banking Annual – Business Standard, Vol-3, issue Ist November 2011, PP-5-6.

(2) B.K. Mohanty – SHG Movement – An Emerging Social innovation of Micro Financing in Orissa, Kurukshetra, Vol-57, No-4, February -2009, PP-19-22.

(3) BCG Report, "Indian Banking 2020, making the Decades promise Come True" September, 2010.

(4) Bimal Jalan, (1996), Indian Economic Policy prepairing for Twenty First Century, Viking, Newdelhi.

(5) Chakrabarty, K.C. "Why is it a Defining Decade for Indian Banking?" The Banker, Vol-5, No-12, December-2011, PP-18-25.

(6) Gedam, Rathnakal (1996) Economic Reforms in India : Experiments and Lessons, Deep and Deep Publication, New Delhi.

(7) Jagirdar, Dr Brinda, "Banking in the Next Decade" The Indian Banker, Vol-7, No.3, March 2012, PP-14-19.

(8) Jitendra Ahirrao, "Rural Women Empowerment Through Microfinance", Kurukshetra, Vol-57, No-4, February 2009, PP-23-25.

(9) Legal News and Views, Vol-26, No-9, September-2012, PP-33-48.

(10) Muralidhar A. Lokhande "Microfinance Initiatives in India", Kurukshetra, Vol-57, No-4, February-2009, PP-16-18.

(11) Sarumati, S and K Mohan, (2011), In their paper "Role of Micro Finance in Women Empowerment", Journal of Management and Science, 1(1), PP-1-10.

(12) Srinivasan, N (2009), Microfinance India State of the Sector Report-2008, Sage Publication, New Delhi.

(13) S. Moharana, "Strategic Management of Indian Commercial Banking: Challenges and Opportunities"- Journal, KIM Review, Vol-2, No-1, April-2012, PP – 156-161

Quality Education: The Teachers' Key Role

Dr.Sarika Dubey
HOD
Commerce & Management Department
Choithram College of Professional Studies, Indore

World is expanding very fast. Yet the professional colleges with a noble idea to serve the society can be counted on finger tips. Education has becomes a business rather than noble work of rendering service to the society. Based on the recommendations in the Dakar Framework for Action and the Convention of the Right of the Child, as well as a number of other international conventions and recommendations, it can be concluded that everyone has the right not only to receive education, but also to receive education of a high quality. A quality education system must manage to provide all children and young people with a comprehensive education and with an appropriate preparation for working life, life in society and private life. This should be achieved without distinctions of any kind, such as those based on parent's income, colour, gender, language, religion, political or other opinion, national or social origin. The purpose of this paper is to examine the key role teacher's play in providing quality education. The paper will start with a short discussion in how to define quality. Focuses on what can be described as a good teacher. How teachers can do to improve quality in education. This paper is an attempt to focus on enhancing the quality of education programmers'.

What is Quality?

Whenever quality in education is discussed it may be important to reflect on what is understood by the term quality. Many educators, researchers and politicians have tried to define this term and a number of different definitions can be found in the literature.

Different definitions

One almost classical definition is the way in which Coombs (1985) described quality in his book "The World Crises in Education: The View from the Eighties":

"..qualitative dimensions means much more than the quality of education as customarily defined and judged by student learning achievements, in terms of traditional curriculum and standards. Quality (.....) also pertains to the relevance of what is taught and learned - to how well it fits the present and future needs of the particular learners in question, given their particular circumstances and prospects.

It also refers to significant changes in the educational system itself, in the nature of its inputs 3

(students, teachers, facilities, equipment, and supplies); its objectives, curriculum and educational technologies; and its socioeconomic, cultural and political environment." (Coombs, 1985, p. 105)

The World Band has also tried to define quality. In the report "Priorities and Strategies for Education" (1995) the World Bank dealt with education policy issues and made the following observation concerning quality:

"Quality in education is difficult to define and measure. An adequate definition must include student outcomes. Most educators would also include in the definition the nature of the educational experience that help to produce thus outcomes - the learning environment."

(World Bank, 1995, p. 46).

In discussions among teachers and within their organizations there is a strong view that education is a unique activity and that the relation between a student and a teacher cannot be reduced to a relation between a customer and a salesman. A look at history shows that famous teachers in the past never regarded themselves as salesmen selling a product to a customer. Socrates did certainly not think about himself as selling education to his disciples, instead he regarded his teaching as a unique exchange between teacher and student contributing to the development of both. Quality education should not be regarded as a process of consumption, but as a process of interaction between teachers and students.

Teachers in most countries would strongly agree that the quality of education has to be improved. The ways to improve the quality is to be found in education reforms, which will allow well educated teachers to improve and develop their work in the classroom. The following sections will deal with different aspects of this issue.

Characteristics of a good teacher:

Recalling the attempts to define quality of education it is of crucial importance to reflect on what is needed of the teacher to provide quality education. There have been many attempts to list the characteristics of the good teacher. Sometimes such lists tend to give a picture of a kind of superman/superwoman and may be more discouraging for teachers than helpful. In spite of that risk it may be of interest to look at some of the more enlightened attempts to describe the good teacher.

The OECD report “Quality in Teaching” (1994) defines teacher quality in five dimensions;

“ - knowledge of substantive areas and content; - pedagogic skill, including the acquisition and ability to use a repertoire of teaching strategies; - reflection and ability to be self-critical, the hallmark of teacher professionalism; - empathy, and commitment to the acknowledgement of the dignity of other; managerial competence, as teachers assume a range of managerial responsibilities within and outside the classroom.” (OECD, 1994, p. 13 - 14)

The report adds; “These dimensions of teacher quality should not be seen in terms of narrow behavioural competencies, but more in terms of dispositions. Teacher quality should be regarded as a holistic concept, i.e. as a gestalt of qualities rather than as a discrete set of measurable behaviors’, to be developed independently from each other. The integration of competencies across these dimensions of teacher quality is thought to mark the outstanding teacher.” (OECD, 1994, p. 14).

Another interesting approach to describe the good teacher is the ten competences identified by Perrenoud (1999):

• Organizing student learning opportunities.

• Managing student learning progression.

• Dealing with student heterogeneity.

• Developing student commitment to working and learning.

• Working in teams.

• Participating in school curriculum and organization development.

• Promoting parent and community commitment to school.

• Using new technologies in their daily practice.

• Tackling professional duties and ethical dilemmas.

• Managing own professional development.

Quality can be regarded from different perspectives. For much student quality is a fair system where their skills are awarded and where their achievements are acknowledged (MacBeath et al, 1996). For example did a Scottish student in grade 2/3 think that a good teacher; "is very clever, doesn't shout, helps you every day, is not bossy, has faith in you, is funny, is patient, is good at work, tells you clearly what to do, helps you with mistakes, marks your work, helps you to read, helps you with spelling and has got courage." (MacBeath et al., 1996, p. 55). For parents quality is a school where the students are safe and where they can learn in a stimulating environment (MacBeath et al, 1996). For many teachers quality is a school where the students want to learn and where the working conditions are good (MacBeath et al., 1996).

When the characteristics of the good teacher are discussed it is important to keep in mind that no one is born to be an outstanding teacher. Good teaching it is a result of education, training and experience. In the next two sections it will be discussed what the teacher herself/himself can do to improve her/his work and what governments/education authorities can do to help teachers to improve the quality of education.

Teachers can improve quality

What can teachers do themselves to improve quality? In this section three issues will be discussed:

- Quality awareness

- Professional ethics

- Professional freedom

Of general importance for teachers´ ability to improve the quality of education is the ability to reflect on their own teaching, critically examine the methods used and looking for alternative ways of teaching .To create an increased "quality awareness" among teachers and help teachers to improve their teaching methodology and skills may be of crucial importance to improve quality in education. One major way of doing this is to systematically evaluate the own teaching and its results. Evaluation is a general term used to describe any activity where the quality of provision is the subject of systematic study. There are different ways to organize the evaluation process in education in various countries. In some countries the main focus seems to be to evaluate the whole educational system, while in other countries the emphasis seems to be to evaluate individual schools or even individuals. There are several risks in relation to present developments in the area of evaluation. One main risk is that evaluation will be focused too much on easily measurable school achievement, without taking into consideration the complexity of the reality in schools. In relation to this, there is also a risk that teachers will be sidestepped in the evaluation process and made only objects of the process.

In order to make evaluation a tool which teachers can use to improve the quality of education here is a need to find and highlight alternative methods for evaluation which allow for the consideration of the complexity of the school environment and which give teachers a possibility to be part of the process. One concept that is often used is school-based evaluation, meaning a process by which teachers discuss their own school as a group of professionals in such a way as to improve the quality of education.

The EU Pilot Project on Quality Evaluation in School Education has played an important role to underline how teachers can be part of evaluation and use evaluation to improve education. It can be said that this approach was first tested at large scale when NUT (National Union of Teachers in England and Wales) commissioned John MacBeath, in 1995, to conduct a study on whether the self-evaluation model adopted in Scotland could operate in England and Wales. The report "Schools Speak For Themselves" (MacBeath et al, 1996) was published as a part of

this work. The self-evaluation model had an enormous impact in England and Wales. Over 30 local education authorities adopted this approach in their schools as a way of head teachers and teachers gathering information and using it for school improvement.

In the school year 1997/98 EU launched a pilot project on quality evaluation in school education which was inspired by the projects in the United Kingdom (the project in Scotland and the NUT project in England and Wales). The project involved 101 secondary schools in 18 countries. At the beginning of the project schools were asked to rate themselves on each of the following twelve aspects:

1. Academic achievement; 2. Personal and social development; 3. Pupils destination; 4. Time as a resource for learning; 5. Quality of learning and teaching; 6. Support for learning difficulties; 7 School as a learning place; 8. School as a social place; 9. School as a professional place; 10. School and home; 11. School and community and; 12. School and work. This was done using a four point scale from positive to negative, and a change scale from improving to declining. On the basis of this exercise schools were asked to identify the issues, which they wished to monitor and evaluate in greater depth over the period of the coming year.

Professional freedom

The professional freedom of the teacher is of crucial importance in developing quality in educatieducation. Professional freedom does not mean that the teacher can do whatever he or she likes, but that the teacher, who knows the students, is the person best equipped to decide which methods to use in order to create an optimal learning situation. Professional and academic freedom for teachers is also of crucial importance in achieving teaching that is independent of any political, economic, ideological or religious influence, in order to preserve young peoples' right to and democratic exercise of critical creativity. There has to be a general thrust in the creativity of the teacher. How the teaching is done in the classroom should never be prescribed by persons outside the classroom reality. This does not imply that authorities should not suggest new teaching methods through in service training, professional development and other means. For teachers to be given different approaches and models for their teaching is important and necessary, but it must never turn into a process of dictating which methods to use.

Professional ethics

Teaching is becoming a more and more complex task. Teachers meet a large number of children and young persons from different backgrounds. In many education systems teachers have also been given more and more responsibilities. All these developments underline the questions related to the responsibilities and duties of teachers. This has also been reflected in a growing discussion on professional ethics among teachers.

In this context it is of special importance to relate the professional ethics of teachers to the Convention of the Right of the Child. Several articles in the Convention have direct implications for the professional ethics of teachers. It is important that the teaching profession through its organizations discuss and clarify how the provisions of the Convention should be incorporated into the ethics and professional standards of the teaching profession. For example what does it mean to take full account of the child’s best interest in all actions concerning the child, to protect the child from interference with privacy, to protect the child from maltreatment, to protect the child from drug abuse or to protect the child from sexual exploitation?

Teachers deal with professional ethical questions in different ways in various countries. In some countries the rights and obligations of teachers are expressed in official documents issued by the government, in others there are agreements between governments and teacher organizations on such matters and in some certain professional standards are set by the teachers themselves. One way for teachers to set standards themselves is to agree within the profession on a code of ethics. Such a document is usually a set of basic rules for teachers to follow in order to

guarantee certain standards of the profession. Regardless of how these things are dealt with in a country is it critical that the provisions in the Convention on the Right of the Child are reflected in the professional ethics of teachers.

Salaries

In a study organized by Education International on Ghana the following picture of the salary situation of teachers was given: "The general picture is that few teachers manage on their salary to the end of the month …. . When all basic costs are paid, there is nothing left and in many cases the salary has already disappeared before these costs are paid. To manage, most employees in the education sector have to look for additional income and have little time left to concentrate on their job" (Fredriksson, Fumador and Nyoagbe, 1999, p. 46,). VSO (Voluntary Service Overseas) could note in three case studies "that poor absolute value of the teachers' salaries was a significant factor influencing their motivation" (VSO, 2002, p. 25). It is crucial to see that all employees in the education sector have a descent salary on which it is possible to survive. Low salaries and bad working conditions are always feeding corruption.

In order to improve the status of all teachers worldwide, education authorities and governments must ensure that teachers have a salary comparable with other professions requiring the same level of qualifications and responsibility and that it is possible for teachers to live with dignity on the salary from their work, and not to be forced to take on a second or third job.

Education authorities and governments must ensure that teachers have the right to form and control their own representative organizations; have the right through their organizations to undertake comprehensive collective bargaining and where necessary industrial action and have the right to be consulted and to participate in the process of formulating educational policies.

The obvious relation between motivation and good working conditions is a strong argument for improving the status of teachers. In order to improve the status of all teachers worldwide, education authorities, governments and intergovernmental organizations must ensure that teachers receive the moral and material recognition appropriate to their level of qualifications and responsibility.

Conclusion

The literature reviewed in this paper focuses on the meanings of and strategies for improving educational quality in an environment of quantitative expansion and a paradigm shift.
At the same time that under-resourced systems of education are expanding rapidly, new, social constructivist paradigms of teaching and learning are being introduced, putting extreme pressure
on teachers and other stakeholders in their efforts to improve educational quality.

In looking for the most promising entry points to support the growth of quality in systems or schools, most systems are increasingly emphasizing decentralized locations - schools and communities - and local actors - teachers, principals, and community members - as the engines of both quality and accountability. As part of the emphasis on local factors, processes at the local level - school, teacher, and classroom processes - have emerged as the places to look to understand how quality grows. This review has traced these trends in the literature and focused on the role of teachers and continuing teacher learning as a critical entry point for encouraging the growth of quality.

Finally, key role of teacher learning, of whatever kind, is always embedded within a context. Teacher learning is influenced by complex mediating factors at the local level as suggested in the conceptual framework above. In order for appropriate teacher learning to translate into good practice and good student learning, a variety of factors that either help or hinder this process must be positively mobilized at the local level. This is why a form of continuous teacher learning that is nested within a whole-school improvement program is promising. Complex as it is, looking

to the local level, understanding the complications of process, and encompassing these factors in programs to encourage quality, will enable policy makers and program planners to design and implement more promising programs to create quality

References

Amaravati Zilla Parishad, Department of Education (Maharashtra), UNICEF (1997): Anandadayi Praklpa (Amaravati). An Experiment in Joyful Education. Mubai: UNICEF

- CAMPE (Campaign for Popular Education) (1999) The Education Watch Report 1999. Hopes not Complacence. Efficiency in Primary Education State of Primary Education in Bangladesh 1999. Dhaka: Campaign for Popular Education/University Press
- Carron, G. & Châu, T. N. (1996) The quality of primary schools in different development contexts. Paris: UNESCO Publishing / International Institute for Educational Planning
- Chiejine, K. M (1999) MLA Project Assesses Young Students in Nigeria. UNICEF Education Update, January 1999, Volume 2, Issue 1
- Chinapah, V. (1997) Handbook on Monitoring Learning Achievement. Towards capacity building. Paris: UNESCO/UNICEF
- Chinapah et al. (2000) With Africa for Africa towards Quality Education for all. Paris: UNESCO/UNICEF
- Coombs, P. H. (1985) The World Crises in Education: The View from the Eighties. Oxford: Oxford University Press
- Delors et al. (1996): Learning: the Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. Paris: UNESCO
- Education International (2001a) EI Declaration on Professional Ethics. Brussels: Education International
- Education International (2001b) Theme Report 1:Partnerships to achieve education for all. Brussels: Education International
- ETUCE (2002) Quality in Education: Presentation of ETUCE´s work 1995 – 2001. Brussels: ETUCE
- European Commission/Eurydice (1994): Measures to combat failure at school: A challenge for the construction of Europe. Brussels: European Commission/Eurydice
- Fredriksson, U., Fumador, A., & Nyoagbe J. (1999) Structural adjustment, education reforms, and trade union strategies: Ghana as a case study. Lomé: Education International
- Greaney, V., Khandker, S., & Alam, M. (1998) Bangladesh: Assessing Basic Learning Skills. Dhaka: University Press Limited
- International Labour Office (1996): Impact of structural adjustment on the employment and training of teachers. Geneva: ILO
- ILO, UNESCO, EI and WCT (2001) EFA Flagship on Teachers and the Quality of Education. Memorandum of Understanding Between Partners. Paris: UNESCO
- Joint ILO/UNESCO Committee of Experts on the Application of the Recommendations concerning Teaching Personnel (2003) Report Eight Session Paris 15 – 19 September 2003. Paris: UNESCO/ILO
- Lundberg, I. & Linnakylä, P. (1993) Teaching reading around the world. Hamburg: International Association for the Evaluation of Educational Achievement
- MacBeath, J., Boyd, B., Rand, J., & Bell, S. (1996) Schools Speak for Themselves. Towards a framework for self-evaluation. London: National Union of Teachers MacBeath, J., Meuret, D., Schratz, M. & Jakobsen, L.G (1999) Evaluating quality in school education. A European pilot project. Final report. Brussels: European Commission

- Murgatroyd S. & Morgan C. (1994) Total Quality Management and the School. Buckingham/Philadelphia: Open University Press OECD (1994) Quality in Teaching
- OECD (1994) Quality in Teaching. OECD, Paris
- OECD / Human Resources Development Canada (1997) Literacy Skills For The Knowledge Society. Further Results from the International Adult Literacy Survey. Paris: OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Human Resources Development Canada
- Perrenoud, P. (1999). Dix nouvelles competences pour enseigner. Paris: ESF. 20
- Postlehwaite , T. N. and Ross, K. N. (1992) Effective schools in reading: Implications for educational planner. Hamburg: International Association for the Evaluation of Educational Achievement
- Power, M. (2002) The Audit Society: Rituals of Verification. Oxford: Oxford University Press
- PROBE (1998) Public Report on Education in India. New Delhi: Oxford University Press
- Quansah, K. B. (1997): Monitoring Standards in Basic Education Using Criterion-Referenced Tests. Accra: Institute for economic Affairs Round Table Discussion Paper: July 18, 1997 /Ghana Education Service
- SACMEQ Policy Research (1998) Reports No 1-5. IIEP, Unesco, Paris
- Schleicher, A., Siniscalco, M. T. and Postlethwaite, N, (1995) The Conditions of Primary Schools in the Least Developed Countries. A Report to UNESCO and UNICEF. Paris: UNESCO

EMPIRIC PREDICAMENT OF THE WOMEN CHARACTERS OF NAYANTARA SEHGAL

Dr Priti Bhatt
Asstt. Prof. English
Govt New Sc College Indore

ABSTRACT Nayantara Sehgal is a novelist who presents her characters as bold and courageous . In her novels she unmasks the discriminating forces to explore ways to uproot them. Emancipation is at the core of all her women characters. Her women characters interact with men who help them in their dream of freedom and they get rid of men who have hampering effect on them. Her characters do not always rebel. But they are strong inwardly that they are not ready to sacrifice their values and ideals.

Key words; balanced approach, sacrificing, belief in sanctity of marriage, dislike for inequality,self realisation, rational, subdued, courageous, disillusioned.

Nayantara Sehgal daughter of vijay laxmi Pandit and niece of pt Jawahar lal Nehru is basically a novelist of politics but there are other aspects in her novel. Her writing is generally characterised by simplicity and boldness. Among all the women novelists on the Indo Anglian literary scene she occupies a distinct place. Her novels reflect the changing pattern and human values. Through the aspiration and conflict of her character we find variegated picture of Indian womenhood in her novels. And it is through the conscience of the protagonist that Sehgal ponders over women issues.Women are the centrifugal force in all her novels.The novels for which she is known today are – A TIME TO BE HAPPY,THIS TIME OF MORNING,THE DAY IN THE SHADOW,A SITUATION IN NEW DELHI and STORM IN CHANDIGARH.

Sehgal in her novels tries to unmask the discriminating forces and to explore ways to uproot them. She presents a balanced approach to this tradition.She does not hold man responsible for the pathetic condition of women. Actually, she blames the system for it. She also blames women’s reluctance and passivity. She calls her heroines as Sitas who survive not by the support of Ram but on her inner strength. So Sehgal wants her women to depend on their own moral courage in their strife to pave way for freedom. Her women have a daring attitude. Emancipation is at the core of all her women characters, either they are free or they are struggling for freedom. Her women characters interact with men who help them in their dream of freedom and they get rid of men who have hampering effect on their freedom. And this process is a slow one because it involves freedom from social bias as well as personal reluctance. Sehgal deals with issues as male chauvanism gender oppression and identity crisis. Her women characters have various roles. They are mothers,daughters and wives. Though they find fulfilment in their periphery but it is being self-abnegated and they bask into glory. Her characters do not always rebel. But they are strong inwardly that they are not ready to sacrifice their values and ideals. The idea of seperate identity is strongly inbuilt in them.

Like the novelist ,the women characters of Sehgal have firm faith in the institution of marriage and they think that marriage can run on smoothly only if women are treated with equality. They believe in the sanctittyof marriage. Her women belong to the higher strata of society. They are educated and theya re financially sound. So we never find problems like dowry and child marriage in her novels. Her characters face many psycological problems. Whether it may be Maya A TIME TO BE HAPPY or Bhushan Singh’s mother in MISTAKEN IDENTITY her women march from strength to strength. Sehgal has a humanitarian dislike for suffering and inequality. Instead of denying the social order her women strive to acquire a respectable and a equal place for themselves within the social order. In this time of fulfilment she recalls how she was aware of herself as a person right from her childhood. Her family was a rarity in the days when women were kept hidden behind a veil. She was not aware of gender discrimation but

it was only when there was an attempt to cripple her freedom that she realised its value and importance.Its a man's world where identity is a luxury as far as women are concerned. Her characters strive towards freedom, social justice against tyranny and towards self determination. Emancipation is at the core of Sehgal's novels. Her women attain salvation not always by fighting against men but by fighting with them. Again in the battle of self – determination, they do not overgrow the culturally ascribed identity, but rather redefine and invest it with new meaning. Sehgal's approach towards the problem is very rational,her traditional women step in traditional values and consider their husband as God. Sometimes they are not aware of their exploitation. Govind and Narayan's mother and Maya are the only women who dare to live a life of their own. Maya faces a problem yet she stands as a strong woman. She is not ready to break the marriage bond. Her earlier women were not working, but it is Simrit who enters in a profession and is successful. In a situation in New Delhi Devi is a woman whose works involves public dealing but she has political powers too so she never faces any problem. Mistaken identity describes about traditional women who are courageous enough to break all bounds and norms of society and marry a person of her choice who is of different religion. She is living in a period when Razia and Bhushan Singh are sperated because of different religions. Sehgal through the life of Simrit wants to bring in notice that though her life was full of sufferings but still it has utility. The heavy tax payment is an attempt to enslave her in every way. She feels her position to that of an overloaded donkey whose burden attracts no notice and draws forth no pity. Her divorce does not imply that marriage has failed as a social institution or that it has outlived its utility. Sehgal takes the problem of divorce in THE DAY IN SHADOW. Simrit is crushed not only by the cruel terms of divorce settlement but also shattered because divorce means the end of a long relationship. Even Saroj leaves her home with heavy heart when she is convinced that it is not her home anymore.

Though her women characters are disillusioned when trapped in a bad marriage but they never lose faith in the institution of marriage. In the same way if they are exploited by the husband they seek salvation with the help of some other understanding men as Simrit finds Raj, Saroj has Vishal, Rashmi gets happiness with Rakesh and Bhushan Singh's mother marries Comrade Yusuf. Right from her very first novel she had been a strong advocate of women's cause and her humanistic as well as positive approach . She is a feminist novelist because she highlights the problems faced by women at all levels. Her strong women characters walk out of her marriage when it becomes a burden for them. Sehgal's last three novels are written after a gap of few years yet her views regarding marriage remain the same. She makes it clear that it is rather more important to have faith in human being and it is continued through al her works. She shows her strong will to establish the concept of equality between both the sexes. It is from this humanistic approach that her concept of feminism takes birth.

Work sighted

Sehgal Nayantara: STORM IN CHANDIGARH : Orient paper bags, New Delhi 19968.

Talwar Shri Rashmi "women's space : the mosaic world of Margaret Drabble and Nayantara Sehgal'' creative books 1997 page 15 .

IMPORTANCE OF MEAN IN ECONOMIC RESEARCH

Dr.R.K.Sharma,Asistant Professor Commerce
Dr.D.K.Bhaderia,Asistant Professor Commerce
Govt.P.G.College,Guna(M.P.)
9425361061drdevguna@gmail.com

Summary

The arithmetic mean is perhaps the most commonly used statistical mean to measure the central tendency of data. The mean, also known as an arithmetic average, is calculated by adding the sum of all scores and dividing it by the total number of scores. The mean gives very useful information in cases where the data is relatively symmetric. However, in some cases, even when the data is skewed, the arithmetic mean gives some valuable information about the data but it needs to be interpreted in the right manner. The mean is so important in economic research because it allows researchers to organize and summarize an immense amount of data into values that are more comprehensible.

Introduction

The arithmetic mean is perhaps the most commonly used statistical mean to measure the central tendency of data.

The arithmetic mean is also called the "average". It is used in most scientific experiments.

Mathematically, the arithmetic mean is given by:

$$\text{arithmetic mean} = \frac{\text{Sum of all data- points}}{\text{Total number of data-points}}$$

Examples

If there are three numbers in a data-set, add them and divide by three:

$$\text{arithmetic mean} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

Or if there are four numbers, add them and divide by 4:

$$\text{arithmetic mean} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}$$

For example, the time in seconds taken for a particular chemical reaction under the same laboratory conditions might give values of 11.6, 12.1, 11.8, 11.5 and 12.0.

$$\text{arithmetic mean} = \frac{\text{Sum of datapoints}}{\text{Total number of data-points}}$$

$$\text{arithmetic mean} = \frac{11.6 + 12.1 + 11.8 + 11.5 + 12.0}{5}$$

$$\text{arithmetic mean} = 11.8$$

The arithmetic mean of these numbers s 11.8.

This would be the time as measured by the experiment. The differences can be attributed to random errors like random fluctuations in temperature and humidity in the laboratory.

When the word mean is used, it generally refers to the arithmetic mean.

The mean gives very useful information in cases where the data is relatively symmetric. For example, if the data is nearly normally distributed, then the mean is the best measure of central tendency. However, if the data is very skewed, then the arithmetic mean might become misleading.

For example, a commonly quoted number in the placement of business schools is the average salary of the outgoing batch. Definition

The mean, also known as an arithmetic average, is calculated by adding the sum of all scores and dividing it by the total number of scores. For example, if you want to find the mean--or average--age of a group of people, you must first add all their ages together. Thus, if the ages within a group are 15, 19, 25, 33, 45 and 50, your total number is 187. You then take this number and divide it by six--the number of people in the group--and you arrive at 31.17. Therefore, the mean age of this group is 31.17 years.

Is the arithmetic mean misleading?

When the arithmetic mean is used to calculate the average salary of a group of students of a class where a few students offered a handsome offer and some others are very poor offer of salary, it can be misleading because the salaries can be widely spread. Thus it may happen that 10% of the class have gotten excellent job offers while half the class is without jobs. Even in such a scenario, the mean salary can be a good number, but it hides facts behind it. The median becomes a much better measure of the salaries of the students in this case.

However, in some cases, even when the data is skewed, the arithmetic mean gives some valuable information about the data but it needs to be interpreted in the right manner.

The Gross Domestic Product or GDP used in economics to determine the financial well being of a country is an arithmetic mean. The total value of goods and services produced in the country when averaged out over the total population gives a measure of GDP. The GDP tells us nothing about the distribution of wealth inside the country, but can be a good parameter for the country to work with in improving the economic condition of its citizens.

Economists conduct two forms of research: qualitative and quantitative. Unlike qualitative research, quantitative research relies on the mathematical analysis of data. Economists conducting quantitative research use measures of central tendency to summarize a large amount of data into a single number, or to arrive at an average. The three most common measures of central tendency are mode, median and mean, with mean being the most widely used.

The Importance of Mean

The mean is so important in economic research because it allows researchers to organize and summarize an immense amount of data into values that are more comprehensible. Furthermore, it allows economists to scientifically analyze their data, reducing the opportunity for the results to be skewed by biases or interpretation. Finally, it provides clear data that other economic researchers can build on for their own studies and statistics that the general public can understand.

Mean in the Scientific Method

researchers rely on the scientific method to objectively study the economic problems. The scientific method of research involves four steps, with all but step two commonly using measures of mean. First, a problem is conceptualized and a hypothesis formed. Quite often this is done through observing the summarized data--or measures of central tendency---of other researchers. Second, data is collected through various procedures. Third, the data is analyzed through statistical methods with measures of mean being the most commonly used. Fourth, conclusions are drawn based on the statistical findings in step three.

Drawbacks

The mean can be strongly influenced by extreme scores, often resulting in misleading statistics. For example, the mean age of a group of people who are 15, 16, 17, 18, 19 and 80 is 27.5. This number is significantly higher than the ages of the majority and much lower than the oldest person in the group. Thus, to say the mean age is 27.5 provides an inadequate representation of the data.

When to Use

It is appropriate to use a mean score as a measure of central tendency when the quantitative data you are analyzing forms a normal distribution or bell curve--that is, when most of the scores are relatively similar and a few fall slightly above and slightly below the average. Data that consist of a few highly extreme or unusual scores will not be adequately represented using this measure. In this case, a economic researcher would turn to one of the two lesser used measures--mode or median--as a supplementary or replacement measure.

When to use the arithmetic mean or the median depends on the research question. Use the mean if you need the average value of your observations. Use the median if you need the value of the typical observation. Peter Feininger provides an interesting example ("Designing Field Studies for Biodiversity Conservation"). Suppose you measure the number of fruits that is removed each night (presumably by bats) from a species of tree. You find that in most

trees just a few fruits is removed while in a few trees the rate of fruit removal is high. Obviously, the values of the mean and the median are very different. In this case, the mean represents the average number of fruits that is removed per tree. The median represents the number of fruits that is removed from the typical tree. The mean represents the point of view of the bat, e.g. it is an index of the number of fruits that is consumed by the population of bats. The median represents the point of view of the tree, e.g. it suggests that the typical tree in the tree population has dispersed few seeds.

In statistics, parametric tests are used when data is normally distributed (i.e. "symmetrical" and mean is present) and non-parametric tests are used when data is skewed (median is present).

Just to clarify. If your data is skewed you don´t necessarily need to do a non-parametric analysis. You can also use generalized linear models based on other distributions than the normal. I think you can still use the mean in such cases, along with asymmetrical Wald confidence intervals.

Median is useful when you want to show the central tendency and you have some outliers (extreme values) which influences the mean a lot (i.e. the estimated mean does not represent the central tendency).

Conclusion

The mean is so important in economic research because it allows researchers to organize and summarize an immense amount of data into values that are more comprehensible. The three most common measures of central tendency are mode, median and mean, with mean being the most widely used. Median is useful when you want to show the central tendency and you have some outliers (extreme values) which influences the mean a lot (i.e. the estimated mean does not represent the central tendency). In statistics, parametric tests are used when data is normally distributed (i.e. "symmetrical" and mean is present) and non-parametric tests are used when data is skewed (median is present).

Refrences

Books-

1-M.R.Sahu ‘Principles and practices of statistics’(2013) Ramesh Book depot ,jaipur.

2-S.M Shukla ‘Principles of statistics’(2014) Sahitya Bhawan Publications,Agra.

3-K.N.Nagar’Statistics’(2010) Meenakshi Publication,Meeruth.

Internet-

1-www.researchgate.org

2.www.wikipedia.org

ADAPTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ETHONOMEDICAL APPROACHES IN HERBAL MEDICINE.

*Vd.Pravin Raghunathrao Joshi.M.D.P.G.D.M.B.Ph.D.(Dravyaguna)
**Vd.Anita Pravin Joshi (Kulkarni).M.D.(Samhita)
*Main Author-Assistant prof. Dept.Dravyaguna, G.S.Gune Ayurveda mahavidyalaya, Ahmednagar
**Co-Author- Medical officer Dist. Hospital, AYUSH Dept, Parabhani.

Introduction

Herbal drug in Indian market is different as it is attached with traditions, nature so one has to always think on Biodiversity and herbalism in India. The international market of herbal medicines is increased day by day so it is a pick time for growing herbal market practices in India. Not only synthetic products in primary heath care near about 80% populations are depending on the natural herbal medicine. Sustain on natural or traditional practices also one can achieve the profit in Indian market. It not like that we have to compete every time with the international market. There are lot of chances to grow a central market place in the globe for medical herbalism tourism. In this article various aspects are discussed with aspects of traditional market to benchmark for business and current challenges to exist in the national as well as international market.

Herbal drug market as shown in figure,
Procedure of Standardisation of Development in ecological sustainability in Herbal industry

Reformation as well as usage of Biodiversity products
Reformation in Ayurvedic herbal products
These two points can be explained with the short example of usage of Bhallataka as a market product. By Bhallataka fruits we will get wine products, as well as false fruits and true fruits are used in Ayurvedic system of medicine. The seed from false fruit is known as Godambi which is having good economic value in India. By the by-product oil made which is used for various medicinal purposes other than these industrial purposes as warnish, grease and colour paints. Thus one can adopt various measures for the fruit of Kajutaka, hartaki etc. It will boost automatically Ayurvedic market.
Collection of raw Bhallataka fruits
With a special technique with all
precautions breaking of Bhallataka fruits
for getting a seed known as Godambi.

Sustainability and development in Herbal medicine
Demand of medicinal plants-

Whether the plants are annual or bimonthly etc. production basing on the dependency of the market we have to prepare for collection, cultivation and harvesting etc.

Small scale Industry, Large scale Industry, Research and Development
The need of the market as well as productivity and authenticity with the balance of the natural resources and by means of development with aspect of sincere research will enhance the

country growth in all aspects.

Highly economic value plants

Aromatic plants- These plants are having a great economic importance and Indian industry should look forward for this. The basic thing is a climate zone wise plantation will made easy adaptation.

Endangered species-

These species one should have to more concentrate on in India because destroying of the plants is much more than plantation and drawback of long policy actions. E.g. Puskarmoola, kustha etc.

Small species with low economic value but usage for medicinal purpose is more –The plants like vasa, tripahala, trikatu, guduchi are using in much more quantity these plants plantation is much more necessary in open spaces etc.

Destroying of single drug usage should be avoided

The "Narkya" plants were almost destroyed in Western Ghats near by Nashik region in Maharashtra state these practices should be stopped.

Ex situ conservation- Gene bank etc.

In situ conservation- With preventive measures as well as through cultivation.

Other than this various factors has to be considered to save the herbal industry-

Availability of market

Caution about the endangered species.

Govt. agencies as well as state govt and forest departments

NGO'S role in saving medicinal plants

Aspects on extrapharamacopial drugs and adaptation of ethno culture

To educate the people on various modalities in India to save the medicinal plants.

Conclusion-

It is truly said that need is the mother of invention and according the need if we equated the market it is easy for growth of industry. Traditional practices of herbalism can be a key point to grab the market because these methods are easy to follow and easy aspect of development in economical growth too. The herbal medicines are having bright futures in upcoming days and it is possible only with save the plants save the nature.

References:

1. Desilva R.H.S.K et al., Evaluation of total value of Ayurvedic medicine with reference to environmental valuation techniques, IRJP,2(8), 2011,66-75.

2. K. Marichamy , N. Yasoth Kumar And A. Ganesan, Sustainable Development In Exports Of Herbals And Ayurveda, Siddha, Unani And Homoeopathy (Ayush) In India, Science Park Research Journal, Vol-1, Issue-27,2014.

3. Chanchal Charan, Production of herbal and medicinal plant: an innovative effort towards sustainable development (A Case Study of Bihar), Global Journal of Management and Business Studies, Volume 3, Number 2 (2013), pp. 145-152.

4. P.P. Sheth, Global opportunities and challenges for medicinal uses of ayurveda, herbal products, neutraceuticals and alternatives, *Health Administrator Vol: XIX Number 1: 74-75*

Note: This article is innovative as it consist a rich sense of Ethno medical practices approach as well as the issue is discussed with current sustainability herbal industry. Author himselfhas taken photographs.

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को मानव से ही खतरा

डॉ. पदमा महेश्वरी
सहा. प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र)
शा. महाकोशल कला एवं
वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर

संक्षेपिका :– पर्यावरण और पारिस्थितिकी संकट मौजूदा दौर के ऐसे विषय है जिन पर दुनियाभर में सर्वाधिक बहस हो रहे हैं। यह होना जरूरी भी है क्योंकि मानव का प्राकृतिक परिवेश यानी पर्यावरण खतरे में है और यह खतरा कोई छोटा–मोटा खतरा नहीं बल्कि मानवीय सभ्यता पर आसन्न ऐसा खतरा है जो पूरी की पूरी सभ्यता को एक दिन लील सकता है। विकास के क्रम में मानव ने प्राकृतिक परिवेश का ऐसा यांत्रिकीकरण किया है कि मनुष्य खुद ही प्रकृति के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा हो गया है। प्रकरांतर से यह चुनौती खुद मनुष्य के सामने है क्योंकि पर्यावरण और उसमें मौजूद पारिस्थितिकी तंत्र का संकट का नकारात्मक असर अंततः मनुष्य पर ही पड़ता है। किसी जीव को लेकर किसी नदी तक के विलुप्त होने का पहला असर मानव पर ही पड़ेगा। आज विश्वभर में पर्यावरण बचाने की मुहिम चल रही है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कुछ हद तक यह समझ लिया गया है कि माननीय हस्तक्षेप से पर्यावरण को खतरे में डालना। पर्यावरण संकट ऐसा भस्मासुर है जो मनुष्य ने खुद ही तैयार किया है और अब खुद परेशान है।

पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रिया को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक तथा जैवीय परिस्थितियों का योग है। इसी को जीवमंडल की भी संज्ञा देते हैं। इस जीवमंडल में वायुमंडल, थलमंडल व जलमंडल आते हैं जिसमें अनेक प्रकार के प्राणी तथा पादप विचरण करते हैं। इसी प्रकार के जीव और भौतिक तत्व अपनी क्रियाओं से एक–दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्राणियों के इस अंर्तसंबंध से पारिस्थितिकी तैयार होती है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हेकेल को है। उनके मुताबिक वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते है। इससे जीव और उनके आसपास के वातावरण में संपूर्ण जैविक और अजैविक संघटकों के अध्ययन का बोध होता है।

दुनिया में जितने भी प्राणी मौजूद है चाहे वे किसी भी स्थान पर रहते हों उनकी आपस में एक–दूसरे पर निर्भरता अनिवार्य है। यहॉ तक कि धरती पर मौजूद भौतिक एवं जैविक घटकों के मध्य भी अन्योन्याश्रित संबंध हैं। प्रत्येक जीव को उसका भौतिक पर्यावरण प्रभावित करता है।प्रत्येक प्राणी भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर है। जो जीव मांसाहारी है वे प्रत्यक्षतः तो पेड़ पौधों पर निर्भर नहीं हैं लेकिन जिन जंतुओं को वे खाते हैं उनका भोजन जरूर पेड़– पौधे हैं। जैसे– शेर, हिरण, खरगोश आदि जीवों को खाता है और हिरण अथवा खरगोश अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि शेर अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति पर निर्भर है। वनस्पति अपना भोजन निर्मित करने के लिए सूर्य का प्रकाश तथा कार्बन डाई–आक्साइड, जल आदि लेकर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। शाकाहारी जंतु इन पौधे को खोते हैं मांसाहारी जंतु छोटे जंतुओं को खाते हैं। इस प्रकार सभी भौतिक तथा जैविक कारणों में आपस में संबंध होता है। सभी जीव–जंतु एक–दूसरे समुदाय को और साथ ही अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं इनमें आपस में एक छोटे प्राणियों से लेकर जंतु समाज एवं मानव समाज के बीच एक पारिस्थितिकी तंत्र अथवा ईको सिस्टम निर्मित होता है।

जब यह श्रृंखला टूटती है तो यह तंत्र प्रभावित होता है। औद्योगीकरण, मशीनीकरण, जंगलों की कटाई, नदियों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से इन सभी जीव समुदायों में से जब कोई समुदाय प्रभावित होता है तो यह श्रृंखला टूटती है और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। इस पारिस्थितिकी में मानव सर्वोत्तम प्राणी है और प्रकृति की व्यवस्था में सर्वाधिक दखल उसी का है। मानव समुदाय ऐसा है जो अन्य समुदायों को नुकसान पहुंचाकर अपना विकास करता है अतः उसी की यह जिम्मेदारी है कि यह तंत्र टूटने न दिया जायें। विकास और प्रकृति में सामंजस्य ही पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मददगार हो सकता है।

पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल प्राकृतिक संरचना है जो सजीव प्राणियों तथा उनके चारों तरफ के परिवेश से निर्मित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जंतु अथवा प्राणी समुदाय परस्पर अपने भौतिक वातावरण से ऊर्जा, द्रव्य आदि का आदान–प्रदान करते रहते हैं। कुछ जीव वातावरण से विभिन्न पदार्थों को ग्रहण कर अपने शरीर में वृद्धि करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ विखंडित होकर अकार्बनिक पदार्थो में बदल जाते हैं। धरती पर ऊर्जा का मुख्य स्त्रोत सूर्य है। हरे पौधे इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं अन्य जीवधारी इन्हीं पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का एक चक्र चलता रहता है। इसमें नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र फास्फोरस चक्र आदि मुख्य हैं। वे जीवधारी जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं स्वयंपोषी कहलाते हैं। जो जीवधारी दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं परपोषी कहलाते हैं। सभी जीवधारी भोजन के लिए एक–दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वे भोजन के आधार पर एक तरह का संतुलन बनाते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र के जितने भी घटक हैं उनमें मानव ही सबसे शक्तिशाली है। वह प्रकृति का अपनी सुख–सुविधा से लेकर वैश्विक वर्चस्व तक के लिए उपयोग करता है। वह प्राकृतिक संसाधनों का न सिर्फ दोहन करता है बल्कि उन्हें कृत्रिम तरीके से नियंत्रित भी करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अकेला मनुष्य ही ऐसा जीव है जो पूरी पारिस्थितिकी को छिन्न भिन्न करता है पारिस्थितिकी पर जो खतरा है वह मानव ने उत्पन्न किया है। मानव की विकास प्रक्रियाऐं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सभी चक्रों को प्रभावित कर रही है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या व औद्योगीकरण के दौर में ज्यादा से ज्यादा सुविधा और तकनीकी विकास हासिल करने के लिए मनुष्य प्रकृति का भरपूर दोहन कर रहा है परंतु हम निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि हमारा स्थायी विकास हो रहा है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन बहुत तेजी से हो रहा है। मनुष्य के बेतहाशा विकास के लोभ ने प्रकृति निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यह प्रतिकूलन पूरी दुनिया का पर्यावरण संतुलन बिगाड़ रहा है।

वन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम करने वाली स्विजरलैंड की संस्था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने वन्य प्राणियों और पौधों की एक सूची जारी की है। इस सूची में 12 हजार से भी अधिक प्रजातियों को शामिल किया गया। इसमें कहा गया कि आने वाले कुछ सालों में ये प्रजातियॉ विलुप्त हो जायेंगी। इस रिर्पोट के मुताबिक कुछ द्वीप ऐसे भी हैं जहां पूरा का पूरा पर्यावरण ही खतरे में हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीते 500 सालों में वनस्पति और प्राणियों की 762 से अधिक प्रजातियॉ विलुप्त हो चुकी है। जितनी जैव प्रजातियॉ अब तक ज्ञात हैं उनमें से ही 12259 प्रजातियों को खतरे में बताया जा रहा है। जबकि आज भी हजारों ऐसी प्रजातियॉ है जिनकी पहचान अभी बांकी हैं।

रेड बुक ऑफ वाइल्ड के अनुसार 1600 ई से 1990 ई के बीच 36 स्तनधारी और 94 पक्षियों की प्रजातियॉ लुप्त हो गई हैं जबकि स्तनधारियों की 236 प्रजातियॉ तथा पक्षियों की 287 प्रजातियों लुप्त होने के कगार पर हैं। पारिस्थितिकी का आधारभूत सिद्धांत यह है कि यदि प्राणियों के 90 प्रतिशत आवास नष्ट हो जाए तो उनमें बसने वाली 50 प्रतिशत जैव प्रजातियॉ स्वतः विलुप्त हो जाऐंगी। इस सिद्धांत और उष्ण कटिंबंधीय वनों के विनाश की दर के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि उष्ण कटिबंधीय वनों में निवास करने वाली 5–15 प्रतिशत जीवों की प्रजातियॉ आने वाले वर्षो में हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। स्थलीय विविधता, सक्रिय जलवायु, लंबे सागर तट तथा उनके समुद्री द्वीपों के चलते प्रकृति ने जैव और पादप विविधता के मामले में भारतीय उप महाद्वीपों को विशेष रूप से संवारा है।

दुनियाभर में कितनी ऐसी प्रजातियॉ है जो या तो विलुप्त हो चुकी हैं या होने की कगार पर है। दक्षिण अमरीका में बंदरों की कुछ प्रजातियों को विलुप्तप्राय घोषित कर दिया गया है। मैक्सिकों के ब्लेक हाउलर बंदर को विलुप्तप्राय घोषित किया जा चुका है। ऐसी विलुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील और पेरू में सर्वाधिक है। बताया जाता है कि हवाईद्वीप पर पौघों की 125 प्रजातियॉ ऐसी है जो खतरे में है। इक्वाडोर, मलेशिया, ब्राजील और श्रीलंका में वनस्पतियों की कई प्रजातियॉ तेजी से विलुप्त हो रही है। दुनियाभर में शार्क मछलियॉ, ध्रुवीय भालू, दरियाई घोड़े जैसे महत्वपूर्ण जीव विलुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में हैं। जाहिर है कि यह संकट मानवजनित है। तेजी से हो रहे विकास के मद्देनजर मनुष्य पर्यावरण का अतिक्रमण कर रहा है। जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर पर्यावरण पर पड़ रहा है।

ब्राजील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च ने हाल ही में आंकड़े जारी किए कि तेजी से बढ़ती आबादी की वजह से अमेजन के जंगल का 25 हजार वर्ग किमी से अधिक हिस्सा मानवीय उपयोग के लिए काट दिया गया।

2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के मुताबिक देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.81 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र है। जबकि पचास वर्ष पहले तक देश का 40 प्रतिशत भू–भाग वनों से आच्छादित था। इतनी तेजी से वनों का सफाया ही वैश्विक तपन का कारण बन रहा है और दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं।

यह संकट भारत में और सघन है। हाल ही में विशेषज्ञों की रिर्पोट में कहा गया कि जिस तरह जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ रहा है अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो पूर्वी हिमालय के अधिकांश हिस्से से बर्फ खत्म हो जाएगी और इससे अरूणाचल प्रदेश की पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त होने पर पहाड़ी इलाकों का लगभग 912 वर्ग किमी क्षेत्र की बर्फ पिघल जाएगी। उधर स्टेंट एक्शन प्लान ऑन क्लामेंट चैंज के मुताबिक 2030 के दशक में अधिकतम तापमान 2.2 से 2.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़त की संभावना है। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि आने वाले कुछ समय में हिमालयी क्षेत्र बर्फहीन हो जाऐंगें ?

अरूणाचल प्रदेश विश्व के सबसे विख्यात जैवविविधता वाले स्थालों में से एक है। जलवायु परिवर्तन से यहॉ मौजूद दुलर्भ पौधों एवं जीवों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। जैव विविधता में लगातार आ रही कमी न सिर्फ हमारे प्राकृतिक परिवेश के लिए खतरा हैं बल्कि मानव प्रजाति के लिए भी विनाशकारी है।

भारतीय भू–भाग में भी पारिस्थितिकी खतरे में है। जलवायु परिवर्तन के अलावा प्राकृतिक परिवेश मानवीय दखल और मानव की स्वाभावगत लालच इसकी मुख्य वजह है। यहॉ वन्य जीवों की तस्करी, शिकार आदि प्रमुख कारण है जो हमारी पारिस्थितिकी को प्रभावित कर रहे हैं । मजे की बात तो यह है कि हम इन खतरों को तो पहचान चुके हैं लेकिन हमारे पास किसी भी स्तर पर इसका निदान नहीं हैं। बीती जनवरी से अब तक अकेले काजीरंगा नेशनल पार्क में ही 45 गैडों का शिकार हो चुका है। मध्यप्रदेश में करीब 50 हिरणों की हाल ही में मौत हो गयी है। उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के जंगलों में बाघों और अन्य जीवों का तस्करों द्वारा शिकार भी सरकारें नहीं रोक पा रही हैं। प्रकृति में मानवीय दखल से वन्यजीवन को जो नुकसान हो रहा है उसके न रूकने के दो कारण है। एक तो आधुनिक विकास की धारा ऐसी है कि उसे रोका नहीं जा सकता चाहे प्राकृति को कैसा भी नुकसान हो। विकास की दौड़ में कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता। जाहिर है कि इस सिलसिले में हर देयर अपने भू–भाग पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का ही दोहन करता है । फलस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। दूसरे अब तक हमारी सरकारों के पास जंगलों के संरक्षण को लेकर ऐसी प्रभावशाली नीतियॉ नहीं हैं कि वन्यजीवों का शिकार, अंधाधुंध दोहन आदि नियंत्रित हो।

भारतीय मनीषा में आदिकाल से ही प्रकृति संरक्षण संबंधी चिंता की धारा मौजूद रही है। भारतीय संस्कृति में प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप माना गया है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि वगैरह देव हैं और नदियॉ देवियॉ है, धरती को माता कहा गया है। वृक्ष देवों के वास स्थल हैं। कुंए, तालाब और बावड़ियों के धार्मिक सांस्कृतिक महत्व हैं। पशु पक्षियों और जानवरों को भी इसी तरह श्रेष्ठता प्रदान की गई है। मत्स्यपुराण में एक वृक्ष को दस पुत्रों के बराबर बताया गया है। इस सबका सबसे बड़ा फायदा यह था कि मनुष्य इन सबकी रक्षा करना अपना धर्म समझता था।

औद्योगिक क्रांति और आधुनिक विकास की आंधी ने इन धारणाओं को ध्वस्त कर दिया है। मानव की लालसा को पंख लग गए हैं। उपभोक्तावादी जीवन मूल्य मनुष्य के जीवन पर हावी हो गए और प्राकृतिक संसाधनों का बेलगाम दोहन शुरू हो गया और आज स्थिति यह है कि समस्त विश्व पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन की भयावह समस्या से आक्रांत है। नदिया सूख रही है। जीव जंतुओं की प्रजातियॉ तेजी से खत्म हो रही है। हरे–भरे भू–भाग को काटकर वीरान किया जा रहा है। मनुष्य यह सब देख समझ रहा है और विकास की अंधी दौड़ के बीच पर्यावरण बचाने को लेकर बहस कर रहा है। यह समझने की जरूरत हैं कि अपना पर्यावरण और पारिस्थितिकी बचाने की जिम्मेदारी से हम बचते रहे तो अपने हाथों ही अपने विनाश की कहानी लिखेगें।

पर्यावरण संकट : – आंकड़ों और अनुपातों के फेहरिस्त में गए बगैर यह स्वीकार लेने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि पर्यावरण संकट आज एक ऐसे संकट के रूप में हमारे सामने आ खड़ा हुआ है कि यदि उसका कोई ठोस समाधान नहीं किया गया तो उसकी अंतिम परिणति सामूहिक विनाश में होगी। एक ऐसा विनाश जिसमें केवल मनुष्य का ही वजूद नहीं मिटेगा अन्य प्राणी भी नेस्तनाबूत हो जाएंगे और यह धरती भी साबूत नहीं बचेगी। किसी को यह परिणति एक अतिश्योक्ति लग सकती है लेकिन निकट अतीत में समय–समय पर आने वाने सुनामियों और भूकंपों से होने वाले विनाश इसी भयावह भविष्य की बानगी है। यद्यपि कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आदमी इस विनाश लीला से बचने के लिए कुछ नहीं कर रहा। समय–समय पर होने वाले पर्यावरण–विषयक सम्मेलन, पत्र–पत्रिकाओं में छपने वाले लेख विभिन्न मुल्कों द्वारा बनायें गये कानून, दंड के प्रावधान तथा जन आंदोलन आदि इस बात के पुख्ता प्रमाण

हैं कि मनुष्य इस ओर से उदासीन नहीं है लेकिन इतना कुछ करने और करते रहने के बावजूद यदि अपेक्षित परिणाम नहीं आए है तो सिर्फ इसलिए कि इसके लिए जो व्यावहारिक प्रयास किया जाना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है।

इस प्रसंग में यह बात ख्याल में ले लेने जैसी है कि कोई भी समस्या अस्तित्वगत होती है इसलिए उसका समाधान अस्तित्वगत हो सकता है। केवल वैचारिक अवगाहन और शाब्दिक जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता मगर पर्यावरण के मसले पर ऐसा ही हुआ है। जल, जंगल, जमीन, हवा आदि प्रकृति के तमाम उपादान क्षरित और प्रदूषित होते जा रहे हैं, धरती से लेकर आकाश तक कचरों का ढेर लगता जा रहा है। लेकिन हम केवल बहस करने में कानून बनाने में और एक—दूसरे मुल्कों पर तोहमत लगाने में उलझे है। व्यावहारिक स्तर पर वह सब नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए मसलन जीवन शैली में बदलाव, विकास की अवधारणा में परिवर्तन, उपभोक्तावाद से परहेज, यंत्रों और तकनीकों का सीमित उपयोग तथा अपनी लिप्साओं पर नियंत्रण आदि नहीं कर पा रहे हैं जबकि ये सब ठोस उपाय हैं।

बीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इस संकट की स्पष्ट पहचान हो पाई लेकिन इसके बीज चार सौ साल पहले सोलहवी शताब्दी में ही बो दिए गये थे। यह वह काल था जब इग्लैंड का दार्शनिक बेकन ज्ञान के शक्ति होने की घोषणा कर रहा था और जर्मन साहित्य में ज्ञान प्रभुत्व और यौवन के लिए अपनी आत्मा को शैतान के हाथो गिरवी रखने वाला डॉ. फास्ट का चरित्र नायक बन रहा था। इन सबकी पृष्ट भूमि कोलंबस ने अमरीका को ढूंढ़कर तैयार कर दी थी। वह इस प्रकार कि कोलंबस ने अमरीका को ढूंढ़कर उस रास्ते का पता बता दिया था जिस पर चलकर बाद में यूरोपियनों ने वहॉ के निवासियों को लूटा, वहां कि पुरानी सभ्यताओं को नष्ट किया और वहां के बाशिंदों को जंगलों में खदेड़कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। इसी पृष्ठभूमि में ज्ञान को शक्ति और आत्मा को गिरवी रखने का विचार प्रचारित किया जिसका प्रभाव यह हुआ कि उस काल में एक ऐसी हवा चली जो हर यूरोपियनों के दिलों पर दस्तक देकर कान में सरगोशी से यह कहने लगी कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भोग हैं क्योंकि कोलंबस जैसे जहाजियों के ढूंढ़े गये रास्ते पर चलकर यूरोप द्वारा अफ्रिका, आस्ट्रेलिया तथा अमरीका जैसे महादेशों को लूटने और एशिया तथा अन्य महादेशों में अपने उपनिवेश बनाने से वहां अतिरिक्त संपदा इकट्ठी होने लगी थी। इसी लूट की संपत्ति पर यूरोप में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। पर्यावरण संकट के तार इसी ओद्योगिक क्रांति से जुड़े हैं।

इसी औद्योगिक क्रांति ने आज की उस आधुनिक सभ्यता को जन्म दिया जिसका केन्द्रीय प्रतिपादन उपभोक्तावाद है। उपभोक्तावाद उस जीवन शैली का हिमायती है जो बेतहाशा भोग को महिमामंडित करती है। इसलिए यह जीवन के लिए आवश्यक—अनावश्यक जैसे विमर्श के पचड़े में नहीं पड़ती बल्कि इसके सिर्फ यह घोषित करती है कि संसार में जो कुछ है, जितना कुछ है सब भोग के लिए है। इसलिए आदमी को सबका भोग कर लेना है करते रहना है। भारतीय परंपरा में एक दार्शनिक चार्वाक है जो इस तरह की घोषणाऐं करते है। उनकी प्रसिद्ध उक्ति है ''जब तक जीओ सुख से जीओ, कर्ज लेकर भी पीओ, क्योंकि मरने के बाद देह का नाश हो जाता है, इसलिए कोई पुनर्जन्म नहीं होता है।'' ऐसा कहकर चार्वाक यद्यपि कि तमाम संयम और नैतिकता को खारिज करते हैं लेकिन इस संदर्भ में यह विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है कि यह दार्शनिक संप्रदाय कभी भी भारतीय दर्शन की मुख्यधारा नहीं बन पाया इसलिए अन्य सभी दार्शनिक संप्रदायों ने इससे परहेज किया और कर्म, पुनर्जन्म तथा ईश्वर जैसी अवधारणाओं के सहारे नैतिक और संयमित जीवन जीने के विचार प्रस्तुत किए।परंतु पश्चिम में ऐसा नहीं हो सका। 16वी सदी में

जो भोगवाद की नींव पड़ी उसे और पुष्ट और विकसित करने के लिए 15वी –19वी शताब्दी में बेंथम और मिल जैसे दार्शनिक आए जिन्होंने अपने सुखवादी सिद्धांतों द्वारा भोग को और प्रश्रय तथा बढ़ावा दिया। इन लोगों ने पुरजोर ढंग से यह प्रतिपादित किया कि सुख ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में केवल सुख प्राप्त करना चाहिए तथा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसी का नतीजा हुआ कि संयम सदाचार जैसे शब्द बेमानी हो गए और अर्थ अत्याधिक मनमानी खोज होकर जीवन के केन्द्र में आ गया। अब आदमी एक आर्थिक प्राणी हो गया और उसका कुल काम सुखभोग के लिए अर्थापार्जन रह गया। इसमें उसे अन्य प्राणियों के लिए चिंतित होने की गुंजाइश ही नहीं बची। उसे यह आभास ही नहीं रहा कि वह पेड़–पौधे, पशु–पक्षी, नदी–पहाड़ तथा धरती–आकाश के बारे में सोच सके। उसे तेा बस प्रकृति के इनत माम उपादानों से अपने भोग के लिए सामग्री पैदा करनी थी। इनका नाश करके अपने लिए सुख के संसाधन जुटाना था। उसकी खोजों के बूते उसे ऐसे यंत्र और तकनीक उपलब्ध हुए ऐसे उद्योग लगाने की सुविधा हुई जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपने सुख के लिए भोग की सामग्री उत्पादित कर सके।

पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में एक दार्शनिक हुआ प्रोटोगोरस। वह पांचवी शताब्दी का दार्शनिक था। उसी ने कहा था कि ''मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदण्ड हैं'' यद्यपि कि इस कथन का ''मनुष्य'' शब्द लगातार विवाद में बना रहा कालांतर में इस शब्द के अर्थ और उसकी व्याप्ति पर लगातार चर्चाऐं हुई लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं पाश्चात्य चिंतन में यह बात घर कर गई कि संसार में जो कुछ भी है वह मनुष्य के लिए ही है। अतः मनुष्य उसका उपभोग करने के लिए स्वच्छंद है। हॉ यह स्वच्छंदता पंद्रहवी शताब्दी तक उतनी उच्छृखल नहीं हो पाई क्योंकि इस बीच दर्शन पर धर्म का आधिपत्य रहा। मगर जब धर्म में कुरीतियॉ पैदा हुई और इस कारण दर्शन को उससे मुक्त कराने का प्रयास किया गया तो इसमें उसका सहयोगी विज्ञान बना। इसी विज्ञान की बदौलत सोलहवी सदी में आधुनिक दर्शन की नींव रखी गई जिसका प्रस्तावक ज्ञान को शक्ति कहने वाला दार्शनिक बेकन बना। इस प्रकार वैज्ञानिक आविष्कारों और दार्शनिक अवधारणाओं के समन्वय से यह औद्योगिक क्रांति हुई जिसमें उद्योग और अकूत संपदा पैदा करने की सुविधा हासिल हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य अपने भोग के लिए नयी–नयी सामग्रिया पैदा करने लगा। अब चूंकि इन सामग्रियों के उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी जो प्रकृति से मिल सकती थी इसलिए मनुष्य ने प्रकृति के संसाधनों को दोहन और उसे नष्ट करना शुरू किया। इस क्रम में उसने जल, जंगल, जमीन को तो नष्ट किया ही नदी, पहाड़ का भी दोहन किया तथा अन्य प्राणियों को भी नहीं बख्शा उसने सीधे–सीधे पशु–पक्षी समेत अन्य प्राणियों को तो मारा ही जंगल, नदी, पहाड़ को नष्ट करके उनके बचे रहने की संभावना भी समाप्त कर दी। चूंकि इनके अभाव में ये प्राणी जीवित नहीं रह सकते थे इसलिए जैसे जैसे प्रकृति के उपादान नष्ट होते गए वैसे–वैसे इन प्राणियों का वजूद भी समाप्त होता गया। इसी कारण अब कई पशुओं और पक्षियों की प्रजातियॉ लुप्त हो गई और कई लुप्त होने के कगार पर है।

मनुष्य को अपने जीवनयापन के लिए पहले भी अपने उपयोग के लिए प्राकृतिक संपदाओं को नष्ट करना पड़ता था लेकिन तब यह अनुपात संतुलित रहता था। आज वैज्ञानिक उपलब्धियों के आधार पर ऐसे ऐसे यंत्र और तकनीक विकसित हुए कि एक बार में ही बहुत बड़ी माता में प्राकृति संसाधनों का नाश और दोहन होने लगा। फिर आदमी की जरूरतों को पैदा करने और उन्हें पूरा करने का एक दुष्चक्र निर्मित हुआ

जिनके कारण प्राकृति संपदाओं का दोहन क्षरण और प्रदूषण आज उस भयावह संकट का रूप ले चुका है जिससे सारी दुनिया चिंतित है।

ताज्जुब इस बात का है कि इस चिंता के बावजूद अपने को सभी प्राणियों से श्रेष्ठ कहने वाला मनुष्य इससे निजात पाने के लिए सिर्फ वैचारिक जुगाली कर रहा है। इसलिए पर्यावरण संकट को लेकर जो कुछ भी होता है वह चाहे सभा सम्मेलन हो या लेखन भाषण सबमें सिर्फ आंकड़े गिनाऐं जाते हैं अनुपात बतलाए जाते हैं देश और सरकार द्वारा बनाए गए कानून और उसके उल्लंघन पर दिए जाने वाले दंड के प्रावधानों की चर्चा की जाती है। अपनी जीवन शैली बदलने का कोई संकल्प नहीं लिया जाता है। सब सिर्फ दूसरे को नसीहत देते हैं अपने में कोई तब्दीली नहीं करते न कोई व्यक्ति न कोई मुल्क। जबकि इस भोगवादी जीवन शैली को बदले बगैर इन्हें संयमित किए बगैर, यंत्र उद्योग और तकनीक पर निर्भरता कम किए बगैर पर्यावरण संकट का समाधान नही निकल सकता है। उससे निजात नहीं पाया जा सकता है। बेशक इसके लिए विकास का पैमाना, जीवन का लक्ष्य विज्ञान के उपयोग आदि में तब्दीली लानी पड़ेगी, लेकिन यह एक अनिवार्य सार्वभौमिक तार्किक सत्य है कि ऐसा किए बगैर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह सकता है। उस पर छाए संकट के बादल दूर नहीं हो सकते हैं और जब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहता तब तक अन्य प्राणियों समेत मनुष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता है।

इस सूत्र भारतीय परंपरा में मिल सकता है यदि भारत की परंपरागत जीवन शैली को देखे तो साफ हो जाएगा कि यहॉ प्रकृति को नष्ट करके नहीं उसे सुरक्षित रखकर जीवन जीने का प्रावधान है। यहॉ वृक्षों की पूजा होती है, नदियों—पहाड़ों की पूजा होती, धरती की पूजा होती है, हवा—आग को देवता मानकर पूजा होती है, सांप और बाघ की पूजा होती है। यहॉ पीपल जैसे पेड़ को नहीं काटने और नदियों में कूड़ा कचरा नहीं डालने का प्रावधान है। यह सब प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के ही उपक्रम है। इसके लिए यहॉ के शास्त्रों में इसका विधान भी किया गया है। वेदो में पृथ्वी, वनस्पति, अंतरिक्ष आदि सबकी शांति की प्रार्थना की गई है उपनिषदों में अग्नि, जल आदि में व्याप्त देवताओं को नमस्कार किया गया है। गीता में कृष्ण का अपने को पेड़ों में पीपल बताने का उद्देश्य भी यही है। कुल मिलाकर यहां पर ऐसी जीवन पद्धति की वकालत की गई है जिसमें मनुष्य को केन्द्र में रखकर अन्य सभी वस्तुओं और प्राणियों का अपने लिए उपभोग की मनाही है। यहॉ यह माना गया है कि ईश्वर जैसी एक ही परम सत्ता का वास प्रकृति के कण—कण में है और सभी प्राणियों के अंदर भी वही निवास करती है। इसलिए मनुष्य का यह भी दायित्व है कि वह इन सबकी सुरक्षा का भी ख्याल रखे और यह तभी हो सकता है जब सबका सिर्फ अपने भोग के लिए उपयोग नहीं किया जाए बल्कि उनके सहयोग के साथ जीवन जिया जाए। जब तक यहॉ का या कहीं का भी समाज कृषि व्यवस्था पर आधारित रहा तब तक पर्यावरण सुरक्षित रहा लेकिन जब से औद्योगिक व्यवस्था शुरू हुई तब से पर्यावरण असुरक्षित होने लगा। अतः पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सबसे मूल काम अपनी व्यवस्था और जीवन शैली में परिवर्तन लाना है उसे संयमित कर प्रकृति के साथ सहयोग पर आधारित करना है।

इस दिशा में किए गये सम्मेलनों, प्रकाशनों और कानूनों आदि का भी महत्व है, आंकड़ों और अनुपातों की भी जरूरत है इन्हीं सब की वजह से तो अब एक संपोषित विकास की अवधारणा अस्तित्व में आई है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है यह सब परिधिगत हो रहा है केन्द्रगत नहीं। अभी भी लगभग सारे देश, खासकर विकसित देश, अपनी जीवन—शैली बदलकर अपने जीवन का स्तर कम करने को राजी नहीं है। इसीलिए विकासशील देशों में भी कोई तब्दीली नहीं हो पा रही है कोई प्रावधान प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं,

आंदोलन अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अतः इस दिशा में ठोस प्रयास करने की जरूरत है और यह किसी एक आदमी के प्रयास से संभव होने वाली नहीं है। पर्यावरण की सुरक्षा हर व्यक्ति का दायित्व है इसलिए इसका अपेक्षित परिणाम सम्मिलित प्रयास से ही मिल सकता है। हम यह प्रयास जितने सघन और प्रामाणिक रूप से कर पाएगें उतनी ही जल्दी इस संकट से उबर जाएगें। पृथ्वी दिवस पर आर.के. पचौरी आई.पी.सी.सी. के चेयरमेन और टेरी के महानिदेशक ने भी अपने लेख में कहा है कि ''1969 में जब जॉन मैक्कोनेले ने इसके नाम और अवधारणा के बारे में सोचा था 1970 में जब इसे पहली बार मनाया गया और 1990 में जब 141 देश इस दिवस से सीधे तौर पर जुड़े तो कहीं न कहीं यह ख्याल जेहन में रहा कि मानव समुदाय जिस तथाकथित विकास की राह पर है वह विकास वास्तव में विनाश की ओर ले जाता है। इस विकास से हुए परिवर्तनों से पृथ्वी पर बोझ बढ़ता जा रहा है जिसे समझने जानने और उस बोझ को कम करने की जरूरत है। जब इधर जाकर हमें यह पता चला कि इसमें जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है जो न केवल मानव समुदाय बल्कि समस्त जीवों के लिए गंभीर खतरा है। इसे हल करने के लिए मानव जाति को अपने विकास के संपूर्ण ढांचे में थोड़े बहुत परिवर्तन करने होगें। यह परिवर्तन जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर होगा।

पर्यावरण से जुड़ी समस्याऐं :– पृथ्वी का लगभग 70 प्रतिशत भाग पानी से भरा हुआ है। अंतरिक्ष से देखने पर यह दृश्य बहुत स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है कि लोग पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी पुकारते हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत अधिक है परंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि यह मात्रा असीमित है। यह मात्रा सीमित है क्योंकि जो पानी पृथ्वी पर है उसका लगभग 97.5 प्रतिशत नमकीन है। उसमें बड़ी मात्रा में लवण घुला हुआ होता है सबसे अधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की है। केवल 2.5 प्रतिशत पानी ऐसा है जो नमकीन नहीं हैं। वही पानी इस योग्य है कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यही स्थिति दूसरे जीवधारियों की भी है जो समुद्र के बाहर धरती पर रहते हैं। इस पानी को मीठा पानी के नाम से जाना जाता है।

सरसरी तौर पर विचार करने से मीठे पानी की मात्रा बहुत बड़ी लगती है कुल पानी का लगभग 2.5 प्रतिशत हिमनदी (ग्लेशियर्स) में होता है लगभग 31 प्रतिशत भूमिगत जल के रूप में होता है। केवल 0.3 प्रतिशत नदी, झील, तालाब इत्यादि में होता है। इसी 0.3 प्रतिशत पानी का उपयोग हम आसानी से कर पाते हैं। यह मात्रा बहुत बड़ी नहीं है। यहॉ एक प्रश्न यह उठता है कि जहॉ भी पानी होता है उसका किसी न किसी प्रकार से उपयोग होता है या वह अपना स्थान बदलता रहता है फिर भी कोई भी संघटक कभी पूरी तरह खाली नहीं होता है। इसका करण है कि पृथ्वी पर जल सदैव गतिमान रहता है। वह इस प्रकार होता है कि हर जगह से जहॉ भी जल होता है वह वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है। फिर उस वाष्प से बादल बनते है फिर बादल से वर्षा, हिमपात इत्यादि के रूप में पानी नीचे आता है। उस पानी का कुछ भाग धरती के भीतर चला जाता है। बचा हुआ भाग सतह पर बहता है, तालाब, नदी, झील इत्यादि में जमा होता है। अंत में कुछ भाग समुद्र में चला जाता है कुछ भूमिगत जल में मिल जाता है कुछ वाष्प के रूप में वायुमंडल में वापस चला जाता है। पेड़–पौधे मिट्टी में जमा पानी को सोखते हैं और वहां से भी वह पानी वाष्प के रूप में वायुमण्डल में जाता है केवल थोड़ी मात्रा उनके शरीर में जमा रहता है। जो पानी बहुत गहरी चट्टानों में या हिमनदी में जमा होता है वह लंबे समय के लिए वहां रह सकता है और वह आसानी से उपलब्ध भी नहीं होता है।

पानी की बर्बादी:– पृथ्वी पर उपस्थ्झित कुल पानी का केवल 0.007 प्रतिशत वह अंश है जो आसानी से उपलब्ध है और जिसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। यही मात्रा लगभग सात अरब से अधिक लोगों एवं अन्य जीवों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। पानी उपयोग हम केवल पीने के लिए या भोजन तैयार करने के लिए नहीं करते हैं। इसका उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी होता है जैसे– कृषि के लिए, अपशिष्टों को स्थानांतरित करने एवं उपचार के लिए तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। उद्योगों में भी अलग–अलग प्रकार से पानी का उपयोग होता है। यह सब सुचारू रूप से भी चल सकता है। परंतु ऐसा होता नहीं है। कारण है कि अगर पर्यावरण से पानी उपलब्ध होता है तो उसकी बर्बादी होती भी है। बदलती जीवनशैली के साथ पानी का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। पहले लोग कुछ लीटर में नहा लेते थे। अब जिस प्रकार के स्नानघर बनते हैं उनमें एक व्यक्ति के स्नान में सैकड़ों लीटर पानी खर्च हो जाता है। यही कारण है पिछली शताब्दी में जिस दर से हमारी जनसंख्या बढ़ी है उससे दुगनी दर से पानी की खपत बढ़ी है। ऐसा अनुमान है कि गत पांच दशक में विश्व स्तर पर पानी का खर्च तीन गुना बढ़ा है।

हाल की गतिविधिया :– गत कुछ दशकों पर विचार करें तो पाते हैं कि कई प्रकार की नवीनता, विनियमन तथा संसाधनों के लिए हो रही प्रतिस्पर्धा के कारण समाज में पानी के मामले में अंतर बढ़ा है । ऐसे राष्ट्र या ऐसे क्षेत्र जो अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं वह अधिक से अधिक पानी पर कब्जा करते जा रहे हैं । इसका परिणाम है कि इस समय विश्व स्तर पर लगभग एक तिहाई लोगों को पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है । वर्तमान शताब्दी के मध्य तक विश्व की जनसंख्या का दो तिहाई भाग पानी की कमी से जूझ रहा होगा । इसके पीछे कई कारण होगें । कही आवश्यकता से अधिक उपभोग तो कहीं बढ़ी गतिविधियॉ तेा कहीं जलवायु परिवर्तन । जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा से संबंधित अनिश्चितताऐं बढ़ेंगी और तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण में तेजी आएगी । इन सबके कारण जो समस्याऐं उत्पन्न होगी उनका अधिकतम प्रभाव गरीब और विकासशील राष्ट्रो पर होगा । ऐसे राष्ट्रो की जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी भी ऐसा है जिन्हें आवश्यकतानुसार पानी नहीं मिलता है । उनकी समस्याऐं और अधिक बढ़ जाएगीं ।

समस्या का आधार :– पानी की कमी के बहुत से कारण है । एक कारण जो स्वयं हम लोगों से संबंधित है वह यह है कि हम लोग इस सोच के साथ पले बड़े हैं कि पानी एक ऐसा संसाधन है जिसका निरंतर नवीकरण होता रहता है । इसलिए इस संबंध में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है । कुछ हद तक यह सही भी है । प्रकृति अपना काम करती रहती है । हर साल वर्षा होती है और नदियों, तालाब, झीले इत्यादि भरते हैं । यह प्रक्रिया केवल ऐसे समय में अपना प्रभाव दिखाती है जब सूखा पड़ता है । परंतु भूमिगत जल के संबंध में स्थिति अलग है । अगर हम भूमिगत जल के स्त्रोंत से लगातार खाली करते रहेगें तो वर्षा ऋतु में उनका फिर से भरना कठिन हो जाता है क्योंकि पानी के भूमिगत भंडार तक पहुंचने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। इसके विपरीत हमारी पानी को निकालने की गति बहुत अधिक है और अब तो हम लोगों ने अंतः भूमिक स्तर से भी पानी निकालना शुरू कर दिया है । वह ऐसा पानी है जो चट्टानों के बीच होता है और हजारों वर्षों से वहां है । वर्षा उस पानी को उस गति से नहीं भर सकती जिस गति से हम उसका उपयोग कर रहे है। यह कारण है कि पूरे विश्व में अनेक क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर गिरता जा रहा है। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम अधिक शक्तिशाली पंप तथा अधिक कारगर तकनीक का उपयोग करते हैं। परिणामतः यह भंडार धीरे–धीरे समाप्त हो रहे हैं। अपने देश में भी यह समस्या बहुत सी जगहों पर गंभीर रूप धारण कर चुकी है। कर्नाटक, आंध्रप्रदेश,

महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान इत्यादि में यह समस्या चिंताजनक रूप धारण कर चुकी है। गरीबों तथा छोटे किसानों के पास इतना साधना नहीं होता है कि वह किसी प्रकार पानी की व्यवस्था कर सकें। यही कारण है कि छोटे किसानों की फसल तबाह हो जाती है। उन्हें बहुत नुकसान होता है और किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। यह स्थिति केवल भूमिगत जल के साथ ही नहीं हैं तालाबों, झीलों, नदियों इत्यादि से भी हम अधिक से अधिक पानी निकाल रहें। यही कारण है कि वर्षा ऋतु के समाप्त होने के कुछ समय बाद से ही वे सूखना शुरू हो जाते हैं। वहां भी कम साधन वाले लोग ही प्रभावित होते हैं क्योंकि वह उन पर अधिक निर्भर रहते हैं।

वर्षा की स्थिति :– अपने देश में अधिकतर वर्षा कुछ सप्ताह में ही होती है जून से सितंबर के बीच लगभग 75 प्रतिशत वर्षा होती है बांकी महीनों में बहुत कम वर्षा होती है। परंतु समस्या यह है कि वर्षा तथा हिमपात के रूप में जो पानी गिरता है उसका बहुत छोटा अंश ही जमा होता है बांकी बेकार जाता है। देश में औसत वर्षा लगभग 1170 मिमी है। अगर कुल वर्षा तथा हिमपात की बात की जाए तो वह लगभग 4000 अरब घन मीटर है। परंतु केवल 1869 अरब घन मीटर ही उपयोग के योग्य होता हैं। उसमें से भी केवल 1123 अरब घन मीटर उपयोग होता है। अनुमान है कि कुल वर्षा का केवल 48 प्रतिशत नदियों तक पहुंचता है। समय के साथ देश में जल यंग्रह के साधनों में कमी हुई है। एक तरफ परंपरागत साधनों की ओर से लोगों का ध्यान हटा है तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में ताबाल, झील इत्यादि का अतिक्रमण हुआ है और अधिकतर मामलों में उन्हें भर दिया गया है ताकि भूमि उपलब्ध हो सके। ऐसा महानगरों तथा अन्य शहरों में बहुत अधिक हुआ है क्योंकि जमीन की कीमत वहां बहुत अधिक है। कई स्थानों पर तो लोगों ने नदियों के नदी तल तक पर कब्जा कर लिया है। एक ओर इन सबके कारण वर्षा जल के संग्रहण में कमी हुई है तो दूसरी ओर कई स्थान पर वर्षा के कारण बाढ़ की संभावना अधिक हो गई है।

वनों की भूमिका :– वन तथा अन्य वनस्पति क्षेत्र का जल संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान होता है । खासकर भूमिगत जल संग्रह में। जिस क्षेत्र में वन पर्याप्त भाग में होते हैं या अन्य प्रकार के पेड़ – पौधे स्वस्थ अवस्था में होते हैं वहां की मिट्टी सख्त नहीं होती। पेड़ पौधे की जड़ें उसे सघनन होने से बचाती हैं। इस कारण वर्षा होने पर पानी आसानी से भीतर जाता है और नीचे की ओर रिसता है। एक और बात यह है कि पेड़ पौधों की उपस्थिति में सतह पर पानी धीरे बहता है अर्थात उसे रिसने के लिए अधिक समय मिलता है। इसके अतिरिक्त वनों में तथा जहॉ पेड़ पौधे अच्छी तरह उगते हैं उन जगहों पर जमीन पर गिरी हुई पत्तियों, फल, फूल टहनियों इत्यादि होती हैं। वह सब वर्षा जल को सोख लेती है तथा वर्षा के रूकने के बाद भी पानी उनसे रिसकर बाहर निकलता है। इस प्रकार वर्षा जल को अधिक समय मिलता है मिट्टी के भीतर तथा उसके भी नीचे जाने के लिए जब बारीश होती है तो पानी की बूंदे पेड़ पोधों से छनकर नीचे पहुंचती हैं उनका वेग कम हो जाता है। इस कारण मिट्टी का कटाव नहीं होता है या बहुत कम होता है। हवा के कारण होने वाले मिट्टी के कटाव में भी कमी होती है क्योंकि भूमि पर हवा का प्रभाव कम हो जाता है, पेड़ पौधे हवा की मार को कम कर देते हैं। इस प्रकार भूमि सुरक्षित रहती है। साथ ही बाढ़ का प्रकोप भी कम हो जाता है यही कारण है कि जब पानी वन क्षेत्र या हरे भरे क्षेत्र में बहता हुआ जाता है तो उसमें रासायनिक तत्व नहीं होता है या बहुत कम होता है।

चेरापूंजी मेघालय राज्य में है। यह क्षेत्र लंबे समय से बहुत अधिक वर्षा के लिए जाना जाता रहा है। वहां प्रत्येक वर्ष औसतर 1250 सेमी वर्षा होती है। कभी कभी एक दिन में 3 सेमी वर्षा भी होती है। पास ही

मॉसिनरम में और भी अधिक वर्षा होती है। अब उस जगह को विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। चिंता का विषय यह है कि वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर वहां पानी की भयंकर कमी हो जाती है। लोगों को प्रत्येक दिन की आवश्यकता पूरी करने के लिए कई किमी चलना पड़ता है। कारण यह है कि वनों के कटने के कारण नदिया, झरने तथा अन्य जलस्त्रोत सूखने लगते हैं। वनों के कटने के कारण ढलानों तथा चट्टानों पर से मिट्टी भी बह चुकी है। इस कारण पेड़ पौधों के उगने में भी कठिनाई आती है।

वर्तमान में लगभग 23.7 प्रतिशत क्षेत्र में ही वन है और उनकी भी अच्छी स्थिति नहीं है। लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र में या तो वन है ही नहीं केवल अभिलेख में उन जगहों पर वन का दर्जा मिला हुआ है या फिर बहुत ही निम्न दर्जे के वन है। उपनिवेशीय काल में 1850 से 1920 के बीच बहुत बड़े पैमाने पर वनों को काटा गया था बाद में भी यह सिलसिला चलता रहा। लगभग 330 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से जंगलों को नष्ट कर दिया गया था। स्वतंत्रता के उपरान्त भी ह सिलसिला रूका नहीं। 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में लक्ष्य बनाया गया कि देश में 33 प्रतिशत भूमि पर वन होगें। फिर 2002 में नीति को संशोधित किया गया और उस लक्ष्य को पाने के लिए वर्ष 2012 का निर्धारण हुआ। परंतु अधिक सफलता नहीं मिली । वर्ष 2009 से 2011 के बीच लगभग 5330 वर्ग किमी क्षेत्र वन भूमि का अपवर्तन हुआ । उस अवधि में लगभग 4970 वर्ग किमी क्षेत्र में वृक्षारोपण अवश्य हुआ परंतु प्राकृतिक वन तथा वह क्षेत्र जहां वृक्षारोपण किया गया है दोनों की तुलना नहीं हो सकती है।

जल तथा कृषि कार्य :— देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। एक ओर बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन की व्यवस्था करना, दूसरी ओर समय के साथ लोगों की आकाक्षाऐं भी बढ़ रही है। कुल मिलाकर देश को कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई में सुधार लाना है। अच्छी बात यह है कि विश्वस्तर पर भारत दूसरे स्थान पर आता है। केवल अमरीका में भारत से अधिक सिंचित भूमि है। लेकिन हमारे यहां किसान प्रायः आवश्यकता से अधिक सिंचाई करते हैं रिसाव के कारण भी बहुत पानी बेकार जाता है। आवश्यकता से अधिक सिंचाई के कारण ऊर्जा भी नष्ट होती है। नेशनल कमिशन फॉर इंटीग्रेटेड वॉटर रिसोर्स डेवलपमेन्ट के अनुसार कुल उपलब्ध पानी का लगभग 83 प्रतिशत कृषि सिंचाई के लिए खर्च होता है। बांकी 17 प्रतिशत से शेष सभी आवश्यकताऐं पूरी की जाती है।

भूमिगत जल स्त्रोत का महत्व :— एक अनुमान के अनुसार देश में उपलब्ध भूमिगत जल 10812 अरब घन मीटर है। दूसरी ओर यह अनुमान है कि हर वर्षा तथा नदियों द्वारा 432 अरब घन मीटर पानी भूमिगत जल के स्त्रोंत में जाता है। 432 में से 395 अरब घन मीटर पानी उपयोग के योग्य होता है। जिसका लगभग 82 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में लगता है और बांकी 18 प्रतिशत से दूसरी आवश्यकताऐं पूरी होती है। जैसे—जैसे पानी की खपत बढ़ रही है भूमिगत जल अधिक निकाला जा रहा है। दिल्ली में भूमिगत जल का स्तर हर वर्ष लगभग 40 सेमी नीचे चला जाता है। ऐसी ही स्थिति अन्य बड़ें नगरों तथा दूसरी जगहों पर भी है। एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 200 लाख कूप है और वह हमारी अलग—अलग प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं इनसे जो पानी निकाला जाता है उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ पुर्नप्रयोग की व्यवस्था भी नहीं हैं। परिणामतः वह अधिक से अधिक पानी का उपयोग करते है और दूसरी ओर उनके द्वारा दूषित जल की बड़ी मात्रा पर्यावरण में पहुंचती है और इस प्रकार पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यू.एन.आई. सी.ई.एफ. ने अपने रिर्पोट में बताया है कि भारत में कुल अपशिष्ट तथा दूषित जल की केवल 10 प्रतिशत

मात्रा का ही उपचार हो पाता है। बांकी 90 प्रतिशत पर्यावरण को दूषित करता है। हाल में प्रकाशित एक रिर्पोट से यह स्पष्ट होता है कि भारत में भूमिगत जल की जितनी मात्रा निकाली जाती है उससे बहुत कम माता की ही भरपाई हो पाती है ।

स्वास्थ्य पर प्रभाव :– जल और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। पानी की कमी का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। कमी के कारण लोगों के पास विकल्प नहीं होत हैं। अगर पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं भी हो तो भी लोग उसका उपयोग करते हैं। इस कारण स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो तो उसका भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। लोग अच्छी तरह से साफ–सफाई नहीं रख पाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 14 प्रतिशत लोग के लिए ही शौचालय उपलब्ध है। शहरी क्षेत्र में भी खासकर झुग्गी झोपड़ियों में यह सुविधा बहुत कम है। फिर पानी की कमी के कारण लोग शरीर तथा हाथ भी ठीक से नहीं धोते हैं। इस कारण भी अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं। बच्चे इस स्थिति से अधिक प्रभावित होते हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु का मुख्य कारण वह रोग हैं जो पानी के संदूषण तथा साफ–सफाई की कमी के कारण होते हैं। यू.एन.आई.सी.ई.एफ. के अनुसार हर वर्ष 600000 बच्चे ऐसी बीमारियों के कारण मरते हैं जो संदषित जल या सफाई की कमी के कारण होते हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत में संक्रामक रोगों का 21 प्रतिशत पानी से संबंधित होते हैं। केवल दस्त के कारण प्रत्येक दिन 1600 लोग मृत्यु का शिकार होते हैं। यू.एन.आई.सी.ई.एफ. की एक रिर्पोट में हाल ही में यह स्पष्ट किया गया है कि उद्योगों से तथा नगर पालिका क्षेत्र से निकलने वाले दूषित जल का केवल 10 प्रतिशत ऐसा होता है जिसे उपचार के बाद बहाया जाता है बांकी 90 प्रतिशत बिना उपचार के ही नदियों, झीलों, समुद्र या भूमि पर छोड़ दिया जाता हैं। देश में एक भी ऐसी नदी या झील नहीं है जो प्रदूषित न हो। भूमिगत जल अधिकतर जगहों पर वह भी प्रदूषण का शिकार है। फिर भी लोग उन्हीं जल स्त्रोतों का उपयोग करते हैं क्योंकि अन्य कोई साधन नहीं हैं।

संभावनाएं :– ऐसा नहीं लगता है कि भविष्य में मीठे पानी की उपलब्धता में तेजी से सुधार होगा। इसके अनेक कारण है। सरकार इस संबंध में योजनाऐं तैयार करने तथा उन्हें लागू करने में सख्ती नहीं दिखा पा रही है। इस संबंध में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। प्रदूषण उत्पन्न करने वालों को किसी प्रकार का डर नहीं हैं। नदियों, झीलों इत्यादि की स्थिति सुधारने के लिए कई हजार करोड़ खर्च हो चुके हैं परंतु उनकी हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। इसका ज्वलंत उदाहरण हैं यमुना नदी। दिल्ली में यमुना की स्थिति और भी चिंताजनक है। दिल्ली में कई तालाब, झील इत्यादि है। कुछ दिलों पहले की एक रिर्पोट से यह पता चलता है कि उनमें से 58 प्रतिशत सूख चूके हैं या उनका अतिक्रमण हो रहा है। बचे हुए झील तालाब की भी हालत खराब हैं। स्थिति इस हद तक खराब है कि अदालतों को बार–बार हस्तक्षेप करना पड़ता है। जब ऐसा होता है तो कुछ दिनों के लिए हालात बेहतर होते हैं परंतु फिर से स्थिति वैसी ही हो जाती है। यहां यह समझना जरूरी है कि इस स्थिति का प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वर्ष 2050 तक देश की जनसंख्या 1.6 अरब होने की उम्मीद है। ऐसे में पानी की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता और भी कम हो जाएगी। अभी देश में प्रतिव्यक्ति पानी की उपलब्धता विश्व मानदण्ड से बहुत कम है वह और कम हो जाएगी। उसका प्रभाव अनेक प्रकार से पड़ेगा। वर्तमान में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न की जा रही है

उसका लगभग एक चौथाई ऐसे पानी से सिंचाई कर होता है जो भूमि के अंदर से निकाला जाता है और जिसे प्रकृति पुनःपूर्ति नहीं कर रही है। तात्पर्य यह है कि जल्द ही कृषि पर दबाब बढ़ेगा और हरित क्रांति पर खतरे के बादल छा जाएगें। स्थिति सुधारने के लिए हमें अनेक प्रकार के विकल्प की ओर ध्यान देना होगा। अपने देश का बहुत बड़ा भाग समुद्र से घिरा हुआ है। अगर समुद्र के जल का विलवणीकरण बड़े पैमाने पर किया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। इस समय जितना पानी नगर पालिकाऐं लोगों को पहुंचाती है उसका एक प्रतिशत भी इस प्रकार का नहीं होता है। यह प्रक्रिया मंहगी है क्योंकि इसमें ऊर्जा की खपत बहुत होती है परंतु समय के साथ और नयी खोज की सहायता से स्थिति सुधर रही है। उदाहरण के लिए लक्ष्द्वीप में समुद्रतक के निकट के पानी में तापक्रम थोड़ी गहराई के साथ तेजी से बलदता है। उसका लाभ उठाकर बहुत कम ऊर्जा खर्च कर समुद्र के पानी का विलवणीकरण किया जाता है। इस प्रकार की संभावनाओं की तलाश होनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में बहुत से नये शोध हुए हैं। एक ओर ऐसी फसलें तैयार की गई है जो अपेक्षाकृत कम पानी से भी उपज पूरी देती है। उनका उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। सिंचाई के लिए भी नये–नये साधन उपलब्ध है जिनके उपयोग से बहुत कम पानी से काम चलाया जा सकता है। उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में बिजली की दर में जो आर्थिक सहायता दी जाती है या मुफ्त बिजली का प्रावधान है उसे समाप्त करना चाहिए। उस कारण केवल पानी की बर्बादी नहीं होती है साथ में भूमि का भी निम्नीकरण हो रहा है। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगना चाहिए। अन्यथा बहुत जल्द देश का विकास पानी की कमी एवं गुणवत्ता के कारण रूक जाएगा।

संदर्भित ग्रंथ सूचीः–

सिंह सविन्द्र (2004) पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पेज 4–10

नियति जानकीलाल एवं खन्ना सी.एल.– यूनीफाइड भूगोल (2010) शिवलाल अग्रवाल एण्ड कंपनी पुस्तक प्रकाशन, इन्दौर, पेज 22

Dikishit R.D. (1984) Geography and Teaching of the Environment- Poona University, page 4, 5 & 10

राव बी. पी. एवं श्रीवास्तव व्ही.के. (2006) पर्यावरण और पारिस्थितिकी – वसुंधरा प्रकाशन गोरखपुर,पेज 8–10

इंडियन जर्नल ऑफ ह्यूमन रिलेशन 2010 बाल्यूम 38, पेज 163

सिंघई जी. सी. चिकित्सा भूगोल (2010), वसुंधरा प्रकाशन गोरखपुर, पेज 20–22

जोशी रतन, पर्यावरण अध्ययन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा 2005, पेज 20–21

खत्री हरीश कुमार, स्वास्थ्य भूगोल– कैलाश पुस्तक सदन भोपाल–2012, पेज 10–12

लाल डी.एस. जलवायु विज्ञान, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद–2008, पेज 2,3, 20,21

चतुर्वेदी पुरूषोत्तम भट्ट, पर्यावरण चेतना मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 2004, पेज 8–11

शर्मा दामोदर एवं व्यास हरीशचन्द्र – आधुनिक जीवन एवं पर्यावरण, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, पेज 5

योजना पत्रिका अंक 03 मार्च 2012, नई दिल्ली, पेज 17, 18 एवं 20

शर्मा विष्णुदत्त – पर्यावरणीय प्रदूषण – आर्य प्रकाशन मण्डल, पेज 8 – 10

''जैवविविधता एवं जैविककृषि में भारत की श्रेष्ठता''
(वर्तमान संदर्भ में)

डॉ. लता जैन
प्राध्यापक एवं विभागाध्क्ष अर्थशास्त्र
श्री अटल बिहारी बाजपेयी शा. कला
एवं वाणिज्य महा. इन्दौर (म.प्र.)

जीवन की विविधता (जैव–विविधता) पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व और स्थायित्व को मजबूती प्रदान करती है, समृद्व जैव–विविधता अच्छा स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास, आजीविका सुरक्षा और जलवायु की परिस्थितियों को सामान्य बनाए रखने का आधार है भारत एक प्राकृतिक संसाधन सम्पन्न दे" ा है प्राचीनकाल से ही भारत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक एवं प्रतिबद्व रहा है जैव–विविधता प्राकृतिक संसाधनों का एक प्रमुख अंग है।

जैव–विविधता भाब्द का सबसे पहले प्रयोग वाल्टर जी रासेन ने 1986 में किया था तब से यह भाब्द जीव–विज्ञानियों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक महत्तवपूर्ण भाब्द बन गया है, जैव–विविधता जैसाकि नाम से ही स्पश्ट है। जैव यानी जीवन तथा विविधता यानी भिन्नता अर्थात् इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन के विभिन्न रूप चाहे वे पेड़–पोधे हों या जीव–जन्तु, जीवाणु भौवाल, एक को" ाकीय जीवों से फुल वाले पौधें तथा सभी जन्तुओं यानी जीवाणुओं से लेकर ह्वेल और हाथी तक सभी जैव–विविधता के अंग है अर्थात् जीवन के विभिन्न प्रकार जो इस पृथ्वी पर हैं वे सब जैव–विविधता में भाामिल है।

जैव विविधता के रूप

किसी परिक्षेत्र या पारितंत्र विषेश में प्राप्त जीवधारियों (जीव–जन्तु/पेड–पौधे) की प्रजातियाँ, पारितंत्रीय एवं आनुवंशिका विविधता को जैव– विविधता की स्ंज्ञा दी गई है प्रजातीय विविधता किसी चिन्हित इकाई में प्राप्त समस्त जीवधारियों/जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों, पुष्पीय पौधों, अपुष्पीय पौधों, बैक्टीरिया, वायरस, इत्यादि की समस्त प्रजातियों की उपस्थिति का द्योतक है, जैव–विविधता विभिन्न जीव धारियों की आनुवांशिक संरचना में विविधता का सूचक है जैव–विविधता के कुछ रूप इस प्रकार है – अल्फा जैव–विविधता के अन्तर्गत वे सभी जीव – जन्तु एंव वनस्पतियाँ आती हैं, जो किसी निश्चित/वि" ोश स्थान/आवास पर पाई जाती हैं। बीटा विविधता के अन्तर्गत किसी विशेष क्षेत्र के विभिन्न आवासों या स्थानों पर पाए जाने वाले सभी जीव जन्तु एवं वनस्पतियों का विवरण दिया जाता है गामा विविधता के अन्तर्गत एक भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न आवासों में पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों का विवरण दिया जाता है जैव–विविधता के अन्य आयामों में प्रमुख हैं– कृषि जैव– विविधता, स्थानिक जैव विविधता, समावेषित जैव विविधता एवं सूक्ष्म जैवीय विविधता इत्यादि।

भारत और जैव–विविधता

भारत जैव–विविधता और इससे सम्बधित न केवल पारंपरिक ज्ञान से सम्पन्न है, बल्कि हमारा देश जैव–विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। अक्टूबर 2012 में हमने जैव–विविधता कन्वेंशन के पक्षकारों (सीओपी–11) के सम्मेलन की मेजबानी भी की जैव–विविधता कन्वेंशन के पक्षकारों में 192 दे" ा सदस्य हैं यह कन्वेंशन राष्ट्रों की उनके अपने–अपने जैविक संसाधनों पर सम्प्रभुता की पुश्टि करने के साथ–साथ तीन मुख्य लक्ष्य भी निर्धरित करता है ये है–जैव–विविधता का संरक्षण इसके घटकों का सतत उपयोग तथा आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से मिलने वाले लाभों का उचित और समान रूप से वितरण। भारत जैव–विविधता के धरोहर की सम्पन्नता के लिए अग्रणी रहा है हमारा देश दुनिया के उन 17 देशों में से एक है जिन्हें बृहद्–वैविध्य सम्पन्न देश का दर्जा हासिल है विश्व के 34 में से 4 हॉट–स्पॉट भारत में है यहाँ की जैव–विविधता का लगभग 50 प्रति" ात भाग स्थानिक है अर्थात् केवल भारतीय भू–भाग में ही पाई जाती है यहाँ पर जैव–विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं यहाँ तक कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 48(क) (छ) में पर्यावरण संरक्षण के निर्दे" ा दिए गए है इसके अतिरिक्त भारत में इस बारे में स्पष्ट नीतियाँ,कार्यक्रम एवं परियोजनाएं है,जो जैव –विविधता के संरक्षण में सहायक हैं इनमें से वन संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम प्रमुख है।

भारत अपनी जैव–विविधता की समृद्ध विरासत के लिए प्रसिद्ध है भारत के पास पूरे विश्व की भूमि का 2.4 प्रतिशत हिस्सा हैं लेकिन यह क्षेत्र कुल जैव–विविधता के लगभग 7 से 8 प्रतिशत हिस्से को आश्रय प्रदान करता है अभी तक भारत में लगभग 46,000 वनस्पति प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है जिनमें से लगभग 1,000फल– फूल वाले पौधे 2,500 ब्रायोफाइट, 1000 प्रकार के पर्णाग (फर्न),1,600 प्रकार के भौवाक (लाइकेन), 2,300 प्रकार के भौवाल तथा 12,500 प्रकार के फफूँद पाए जाते है इन आँकडो से पता चलता है कि पूरे विश्व के 7 प्रतिशत बिना फूल वाली वनस्पतियाँ व 6 प्रतिशत फल फूल वाले पौधे भारत में पाए जाते है.।

पर्यावरण एवं वन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 77,000 जन्तुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं इनमें 372 स्तनधारी प्रजातियाँ, 1228 प्रकार के पक्षी 428 प्रकार के सरीसृप तथा 204 प्रकार के उभयचर, 2546 प्रकार की मछलियाँ तथा 5,000 से ज्यादा प्रावारचूर्ण यानी मोलस्क एंव 50,000 से ज्यादा कीटो की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

भारत में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों में भी असीम जैव– विविधता देखने को मिलती है हमारे देश में जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें से 66 प्रजातियों व उनके जंगली सम्बन्धियों की लगभग 320 प्रजातियों का जन्म–स्थान भारत ही है।

जैविक खेती और भारत

जैविक खेती कृषि की वह पद्धति है, जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भुमि, जल एवं वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्राप्त किया है। इस पद्धति में रासायनिक खेती की अपेक्षा सस्ती, स्वांवलबी एंव स्थाई हैं। मिटटी को एक जीवित माध्यम माना गया है यह मात्र भौतिक माध्यम नही है। जैविक खेती से लक्षित उत्पादन प्राप्ति संभव है।
कार्बनिक खादों का अधिकाधिक उतपादन एवं उनका उपयोग जैसे गोबर की खाद, कम्पोस्ट खाद, जलीय खरपतवारों की कम्पास्टि, हरी खाद वर्मीकम्पोस्ट नीलहरित भौवाल, तालाबों की मिट्टी का उपयोग जैविक खेती के लिए आव" यक है। जीवाणु युक्त कल्चर जैसे–एजोला एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, फास्फोरस घोलक सूक्ष्मजीवी (पी. एस.एम) माइकोराइजा आदि का उपयोग भी जैविक खेती में भाामिल है।

जैविक खेती में जहरीली कीटना" ाक औशधियो का उपयोग प्रतिबंधित है क्योंकि जब भी कीडो को मारने के लिए इनका उपयोग किया जाता है तो यह मात्र लक्षित कीडों को ही नहीं मरते बल्कि लाभदायक कीडों को भी मार देते हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगडता है एवं इन जहरीले रसायनों के अवषेश खाघ पदार्थों में जाकर प्राणियों के स्वास्थ्य को बिगाडते हैं इसलिए फसलों पर लगने वाली कीट व्याधियों के नियंत्रणके लिए एकीकृत उपाय अपनाना आवश्यक है, जो प्रकृति के अनुकूल होते हैं एवं लाभदायक जीवों की हानि भी नहीं होती है।

जैविक खेती अपनाने की आवश्यकता

देश व दुनिया से ऐसे तमाम उदाहरण सामने आ रहे हैं जिनसे स्पष्ट होता हे कि जैविक खेती से पर्यावरण सुरक्षा, खाघ सम्प्रभुता तथा खाघान्न सुरक्षा प्राप्ति के साथ ही लघु व सीमांत किसानों की आर्थिक सिथति सुधरी है। अतः हमें ध्यान इस ओर देना है कि गांव में उपलब्ध संसाधनों का ही बेहतर उपयोग करते हुए परम्परागत उन्नत बीजों, कम्पोस्ट खाद व हानिकारक कीडे दूर रखने के लिए स्थानीय उपाय करते हुए जहरीले उत्पादों से दूरी बनाएं ताकि केचुएं, तितली, मधुमक्खी, मेंढक एवं पक्षियों जैसे किसान के मित्रों की भूमिका उपयोगी साबित हो सके ओर हमें टिकाऊ खाघान्न सुरक्षा हासिल हो सके।

जैविक खेती के लाभ

जैविक खेती पद्धति से मनुष्य, पशु–पक्षी, कीडे–मकोडे, भूमि, जल, वायु तथा विभिन्न जैविक व अजैविक घटकों के बीच संतुलन बना रहता है।
यह पर्यावरण हितैशी होने के साथ ही मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है।
यह आधुनिक व रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती सरल व स्थान विषेश के अनुकूल है।
इसमें किसान की बाजार पर निर्भरता कम होने से वह स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। इससे गांव से भाहरों की ओर पलायन को कम किया जा सकता है।
कम लागत में अधिक उपज प्राप्त होती है और किसान स्वावलंबी बनता है।
कचरे का उचित प्रबंधन होता है जिससे स्वास्थ्य के प्रति प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता।
लाभदायक जीवों का सरक्षण होता है तथा प्राकृतिक संतुलन बना रहता है।
भूमि में जलधारण क्षमता बढती है जिससे अल्पवर्षा एवं अन्य विपरीत परिस्थितियों के प्रति भूमि सहनशील बनती है।
खेत और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक जैवविविधता की सुरक्षा होती है।
सुरक्षित और विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों का उत्पादन सम्भव होता है।
उत्पाद में स्वाद व पौश्टिकता की वृद्धि के साथ ही उत्पादकता में वृद्धि होती है।
मृदा की दीर्घकालीन उर्वरता में वृद्धि होती है।
स्थानीय कृशि क्रियाओं एवं ऊर्जा नवीनीकरण स्त्रोतों का उपयोग होने के साथ ही रोजगार का सृजन होता है।

कार्बनिक पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता

जैविक खेती के लिए आव" यक है कि जैविक पदार्थों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो। यहां सोचने का विशय यह है कि क्या देश में जैविक पदार्थों की इतनी मात्रा में उपलब्धता है या होगी कि कार्बनिक खेती से किसान अपने उत्पाद लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। एक अध्ययन के अनुसार देश में प्रतिवर्श 280 मिलियन टन गोबर, 273 मिलियन टन फसल अवषेश, 285 मिलियन टन ग्रामीण कचरा तथा 6351 मिलियन टन गंदा पानी, औद्योगिक खराब पानी 66 मिलियन टन, जंगलों में पत्तियां 19 मिलियन टन, भाहरी कूड़ा 15 मिलियन टन, तथा गन्ने की मैली 03 मि. टन प्राप्त होता है। (तालिका) उर्पयुक्त जैविक एवं औद्योगिक पदार्थों से 19.419 मि. टन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश के रूप में पोशक तत्वों की पूर्ति प्रति वर्ष की जा सकती है। इसके अलावा लगभग 25–26 मि. हे. क्षेत्र में दलहनी फसलें उगाई जाती हैं, जोकि अपनी जड़ ग्रन्थियों द्वारा एकत्रित की गई नत्रजन का कुछ भाग अगली फसल के लिए छोड़ देती है। यदि प्रति हेक्टेयर औसतन 20–25 किग्रा नत्रजन अव" ोश के रूप में इन फसलों से मिलने का अनुमान लगाया जाए तो 0.5–0.6 मि. ट नत्रजन का लाभ प्रति वर्श प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही दलहनी चारे की फसलों से भी नत्रजन का लाभ मिलता है। इस प्रकार जैविक पदार्थों के प्रयोग से भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होता है। इसके अलावा इसके उपयोग करने से मिट्टी में उपलब्ध जीवाणुओं को नई शक्ति मिलती हैं।

तालिका : विभिन्न कार्बनिक स्रोतो द्वारा उपलब्ध पोशक तत्वों की मात्रा

कार्बनिक स्त्रोत	उपलब्धता मि. टन	कुल पोषक तत्व (मि. टन)			कुल
		नत्रजन	फॉस्फोरस	पोटाश	
फसल अवशेष	273	1.28	1.97	3.91	7.16
पशुओका गोबर	280	2.81	2.0	2.07	6.88
ग्रामीण कचरा	285	1..43	0.86	1.42	3.71
जंगलों में पत्तियां	19	0.10	0.04	0.10	0.24
बाहरी कूड़ा	15	0.23	0.15	0.23	0.61
गन्ने की मैली (प्रेसमड)	03	0.03	0.079	0055	0.164
गंदा पानी (मि. क्यू. मी.)	6351	0.32	0.14	0.19	0.65
औद्योगिक खराबपानी (मि. क्यू.मी)	66	0.003	0.001	0.001	0.005
कुल	–	6.203	5.20	7.976	19.417

स्रोत – बी.पी. ध्यानी एवं साथी द्वारा सम्पादित खरीफ फसलों हेतु दक्ष पोशक तत्व प्रबंधन

जैव–विविधता संरक्षण के लिए अंतर–राष्ट्रीय प्रयास

वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 22 मई को जैव–विविधता दिवस समूचे वि" व में प्रतिवर्ष मनाया जाता है इससे जैव–विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता आई है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को जैव–विविधता वर्ष घोषित करके प्रकृति के नैसर्गिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आह्वान किया था।

वर्ष 2011–20 को संयुक्त राष्ट्र जैव–विविधता दशक घोषित किया गया है अलग–अलग वर्षों के लिए जैव–विविधता की थीम इस प्रकार रही हैं–

2002 – वनों की जैव–विविधता को समर्पित
2003 – जैव–विविधता एवं गरीबी उन्मूलन–सतत विकास की चुनौतियाँ
2004 – जैव–विविधता : सबके लिए भोजन, जल एवं स्वास्थ्य
2005 – जैव–विविधता : हमारी बदलती दुनिया के लिए जीवन बीमा
2006 – भुश्क भमि में जैव–विविधता संरक्षण
2007 – जैव–विविधता एवं जलवायु परिर्वतन
2008 – जैव–विविधता एवं कृशि

2009 – आक्रामक बाह्य प्रजातियाँ
2010 – जैव–विविधता, विकास एवं गरीबी उन्मूलन
2011 – जैव–विविधता एवं वन
2012 – समुद्री जैव–विविधता
वर्तमान मे उपरोक्त सभी विषयों पर फोकस किया जा रहा है।

जैविक खेती सम्बंधी अनावश्यक भ्रम

आज के समय में सभी जागरूक किसान जानते हैं कि अत्याधिक रसायनों के प्रयोग से उत्पादित फसलों की गुणवत्ता में कमी आने के साथ ही टिकाऊपन घट रहा है, किन्तु आधुनिक खेती का छोड़कर जैविक खेती अपनाने को बहुत कम किसान तैयार हैं, क्योंकि उनको भ्रम है कि कहीं प्रति हेक्टेयर उनका उत्पादन इतना कम ना हो जाए कि लागत भी प्राप्त न हो,

वे अपने दुधारू पशुओं के गोबर, बगीचों के पत्तों और सब्जियों के अपष्शिट से बनी जैविक खाद–नाडेप कम्पोस्ट, केंचुआ खाद आदि स्वयं तैयार करते हैं तथा गौमूत्र, लहसुन, तम्बाकू, नीम आदि से कीटनाशक तैयार कर उपयोग करने के साथ–साथ दूसरों को भी प्रेरित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवारों को रसायन रहित पौश्टिक अनाज, सब्जियां, दालें, तिलहन, फल, गुड़, घी, दूध, औशधियां आदि सब खेतों से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा हर वर्श कुछ उत्पाद विक्रय से भी काफी आमदनी हो जाती है। इसलिए जैविक खेती घाटे की खेती नहीं है और न ही रहेगी, वरन इसे लगन से करने की आवश्यकता है।

जैविक खेती को प्रभावित करने वाले घटकों की जानकारी

क्र.	जैविक खेती को प्रभावित करने वाला घटक	जैविक खेती करने वाले कृषक वर्ग		
		निम्न जैविक अंगीकारक कुल कृशक 28	मध्यम जैविक अंगीकारक कुल कृशक 328	उच्च जैविक अंगीकारक कुल कृशक 44
1	पशुधनकीकमसंख्या	20.00(7012)	(71.42)6.00	230.00 (13.63)
2	जानकारीका अभाव	3.00(75.30)	(10.71)2700	247.00 (61.36)
3	जैविक खेती की जटिल प्रक्रिया	28.00(100.00)	(100.00)44.00	328.00(100.00)
4	जोत का आकार अधिक होना	6.00(12.19)	(21.42)0.00	4.00 (0.00)
5	पर्यावरणजागरूकता का अभाव	16.00(75.30)	(54.14)33.00	247.00 (75.00)

स्रोत :– सर्वेक्षण पर आधारित (म.प्र.)

जैव–विविधता का संरक्षण

पूरी दुनिया यह समझ चुकी है कि जैव–विविधता का संरक्षण वर्तमान ही नही, बल्कि भावी पीढ़ी के अस्तित्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

जैव–विविधता को होने वाली क्षति का मुख्य कारण मानवीय कार्यकलाप हैं, जिनके कारण पर्यावास विखण्डन, अवक्रमण एवं क्षति, आनुवांि" ाक विविधता में संकुचन, विजातीय प्रजातियों का अतिक्रमण, संसाधनों का अति–दोहन, प्रदूशण आदि की घटनाएं होती हैं जैव–विविधता को होने वाली क्षति के परिणामस्वरूप प्राकृतिक सम्पदा को क्षति पहुँचती है।

असंतुलित विकास जैव–विविधता का दु" मन है छोटे–बड़े तालाबों को पाटने से जलीय विविधता खतरे में पड़ जाती है जल प्रदूशण हो या वायु प्रदूशण इनके बढ़ने से जैव–विविधता घटती जाती है नदियों एवं झीलों में प्रदूशण बढ़ने से वहाँ रह रहे संवेदी किस्म के प्राणी और वनस्पतियाँ विलुप्त हो जाती हैं केवल वे ही जीव बचते हैं, जिनमें प्रदशण को सहने की क्षमता ज्यादा होती है, ऐसा ही वायु–प्रदूशण के साथ होता है मिट्टी के प्रदूशण से जमीन के अन्दर रहने वाले केंचुए, बैक्टीरिया, अन्यप्रकार के कीट और भौवालों की संख्या एवं गुणात्मकता दोनों घट जाती हैं जैव–विविधता पर मँडराते खतरे के कई कारण उस भूमि या स्थान का कम होना है, जहाँ ये वनस्पतियाँ उगती हैं अथवा ये जीव–जन्तु रहते हैं।

इंटरने" ानल यूनियन फॅार कंजर्वे" ान ऑफ नेचर (आईयूसीएन) की एक रिर्पोट में कहा गया है कि वि" व में जीव–जंतुओं की 47,667 प्रजातियों में से एक तिहाई से अधिक प्रजातियों यानी 17,291 प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मँडरा रहा है उनके द्वारा जारी की गई रेड लिस्ट के अनुसार, स्तनधारी जीव–प्रजातियों की 21 प्रति" ात प्रजातियाँ, उभयचर जीवों की 30 प्रति" ात प्रजातियाँ, पक्षियों की 12 प्रति" ात प्रजातियाँ विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं वनस्पतियों की 70 प्रति" ात प्रजातियों के अलावा ताजे पानी में रहने वाले सरीसृपों की 37 प्रति" ात प्रजातियों और 1147 प्रकार की मछलियों पर भी विलुप्त होने का खतरा मँडरा रहा है इसी प्रकार भारत में मिलने वाले अनेक जीव जैसे गिद्ध, बाघ आदि भी विलुप्ति के कगार पर हैं।

निश्कर्श :– 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2006 को मणिपुर और सिक्किम में आयोजित 14वीं बाल विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में जैव–विविधता की महत्ता के बारे में विचार व्यक्त करते हुए तत्कालीन राश्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था कि "जैव–विविधता से परिपूर्ण हमारी धरती सदैव रचनात्मकता का संदे" ा देती है और इस रचनात्मकता से मानव नई खोजों, अविश्कारों और अनुसंधानों द्वारा विकास के मार्ग पर बढ़ता जाता है, इस प्रकार धरती की सुन्दर जैव–विविधता का मानवीय विकास से गहरा संबंध है, अतः जैव–विविधता संरक्षण से मानव न केवल प्रकृति का सम्मान करता है वरन् वह स्वयं भी अपने भविश्य को सँवारता है।"

जैव–विविधता के कारण धरती मनोहर और सुन्दर बनी हुई है, एक अनुमान के अनुसार, पृथ्वी पर 55 लाख प्रजातियों में से अब तक लगभग 17.5 लाख प्रजातियों को ही पहचान जा सका है, जिनमें से अधिकतर कीट हैं मानव इतिहास में किसी–न–किसी समय लगभग 80,000 खाद्य वनस्पतियों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से वृहत स्तर पर लगभग 1500 ही उगाई गई है, आज केवल 10 से 20 प्रजायिोंसे

ही वि" व की 80–90 प्रति" ात आव" यकता पूरी हो रही है, लगभग 67–70 प्रति" ात आधुनिक औशधियाँ प्राकृतिक उत्पादों से बनाई जाती हैं, लकड़ी, ईधन, बाँस, घास, चारा, कागज, कॉस्मेटिक्स, परिधान और आवास संबंधी सामग्री कुछ अन्य उत्पाद हैं, जिनके बिना हमारा जीवन कठिन हो जाता है जैव–विविधता से पारिस्थितिकी संतुलन भी बना रहता है।

अतः जैव–विविधता अपने आप में एक जीवन बीमा के समान है, वि" व में जैव–विविधता का वार्शिक योगदान लगभग 330 खरब डॉलर है।

सन्दर्भ अध्ययन

1. कोशल डा. जी. एस. 2008 "श्रद्धा के फुलो से सोना" मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल।
2. ओझा एस.के. 2012–13 "कृषि एवं प्रौद्योगिकी" बौद्धिक प्रकाशन इलाहाबाद
3. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट– 2011
4. सामान्य विज्ञान दिग्दर्शन जैन एवं नाटाणी
5. कुरूक्षेत्र पत्रिका जून 2011
6. मासिक पत्रिका योजना अक्टूबर 2011

'मण्डला जिले में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति''

दामिनी उइके
ज.भा.स. महाविद्यालय बम्हनी बंजर मण्डला (म.प्र.)

मण्डला नगर नर्मदा के दाहिने तट पर जबलपुर से 96 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं जनत्रुति के अनुसार यह नगर आज यह पर स्थित है मण्डला जिले में का प्राचीन नाम महिष्मती नगरी था यह नगरी कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु उर्फ सहस्त्रार्जन की राजधानी थी।[1]

भारत के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर संभा में आने वाले छः जिले में से एक हैं मण्डला जिला। मण्डला जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला हैं जिसकी घोषणा 71 की जनगणना बुलटिन में शासन द्वारा की गयी है। यही कारण हैं कि मण्डला जिले में तीन विधान सभा क्षेत्र एक संसदीय क्षेत्र हैं ये समस्त सीटे सुरक्षित सीटे कहलाती है। यह जिला प्रदेश के मध्य भाग में सतपुड़ा की पहाड़ियों के ऊंचे और असमतल क्षेत्र का अंश हैं जो नर्मदा घाटी की गोद में बसा है। [2]

स्वतत्रंता के पश्चात् भारत की विभिन्न सरकारों ने महिला नीति के क्रियान्वयनल की दिशा में ठोस कदम उठाये हैं। कई योजनाऍं क्रियांन्वित की है, एवं महिला उत्थान का प्रयास किए गए हैं, वरन् आवश्यकता इनके प्रभारी क्रियान्वयन की हैं, जमीनी स्तर पर हिजुए बदलाव का अनुभव महिलाओं के हर क्षेत्र में भागीदारी द्वारा किया जा सकता हैं, आंकड़ों की बाजीगरी द्वारा योजनाओं की सफलता दर्शायी जा सकती है, लेकिन जनसामान्य के विचार एवं उनकी स्थिति में दिखाई देने वाले सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करके महिलाओं के विकास के यर्थात् तक पहॅुचा जा सकता हैं विकासशील भारत में महिला उत्थान की वास्तविकता तभी देखी जा सकती हैं जब हम महिला की बराबर भागीदारी, सुनिश्चित करें। महिला विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के द्वारा देखा जा सकता हैं।[3] मण्डला जिले की सामाजिक स्थिति का अवलोकन करें तो यह ज्ञात होता हैं कि यहां का समाज सभ्य, सुसंस्कृत एवं रीतिरिवाजों से भरपूर हैं इसमें समराज का मुखिया होता हैं परिवार का प्रमुख पितामाह दादा होता हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली थी लेकिन आधुनिक युग के चलते एकल परिवार का रिवाज चलन में चल पड़ा हैं, मण्डला जिले में देखने को मिल रहा हैं कही कही पर अब भी संयुक्त परिवार देखने को मिल जाते है। महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति अत्यंत निम्न हैं किंतु अब उनमें शिक्षा की आवश्यकता, समझने की मानिकसता बढ़ रही हैं।

मध्य प्रदश में पंचायती राज व्यवस्था के लागू हुयी तथा 73वें 74 संविधान संशोधन जिसमें एक तिहाई महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ जिसमें महिलाओं ने जिला पंचायत ग्राम पंचायत जिला पंचायत अध्यक्षण पंचायत सदस्य जनपद अध्यक्ष, जनपद संदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। महिलाओं को शासन द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी है तथा अधिकांश परिवारों द्वारा इन योजनाओं से मिलने वाले लाभो को भी उठाया जा रहा हैं। वर्तमान समय में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ है। पूर्व में पंचायतों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था तथा सार्वजनिक में इन्हें निर्णय देने का अधिकार नहीं था, परन्तु अब महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। पंचायत में दस सदस्य हैं जिसमें चार महिला हैं महिलाओं का होना इस बात को

प्रमाणित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को विशेष सुवधिाएं दी गई हैं, इसका प्रभाव उन पर पड़ रहा हैं लेकिन अभी भी अधिकांश महिलाएं प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा भी मुश्किल से ले पाती हैं। रहन–सहन खान–पान, वेश–भूषा सभी में वर्तमान स्वरूप को देखते हुये परिवर्तन हो रहे है।[4]

राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं ने कदम बढ़ा लिये है। महिलाओं में वर्तमान में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने पिछले वर्षो में सभी विभागों में संबंधित कुछ कारगर नीतिगत निर्णय लेते हुए विभिन्न क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया हैं। इस संबंध में जहां एक तरह औद्योगिक नीति कार्य योजना 1994 औद्योगिक विकास हेतु लागू हुई, वही दूसरी तरफ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने आत्म विश्वास एवं सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं सामर्थ्यवान बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने महिला नीति बनायी हैं।

निष्कर्षः कहा जा सकता हैं कि मध्यप्रदेश नीति के अंतर्गत महिलाओं के लिए पंचायती राज, भूमि, पानी, कृषि एवं कृशि से जुड़े कार्य वन, उद्योग, रोजगार, प्रवासी महिला कारगर, शिक्षा एवं कानून आदि क्षेत्रों में सकारात्मक पहल की हैं साथ ही नीति के तहत महिलाओं के हित में प्रमुख फैसले भी लिए हैं।

मध्यप्रदेश सरकार ने योजनाबद्ध विकास के प्रारंभ में ही यह महसूस किया कि महिला शिक्षा, महिला सशाक्तिकरण की अनिवार्य आवश्यकता हैं। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए गांवों में लड़कियों के लिए स्कूल की संख्या बढ़ाना। महिलाओं के राजनीतिक में आरक्षण को बढ़ावा देना ताकि महिलाओं की राजनीति में उनकी सुनिश्चिता को बढ़ावा देना है। जिससे महिला अधिक से अधिक राजनीति में प्रवेश कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. पौराणिक महिष्मति मण्डला 2011 गोडी पब्लिकेशन ट्रस्ट मण्डला, पेज नं. 32

2- www.mandla.com

3. राय डॉ. सुरेन्द्र कुमार – महिलाओं के अधिकार नवीन दुनिया जबलपुर 15 नवम्बर 1984 पेज नं. 71

4. एफ. जी. बेली– ट्राइब्स एण्ड कास्ट इन इन्डिया 1961 पेज नं. 11–12

''आजादी के 67 वर्ष तथा दलितों की स्थितिः एक मूल्यांकन''

जितेन्द्र कुमार चौधरी

शोधार्थी नेट जेआरएफ

रानी दु.वि विश्वविधालय जबलपुर

'शिड्यूल्ड कास्ट' शब्द का हिन्दी रूपातंर 'अनुसूचित जाति' है। अनुसूचित जाति एक संवैधानिक शब्द है, क्योंकि संविधान में इसे पूर्ण वैधनिकता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 341 (1) में कहा गया है। कि ''राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य, क्षेत्र के सम्बन्ध में और जहां वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या जन–जातियों अथवा जातियों जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में दलित समझा जायेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 341 (1) में स्पष्ट किया गया है कि ''संसद, विधि द्वारा किसी जाति मूलवंश या जनजाति को अथवा उसके किसी भाग को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विर्निदिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी।'' अनुच्छेद 366 (24) में अनुसूचित जातियों के संबंध में कहा है, कि ''दलितों से ऐसी जातियां मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेरित है जिन्हें उस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियाँ समझा है।''

अनुसूचित जातियाँ हिन्दू समाज व्यवस्था की अस्पृश्य जातियाँ है। निर्धारित चातुर्वण्य व्यवस्था से पृथक ऐसे लोगों का समुदाय, जो रंग के काले तथा अस्वच्छ पेशों से संबंध थे, अस्पृश्य कहे जाते थे। प्राचीन धर्म ग्रंथों में इन्हें चाण्डाल, अन्त्यज श्वपच पतितः, परियाह, अतिशुद्र, अवर्ण आदि अनेक नामों से संबोधित किया गया है। इन जातियों को सबसे निम्न स्तर का व्यवसाय किया गया एवं समाज में इनकी निम्नतम प्रस्थिति थी। चारों वर्णो से पृथक होने के कारण इन्हें पंचम वर्ण (पंचमास) या 'फिफ्त कास्ट' के नाम से भी संबोधित किया गया।

19 वीं शताब्दी में इन अस्पृश्य जातियों के लिए एक प्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने 'हरिजन' (ईश्वर की संतान) नाम से संबोधित किया, जिसे आगे चलकर बीसवीं शताब्दी में महात्मा गांधी ने लोकप्रिय बनाया। 1931 में असम के जनगणना अधीक्षक ने इन जातियों के लिए ''एक्सटीरियर कास्ट्स'' शब्द का प्रयोग किया। आगे चलकर हट्टन ने इस शब्द को अपने अध्ययन में इस्तेमाल किया।

ब्रिटिश शासन के दौरान जब 1901 में जनगणना की गई तो अस्पृश्य जातियों को हिन्दुओं से पृथक वर्गीकृत किया गया। इसके बाद 1911 में एक कमेटी उन जातियों की जाँच पड़ता के लिए नियुक्त की गई जो कि सामाजिक धार्मिक दृष्टि से निम्न स्तर पर थी। 1921 में की गई जनगणना में अस्पृश्य जातियों के लिए अंग्रेजों ने सरकारी तौर पर डिप्रेस्ड क्लासेज नाम से प्रयोग किया। परंतु उन्होंने इस शब्द का प्रयोग करने में निहित परिभाषा का उल्लेख नहीं किया। डॉ. अम्बेडकर ने भी अस्पृश्य जातियों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा दिये गये नाम 'डिस्प्रेड क्लासेज' का ही प्रयोग किया। 1930 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में साइमन कमीशन ने इस जातियों के लिए नया नाम 'शिड्यूल्ड कास्ट' प्रदान किया, जिसे 1931 की जनगणना में पूर्णतः परिभाषित एवं संशोधित रूप से प्रयोग किया गया। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की पांचवी अनुसूची की धारा 19 में इस शब्द का अधिकारिक रूप में प्रयोग किया गया। अनुसूचित जातियों

से अभिप्राय उन जातियों से था, जिनको विशेष सुविधाएं देने के उद्‌देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक अनुसूची (शिड्यूल) में सम्मिलित किया था। आज भी इस अनुसूची में शामिल जातियों को दलितों के नाम से संबोधित किया जाता है, तथा यह शब्द संवैधानिक बन गया है।[1]

संप्रति देश में अनुसूचित जातियों की संख्या 13.82 करोड़ हैं जो देश की कुल जनसंख्या का 16.82 प्रतिशत है। किन्ही सामाजिक, ऐतिहासिक कारणों से भारत में इन जातियों के लोगों को शास्त्रीय नियमों के माफित सदा सर्वदा के लिए देश के सामाजिक पिरामिड के सर्वाधिक निचले धरातल पर अवस्थित कर दिया गया। जिसकी वजह से सदियों से इन जातियों के लोग समाज में सर्वाधिक शोषित पीड़ित वंचित और दमित रहे। अतीत में इन्हें अस्पृश्यता की बेडियों में इस प्रकार स्थायी रूप से जकड़ दिया गया कि ये अपने दासतापूर्ण अमानवीय जीवन से मुक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अपनी अस्पृश्यता की बेड़ी को वे तोड़ नहीं पाये इस लिहाज से उन पर शास्त्रों के माध्यम से नाना प्रकार की पाबन्दियाँ लगा दी गई। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, वैदिक मंत्रों का उच्चारण व श्रमण करने, शास्त्रों का अध्ययन करने, सम्पत्ति धारण करने, सत्ता हासिल करने, अच्छे वस्त्र एवं आभूषण धारण करने यहाँ तक की भगवान के मंदिर में प्रवेश करने से भी वंचित कर दिया गया था। यही नहीं उन्हें जन्म जन्मांतर के लिये समाज के गंदे निम्न और अलाभकारी कार्यों को संपन्न करने के लिए विवश किया गया।[2]

यू तो अंग्रेजी हुकूमत के दिनों में ही अनुसूचित जातियों पर लगाई गई पांबदियाँ कमजोर पड़ने लगी थी और इन जातियों के लोगों में अपनी सामाजिक आर्थिक गुलामी के विरूद्ध न केवल चेतना जागृत हो चुकी थी, अपितु इनके द्वारा संगठित रूप से संघर्ष का प्रभाव भी शुरू हो गया था तथापि इनकी वास्तविक विमुक्ति के ठोस कार्य आजादी के बाद ही संभव हो पाया। संविधान के माध्यम से उनकी सभी प्रकार की शैक्षिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक निर्योग्यताओं को दूर कर दिया गया और उन्हें अन्य लोगों के समान मौलिक अधिकार प्रदान किये गये। इसके अलावा ऐसे सभी कार्य जो उन्हें शारीरिक कष्ट, आर्थिक क्षति या अपमानजनक शब्दों के प्रयोग के माध्यम से मानसिक पीड़ा पहुंचाते है या उन्हें अन्य किसी प्रकार से प्रताड़ना देते हैं को कानूनी अपराध घोषित किया गया। जिन्हें आगे चलकर उनको विशेष संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से बनाये गये विद्यानों के माध्यम से अत्याचार की श्रेणी में सम्मलित किया गया। जिसके लिए संबंधित विद्यानों में कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया।[3]

अनुसूचित जातियों (दलितों) की कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए संविधान में उनके लिये विशेष सुरक्षोपायों के प्रावधान किये गये। इन सुरक्षोपायों को आगे चलकर विशेष विद्यानों के माध्यम से अधिक व्यापक व प्रभावकारी बनाया गया। विशेष विधान समाज के सबल लोगों द्वारा इन जातियों के लोगों पर किये जाने वाले अन्याय और अत्याचार से उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से बनाये गये। इनके अतिरिक्त इन जातियों की सामाजिक आर्थिक उन्नति की दृष्टि से उनके लिये विविधि कल्याणकारी उपाय किये गये। जिसमें इनकी आर्थिक दशा तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये विकास कार्यों का आयोजन मुख्य है। विकास कार्यक्रमों का अंतर्निहित उद्‌देश्य मुख्यतः उनमें शिक्षा के प्रसार उनकी परंपरात्मक तकनीकी क्षमता में सुधार तथा स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने आदि माध्यमों से उन्हें आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ा करना था। जिससे कि दूसरों पर उनकी निर्भरता को कम किया जा सकें। इन उपायों को अपनाने के पीछे सोच यह थी कि अनुसूचित जातियों के लोग इतने मजबूत हो जाये कि वे अपने विरूद्ध होने वाले अन्याय का प्रतिकार और अपने ऊपर होने वाले अत्याचार से अपनी रक्षा स्वयं कर सकें लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट होता है, कि

उनके विरूद्ध होने वाले अत्याचारों में कमी आने की जगह वृद्धि हुई है। तात्पर्य यह है कि विगत पचास वर्षों में अनुसूचित जातियों के लिये अपनाये गये संरक्षात्मक, वितरणात्मक और कल्याणकारी उपायों से न तो उनके प्रति गैर–अनुसूचित जातियों के रूख में बदलाव आया और न ही अनुसूचित जातियाँ इतनी मजबूत हो सकीं कि वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का सक्षम रूप से मुकाबला कर सकें। परिणामस्वरूप कतिपय अपवादों को छोड़कर विगत वर्षों में उन पर होने वाले अत्याचार में वृद्धि हुई है। कुछ विचारकों का ऐसा मानना है कि यह संक्रमण काल हैं जिसमें ऐसा होना स्वाभाविक है। ज्ञात होता है कि दलितों की स्थिति में उचित सुधार नहीं आया अपितु उनके दमन की प्रक्रिया निरंतर बढ़ रही है।

ऐसा नही है कि सरकार द्वारा दलितों की स्थिति सुधारने हेतु यथोचित प्रयास नहीं किये गये अपितु दलितों के उत्थान हेतु भारतवर्ष में जितने अधिक प्रावधान एवं सुधार किये गये है संपूर्ण विश्व में कही भी नहीं हुए हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी विडम्बना यही रही है कि इतने सुधारों, जनांदोलनों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के निर्माण के बाजवूद भी दलितों की स्थिति में मात्रात्मक सुधार ही हो पाया है।[4]

आजादी के बाद में यदि हम दलितों की स्थिति का मूल्यांकन करें तो पांएगें की दलितों की दशा सुधारने हेतु जितने भी अधिक प्रयास आजादी से पूर्व हुए वे सभी धार्मिकता से ओत–प्रोत थे। आजादी के पश्चात् दलितों की स्थिति सुधारने हेतु वैसे बुद्धिजीवी एवं क्रांतिकारी तथा कर्त्तव्यपरायण लोगों का अभाव ही रहा है, संविधान निर्माण एवं संवैधानिक प्रावधानों द्वारा दलितों के सामाजिक, आर्थिक हितों को विशेषता ध्यान दिया गया एवं सुधार किया गया, औद्योगिकरण नगरीकरण, यातायात आवागमन एवं संचार के साधनों में विकास मीडिया, सिनेमा जनसंख्या की वृद्धि आदि के परिणाम स्वरूप दलितों की दशा अवश्य ही बदली है।

जब हम किसी समस्या या किसी विशेष विषय से संबंधित घटनाओं आदि का मूल्यांकन एवं परीक्षा करते है तो हमें कुछ आधार प्रस्तुत करना होता है जिसके द्वारा उसकी माप एवं तुलना संभव होती है। समाज द्वारा (उच्च जातियों) द्वारा दलितों पर आदिकाल से जो निर्योग्यताएं थोपी गई उसी को आधार मानकर दलितों पर आरोपित सामाजिक निर्योग्यताएं, आर्थिक निर्योग्यताएं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं राजनीतिक निर्योग्यताएं ही दलितों की निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी है। अतः हम यहां पर दलितों की स्थिति का मूल्यांकन इन्हीं निर्योग्यताओं में हुए परिवर्तन एवं सुधारों के आधार पर कर सकते है।[5]

सामाजिक नियोग्यताएं :– सामाजिक सम्पर्क पर रोकः– दलितों को सवर्ण हिन्दुओं के द्वारा आजादी पूर्व, सामाजिक संपर्क रखने और उनको सम्मेलनों गोष्ठियों, उत्सवों एवं समारोहों त्योहारों में भाग लेने की आज्ञा नहीं थी। सच्चिदानंद ने दक्षिण भारत में अस्पृश्यता की स्थिति का उललेख करते हुए 'द हरिजन इलिट' (1977) नामक अध्ययन में लिखा है कि ''दक्षिण भारत में एक स्थान पर लोग विभिन्न जाति समूह के लोगों से निश्चित दूरी का ध्यान रखते थे। शूद्रों को अपने से तुरंत उपर वाले वर्ग से 33 फीट, उससे उपर वाले वर्ग से 66 फीट तथा ब्राम्हणों से 99 फीट की दूरी पर रहना अनिवार्य हैं। इसके साथ ही उच्च जातियों के मोहल्लों से गुजरते समय उन्हें (अस्पृश्यों) एक विशेष प्रकार की आवाज तथा विशेष चिह्न धारण करना पड़ता है। 1777 में एक मराठा पेश्वा रघुनाथ राव की पत्नी आनंदी बाई ने जो कि वास्तविक शासक थी, एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि महार चलते हुए अपने पद चिह्नों को मिटाते चलेंगे, थूक के लिए गले में एक पात्र रखेंगे तथा पान चबाना निषिद्ध होगा। इस आदेश का कठोरता से पालन कराया गया।

एक अन्य घटना से यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार अस्पृश्यों से उपर अमानवीय प्रतिबंध लगाये गये थे। 1783 में भरूच में एक 'मराठा घोषणा' जारी की गई जिसमें तीन अस्पृश्य जातियों हलालखोर, डेढ और चाण्डाल को प्रातः 9 बजे बाद अपने घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया था ताकि उच्च हिन्दू उनकी वायु एवं स्पर्श से बच सकें।[6]

परंतु आजादी के बाद संविधान निर्माण के पश्चात् संविधान द्वारा दलितों के प्रति होने वाले भेदभाव, छुआछूत, शोषण, अत्याचार, सामाजिक संपर्क आदि किसी भी आधार पर भेद नहीं किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षणः— इस सुरक्षणों के अधीन प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 17, 23, 24 और 25 (2) में वर्णित है अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत हो गया और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिध किया गया है।

आज वर्तमान समय में बढ़ते औद्योगिकरण नगरीकरण, शिक्षा का प्रसार संवैधानिक प्रावधान, नवीन कानून, जनसंख्या वृद्धि संचार साधनों एवं आवागमन के साधनों की अधिकता के परिणामस्वरूप शहरी स्थालों पर दलितों पर होने वाले सामाजिक विभेद अस्पृश्यता जैसी समस्याएँ नगण्य ही दिखाई देती हैं जबकि आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण ढाँचा में ढला होने के कारण गाँवों में पूर्णतः सुधार नहीं हो पाया, शहरों से संपर्क रखने वाले ग्रामीण इलाकों में अस्पृश्यता एवं सामाजिक भेद संबंधी भेदभाव एवं अत्याचार शोषण का अभाव है परंतु अंदरूनी ग्रामीण इलाकों में ऊंच—नीच एवं सामाजिक भेदभाव जैसी स्थिति आज भी दिखाई देती है। नगरों में आधुनिक जीवन शैली तथा व्यवसायों एवं उद्योगों की अधिकता होने के कारण दलित जातियों के प्रति सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएं प्रायः समाप्त ही है।

धार्मिक निर्योग्यताएँः— दलितों के प्रति भेदभाव एवं उनके ऊपर होने वाले अत्याचार एवं उन पर थोपी गई निर्योग्यताएँ संपूर्ण भारत में एक समान ही रही है। राजस्थान प्रांत जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा का गढ़ होने के कारण यहाँ अस्पृश्यता का व्यापक प्रचलन रहा है। देश के अन्य हिस्सों की भांति यहाँ भी अस्पृश्यों के ऊपर अनेक निर्योग्यताएँ बलपूर्वक थोपी गई, उनकों मानवोचित अधिकारों में वंचित रखा गया एवं उनका आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक शोषण किया गया 1936 में जयपुर रियासत के चकबारा गाँव के सवर्णों ने एक सामूहिक भोज में अस्पृश्यता के आधार पर अस्पृश्यों को भोजन बनाने में घी का प्रयोग नही करने दिया। इसी प्रकार की एक घटना जून 1936 में जयपुर रियासत के बुडली गाँव में घटी। बैरवा जाति के गोंविद राम के परिवार में एक मृत्युभोज के अवसर पर गाँव के गुर्जरों एवं मीणाओं ने लड्डू बनाने का कडा विरोध किया। जयपुर स्टेट के तत्कालीन एस.पी. की देख—रेख में मृत्युभोज सम्पन्न हुआ। 1946 में जयपुर रियासत के कुछ गाँवों के जमींदारों ने पंचायत करके फैसला किया कि दलितों को अच्छे कपड़े पहनने एवं दलित महिलाओं को सोने—चाँदी के आभूषण पहनने से रोका गया। नाथद्वारा के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के मंदिर में दलितों के प्रवेश के विभेदीकरण के विरूद्ध 28 सितम्बर 1988 को राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्देश जारी करना पड़ा। 13 मई 1994 को अलवर जिले के भिवाड़ी कस्बे में एक हरिजन युवती को नंगा करके मुँह पर कालिख पोत कर घुमाया। धौलपुरा जिले में अप्रेल 1998 में एक दलित युवक की नाक में नकेल डालने का मामला प्रकाश में आया।[7]

इस तरह की सभी घटनाएँ मन को क्षुब्द कर देती है, आज आजादी के इतने वर्षो पश्चात् भी हमारे देश में दलितों के प्रति होने वाले अत्याचार एवं भेदभाव की श्रृंखला में पर्याप्त कमी नहीं आयी है। हालांकि

धार्मिक निर्योग्यताएं समाप्त अवश्य ही हुई है और ऐसी घटनाएँ कभी–कभार ही दिखाई देती हैं परंतु धार्मिक नियोग्यताओं में परिवर्तन अवश्य ही आया है। आज दलित वर्गों में चेतना आना अपने अधिकारों के प्रति सजग हो शिक्षा प्राप्त कर उच्च पदों पर आसीन होना तथा उन्नत व्यवसायों से संबंध होना इन सभी प्रभावों से आज दलित व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त कर रहा है।

धार्मिक निर्योग्यताएं अब पूर्णतः समाप्त प्राय हो गई है। विशेषतः कुछ स्थानों को छोड़कर शहरी वातावरण एवं शहरी परिवेश में रहने वाले दलित परिवारों को उस तरह की समस्या का सामना यदा–कदा ही करना पड़ता हैं। अपितु ग्रामीण इलाकों में आज भी सर्णोर्गों द्वारा धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। अनुच्छेद 25 (2) के अनुसार– यह व्यवस्था की गई है कि सभी हिन्दू धार्मिक संस्थाएं हिन्दूओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खुले रहेंगी। दलित जाति के लोगों को हिन्दुओं के मंदिर तथा धार्मिक संस्थानों में बिना रोक टोक के प्रवेश देने के लिए समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास आवश्यक है। अतः पूर्व की अपेक्षा आजादी के बाद संवैधानिक प्रावधानों के कारण दलितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है तथा सामाजिक मान्यताओं में शिथिलता आई है। जिसके कारण वर्तमान समय में दलितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है तथा सामाजिक मान्यातओं में शिथिलता आई है। जिसके कारण वर्तमान समय में दलितों की स्थिति में सकारात्मक सुधार की प्रक्रिया तीव्र हो सकी है।

आर्थिक नियोग्यताएं:– संवैधानिक प्रावधानों के पहले उच्च जातियों द्वारा दलित जातियों के सदस्यों पर निम्न आर्थिक नियोग्यताएं आरोपित की गई थी।

व्यावसायिक नियोग्यताएं, सम्पत्ति संबंधी निर्योग्यताएं भरपेट भोजन की भी सुविधा नहीं (आर्थिक शोषण) आर्थिक समस्याओं के कारण दलितों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि इन्हें विवश होकर, सवर्णों के झूठे भोजन, फटे पुराने वस्त्र एवं त्याज्य वस्तुओं से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ी। दलित जातियों के लोगों को मल–मूत्र उठाने, सफाई करने, मरे हुए पशुओं को उठाने और उनके चमड़े से वस्तुएं बनाने का कार्य ही सौंपा गया। इन्हें खेती करने, व्यापार चलाने या शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करने का अधिकार नहीं दिया गया। इन्हें भूमि–अधिकार तथा धन–संग्रह की आज्ञा नही दी गयी। इन लोगों को दासों के रूप में अपने स्वामियों की सेवा करनी पड़ती थी।

दलित जातियों का आर्थिक दृष्टि से शोषण हुआ हैं। उन्हें घृणित से घृणित पेशों को अपनाने के लिए बाध्य किया गया और बदले में इतना भी नहीं दिया गया कि वे भर–पेट भोजन भी कर सकें। हिन्दुओं ने धर्म के नाम पर अपने इस व्यवहार को उचित माना और दलितों की इस व्यवस्था से संतुष्ट रहने के लिए बाध्य किया। इन लोगों को शासन के काम में किसी भी प्रकार की कोई हस्तक्षेप करने, कोई सुझाव देने सार्वजनिक सेवाओं के लिए नौकरी प्राप्त करने या राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया।

उपर्युक्त समस्याएं मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था से विशेष रूप से संबंधित है, वर्तमान में दलित जातियों की समस्याएं प्रमुखतः सामाजिक एवं आर्थिक है न किसी धार्मिक और राजनीतिक। इन लोगों की निर्योग्यताएं नगरों में समाप्त सी होती जा रही है, अपितु गांवों में आज भी दिखाई पड़ती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दलित जातियों के लोगों की समस्याएं दूर हुई है। किंतु साथ यह भी सत्य है कि इनके लिए किये गये कल्याण–कार्यों के परिणामस्वरूप अनेक नवीन समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। उदाहरणार्थ इनमें

राजनीतिक चेतना एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है जिसका परिणाम यह हुआ है कि सवर्णों एवं दलितो में तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न हुए है।

दलित जातियों की एक नवीन समस्या यह भी है कि इनमें भी वर्ग–भेद पनपने लगा है जिन परिवारों के सदस्यों ने उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त कर उच्च पद ग्रहण कर लिए हैं, अथवा सरकार से ऋण या अन्य सुविधाएं प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली है, वे स्वयं को अपनी जाति के अन्य लोगों से पृथक एवं उच्च समझने लगे हैं। इस प्रकार जिन लोगों ने अभिजात परिस्थिति प्राप्त कर ली है। उन लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इन लोगों को संवैधानिक प्रावधानों का पूरा लाभ अब भी मिल रहा है। दलित जातियों के लोग चाहते हैं कि उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाये, उन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जाये, उनके बंधुआ मजदूरी या दास के रूप में कार्य नहीं लिया जाये, भृत्य के बदले उन्हें पूरी मजदूरी दी जाये, उनके बच्चों को सवर्ण जातियों के बच्चों के समान समझा जाये, उन्हें शिक्षा संबंधी पूरी असुविधाएं उपलब्ध हों। वे यह भी चाहते है कि देश की प्रजातांत्रिक संस्थाओं में उन्हें भाग लेने का पूरा अवसर मिले।

दलितों जातियों के 80 से 85 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। इस पर भी प्रभुजातियों, उच्च जातियों एवं सवर्ण जातियों का नियंत्रण एवं प्रभुत्व है। आज आर्थिक दृष्टि से दलित जातियों के लोग उच्च जातियों के सेठ–साहूकारों, भू–स्वामियों, जमींदारों आदि पर निर्भर रहते हैं। इन लोगों को अपनी दयनीय दशा, अज्ञानता एवं निर्धनता के कारण इनके उत्थान के लिये किये गये कल्याण–कार्यों का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाया है। ये आज भी गरीब है, और इनकी गरीबी ही इनके शोषण का प्रमुख कारण है। इन सब समस्याओं के बाजवूद दलित जातियों में जागरूकता आई है, वे संगठित हुये हैं और एक शक्ति में उभरे हैं।

पिछले कुछ दशाब्दियों से पवित्रता अपवित्रता (शुद्ध–अशुद्ध) संबंधी कठोरता में कमी आई है। आज लोग अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों के साथ उठते बैठते है, साथ–साथ काम करते है, एक–दूसरे के यहां आते जाते भी है, अब लोगों को अस्पृश्यों के प्रति वैसा व्यवहार नहीं हैं जैसा 50–60 वर्ष पूर्व था, अब स्वयं आस्पृश्य जातियों में कुछ बदलाव आया है, अब तो केवल विशेष अवसरों जैसे– जन्म, विवाह, धार्मिक उत्सव या जातियों आधार पर होने वाले भोज, आदि के समय ही अस्पृश्यता बरती जाती है, शुद्धता–अशुद्धता का ध्यान रखा जाता है। अब जाति व्यवस्था संबंधी कठोरता में शिथिलता आने के साथ–साथ अस्पृश्यों के प्रति व्यवहार में भी कठोरता कम हुई है। इतना आवश्यक है कि चूंकि अस्पृश्य लोग निर्धन है, उत्पादन के साधनों पर उनका सामान्यतः अधिकार नहीं है, अतः आर्थिक दृष्टि से वे अब भी भू–स्वामियों या उच्च जातियों के लोगों की कृपा पर निर्भर करते है, ऐसी स्थिति में उनका शोषण भी होता है। यदा–कदा किसी मामूली कारण को लेकर उन पर अत्याचार भी होते ही है। उनके शोषणकर्त्ता तो बड़े कृषक, भू–स्वामी या समृद्ध लोग है।

दलित जातियों के अधिकतर लोग गाँवों में कृषि श्रमिकों और औद्योगिक क्षेत्रों एवं नगरों में, कारखानों में या अन्यत्र कही श्रमिकों के रूप में कार्यरत् हैं। इनके साथ यदा–कदा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, इन पर आक्रमण किये जाते हैं। इनके साथ मारपीट तक की जाती है, यदि वे लोग ऐसी घटनाओं का विरोध करते हैं तो गांव में इनका सामाजिक बहिष्कार तक कर दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएँ मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात तथा कुछ अन्य राज्यों में भी

समय–समय पर घटित हो चुके है। इसके पीछे प्रमुख कारण भूमि संबंधी झगड़े–न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर मजदूरी का भुगतान ऋणग्रस्तता, बेगार, सार्वजनिक स्थानों को काम मे लाने की मनाही, आदि रहे हैं। अन्य शब्दों में शोषण से छुटकारा पाने की मांग ही इन घटनाओं के लिए प्रमुखतः उत्तरदायी है।[9]

दलित जातियों के संबंध में संवैधानिक व्यवस्थाएँ:–

संविधान में दलितों के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है जो इस प्रकार है:–

संवैधानिक प्रावधान– संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान रखे गये है जिनके द्वारा अस्पृश्यता निवारण तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15(1) में कहां गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दुकानों सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने और साधारण जनता के उपयोग के लिये बने कुंओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि के प्रयोग से कोई किसी को नहीं रोकेगा।

अनुच्छेद– 16 (4) में आर्थिक विकास की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत कर उसका किसी भी रूप में प्रचलन निषेध कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 के आधार पर दलितों की व्यावसायिक निर्योग्यताओं को समाप्त किया जा चुका है।

अनुच्छेद– 25 में हिन्दूओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार सभी जातियों के लिये खोल देने की व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद– 29 के अनुसार राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता

अनुच्छेद– 46 में कहा गया है कि राज्य दुर्बलतर लोगों जिनमें अनुसूचित जातियाँ तथा आदिम जातियाँ आती है कि शिक्षा संबंधी तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय शोषण से उनकों बचायेगा

अनुच्छेद– 330, 332, 334 के अनुसार अनुसूचित जातियाँ तथा आदिम जातियों के लिये संविधान लागू होने के 20 वर्ष तक लोकसभा, विधानसभा, ग्रामपंचायतों और स्थानीय निकायों में स्थान रहेंगे बाद में यह अवधि 10–10 वर्ष के लिये तीन बार और बढ़ा दी गई।

विधानमण्डल एवं पंचायतों में प्रतिनिधित्व– संविधान में दलित जातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में राज्य की विधानसभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गये है। पहले यह स्थान संविधान लागू होने के 30 वर्ष तक के लिए सुरक्षित रखे गये बाद में यह अवधि 20 वर्ष अर्थात् 25 जनवरी 1990 तक के लिये बढ़ा दी गई। और अब सन् 2010 तक के लिये बढ़ा दिया गया है।

सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व– दलित जातियों के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के तथा उच्चजाति के लोगों के संपर्क में आने प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखे गये है। खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर की जाने वाली नियुक्तियों में 15 प्रतिशत तथा अन्य प्रकार से की जाने वाली नियुक्तियों में 16 प्रतिशत स्थान दलित जातियों के लिये सुरक्षित होते हैं।

आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास– दलित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु सरकार ने उन्हें विशेष सुविधा देने का प्रयास किया है। जनवरी 1976 में सरकार द्वारा पारित बंधक श्रमिक उन्मूलन कानून का विशेष लाभ दलित जातियों के लोगों को ही मिला है सन् 1978 में सरकार द्वारा इस उद्देश्य से एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है। जिससे अस्पृश्य जातियों की आर्थिक स्थिति एवं नौकरी संबंधी सुविधाओं की सही जानकारी मिल सकें।

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम7 1955 – अस्पृश्यता को समाप्त करने इससे संबंधित सभी अपराधों को रोकने और अस्पृश्यता करने वाले को दण्डित करने के उद्देश्य से जून 1955 से सारे देश में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 लागू किया गया है।[10]

निष्कर्ष:– दलित जातियों के कल्याण के लिए सबसे अधिक आवश्यक यह है कि उच्च जातियों के विचारों और व्यवहारों में परिवर्तन लाया जाये। यह काम प्रचार और शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम में इन तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए कि हिन्दू धर्म में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभावों का कोई स्थान है। स्मृतियों में दिये गये विधान मौलिक हिन्दू धर्म के विरोधी है तथा लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता आवश्यक है। जीवन के आरंभ से ही यदि विद्यार्थी जातिभेद से संबंधित रूढ़ियों की वास्तविकता को समझने लगेंगे तो अपने आप उनके विचारों और मनोवृत्तियों में सकारात्मक परिवर्तन हो जायेगा।

वास्तविकता यह है कि इस दिशा में कोई भी प्रत्यन तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक विभिन्न योजनाओं को ईमानदारी से लागू न किया जाए। आज दलित जातियों के कल्याण से संबंधित अधिकांश योजनाएं इसलिए असफल हो गयी कि उन्हें जो सुविधाएं दी जाती है, उनसे संबंधित अधिकांश राशि का बीच में ही दुरूपयोग हो जाता है। इस दशा में आवश्यक हैं कि विकास योजना को कार्यान्वित करने के लिए ऐच्छिक संगठनों तथा समाज सुधार संगठनों की अधिक से अधिक सहायता ली जाये। दलित जातियों की समस्याएं आज भी गम्भीर है तथा एक व्यवहारिक नीति के द्वारा ही इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. पूरणमल, 'अस्पृश्यता एवं दलित चेतना', पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2007, पृ. 11–12.
2. डॉ. अम्बेडकर, सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2007, पृ. 15.
3. डॉ. रत्तू कृष्ण कुमार, 'भारतीय दलित और मानवाधिकार', बुक एन्क्लेव, जयपुर, 2002, पृष्ठ 130.
4. ओमवेट गेल, 'दलित और प्रजातान्त्रिक क्रान्ति', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2009, पृष्ठ–110–111.
5. पुनियानी राम, 'साम्प्रदायिक राजनीतिः तथ्य एवं मिथक', वाणी प्रकाशन, दिल्ली 2010, पृष्ठ–189.
6. खंडेला मानचंद, 'दलित अधिकार एवं व्यवहार', पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2007, पृ. 35.
7. अहूजा राम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2012, पृष्ठ–120.
8. डॉ. पूरणमल, दलित संघर्ष एवं सामाजिक न्याय, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, पृष्ठ–63.
9. सन्तोषी हरकिशन, दलितों के दलितः स्थिति परिस्थिति और संभावनाएँ, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ–23.
10. खंडेला मानचंद, दलित अधकार एवं व्यवहार, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2007, पृ. 38

भारत में बाल–कल्याण के कार्यक्रम

दिनेश प्रसाद शोध छात्र अर्थशास्त्र

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

प्रस्तावना :– बालक समाज के सबसे दुर्बल समूह होते हैं। निर्धन या संपन्न ,किसी भी परिवार में उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता–पिता या परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। पारिवार विहीन बच्चों में कुछ को तो संस्थाओं या दूसरों के घर मे शरण मिल जाती हैं। लेकिन कई दर–दर भटकते फिरते हैं। जन्म के प्रारंभिक वर्षों में बालकों की विवशता चरम सीमा पर होती है। इस अवधि में उनकी विशेष देलभाल की आवश्यकता होती है। उम्र के बढ़तें के साथ–साथ ,उनकी आवश्कताएं बढ़ती हैं। इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार के पास पर्याप्त साधन नहीं होते। परंपरा से बालकों के पालन–पोषण का दायित्व परिवार पर रहा है, लेकिन कल्याणकारी राज्यों के उदय सवे यह दायित्व परिवार के अतिरिक्त राज्य एवं अन्य सामाजिक संगठनों में भी निहित होता गया हैं।

देशों में शिक्षा के स्तर भी ऊंचे हैं। तथा शिक्षा प्रणीली भी विकसित अवस्था में है। दूसरी ओर भारत जैसे निर्धन देशों में अनेक बालकों को शिक्षा के अवसर मिलते ही नहीं। अनुसूचित जातियों और जन–जातियों तथा कुछ पिछड़ी जातियों के बच्चे तो साक्षर भी नहीं हो पाते। यद्यपि भारतीय संविधान में 14 वर्ष के कम उम्र के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं और कई राज्यों में इस संबंध में कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन देश में अभी तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिखा की व्यवस्था नहीं हो पाई है। 1950–51 ई. में 6–11 वर्ष की उम्र के बालकों के केवल 43 प्रतिशत तथा 11–14 वर्ष के बीच के बालकों में केवल 13 प्रतिशत के ही नाम विद्यालयों में अंकित हैं। सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के फलस्वरूप बालकों की शिक्षा में व्यापक सुधार हुआ है, लेकिन स्थिति अभी तक संतोषजनक नहीं हो पाई है। 1982–83 ई. में 6–11 वर्ष के बीच के बालकों में 87 प्रतिशत तथा 11–14 वर्ष के बीच के अबालकों में 44 प्रतिशत विद्यालयों में शिखा प्राप्त कर रहे थे। इन आंकड़ों से प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का सही ज्ञान नहीं होता। अनेक बालक नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ देते हैं। कई विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचा है तथा अनेक विद्यालयों में शिक्षा संबंधी उपकरणों शिक्षकों तथा सुविधाओं की कमी बनी रहती है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की भूमिका– भारत में बाल कल्याण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र बालकोष की भूमिका प्रशंसनीय रही हे। देश देश में इसकी मुख्य शाखा तथा कई क्षेत्रीय उपशाखाएं हैं। भारत का इस अंतर्राष्ट्रीय अंतःसरकारी संगठन से 1919 ई. से ही गहरा संबंध रहा हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र बालकोष में प्रचुर अंशदान भी देता है। वास्तव में भारत में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे लागू करने में संयुक्त राष्ट्र बालकोष का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बालकल्याण के क्षेत्र में इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दी जानेवाली सहायता में तकनीकी विशेषज्ञ सेवाएं, उपकरण, परिवहन शिक्षा सामग्री सभी श्रणियों कें कर्मचारियों के लिए सेवा से पहले और सेवा के दौरान प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु नकद सहायता, शिक्षा संस्थाओं और सरकारी विभागों की तकनीकी और प्रबंध क्षमता को मजबूत करना, मूल दवाओं और विटामिनों की व्यवस्था, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सहायता, जलापूर्ति अनुसंधान और नई प्रयोगिक गतिविधयों के लिए नकद सहायता सम्मिलित हैं।

बालकों की समस्याएं

बालकों की कुछ समस्याएं सभी बालकों के साथ सामान्य रूप में लागू होती है, लेकिन कुछ विशिष्ट श्रेणियों के बालकों को विशेष प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। सामान्य बालकों तथा उनकी कुछ विशेष श्रेणियों की समस्याओं की विवेचना नीचे की जाती है–

(1) स्वास्थ्य एवं पोषाहार की समस्या

(2) शिक्षा की समस्याएं

(3) मनोरंजन की समस्याएं

(4) संरक्षा की समस्या

बाल विकालांगों की समस्याएं

विकलांगों के अंतर्गत नेत्रहीन मूक–वधिर अपंग तथा मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्ति सम्मिलित हैं। भारत में लगभग 4.5 करोड़ व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दृष्टिदोष के शिकार हैं। इनमें लगभग 90 लाख व्यक्ति नेत्रहीन हैं। इसी प्रकार, देश में लाखों की संख्या में मूक–वधिर और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति हैं। मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या भी देश में निरंतर बढ़ रही है। अधिकांश विकलांगों की विकलांगता बचपन में ही प्रारंभ हुई। अब भी विकलांगों मे सबसे अधिक संख्या में 15 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं। उनमें अनेक बालकों की विकलांगता समुचित उपायों द्वारा रोकी जा सकती थी।

1. **अनाथ एवं अधर्मज बालकों की समस्याएं** भारत में अनाथ बालकों की संख्या भी बहुत अधिक है। द्वितीय विश्वयुद्व के पहले प्रायः होने वाली महामारियों तथा अकालों के कारण अनेक बच्चे अपने माता–पिता से बिछड़ जाते थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के फलस्वरूप महामारियों पर प्रभारी रूप से नियंत्रण हुआ है। लेकिन आज भी बाढ़ दुर्घटना संक्रामक रोगों ,सांप्रदायिक झगड़ों आदि के कारण अनेक परिवार नष्ट हो जाते हैं और कई बच्चे निराश्रय हो जाते हैं।
2. **बाल–श्रमिकों की समस्याएं** –भारत में 15 वर्ष से कम उम्र के एक करोड़ से अधिक बालक श्रमिक के ।रूप में काम करते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य प्रथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्यों को निर्देश दिए गए हैं तथा बाल श्रम प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी व्यवहार में ये अभी तक संभव नहीं हो पाए हैं। भारत में अनेक बालकों को पारिवारिक आय बढ़ाने या अपना निर्वाह करने के लिए श्रमिक के रूप में काम करना पड़ता है।
3. **बाल अपराधियों की समस्याएं** – बाल अपराध तो अपने में एक गंभीर समस्या है, लेकिन बाल अपराधियों में सुधार लाना और बाल अपराध को रोकना बाल कल्याण का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज देश में प्रतिवर्ष 50 हजार से अधिक बालक संज्ञेय अपराध करते पकड़े जाते हैं। कई बालकों द्वारा किए गए अपराधों का पता नहीं लगता। पारिवारिक विघटन, सामाजिक नियंत्रण की शिथिलता निर्धनता की व्यापकता, अनैतिक वातावरण, प्रलोभनों में वृद्वि संरक्षा के अभाव तथा आचरण संबंधी मूल्यों में परिवर्तन के कारण देश में बाल अपराधियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।

समस्याएं :– भारत में 15 वर्ष से कम उम्र के एक करोड़ से अधिक बालक श्रमिक के ।रूप में काम करते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य प्रथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्यों को निर्देश दिए गए हैं तथा बाल श्रम प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी व्यवहार में ये अभी तक संभव नहीं हो पाए हैं। भारत में अनेक बालकों को पारिवारिक आय बढ़ाने या अपना निर्वाह करने के लिए श्रमिक के रूप में काम करना पड़ता है। आश्चर्य तो इस बात की है कि देश में बाल श्रमिकों की संख्या कम होने के बजाए निरंतर बढ़ रही है। यूरोपीय देशों में बाल–श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन निर्धनता से ग्रस्त विकासशील देशोंमें इसे व्यावहारिक रूप देना अत्यंत ही कठिन होता है। आज भारत में अनेक बच्चे घरों , चाय की दुकानों, छोटे–छोटे होटलों मोटर स्कूटर सम्मत की दुकानों , जिल्दसाजी के कामों , पशु–पालन , खेती के कामों, छोटे–मोटे कारखानों तथा अन्य व्यवसायों में लगे हैं। कई बाल श्रमिकों से कठोर शारीरिक श्रम लिया जाता है। कई बाल श्रमिकों से निर्दयतापुर्ण व्यवहार किया जाता है और उन्हें शारीरिक यातनाएं भी दी जाती है। कई को मजदूरी के नाम पर थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाते हैं। अनेक बालकों से लगातार कई घंटो तक काम लिया जाता है।उनमें कई को विश्राम और मनोरंजन के अवसर भी नहीं मिल पाते। ऐसे ऐसे बालकों को शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो पाती।

समाधान :– भारत में बाल–कल्याण के लिए उठाए गए कदम

भारत में बाल कल्याण के क्षेत्र में सरकार और सार्वजनिक और अभिकरणों के अतिरिक्त ऐच्छिक संगठन भी कार्यशील है। वास्तव में बाल–कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम देश में स्वतंत्रता के बाद ही उठाए गए। यों तो देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति से बालकों को भी प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ हुआ है, फिर भी उनके लिए अलग से विशेष कार्यक्रम चलाए गए हैं। इनमें अधिकांश कार्यक्रम देश की पंचवर्षीय याोजनाओं के अधीन चलाए गए हैं। भारत में बाल श्रम कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना नीचे की जाती है–

बालकों के लिए राष्ट्रीय नीति–

1974 ई. में भारत सरकार की ओर से बालकों के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। इस नीति में बालकों के हितों की रक्षा तथा उनके कल्याण से संबद्व कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है। इस नीति में कहा गया है–सरकार की यह नीति रहेगी कि बच्चों के जन्म से पहले और बाद में तथा वृद्वि के दौरान उपयुक्त सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि उनका पूरा पूरा शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास हो सके। सरकार ऐसी सेवाओं का कार्यक्षेत्र लगातार बढ़ाती जाएगी, ताकि उचित समय के अंदर देश के सभी बच्चों को अपनी संतुलित वृद्वि के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं मिल सकें। इसी वर्ष प्रधानमंत्री की सहायता में एक राष्ट्रीय बाल परिषद का गठन किया गया । बाद में राज्यों में भी इस प्रकार की परिशदें गठित की गईं।

समेकित बाल विकास सेवाएं

समेकित बाल विकास सेवाएं बाल कल्याण के क्षेत्र में एक नया लेंकिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका प्रारंभ 1975 ई. में हुआ। इस कार्यक्रम के आधीन बालकों की संरक्षा के साथ–साथ उनके विकास पर भी ध्यान दिया जाता है।

- इस योजना के अधीन चलाई जाने वाली सेवाएं निम्नलिखित हैं।

(1) **स्वास्थ्य जांच**

(2) **टीकाकरण**

(3) **पूरक पोषाहार**

(4) **वृद्वि–निगरानी**

(5) **विद्यालय–पूर्व अनौपचारिक शिक्षा**

(6) **पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा**

(7) **सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं**

(8) **शैक्षिक सुविधाएं**

भारतीय बालकल्याण परिषद– भारतीय बाल कल्याण परिषद बालकल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का एक महत्वपूर्ण ऐच्छिक अभिकरण है इसकी स्थापना 1952 ई. में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह बालकल्याण के संबद्व कई कार्यक्रम चलाता है।

जो इस प्रकार हैं :–

(1) बालकल्याण से संबद्व योजनाओं को लागू करना

(2) बाल कल्याण के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

(3) बालकों के कल्याण के लिए कानून बनाने का प्रयास करना

(4) बालकल्याण संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहित करना

(5) बालदिवस का आयोजन करना

(6) बालकों के लिए राष्ट्रीय पारितोषिक की व्यवस्था करना

(7) अवकाश गृहों का संचालन करना

(8) समेकित बालविकास सेवा योजनाओं में भाग लेना

(9) बाल कल्याण से संबद्व सम्मेलनों और सभाओं में भाग लेना तथा

(10) बालकल्याण से संबद्व सरकार क कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना।

References

भारत सरकार समाज कल्याण तथा पिछड़ा वर्ग अध्ययन दल की रिपोर्ट,
नान्सी एल. सदका (सूनीसेफ) : समेकित बाल–विकास सेवाएं

पर्यावरण संरक्षण एवं भारतीय समाज

प्रोफेसर एल आर पटेल

आचार्य **भूगोल वभाग**, जर्नादन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर

डॉ. लालाराम जाट

सहायक आचार्य, उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क,

जर्नादन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर

पर्यावरणीय संकट जिस तीव्र गति से गहराता जा रहा हैं। वह हर लोकतांत्रिक व शिक्षित समाज के लिए विचारणीय विषय हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुध विदोहन तथा भौतिक सुख–सुविधाओं की जीवन शैली के कारण प्राकृतिक संपदाओं केा खात्में की ओर धकेला हैं। मानव ने अपने जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लिए अंधाधुध वनों की कटाई की हैं। जैव विवधता पर हमला बोला हैं तथा कल–कारखानों से जहर रूपी धुंए को बढ़ाया। नदियों में शहरी अपशिष्ट को बढ़ाया तथा दिखावें की संस्कृति के माध्यम से अंधाधुध वाहनों का उपयोग किया हैं। इसी कारण हम पर्यावरण प्रदुषण तथा पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए मानव स्वंय जिम्मेदार हैं। पर्यावरण संरक्षण आज विश्व की सबसे बड़ी चूनोति है। विकास की इस तीव्र गति ने पर्यावरण संतुलन को तहश–नहश कर दिया है। औद्यौगिकरण एवं नगरीकरण ने पारिस्थितिकी तंत्र को असन्तुलित कर दिया है। गांव से लेकर शहर एवं अविकसित से विकसित देश होने की दौड़ में सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण का हुआ है। भारत गांवो का देश होने के कारण यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती रही है। गाँव में निवास करने वाले लोगो का मुख्य व्यवसाय कृषि, जल एवं जंगल था। जंगल किसी न किसी रूप से भारतीय ग्रामीण जीवन के साथ जुड़ा रहा है। पर्यावरण के साथ भारत की जनजातियों का भी अटूट रिश्ता रहा है। जनजातियों को वन मानुष भी इसी कारण पुकारा गया। जंगल ही इनका जीवन है। भारत में यदि पर्यावरण बच सका तो इसका श्रेय इन दोनो समाजो को ही जाता है। विकास एवं आधुनिकीकरण की दौड़ में सबसे ज्यादा प्राकृतिक सम्पदा का दोहन किया गया। सबसे ज्यादा प्राकृतिक सम्पदायें इसी ग्रमीण एवं जनजातिय क्षेत्र में उपलब्ध है। विडम्बना यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके राष्ट्र के विकास की गति को भले ही मजबूत किया हो परन्तु जिस क्षेत्र से प्राकृतिक सम्पदाओं का दोहन किया गया वो आज भी विकास की मुख्य धारा से कौशो दूर है।

भारत में जंगलो का ह्रास के लिये ग्रामीण एवं जनजाति समाज जिम्मेदार है ? यह सोचने का विषय है। सच यह है कि आदिम काल से वनों को अपना अभिन्न अंग मानने वाले समाज जंगल का नाश कैसे कर सकतें है। शहर में बनने वाले मकानों के निमार्ण में जा लकड़ी काम में आती है वह शहर में पैदा नहीं होती। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षित वर्ग अशिक्षित वर्ग से ज्यादा पर्यावरण का दोहन करता है परन्तु वह अपना पक्ष बड़ी चतुराई से रख कर आरोप कमजोर वर्ग पर लगा देता है। वन के क्षेत्र में कार्यरत वन विभाग के अधिकारियों के पड़ने वाले छापो से यदा–कदा वास्तविक सच उजागर होता रहता है।

प्रश्न आरोप एवं प्रत्यारोप करने का नहीं बल्कि पर्यावरण के ह्राश के कारणों का वैज्ञानिक सोच के साथ विश्लेषण करने का है तथा बचे–खुचे पर्यावरण को संरक्षित करने का है। समाज एवं राष्ट्र दोनो की जिम्मेदारी पर्यावरण को संरक्षण देने की है। जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा है या समाज की। यह प्रश्न

करने का अब समय नहीं बचा है। पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक, समुदाय, जाति, धर्म एवं समाज की है। यदि व्यक्ति, समुदाय, धर्म एवं समाज अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता है तो राष्ट्र की जिममेदारी बनती है कि वह पर्यावरण के संरक्षण के लिये इन जिम्मेदार अगों को कर्त्तव्य का अहसास कराने के लिये राष्ट्रीय नीति, कानून एवं अधिनियम का निर्माण करेगा एवं समय–समय उनमें संशोधन कर उन्हे परिस्थिति के अनुसार बदलने का कार्य भी करेगा। ऐसा नहीं है कि कार्य राष्ट्र द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया हो। भारत में पर्यावरण संरक्षण की समस्या के समाधान हेतु निम्न कदम उठाये जा चुके है जो इस प्रकार हैः–

(1)संविधान के अनुच्छेद 48(क) में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया। यह अनुच्छेद राज्य को आदेशित करता है कि पर्यावरण संरक्षण तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करेगा। उसके लिए वह सामाजिक तथा वैधानिक नीतियों का निर्माण करेगा।

(2)भारतिय संविधान के अनुच्छेद 51(क) में पर्यावरण संरक्षण को नागरिको का मूल कर्त्तव्य माना हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य हैं। होगा किवह प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण करेगा। जिससे अर्न्तगत वन झील नदी, और वन्यजीव है, की रक्षा करे एवं उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे।

(5)पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रावधान किये गये है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के उपबंधो, निर्धारित मानदण्डो या निर्देशो का उल्लघन करने वाले व्यक्मि या व्यक्तियों को 5 वर्ष की कैद या 5 लाख रू. का जुर्माना से दण्डित करने का प्रावधान किया गया और यदि व्यक्ति ।

पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए केन्द्र सरकार को शक्तियां प्रदान की गई (धारा 3)

पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिये अधिकारों की नियुक्तियां और उसकी शक्तियां तथा कार्यनिर्धारण का अधिकार केन्द्र सरकार को दिया गया (धारा 4)

पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने के लिये नियम निर्धारण की शक्ति केन्द्रिय सरकार को प्रदान की गई (धारा 6)

प्रदुषण स्थल से नमूने लेने उनका विश्लेषण करने के अधिकार की व्यवस्था की गई (धारा 11)

पर्यावरण प्रदुषण की जाँच एवं विश्लेषण के लिये पर्यावरणीय प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान किया गया (धारा 12)

प्रदूषण का उल्लघंन जारी रखता है तो प्रति दिन 5000 रू. का अतिरिक्त जुर्माना व पुनः दोष सिद्ध होने के पश्चात् 1 वर्ष से अधिक समय तक उल्लंघन जारी रखता है तो उसे 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है (धारा 15)

अधिनियम के तहत यदि सरकारी विभाग द्वारा पर्यावरण प्रदूषण का कृत्य किया जाता है तो उसे भी अपराध का दर्जा दिया गया है तथा दण्डित किया जायेगा (धारा 17)

पर्यावरण प्रदूषण के अपराध पर संज्ञान लेने का प्रावधान भी किया गया है अर्थात् पर्यावरण प्रदूषण के लिये वाद/शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य नहीं रखा गया (धारा 19)

अधिनियम की धारा 4 के तहत प्राधिकरण का गठन करने तथा प्राधिकरण के सदस्यों अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उन्हे लोक सेवक का दर्जा दिया गया है (धारा 21)

अधिनियम के अतिरिक्त कोई भी नियम केन्द्र सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिये बना सकते है (धारा 25)

(4) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981 (संशोधन 1987**)**

वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण के लिये केन्द्रीय बोर्ड का गठन करने की व्यवस्था की गई (धारा 3) राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के गठन का भी प्रावधान किया गया (धारा 5)

अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार को वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र घोषित करने तथा ईधन, उपकरण एवं उत्तेजन सामग्री के उपयोग को निषेध करने की शक्ति प्रदान की गई (धारा 19)

राज्य के अन्द उन उद्योग धन्धों को अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निधारित मानको से अधिक वायु प्रदूषण करते है (धारा 22)

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सदस्य या निर्मित सशक्त किसी व्यक्ति को वायु प्रदूषण स्थल में प्रवेश व निरीक्षण का अधिकार प्राप्त हो (धारा 24)

वायु प्रदूषण के नमूने लेने एवं विश्लेषण करने का अधिकार प्राप्त है (धारा 26)

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम के प्रावधानों एवं उपबंधों तथा आदेशों की पालना न करने पर प्रथम दोष पर डेढ वर्ष से छः वर्ष की कैद तथा 5000 रू. अर्थ दण्ड का प्रावधान किया गया है। प्रथम दोष के पश्चात् पुनः उल्लंघन जारी रखने पर यह कारावास 2 से 7 वर्ष का होगा (धारा 37)

सरकारी विभागों एवं कम्पनियों द्वारा वायु प्रदूषण किया जाता है तो उनके लिए भी दण्ड का प्रावधान किया गया (धारा 40–41)

केन्द्र व राज्य सरकार को वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशिष्ट एवं पूर्वगामी नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान भी किया गया (धारा 53–54)

(5) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1974

यह अधिनियम 23 मार्च 1974 में 12 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया तथा अन्य राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। अधिनियम का संशोधन 1978 व 1988 में किया गया अधिनियम के कुल 8 अध्याय व 64 धाराओं में निम्न प्रावधान किये गये है–

केन्द्रीय व राज्य जल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया (धारा 3 व 4)

राज्य बोर्ड के सदस्य या सशक्त अधिकारी जल प्रदूषण क्षेत्र में प्रवेश उसके निरीक्षण करने की शक्ति का प्रावधान किया गया (धारा 23)

नदियों एवं कुओं के प्रदूषण की रोकथाम तथा प्रदूषण की दशा में आपात उपायों की व्यवस्था का जिम्मा राज्य बोर्ड को प्रदान किया गया (धारा 24 व 32)

जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम के उपबंधों व केन्द्रीय व राज्य बोर्डो के आदेशों की पालना नहीं करने पर 3 माह से लेकर 7 साल तक की अवधि तक कारावास एवं जुर्माने से दण्डित करने की व्यवस्था की गई (धारा 41)

राज्य व केन्द्र सरकार को केन्द्रिय व राज्य बोर्ड के परामर्श से जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रदान की (धारा 63–64)

(8) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

भारतीय वन अधिनियम 1927, राष्ट्रीय वननीति 1952 के पश्चात् वन संरक्षण के लिये 25 अक्टुबर 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम का निर्माण किय गया। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोडकर देश के सभी

प्रान्तों व केन्द्र शासित क्षेत्रों में लागू किया गया । अधिनियम का संशोधन 1988 में किया गया। राज्य या किसी प्राधिकरण द्वारा वन क्षेत्र को अनआरक्षित या वन भूमि को गैर वन भूमि घोषित करने के लिये केन्द्र सरकार की स्वीकृति लेना अनिवार्य किया गया। यह अधिनियम सभी प्रकार के वनों के संरक्षध की व्यवस्था करता है तथा वनों को धन उपार्जन का साधन न मानने की व्यवस्था को स्थापित किया है। विकास के कार्यो के दौरान होने वाले वन ह्यास को रोकने के लिये यह शर्त लागू की गई कि समतुल्य क्षेत्र में पुनः वर्गीकरण करना होगा।

सामुदायिक प्रयास :– पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिये कानून बनाना व संवैधानिक प्रावधान करना अपरिहार्य था। केवल कानून निर्माण से पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम करना असम्भव–सा है। रोकथाम के लिये जन सहभागिता एवं सामुदायिक प्रयास की व्यवस्था को मजबूत करना होगा।

सामूहिक प्रयासो की सफलता जन सहभागिता के बिना सम्भव नहीं है। अतः जन सहभागिता के लिय जनचेतना लाना आवश्यक है। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिये व्यक्ति, समाज व सरकार को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होगें जो इस प्रकार हो सकते है–

1. **पर्यावरण शिक्षाः**– पर्यावरण शिक्षा जनचेतना जागृत करने का सशक्त माध्यम है पर्यावरण शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यवस्था से दी जा सकती है। औपचारिक शिक्षा के लिये प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिये पाठ्यक्रर्मो में पर्यावरण शिक्षा को जोड़ा गया है। आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण शिक्षा को मात्र अतिरिक्त शिक्षा के रूप में लागू किया गया है जो सही नहीं है। पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। अनौपचारिक शिक्षा के लिये विभिन्न तरह की प्रदर्शनी , संगोष्ठियां, व्याख्यान–मालाये, टी.वी., रेडियों आदि का उपयोग करते हुए पर्यावरण शिक्षा दी जाती है।
2. **गैर सरकारी संस्थाओं का योगदानः**– भारत में सरकार के साथ–साथ गैर सरकारी संस्थाओं ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिये अपना योगदान दिया है। गैर सरकारी संस्थाये पर्यावरण शिक्षा, जन चेतना एवं वृक्षारोपण का कार्य कर रही है। स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर वन उत्पादन के लिये प्रेरित करने का कार्य भी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। कानून के निर्माण तथा पर्यावरण मुद्दों को जनमुद्दा बनाने, न्यायालय में याचिका दायर करने का कार्य भी किया जा रहा है। गंगा नदी का प्रदूषण, ताजमहल एवं दिल्ली प्रदूषण की रोकथाम में गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिये कई समाजिक कार्यकर्ता जिसमें अरून्धती राय, मेघा पाटेकर, बाबा बालेसर, राजेन्द्र सिंह एवं एम.सी.मेहता आदि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम एवं सरंक्षण के लिये अपने जीवन का बहुमूल्य समय समाज एवं राष्ट्र के पर्यावरण के लिये समर्पित किया ।
3. **स्वयं सहायता समूह का योगदान**– वन विभाग द्वारा जन सहभागिता को बढावा देने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह को वन संरक्षण का जिम्मा देने की पहल कदमी की तथा वन उत्पादन में भागीदारी को सुनिश्चित कर पर्यावरण संरक्षण का जिम्मा इन स्वयं सहायता समूह को सौपा गया। स्वयं सहायता समूह के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये कई तरह के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है जिसमें वर्मी कम्पोस्ट, प्राकृतिक सम्पदाओं से निर्मित विभिन्न श्रृंगार सामग्री एवं खाद्य सामग्री का निर्माण कर प्राकृतिक सम्पदाओं के महत्व की पहचान कराने का प्रयास किया है।
4. **सामाजिक आन्दोलनः**– पर्यावरण संरक्षण के लिये आदिम काल से ही समाजिक आन्दोलन होते रहे है। जिसमें खेजडली का अमृता देवी विश्नोई का आन्दोलन, चिपको आन्दोलन, उत्तराखण्ड के वन संरक्षण

आन्दोलन जो गढवाल के लोगों द्वारा किया गया। राजस्थान का तिलाडी वन आन्दोलन वनों की सुरक्षा एवं वन अधिकारों की प्राप्ति के लिये किया गया। टिहरी बांध परियोजना से उत्पन्न पर्यावरण समस्या के लिये भी एक जन आन्दोलन उठ खडा हुआ जो आज तक चल रहा है।

सारांश :— पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों को व्यावहारिक स्वरूप में लागू करने की आवश्यकता हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिये चहुमुखी प्रयास करने की आवश्यकता है केवल कानून का निर्माण कर देने से पर्यावरण प्रदूषण को नहीं रोका जा सकता । पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिये जन सहभागिता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जन—सहभागिता के लिए एक राष्ट्रीय जन—सहभागिता की नीति—निर्माण करने की आवश्यकता हैं। भौतिकवादी संस्कृति में पुनः नैतिक शिक्षा, सामूहिक जवाबदेही तथा पर्यावरण प्रेम की अलख जगाने की आवश्यकता है । कानून का क्रियान्वयन तभी संभव है जब कानून सम्बन्धी जानकारी लोगों को हो तथा दोषियों को समय पर सजा होगी तथा लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए खुलकर सहयोग करने लगेंगें। केवल कानून की सजा से पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह सकता, इसके लिए समाज को भी सामाजिक दण्डों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आज भी धार्मिक स्थलों पर लोग पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते है वहां लगे पेडों को नहीं काटते है। औद्योगिक संस्थाओं ने इस धार्मिक मानदण्ड का उपयोग संस्थाओं में करके स्वच्छता बनाये रखने का कारगर प्रयास किया है। धार्मिक चित्रों को दिवारों के सहारे लगाकर स्वच्छता का प्रयास किया, ऐसा प्रयास पर्यावरण संरक्षण के लिये भी समाज के व्यक्ति को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से करना चाहिये। हमें अपने आबादी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु नीति बनाने की आवश्यकता है। शहर में बनने वाले आवासों के आस—पास पेड़—पौधे लगाने की जगह छोड़ने तथा उन्हें बड़े करने की जिम्मेदारी देने की आवश्यकता हैं। जल संरक्षण की जो नीति बनाई हैं उसका साकारात्मक परीणाम भी सामने आए हैं।

सन्दर्भ :—

1 **गुर्जर, रामकुमारः— पर्यावरण समस्याएं, पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर।**

2 **सती, विश्भर प्रसादः— पर्यावरण और कानून, आविष्कार पब्लिकेशन, जयपुर।**

3 **जाट, लाला रामः— पर्यावरण संरक्षण एवं कानूनी प्रावधान, समाज कल्याण, अंक 11, जून 2014**

4 **www.envfor.nic.in date-10-3-14**

आम आदमी को उम्मीद की किरण दिखाती प्रधानमंत्री जन– धन योजना

डा. व्ही.पी. श्रीवास्तव प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष ;वाणिज्यद्ध

डा.ललित कुमार नामदेव

सहायक प्राध्यापक ;वाणिज्यद्ध शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना ;म.प्र.द्ध

प्रस्तावना–

भारत मे वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय अभियान का आरंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना ;च्डश्रक्ल्द्ध की शुरूआत की हैं। नवनिर्वाचित भारत सरकार की यह अति महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना तथा प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोलने का उद्देश्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के रूप में देश को संबोधित करते हुए इस योजना की घोषणा लाल किले की प्राचीर से की थी तथा 28 अगस्त 2014 को योजना का शुभारंम्भ किया गया। योजना की शुरूआत से पहले सरकार के स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई थीं स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैंकों को प्रेषित अपने ई–मेल मे देश के हर परिवार के लिए बैंक खाता खोजने को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया तथा बैंकों से योजना को सफल बनाने हेतु कमर कसने का आव्हान किया। योजना के उद्धाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले जाना योजना की लोकप्रियता,महत्ता एवं स्वीकार्यता को स्पष्ट करता है। वास्तव मे स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद भी आम आदमी वित्तीय छुआछूत का शिकार रहा है,देश के अधिकतर वित्तीय संसाधनों का दोहन समाज का धनाढ्य वर्ग ही अब तक करता आया है इस योजना के माध्यम से इस वित्तीय छुआछूत को दूर करने तथा आम जन को समृद्धि के द्वार तक लेने जाने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।इस योजना के माध्यम से देश के प्रत्येक परिवार को बैंक से जोड़ने तथा उसे जमा एवं ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराकर साहूकारों के चंगुल से निकालना है ताकि वे आपातकालीन वित्तीय कठिनाइयों से सफलतापूर्वक निपट सकें।

योजना के तहत खोले जाने वाले खाते की विशेषताएं–

योजना के तहत खाता खोलने हेतु रूपयों की आवश्यकता नही होगी, और नांहि खाते मे कोई न्यूनतम् शेष रखने की बाध्यता होगी,खाते से देशभर में कहीं भी धन का हस्तांतरण किया जा सकेगा ,खाते में 6 महीने बाद रूपये 5000 की अधिविकर्ष सुविधा के साथ रूपये 100000 के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा सुविधा एवं डेबिट कार्ड तथा किसान कार्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी।खाते को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना से जोड़कर सभी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अंतर्गत आने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

खाता खोलने की प्रकिया–

इस योजना के तहत खाता खोलने की प्रक्रिया को भी सरलीकृत किया गया है,योजना के तहत खाता खोलने हेतु यदि आपके पास आधार कार्ड है तो किसी अन्य दस्तावेज की मांग बैंक द्वारा खाता खोलने हेतु नही की जाएगी यदि आधार कार्ड मे दर्शाया गया पता एवं वर्तमान पता अलग–अलग हैं तो स्वयं प्रमाणित

कर वर्तमान पता दे सकते हैं। आधार कार्ड उपलब्ध न होने की स्थिति में मतदाता पहचान पत्र,परिवार परिचय पत्र,ड्राइविंग लाइसेंस,सरपंच,लोकसेवक या उचित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना का जॉब कार्ड,मान्यता प्राप्त संस्था का पहचान पत्र तथा पते के प्रमाण के तौर पर पूर्व की तरह बिजली का दूरभाष के देयक का इस्तेमाल किया जा सकता अथवा जन्म या विवाह का प्रमाणपत्र संलग्न किया जा सकता है।

योजना का कियान्वयन—

योजना दो चरणों मे कार्यान्वित की जायेगी—

प्रथम चरण 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक है जिसमें निम्नानुसार कार्यक्रम तय किया गया है—बैंकिंग सुविधाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना,वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का संचालन,6 महीने बाद रूपये 5000 की अधिविकर्ष सुविधा के साथ बैंक खाते की सुविधा तथारूपये 100000 के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा सुविधा के साथ डेबिट कार्ड तथा किसान कार्ड की सुविधा प्रदान करना आगे चलकर उन्हें पेंशन उत्पादों तथा अन्य बीमा उत्पादों के दायरे मे लाया जाएगा।

द्वितीय चरण के अंतर्गत अधिविकर्ष खातों में चूक कवर करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना,सूक्ष्म बीमा तथा असंगठित क्षेत्र बीमा योजना को लागू करना सम्मिलित हैं।इसके अतिरिक्त इस चरण में पर्वतीय जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को सम्मिलित किया जाएगा। इतना ही नही इस चरण में परिवार के शेष वयस्क सदस्यों और विद्यार्थियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

योजना के कियान्वयन हेतु कार्ययोजना—

1. देश के 3—4 ग्रामों या अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों को जिनकी जनसंख्या 1000—1500 तक हो को उप सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित कर बैंकिंग सेवा हेतु चुना जाएगा।प्रथम चरण मे फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों को इस कार्यक्रम से मुक्त रखा जाएगा।
2. आगामी तीन वर्षों में उप सेवा क्षेत्र के प्रत्येक केन्द्र की व्यवहार्यता का विश्लेषण करते हुए 2000 से अधिक जनसंख्या वाले लगभग 74000 ग्रामों को स्वावलम्बन अभियान के अंतर्गत व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा कवर किया जाएगा तथा जिन केन्द्रों पर 11—12 कर्मचारी कार्यरत होंगे उन्हें पूर्ण बैंक शाखा में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

3. देश के सभी 6 लाख ग्रामों को सेवा क्षेत्र के साथ जोड़कर बिन्दु एक के अनुसार चयनित ग्रामों में एक बैंकिंग बिन्दु की स्थापना की जाएगी जिसके माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

4. बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए जहां परंपरागत शाखाएं सेवा देंगी वहीं शाखा रहित बैंकिंग का इस्तेमाल भी इस कार्य हेतु किया जाएगा एवं शाखा रहित बैंकिंग बाले ग्राम में व्यापार प्रतिनिधि की सेवाएं ली जो बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे।

5.' योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु जहां वर्तमान बैंकिंग ढांचे का उपयोग किया जाएगा वहीं सभी परिवारों को लाभान्वित करने हेतु बैंकिंग ढांचे का विस्तार भी किया जाएगा।

6. ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में लक्षित हर परिवार को बैंकिंग के दायरे में लाने हेतु मौंजूदा बैंकिंग ढांचे का विस्तार भी किया जाएगा एवं उसे आगामी चुनौतियों हेतु तैयार किया जाएगा।

7. प्रथम चरण में विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत 50000 अतिरिक्त व्यापार प्रतिनिधि,7000 से अधिक शाखाओं तथा 20000 से अधिक नए एटीएम भी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

8. सुप्त खातों पर बैंकों की रखरखाव की भारी लागत को देखते हुए बैंकों में बढ़ी संख्या मे सुप्त पड़े बैंक खातों को पुर्नजीवित करने हेतु व्यापक योजना की अनिवार्यता को भी महसूस कर इसके लिए नीति बनाने पर जोर दिया गया है।

9. इस योजना के तहत केन्द्र,राज्य तथा स्थानीय सत्ता द्वारा संचालित सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के तहत लाने का प्रस्ताव है तथा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस खाते का प्रयोग किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय हेतु एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता समूह की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

11. योजना को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु प्रत्येक गतिविधि को केन्द्र की राजधानी,राज्यों की राजधानी तथा जिला मुख्यालय पर एक साथ आरंभ किया जाएगा।

12. योजना की प्रगति रिपोर्ट तथा निगरानी हेतु एक वेब पोर्टल भी स्थापित किया जाएगा।

13. योजना कार्यान्वयन की विभिन्न एजेंसियों जैसे केन्द्र सरकार,राज्य सरकार,रिजर्व बैंक,राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आदि भूमिकाओं को स्पष्टतः पारिभाषित किया गया है।

14. ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा रहित बैंकिंग हेतु व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को ग्राम दल सेवक नाम देने का प्रस्ताव है।

15. चूंकि संचार एवं सूचना तकनीक आज की बैंकिंग की जान है अतः दूर संचार एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संचार व्यवस्था सुनिश्चित करे। हालांकि वर्तमान परिदृश्य यह है कि देश के 5.93लाख ग्रामों मे से लगभग 50000 ग्रामों मे आज भी दूरसंचार सुविधा उपलब्ध नही है।

योजना का आरंभ–

28 अगस्त 2014 का इस महत्वाकांक्षी योजना के शुभारंभ अवसर पर देश भर में विभिन्न बैंकों द्वारा लगभग 60000 शिविरों का आयोजन कर जनता के बैंक खाते खोले गये एवं इस योजना के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की गई,जिससे प्रथम दिवस ही 1.5 करोड़ खाते योजना के तहत खुले।प्रधानमंत्री ने

योजना की अच्छी शुरूआत से उत्साहित होकर कहा कि आज हम देश का 'वित्तीय स्वतंत्रता दिवस'मना रहे हैं।

योजना के समक्ष चुनौतियां–

भारत जैसे देश मे यदि यह योजना प्रभावी रूप से लागू कर हा जाए तो हम निश्चित रूप से हरित एवं श्वेत क्रांति के बाद वित्तीय क्रांति करने मे सफल हो जाएंगे।लेकिन योजना के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं,जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं–

1. देश का विशाल तथा असुविधाजनक भौगोलिक ढ़ाचा योजना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि पहले भी हम ग्रामीण बैंकों को दूरस्थ क्षेत्रों में खोलकर देख चुके हैं कि कैसे संचार साधन, यातायात साधन तथा जागरूकता के अभाव में हम असफल हो गए थे एवं बैंकों का एकीकरण कर जैसे तैसे हमने ग्रामीण बैंकों को प्राणवायु दी है, यह चुनौती आज भी जस की तस है।
2. देश मे वित्तीय साक्षरता का अभाव भी एक बढ़ी चुनौती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय साहूकार तथा बिचौलिये योजना को असफल करने मे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे हमारे अनपढ़ ग्रामीणजन जो इस योजना के केन्द्र मे हैं इन साहूकारों पर अंध श्रृद्धा रखते हैं एवं पीढ़ियों के संबंधों की दुहाई देकर यह साहूकार इनका शोषण करते हैं इन ग्रामीणजनों को वित्तीय रूप से शिक्षित करना तथा साहूकारों के जाल को काटना एक बढ़ी चुनौती है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों मे संचार साधनों का जाल बिछाना योजना की सफलता के लिए नितांत अनिवार्य है आज स्वतंत्रता के 67 वर्ष बाद भी हम सारे देश को स्वच्छ जल उपलब्ध नही करा पाए ऐसे में आधुनिक संचार साधनों संजाल बुनना तथा उसे प्रयोग के लायक बनाए रखना भी एक बढ़ी चुनौती है।
4. बैंकिग के कार्य हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है इतनी बढ़ी मात्रा में बैंक शाखाओं के खोलने से तथा बैंक प्रतिनिधि के रूप मे एक साथ बढ़ी संख्या में प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता होगी जिसे पूरा करना भी एक चुनौती है।
5. एक साथ भारी कार्यभार आने से फर्जी खाते खुलने की समस्या भी आ सकती है,जिसे रोकने हेतु बैंक प्रबंधन को अतिरिक्त उर्जा एवं समय की आवश्यकता होगी।

योजना मे मौजूद संभावनाएं–

जैसे कि हमारा अनुभव है जब भी कोई नवीन कार्य किया जाता है तो मन कई तरह की आशंकाओं से भर जाता है किंतु सही दिशा में सही तरीके से किए गए प्रयासों से धीरे–धीरे तथा दृढ़ता से किए गए प्रयासों से हम सफल होते हैं, तथा हमारी आशंकाएं निर्मूल सिद्ध होती हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक सफल राजनेता होने के साथ साथ एक भविष्यदृष्टा भी हैं । गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आपने कई नए प्रयोग कर राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। एक प्रधानमंत्री के रूप में भारत निर्माण के आयोजन में प्रधानमंत्री जन धन योजना कीमहत्वपूर्ण भूमिका को नरेन्द्र मोदी ने रेखांकित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि योजना यदि अपने लक्ष्य को पाने मे सफल रही तो हम देश से दरिद्रता को दूर करने में सफल होंगे,भ्रष्टाचार को रोकने में भी यह योजना सहायक होगी, धन का त्वरित एवं निर्बाध संचालन अर्थव्यवस्था की प्रगति मे पहिए लगा देगा, बीमा एवं पेंशन योजनाओं से प्राप्त सामाजिक सुरक्षा से लोगों

की कार्यक्षमता सकारात्मक रूप से प्रभावित होगी इस प्रकार योजना अर्थव्यवस्था पर कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव डालकर देश को विकसित बनाने की दिशा मे महत्पूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी ऐसी हमारी अपेक्षा है एवं योजना की सफलता हेतु हम कामना करते हैं।

संदर्भ–

1. प्रधानमंत्री जन– धन योजना का मसौदा।
2. दैनिक जागरण दैनिक समाचार पत्र भोपाल दिनांक 17.8.2014
3. जनसत्ता दैनिक समाचार पत्र दिल्ली दिनांक 29.8.2014
4. इंटरनेट पर प्रधानमंत्री जन– धन योजना संबंधी उपलब्ध सामग्री

उद्यामिता विकास से ही देश का आर्थिक विकास

महेश कुमार धुर्वे , जिला बालाधाट

ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिये जिस प्रकार स्वरोजगार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उद्यमिता विकास का महत्व उतना ही बढ़ता जा रहा है। आज भी लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व बना हुआ है। ऐसे में **उद्यामिता विकास ही आर्थिक विकास** की मुख्य धुरी है। ग्रामीणों को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यावहारिक संभावनाएं इस प्रकार हो सकती है – हस्तशिल्प, हथकरघा, काष्ठशिल्प, लकड़ी के खिलौने, आयुर्वेदिक दवाएं,(त्रिफला) पेठा, फूलों की खेती, मसरूम उत्पादन, गोद उत्पादन, पत्तल–दोना निर्माण, रस्सी–टोकरी निर्माण, गुड़ निर्माण, शहद प्रंसंस्करण, भूसा विक्रय कम्बल दरी निर्माण, फल व सब्जियों का उत्पादन दलहन–तिलहन का उत्पादन आदि।

प्रदेश का आर्थिक विकास ग्रामीण उद्यामिता से ही सुनिश्चित होता हैं। ग्रामीण लोग कुटीर उद्योग के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्थाको गति भी देते हैं। तथा खुद की समृद्धि के प्रयास भी करते है। मध्यप्रदेश में स्थापित उद्योगों हेतु कच्चा माल ग्रामीण क्षेत्रों से ही प्राप्त हो जाता है। जैसे– नरसिंहपुर खांड़ सारी एवं शक्कर उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। इसी प्रकार चम्बल तिलहन, एवं मालवा सूती वस्त्रों हेतु प्रसिद्ध है। ये सभी उद्योग स्थानीय कृषकों की उद्यमशीलता के कारण विकसित हुये हैं। इससे उस क्षेत्र का एवं किसानों का जीवन स्तर भी बढ़ा है।

ग्रामीण व्यक्ति कई प्रकार के कुटीर उद्योगों में कार्यरत रहते हैं, जो स्थानीयता के आधार पर भिन्न–भिन्न हो सकते हैं जैसे झाड़ू बनाना, रस्सी बनाना, चटाई बनाना, छाते बनाना, इत्यादि। ये कुटीर उद्योग करोड़ों लोगों को रोजगार के साथ ही विकास को भी गति देते है, कुछ क्षेत्रों की तो पहचान ही वहां के उत्पादों के कारण हैं, जैसे चन्देरी का नाम बांस की हस्त निर्मित साड़ी से जोड़ा जाता है।

इस व्यूह रचना में कारीगरों, खेतीहर मजदूरों छोटे किसानों को लक्ष्य बनाया गया है। धीरे–धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कारीगर, बढ़ई मोची, तेली, कुम्हार, लुहार, सुनार, रंगरेज आदि कम हो रहे है उनके जीविकोपार्जन मुश्किल हो गया है। इनकी विद्या को ग्रहण करने वाले कम हो रहे है एवं ये लोग खुले बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे हैं ऐसे में इनकी तकनीक को विकसित कर बाजार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाना आवश्यक हैं इसलिये व्यूह रचना में बहुपक्षीय अर्थव्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसमें सम्मिलित सभी व्यक्ति। परिवार जैसे कारीगर, मजदूर, किसान आपस में एक–दूसरे से संबंधित एवं निर्भर है। अतः लोगों की उद्यामिता योग्यताओं एवं उनकी उत्पादन एवं वितरण तकनीकों को क्षेत्रीय एवं स्थानीय विविधताओं के अनुसार ढालने की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों की संभावना के मद्देनजर कुछ प्रमुख सेक्टर इस प्रकार हैः दूध, बंजर भूमि विकास, मत्सय पालन, तालाब निर्माण, पशुपालन, ऊर्जा, प्रबंध, रेशम, शहद, लाख उद्योग, ओषधीय पौधों की खेती, अभियांत्रिकी, चमड़ा, बुनाई आदि। एक ब्लाक/तहसील में यदि छोटे स्तर 180–200 गांव है एवं मध्यम स्तर के 60–70 गांव है तो दो तीन सेक्टर होने पर पांच हजार परिवार परोक्ष–अपरोक्ष रूप से उत्पादन क्षेत्र में जुड़ जाते है एवं अपनी आय बढ़ा सकते है यदि तालाब निर्माण का उदाहरण हो तो इसके माध्यम से से कृषि एवं सिंचाई, पशुओं के लिये चारा, मछली पालन, सिघांडे की खेती, मखाना व्यवसाय, पुष्प व्यवसाय, पुराईन पत्ता व्यवसाय, ग्रामीण पर्यटन, इत्यादि के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित कर विकास एवं रोजगार दोनों ही प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था थी, उसका मुख्य आधार कृषि था, कृषि और किसान के कारण, भारत कृषि प्रधान देश बना और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत युवाओं का देश बनने जा रहा है, लेकिन युवा के लिए कोई विशेष नीति नहीं बनाई गई। शिक्षा का अब व्यवसायीकरण हो गया। पैसे वाले ही अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते है। लघु कृषि आधारित एवं स्वदेशी उद्योग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कारण बंद हो रहे है। जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के युवाओं का शोषण कर रही है। एफ.डी.आई. नीति देश के छोटे दुकानदार एवं उद्योगों के लिए बर्बादी का कारण बनेगीं।

अतः ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिये जिस प्रकार स्वरोजगार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उद्यमिता विकास का महत्व उतना ही बढ़ता जा रहा है। आज भी लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व बना हुआ है। ऐसे में उद्यामिता विकास ही आर्थिक विकास की मुख्य धुरी है। ओर उद्यामिता विकास से ही देश का आर्थिक विकास हो सकेगा ।

किसी भी क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास तथा दीर्घकालिक व स्थायी आर्थिक समृद्धि का एक मात्र विकल्प है, स्थानीय उद्यमिता का विकास है । सोच एवं जीवनशैली को बदलने के लिए अभिप्रेरित करनाना कुटीर उद्योगों , हस्तशिल्प एवं स्थानीय उद्यमिता की पहचान बनाना आवश्यक है। ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था द्वारा सत्ता एवं उद्योग व्यवसाय का विक्रेन्द्रीयकरण प्रमुख आवश्यकता है। आबादी बढ़ने के साथ लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना देश के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है। यदि बेरोजगारी की समस्या का समाधान गांव एवं कस्बों के स्तर पर नहीं खोजा गया,तो सामाजिक व आर्थिक अव्यवस्था बड़ सकती है। कुछ समय से शासकीय एवं निजी क्षेत्र में रोजगार घटता जा रहा है। आगे आने वाले समय में रोजगार की सबसे अधिक संभावना सेवा क्षेत्र मे ही रहेगी।

उद्यमिता एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। कुछ लोग यह समझते है कि एक नये व्यवसाय को शुरू करना ही उद्यमिता है जबकि यह कथन पूर्णतः सही नहीं है। क्योकि व्यवसाय का कुशलता पूर्वक संचालन करना, उसे विकास के मार्ग पर आगे ले जाना दैनिक निर्णय लेना भी उद्यमिता में सम्मिलत होते है। ग्रामीण क्षेत्र प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों से परिपूर्ण है 1991 की नई आर्थिक नीति के लागू होने के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएँ उभरी है। आर्थिक विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता विकास के उद्देश्य से आर्थिक विकास निगम द्वारा ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए है। जिसमें वित्त निगम कि अहम भूमिका है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते है कि बिना ग्रामीण उद्यमिता के विकास के कोई भी देश अपना नियोजित एवं तेजी से आर्थिक विकास नहीं कर सकता। ग्रामीण उद्यमिता के विकास द्वारा ही अनेक आर्थिक सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी बेरोजगारी ,धन की विषमता कम उत्पादकता, निम्न जीवन स्तर आदि से छुटकारा पाया जा सकता है। वास्त्व में ग्रामीण उद्यमिता ही आर्थिक समृद्धि का प्रमुख आधार है।

आर्थिक विकास ग्रामीण उद्यमिता से ही सुनियोजित होता है। ग्रामीण लोग कुटीर उद्योग के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को गति भी देते है। तथा खुद की समृद्धि के प्रयास भी करते है। स्थापित उद्योगों हेतु कच्चा माल ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त हो जाता है। जैसे–नरसिंहपुर खांड सारी एवं शक्कर उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। इसी प्रकार चम्बल तिलहन एवं मालवा सूती वस्त्रों हेतु प्रसिद्ध हैं। ये सभी उद्योग स्थानीय कृषकों की उद्यमशीलता के कारण विकसित हुये है। इससे उस क्षेत्र का एवं किसानों का जन स्तर भी बढा है।

भारत में कृषि में विकास और निवेश

डा.देवेन्द्र विश्वकर्मा.
एम.ए (अर्थशास्त्र),एम.ए (ग्रामीण विकास),
एम,बी,ए (वित्त),पी.एच.डी (अर्थशास्त्र)

कृषि विकास पर असर डालने वाले घटकों को मोटे तौर पर निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है – प्राकृतिक (जलवायु विषयक), प्रौद्योगिकी संबंधी, आर्थिक, संस्थगत और नीति घटक। खेती का विकास इन सभी घटकों के परस्पर व्यवहार पर निर्भर करता है। प्राकृतिक घटकों के अंतर्गत अन्य बातों के अलावा मृदा, वर्षा और तापमान शामिल हैं। प्रौद्योगिकी विषयक घटकों में बीज, मशीनरी, कीट संरक्षण और देश में उपलब्ध उर्वरक प्रौद्योगिकी शामिल है। तीसरी तरह के घटकों का स्वरूप आर्थिक है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि का मुनाफा खेती में निजी निवेश को आकर्षित करता है और इसी प्रकार विभिन्न फसलों का सापेक्षिक मुनाफा भूमि के अंतर–फसल आवंटन और अन्य संसाधनों का निर्धारण करता है। चौथा घटक समूह संस्थान हैं– जो अभी तक कम समझी गई अवधारणा कहे जा सकते है। संस्थानों में औपचारिक (कानून या विधितः सृजित) और अनौपचारिक (वस्तुतः), दोनों तरह के नियमों का खेल शामिल है जो आर्थिक एजेंटों के बीच परस्पर व्यवहार का निर्धारण करता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), जो खरीद कार्यो को संचालित करता है और ग्राम स्तर पर साहूकार जो किसानों को बुनियादी ऋण प्रदान करते हैं, क्रमशः औपचारिक और अनौपचारिक संस्थानों के दो उदाहरण समझे जा सकते हैं। संस्थान कारोबार लागत के मुख्य निर्धारक हैं।

वर्ष 1991–92 से 2012–14 तक समूची अवधि में कृषि और संबंधित क्षेत्र की औसत वार्षिक विकास दर 3.2 प्रतिशत रही है जो हाल की योजनाअवधियों के लिये लक्षित 4 प्रतिशत से काफी कम है। परंतु पूर्व की योजना के दौरान इसमें काफी उतार–चढ़ाव देखने को मिला है। आठवीं योजना (1992–97) के दौरान वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत रही, परंतु उसके बाद नौवीं योजना (1997–2002) के शुरू होते–होते उसमें गिरावट आने लगी, जो दसवीं योजना (2002–07) के दौरान घटकर 2.4 प्रतिशत रह गयी। ग्यारहवीं योजना (2007–02012) के दौरान कृषि का जीडीपी फिर बढ़कर 4.1 प्रतिशत तक पहुंच गया, परंतु बारहवीं योजना (2012–17) के प्रथम दो वर्षो में इसमें पुनः गिरावट आने लगी और कृषि वृद्धि दर 3 प्रतिशत पर खिसक गयी। दशकों के प्रदर्शन के आधार पर देखा जाए तो 1990 के दशक (1991–92 से 2000–01) में कृषि विकास दर 2.9 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 2000 के दशक (2001–02 से 2013–14) के दौरान 3.4 प्रतिशत पर पहुंच गयी। इस समूची अवधि में कुल विकास दर 3.2 प्रतिशत की रही। यहां उल्लेखनीय तथ्य यह है कि परिवर्तनशीलता के माप के तौर पर कृषि जीडीपी की वृद्धि पर विचरण के गुणांक के लिहाज से, इस अवधि में समग्र जीडीपी की वृद्धि दर से लगभग चार गुना अधिक रही। अतः आवश्यकता यह है कि सिंचाई और कृषि क्षेत्र के अनुसंधान पर निवेश बढ़ाया जाए ताकि न केवल कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हो बल्कि उसमें स्वामित्व भी बना रहे। क्या हमने इन क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश किया है ? संभवतः नहीं। उदाहरणार्थ, बारहवीं योजना के प्रारंभ के समय 337 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं थीं जिनके लिए 4,22,012 करोड़ के बजट की आवश्यकता थी परंतु, इस आवश्यकता के विरूद्ध सिंचाई के लिये वार्षिक

आवंटन 20,000 करोड़ रूपये से भी कम रखा गया था। यह जन संसाधनों के विकास और उनके समुचित प्रबंधन में निवेश की उपेक्षा को दर्शाता है।

साधारणतः किसी क्षेत्र की वृद्धि दर उस क्षेत्र में किये गये निवेश, पूंजी वृद्धि और उपज अनुपात (आईसीओआर) और उस क्षेत्र में पूंजी की दक्षता पर निर्भर करती है ठीक उसी तरह जैसे हैरॉड–डोमर मॉडल बताता है। अतएव कृषि विकास को गति देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कृषि में सकल पूंजी निर्माण (एजीसीएफ) की होती है, जो वस्तुतः कृषि जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर सरकारी और निजी क्षेत्रों, दोनों का वास्तविक निवेश होता है। यदि यह मान लिया जाए कि कृषि आईसीओआर 4:1 है तो 4 प्रतिशत की वृद्धि दर पाने के लिए उसमें कृषि जीडीपी के 16 प्रतिशत के आसपास निवेश की आवश्यकता होगी। वर्ष 1990–91 से लेकर 2007–08 की अवधि के अधिकांश भाग में, अखिल भारतीय स्तर का एजीसीएफ सदैव ही इस सीमा से कम ही रहा। इस लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कृषि जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2–3 प्रतिशत के आसपास ही बनी रही। नौंवीं योजना (1997–2002) के बाद से इस प्रवृत्ति में बदलाव देखने को मिला, जिसके फलस्वरूप यह अनुपात दसवीं योजना (2002–07) में बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गया जो ग्यारहवीं योजना में और भी अधिक बढ़कर 19 प्रतिशत के तौर पर पिछले दशक में एजीसीएफ में दोगुने से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई। संभवतः भारतीय कृषि में आने वाला यह सबसे बड़ा बदलाव है, और यदि यह आगे भी ऐसे ही बना रहता है तो समय आने पर अच्छे नतीजे मिलेंगे।

भारत सरकारी क्षमता निर्माण में

पिछले दशकों में, नियंत्रणों को हटाने, लाइसेंस–परमिट राज समाप्त करने और ऐसी औद्योगिक नीति अपनाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया, जिसमें सरकार निर्धारित करे कि कौन से उद्योग और कौन सी प्रौद्योगिकियां अच्छी हैं। वास्तव में इन दृष्टिकोणों से व्यापक सतर पर पीछे हटने की आवश्यकता है, जिनमें गलत लक्ष्यों का अनुसरण किया जा रहा था। किन्तु, आज चुनौती सिर्फ विनियमन अथवा उन सैद्धांतिक सुधारों से पीछे हटने मात्र की नहीं है, जो कानूनों को समाप्त करते हैं और वर्तमान सरकारी संगठनों को बंद करते है। सुरक्षा जैसे मूल सार्वजनिक हित में सरकारी भूमिका से बचा नहीं जा सकता। केवल सरकार ही आपराधिक न्याय प्रणाली कायम कर सकती है, रक्षा सेनाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंधन कर सकती है। केवल राज्य ही बाजार की तीन विफलताओं अर्थात् बाहरीपन, बाजार शक्ति और विषम जानकारी की समस्याओं का सामना कर सकता है। इन क्षेत्रों में एक कारगर सरकार की स्पष्ट रूप से आवश्यकता है। प्रत्येक सभ्य राष्ट्र की एक सक्षम सरकार होती है जो इन कार्यो को निष्पादित करती है और अन्य किसी भी प्रकार से नागरिकों की स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप से बचती है। सरकारी क्षमता की चुनौती यह होती है कि अनपेक्षित परिणामों से बचते हुए व्ययों को सक्षमतापूर्वक जनहित के परिणामों में परिवर्तित किया जाए।

भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियां और अवसर

ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय कृषि को एक चौराहे पर वर्तमान में अभूतपूर्व चुनौतियों और अद्वितीय अवसरों दोनों का सामना करना पड़ रहा है। किसान एक कुशल उत्पादक हैं परंतु अक्सर उच्च लेन–देन

लागत का व्यय उठाना पड़ता है। उपयुक्त संस्थागत तंत्र के माध्यम से इन लागतों को कम करने के लिए ठोस प्रयास आवश्यक थे।

कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है :–

निवेश वितरण और स्थानीय कृषि शासन प्रणाली की दुर्बलता।
वैश्वीकरण के प्रभाव सहित कीमतें और व्यापार नीतियां, बदलते मौसम का कृषि के क्षेत्र में बढ़ता खतरा।
छोटी जोत में गिरावट तथा खंडित भूमि जोत।
बढ़ते विपणन अक्षमताओं एवं बढ़ती कृषि अपशिष्ट।
गैर कृषि क्षेत्र में सीमित रोजगार के अवसर।

इसके अलावा, भारतीय कृषि के समक्ष वर्तमान चुनौतियां है : घरेलू खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि आय में बढ़ोत्तरी, गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादन खतरों को कम करना, समग्र प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना। लवणता के माध्यम से जमीन में गिरावट, जल जमाव के छटके, ईधन की कीमतों, खाद्य कीमतों, वित्तीय संकट, तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत एवं अन्य प्रमुख विकास संबंधी चुनौतियां है।

दूसरी ओर, उच्च आर्थिक वृद्धि और बढ़ती उपभोक्ता आय के परिणाम स्वरूप नये अवसर दोनों घरेलू और वैश्विक बाजारों में कृषि वस्तुओं के लिए वृद्धि की मांग के रूप में खुलासा कर रहे हैं।

चावल, गेहूं और मक्का के अलावा कपास, सोया, मछली, मांस, अंडा इत्यादि के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय मांग भी निर्यात के लिए भारी अवसर खोले। इसके अलावा, ऐसे में घरेलू बाजार में उच्च मूल्य वस्तुओं जैसे फल, सब्जियां, दूध, मांस, फूल इत्यादि और कृषि प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए बढ़ती मांग संभावित समृद्धि की ओर इशारा कर रही है जिससे कृषि क्षेत्र में लाया जा सकता है। बाजार संचालित प्रौद्योगिकियों के विकास और वितरण, अनुबंध खेती, कृषि उत्पादो के प्रसंस्करण, संगठित खुदरा बिक्री के विकास और निर्यात के लिए बाजारों की खोज में कॉरपोरेट सेक्टर का प्रवेश भारतीय कृषि को एक नया आयाम प्रदान कर रहा है इनमें से कुछ उत्साहजनक विकास मूल्य श्रृंखला और खेत से थाली की ओर घटित हो रहे हैं।

विवादास्पद सवाल अभी भी बना हुआ है कि बाजार में पूंजीनिवेश और नये अवसरों से उत्पन्न होने वाले लाभ को साझा करने में कृषक समुदाय, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को कैसे शामिल किया जायें।

चुनौतियां और अवसर

उच्च कृषि विकास के उद्देश्य स्थिरता और पर्यावरण संबंधी चिंताओं से समझौता किए बिना अपनाई जानी चाहिए। वस्तु विशेष विकास से प्रणाली विशेष के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। विकास के लिए कृषि अनुसंधान में उन्नत तकनीकों के विकास और प्रसार, विकेन्द्रीकृत नियोजन और पर्यावरण क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कृषि आय और ग्रामीण आजीविका विकल्पों में पशुधन क्षेत्र का

महत्व, जो सार्वजनिक निवेश के मामले में अब तक उपेक्षित हैं, उपयुक्त नीतिगत विकल्पों के माध्यम से उच्च प्राथमिकता प्राप्त होना चाहिए।

गैर– कृषि क्षेत्र के लिए कृषि से आबादी के पलायन करने के लिए एक तत्काल)मदद की आवश्यकता है। उपज के अंतर को पूरा गैर खाद्य फसलों और गतिविधियों के लिए लक्षित, सिंचाई और ढांचागत विकास (विशेष रूप से भंडारण, संचार, सड़क, परिवहन और बाजार) पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि में सार्वजनिक निवेश के लिए प्राथमिकताओं के युक्तिकरण पर तत्काल ध्यान आवश्यक है।

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भूमि, जल, जैव विविधता एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण है, जो टिकाऊ कृषि के लिए पारिस्थितिकीय पर निर्भर है। शहरीकरण उपलब्ध भूमि और जल संसाधनों पर जबरदस्त दबाव डाल रही है।

मुख्य कृषि योग्य भूमि गैर कृषि उपयोग के लिए परिवर्तित हो रही थी जिसे उपयुक्त भूमि उपयोग नीति के माध्यम से रोकने की जरूरत है। आम संपत्ति संसाधनों को अच्छी तरह से संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

कृषि व्यापार नीतियों का भविष्य

कृषि व्यापार नीति अब विकासशील देशों के लिए ज्यादा जटिल हो गई है इसे न सिर्फ व्यापार बढ़ने का सामना करना पड़ता है बल्कि सब्सिडी बढ़ने और मौजूदा दरों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी का सामना करना करना पड़ रहा है। कृषि व्यापार उदारीकरण का संतुलन कृषि क्षेत्र के भीतर और बाहर की विभिन्न जरूरतों के साथ बैठाया जाना चाहिए (इंगो और नाश 2004)। साथ ही, कृषि व्यापार उदारीकरण को सनातन बुराई अथवा क्षमता के रूप में देखने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए।

सावधानी के साथ बनाई गई कृषि व्यापार नीति से विकासशील देशों की घरेलू स्तर पर भागीदारी पिछड़ती है और प्रभावी वार्ता के तरीकों को अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में इस्तेमाल किया जाता है। भागीदारी से राजनीतिक गुत्थियां नहीं सुलझतीं, बल्कि हितधारकों को उन मुश्किलों को देखने का अवसर देती हैं जिनका राजनीतिक नेताओं को सामना करना पड़ता है। साथ ही, ये ऐसे तरीके सुझाने की अनुमति भी प्रदान करती है कि आगे बढ़ा जा सके।

भारत में कुल भूमि क्षेत्रफल करीब 329 लाख हेक्टेयर है जिसमें खेती करीब 144 लाख हेक्टेयर में होती है। भारत में मृदा अपरदन की दर करीब 2600 लाख टन प्रतिवर्ष है यानी इस मिट्टी को बचाना बेहद जरूरी है क्योंकि तमाम प्रयासों के बाद भी भारत में अभी तक सिर्फ 40 फीसदी भूमि ही सिंचित हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि देश में करीब 71 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर है उसे भी खेती योग्य बनाये जाने की जरूरत है। आंकड़े बताते है कि भारत में वर्ष 1951 में मनुष्य–भूमि अनुपात 0.48 हेक्टेयर प्रतिव्यक्ति था वर्ष 2025 में यह आंकड़ा घटकर 0.23 हेक्टेयर होने का अनुमान है। ऐसे में मृदा संरक्षण के जरिये खेती की एक बड़ी चुनौती से निपटा जा सकता है। कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में प्रतिवर्ष क्षरण के कारण करीब 25 लाख टन नाइट्रोजन, 33 लाख टन फॉस्फेट व 25 लाख टन पोटाश की क्षति होती है जिससे जलीय प्रदूषण बढ़ता है यदि इसे बचाया जाए तो हर साल करीब छह

हजार लाख टन मिट्टी की ऊपरी परत बचेगी और हर साल करीब 5.53 लाख टन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा भी बचेगी साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा। कृषि क्षेत्र का एक बड़ा भाग अभी भी असिंचित है। कृषि में यंत्रीकरण का स्तर अभी कम है, जिससे उत्पादन लागत अधिक आती है। कृषकों को विभागीय सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, जिससे कृषि विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधारों को अधिक कारगर ढंग से लागू कर कृषि क्षेत्र का और अधिक विकास किया जाये।

संकट में खेती–किसानी

कृषि की बदहाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले सत्रह वर्षो में लगभग तीन लाख किसान आत्महत्या कर चुके है। हिसाब लगाएं तो पता चलता है कि हर आधे घंटे में एक किसान अपनी जान दे देता है। अधिकतर आत्महत्याओं का कारण कर्ज है जिसे चुकाने में किसान असमर्थ है। जबकि 2007 से 2012 के बीच करीब 3.2 करोड़ किसान अपनी जमीन और घर बार बेच कर शहरों में आएं। कोई हुनर न होने के कारण उनमें से ज्यादातर को निर्माण क्षेत्र में मजदूरी या दिहाड़ी करनी पड़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार हर रोज 2,500 किसान को तिलांजलि दे रहे है। कुछ अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि हर दिन करीब पचास हजार लोग गांवों से शहरों की ओर कूच कर जाते है। इनमें मुख्य तौर पर किसान ही शामिल है। असल में आज खेती घाटे का सौदा बन चुकी हैं। एनएसएसओ के अनुसार यदि विकल्प मिले तो 42 प्रतिशत किसान खेती–बाड़ी को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहते है, लेकिन विकल्प न होने के कारण वे जमीन जोतने को मजबूर है। जो लोग कृषि छोड़ रहे है, अपना घर बार छोड़ रहे हैं और बेहतर जीवन के लिए शहर जा रहे हैं वहां वे भवन निर्माण उद्योग में मजदूरी करने या फिर रिक्शा खीचनें को मजबूर है। अर्थशास्त्री और नीति निर्माता इसे आर्थिक विकास का प्रतीक बताते हैं। बहरहाल, देश में आय के बढ़ते अंतर को समझने के लिए गांवों और खेती की दुर्दशा को जानना जरूरी है। गौरतलब है कि वर्ष 2005–2009 के दौरान जब देश की आर्थिक विकास दर आठ–नौ फीसदी की दर से कुलांचें मार रही थीं तब भी 1.4 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ी । इसका अर्थ यही हुआ कि आर्थिक विकास का फायदा किसानों को नहीं मिला और नहीं वहां रहने वाली आबादी की आमदनी में उल्लेखनीय इजाफा हुआ। अगर आर्थिक विकास का लाभ गांवों तक पहुंचता तो किसान अपना घरबार छोड़ कर शहरों की तरफ पलायन नहीं करते।

खेती के प्रति बढ़ते मोहभंग की कुछ साफ वजहें हैं। सरकारी नीतियां कृषि और किसान विरोधी है। खाद, बीज, डीजल और महंगे मजदूरों के चलते खेती करना आज घाटे का व्यवसाय बन गया है। खेती में लागत बढ़ गई है, जबकि कृषि उत्पादों की खरीद में सारा लाभ बिचौलिये हड़प लेते है। दूसरी ओर सबसे बड़ी परेशानी सरकार द्वारा दी गयी सुविधा किसान तक नहीं पहुंच पाती है। अगर पहुंचती भी है तो संपन्न किसानों के पास ही पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर देश में ज्यादातर किसानों की आय राष्ट्रीय औसत से कम है। उन्हें न तो अपनी उपज का सही मूल्य मिल पाता है और न ही कृषि को लेकर मौजूदा सरकारी नीति से उन्हें लाभ पहुंचता है वे कम उत्पादन करने पर भी मरते हैं और अधिक उत्पादन करने भी। दरअसल, हमने कृषि और किसानों को उतनी तरजीह नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। अक्सर मानसून को दोष देकर हम अपनी कमियां छुपाते रहें। साथ ही सरकार ने आर्थिक सुधारों को लागू करने के चक्कर में खेती

और किसानों पर सही ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान और ज्यादा गरीब होते जा रहे है।

व्यवसायपरक हो भारत में कृषि

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान के लिहाज से हालिया विकास दर के आंकड़े भी बहुत आशावान नहीं हैं। आंकड़ों के मुताबिक दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक विकास दर 7.6 प्रतिशत रही जबकि इसमें कृषि की स्थिति अत्यंत सामान्य यानी महज 2.3 प्रतिशत हो रही। इन आंकड़ों के समानांतर अगर भारत में कृषि की जरूरत के लिहाज से स्थिति का आकलन करें तो आज भी कृषि ही भारत की प्रथम जरूरत के रूप में सामने आएगी। भारतीय समाज की बसावट एवं यहां की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से अगर कृषि के महत्व का तथ्यपरक आकलन करें तो देश की 65 फीसदी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न एवं कृषि पर आश्रित नजर आएंगी। देश के कुल साढ़े पांच लाख गांवो के 75 फीसदी लोग कृषि से ही आजीविका चला रहे है। भारत में खरीफ और रबी की फसलें अलग–अलग मौसम में पैदा की जाती है जो कि भारतीय खाद्यान्न भंडारण का बड़ा स्रोत है।

कृषि की जरूरत एवं इसके महत्व के समानांतर अगर कृषि सुधारों का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं कृषि को लेकर हम समय के साथ–साथ उदासीन होते जा रहे है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के कम होते योगदान के दो कारण है। पचास के दशक में भारत में अन्य उद्योग न के बराबर थे अर्थात् हम ज्यादा कृषि के राजस्व अथवा उत्पाद पर आश्रित थे। लेकिन समय के साथ भारत में जिस ढंग से अन्य उद्योग लगते गए और सकल घरेलू उत्पाद में उनकी हिस्सेदारी बढ़ती गयी इससे कृषि की हिस्सेदारी का कम होना स्वाभाविक था। लेकिन समानान्तर रूप से सच यह भी है कि समय के साथ–साथ हम अन्य उद्योगों के प्रति ज्यादा आशावान एवं उत्साहित होते गए और कृषि के प्रति उसी अनुपात में उदासीन भी होते गए। कृषि के क्षेत्र में वर्तमान उदासीन स्थिति के लिए कहीं न कहीं उदारीकरण को भी जिम्मेदारी ठहराया जा सकता है। कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत किये बिना अन्य उद्योगों के प्रति हम तेजी से आश्रित हुए और उसी के अनुपात में किसानों का कृषि से मोहभंग होता गया। दरअसल, सच्चाई यही है कि ग्यारह पंचवर्षीय योजनाओं के पड़ावों को पार करने के बावजूद हम कृषि को एक व्यवसाय के तौर पर स्थापित ही नहीं कर पाए हैं। आज कृषि व्यवसाय एक लाभकारी योजना के तौर पर नहीं बल्कि खाद्यान्न की मजबूरी के तौर पर कायम है। यह बड़ा सवाल है कि आखिर इतने सालों में हमारी सरकार कृषि का कोई ऐसा मॉडल क्यों नहीं विकसित कर सकी कि किसानों को कृषि में रोजगार अथवा लाभ का लक्ष्य नजर आए। बहुसंख्यक छोटे किसानों के लिए कृषि की पहचान लाभ निहित कार्य के तौर पर नहीं बल्कि खाद्यान्न के संकट से निजात पाने की मजबूरी के तौर है। कहीं न कहीं यह हमारी नीतिगत असफलता है कि हम अपने बुनियादी आर्थिक आधार को एक आकर्षक मॉडल बना पाने में असफल रहें। आश्चर्यजनक तथ्य है कि इस देश में स्वतंत्र रेल बजट पेश होता है, उस पर एक दिन संसद में चर्चा होती है लेकिन कृषि, जिस पर देश की सत्तर फीसदी आबादी आश्रित है उस पर न कोई स्वतंत्र बजट होता है न ही सदन में नीति–निर्माण पर कोई चर्चा होती है। भारत में कृषि की संभावनाएं एवं इसका आकार इतना वृहद है कि अगर वाकई इसको नीतिगत ढंग से एक व्यापारिक मॉडल के तौर पर

सरकारी स्तर से संचालित किया जाए तो यह किसानों के लिए महज खाद्यान्न जुटाने का साधन नहीं बल्कि एक रोजगारपरक व्यवसाय बनकर उभर सकती है। कृषि से मोहभंग का ही परिणाम है कि गांवों से पलायन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, इसका भी निदान कृषि के व्यवसायीकरण में भी संभव है।

निष्कर्ष –

भारत प्रौद्योगिकी–नीति–संस्थागत फ्रेमवर्क के समीकरण के जरिये खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने में सफल रहा है। परंतु, कृषि के अन्य कार्य, जैसे गैर–कृषि क्षेत्रों को अधिशेष और अग्रिम एवं पश्चवर्ती संपर्क उपलब्ध कराने के लक्ष्य मुख्य रूप से हासिल नहीं किए जा सके हैं। श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से बाहर निकालने और खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए ग्रामीण श्रमिकों के कौशल में सुधार और ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए नीति नवीकरण अनिवार्य है। निवेश और उत्पादन बाजारों एवं प्रौद्यागिकी तक किसानों की बेहतर पहुंच कायम करने के लिए ग्रामीण ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है। आरकेवीवाई और एनएफएसएम जैसे नए कार्यक्रमों के प्रारंभिक नतीजे संतोषजनक दिखते हैं। इन कार्यक्रमों के पूरक के रूप में निजी क्षेत्र को खेती में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अल्पावधि में भोजन तक आर्थिक पहुंच बढ़ाने में लाभदायक है लेकिन आजीविका सुरक्षा के जरिये ग्रामीण आय में सुधार की अधिक स्थिर नीतियां अपनाने की भी आवश्यकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान

डॉ.त्रिवेदी सुलाखे , जिला बालाघाट

कृषि आधारित उद्योग (कृषि उद्योग) की परिभाषा पर्याप्त व्यापक और जटिल है क्योंकि कृषि आधारित उद्योग शुरूआत में खेत में होने वाले उत्पादन के अध्ययन के रूप में हुआ था किन्तु समय के साथ इसका क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है। खेतीबाड़ी का कार्य लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमे तकनीकी, पूंजी व प्रबंध आदि की मात्रा बढ़ने के साथ साथ वैज्ञानिक व तकनीकी का विस्तार होने के साथ साथ ही कृषि आधारित उद्योग में काम करने वालों की संख्या परिवर्तनीय होती जा रही है। वर्तमान में बदलते परिवेश में कृषि आधारित उद्योग की इकाईयों की संख्या भारत में कई गुना बढ़ गयी है।

कृषि मानव सभ्यता के प्राचीनतम उद्यमों में से एक है मानव को सफलतापूर्वक जीवन–यापन (आजीविका चलाने) के लिये अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। इसकी पूर्ति कृषि के द्वारा की जाती है इसी कारण से प्राचीन काल से ही कृषि को महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जाता है। कृषि आज भी अनेक विकसित, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत भी प्राचीनकाल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहां लगभग 60–70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। और राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग कृषि एवं कृषि संबंधित क्रियाओं से प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व आज भी और भविष्य मे भी बना रहेगा।

प्रधान व्यवसाय होने के कारण कृषि भारत जैसे विकासशील देश की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा व प्रमुख स्रोत खाद्य सामग्री, औद्योगिक कच्चा माल रोजगार एवं जीवन यापन का प्रमुख साधन, वाणिज्य एवं विदेशी व्यापार का आधार, विदेशी मुद्रा पूंजी अर्जन, खाद्यान्नों की पूर्ति, सर्वाधिक भूमि का उपयोग, राजस्व में योगदान, पशु पालन, परिवहन व्यवस्था, विभिन्न राजनीतिक स्वायित्व, निर्मित वस्तु के लिये बाजार, कृषि हमारे देश में न केवल जीविकोपार्जन साधन या उद्योग धंधे नहीं अपितु सर्वागीण विकास, आर्थिक विकास का आधार है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, विनियोग, राजस्व, योजनाओं की सफलता आदि भी कृषि व कृषि आधारित उद्योग पर निर्भर है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र घनिष्ठता से कृषि से प्रभावित होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो बढ़ती हुई खाद्य सामग्री की मांग को पूरा करता है। सन् 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में 36.10 करोड़ लोग निवास करते थे जो वर्ष 2001 में बढ़कर 102.70 करोड़, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1210,193.422 करोड़ हो गयी है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या को खाद्यान्न की पूर्ति कृषि के द्वारा ही होती है। सन् 1950–51 में देश में जहां केवल

50.8 मिलियन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। वर्ष 2000–01 में 196.8 मिलियन टन एवं 2008–09 में 229.9 मिलियन टन हो गया । इससे पुष्टि होती है कि खाद्यान्नों की पूर्ति की दृष्टि से कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये विशेष महत्व है। भारत में महत्वपूर्ण उद्योगों को जिसमें सूती वस्त्र, चीनी, जूट उद्योग, वनस्पति आदि कृषि से ही कच्चे पदार्थो की प्राप्ति होती है। अनेक लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी कृषि से ही कच्चे माल की पूर्ति होती है। कपास, जूट, गन्ना, सोयाबीन एवं अन्य तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि होने से इन पर निर्भर उद्योगों का विकास होता है। कच्चे माल आपूर्ति की दृष्टि से भी कृषि महत्वपूर्ण है। रोजगार की दृष्टि से भी कृषि देश की कुल शक्ति का लगभग 52 प्रतिशत भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका कमाता है। निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा अकेला क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में देखें तो भारतीय कृषि का भारत के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग कृषि से ही जुड़ा हुआ है वर्ष 2006–07 में देश के निर्यात में कृषि और संबंधित वस्तुओं का अनुपात 10.3 प्रतिशत था। अप्रैल 2007–08 के दौरान यह घटकर 9.3 प्रतिशत रह गया वर्ष 2006–07 के दौरान कृषिगत आयात देश के कुल आयात का 2.9 प्रतिशत था वर्ष 2007–07 में घटकर 2.2 प्रतिशत रह गया। हमारे देश में कृषि स्वतंत्रता के पूर्व से ही विदेशी विनिमय प्राप्ति का प्रमुख साधन रहा है बहुत लंबे समय तक भारत चाय, पटसन, तम्बाकू, सूती वस्त्र एवं मशीनों आदि का निर्यात करता रहा है और कुल आय का 60 से 70 प्रतिशत भाग इनसे प्राप्त करता रहा है 1960–61 में कुल निर्यातों में कृषि निर्यातों का हिस्सा 44.2 प्रतिशत था गिरते–गिरते 1992–93 में 17.6 प्रतिशत हो गया । सन् 1993 की आयात–निर्यात नीति कृषि निर्यात में वृद्धि लाने के लिये सरकार ने कृषि व संबंध पदार्थो के निर्यातों को बढ़ानें की सम्भावना बताई है। इन कदमों के परिणामस्वरूप कृषि पदार्थो के निर्यात 1992–93 में 9.457 करोड़ रूपये से बढ़कर 1998–99 में 26.164 करोड़ रूपये में हो गये। हमारे देश में सामान्य मूल्य स्तर कृषि उत्पादन से प्रभावित होता है। यदि कृषि जन्य पदार्थो जैसे अनाज, चीनी, गुड, तिलहन, आदि के मूल्य बढ़ जाते है। सामान्य मूल्य स्तर भी बढ़ जाता है। सामान्य मूल्य स्तर पर कृषि का प्रभाव इसलिये भी पड़ता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांको व जीवन निर्वाह सूचकांको में कृषि पदार्थो का भार 41 प्रतिशत से भी अधिक है। कृषि सरकारी आय का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है राज्य सरकारों को सिंचाई कर लगान, मण्डीकर आदि करों के रूप कृषि पर आधारित उद्योगों के अभाव केन्द्र व राज्य बजट गड़बड़ा जाता है और जो राजनैतिक परिवर्तन करता है। भारत में 45 करोड़ से भी अधिक पशु है। फलतः दुग्ध व्यवसाय के साथ–साथ पशुओं की खाल, मांस, हड्डी उन आदि का भी व्यवसाय होता है पशुपालन व डेयरी उद्योग कृषि के विकास पर निर्भर करता है भारतीय कृषि स्वयं पशुधन के विकास से जुड़ी है। पशुधन का विकास कृषि से प्राप्त चारे व अन्य सामाग्रियों पर निर्भर है यदि देश के कृषि व कृषि आधारित उद्योगों का विकास होगा तो पशु व डेयरी उद्योग का विकास होगा इससे लोगो को आय व रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होगें। कृषि उत्पादन में वृद्धि से ही संपूर्ण

अर्थव्यवस्था में सम्पन्नता आती है कृषकों की आय में वृद्धि से औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है और संपूर्ण बाजार का विस्तार होता है, टेलीविजन, साबुन, पाउडर से लेकर ट्रेक्टर, जीप, मोटर साईकिल, का मुख्य बाजार ग्रामीण क्षेत्रों में होता है और इसकी मांग कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है तथा रासायनिक उर्वरक उद्योग,कीटनाशक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, ट्रैक्टर आदि की मांग कृषि विकास पर निर्भर करती है अतः कृषि निर्मित वस्तुओं के लिये बाजार तैयार करता है। कृषि आधारित वस्तुओं को बाजार तक लाने तथा बाजारों से कृषि उपकरण आदि खेतों तक पहुंचाने के लिये देश में यातायात के साधनों का काफी विकास हुआ है। विभिन्न कृषि उपज मंडियों, व्यापारिक मंडियों तथा औद्योगिक केन्द्रों के विकास से भी यातायात के साधन विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विनियोजित पूंजी की दृष्टि से भी भारत में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। देश की पूंजी का बड़ा भाग कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। स्थायी पूंजी की दृष्टि से कृषि जोतों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त देश की करोड़ों रूपयें की पूंजी खेतीबाड़ी के औजारों, सिंचाई के साधनों आदि के रूप में लगी हुई है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान काफी अधिक है। किन्तु यह धीरे–धीरे कम होता जा रहा है। सन् 1950–51 में यह 55:40 प्रतिशत था जो 2009–10 में औसत आधार पर घटकर 14.6 प्रतिशत रह गया। अध्ययन से पता चलता है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है कृषि क्षेत्र का लाभ घटता जाता है क्योंकि कृषि में मंहगी तकनीक का उपयोग है जिससे उत्पादन तो बढ़ता है किन्तु समर्थन मूल्य में लागत के अनुपात में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती है। इसी कारण कृषि क्षेत्र उतना अधिक लाभकारी नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। अध्ययन से यह भी सिद्ध होता है कि जैसे जैसे कोई देश विकास करता है उसकी कृषि पर निर्भरता कम होती जाती है। भारत एक विकासशील देश है इस कारण यहां कृषि पर निर्भरता बहुत अधिक है वैसे तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक संरचनात्मक एवं संस्थागत परिवर्तन हुये है भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई है फिर भी यह कृषि पर ही निर्भर है। कृषि की भूमिका विकास की प्रारंभिक अवस्था में तो ठीक होती है परंतु जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे कृषि की भूमिका में भी परिवर्तन आ जाता है जैसे जैसे द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का विकास होता है तो कृषि का महत्व कम होता जाता है और कृषि क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र एक दूसरे के सहायक हो जाते है। कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में भागीदारी (हिस्सा) कम होता जाता है परंतु कृषि की अन्य क्षेत्रों पर निर्भरता बढ़ जाती है अतः कृषि आधारित उद्योग की स्थापना आवश्यक हो जाती है।

खेती को फायदे का धंधा बनाना होगा

एक सर्वेक्षण में यह स्थिति सामने आई है कि यदि कृषकों को जैविक कृषि पद्धति के माध्यम से कोई अन्य आय का स्त्रोत मिल जाए तो 40 प्रतिशत तक कृषक खेती को अलविदा कहना चाहेंगे। यह विचारणीय है कि आखिर खेती की यह स्थिति किन कारणों से निर्मित हुई। बढ़ती लागत, मानसून की अनिश्चितता, मौसम में बदलाव, सिंचाई सुविधाओं की कमी, बिजली की कमी, खेती में लगातार बढ़ता हुआ मशीनीकरण। समस्याओं का यदि समाधान हो जाता है तो खेती को निश्चित रूप से लाभ का धंधा बनाया जा सकता है। इसी के साथ उल्लेखनीय है कि वर्तमान औद्योगिक खेती अंतर्गत कृषक जो भी आमदनी प्राप्त करता है, उसका 60 प्रतिशत वापस व्यापारियों के पास चला जाता है तथा कृषक उत्पादक के पास केवल 40 प्रतिशत बचता है। अतः आवश्यक है कि कृषक को उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए स्वावलम्बी बनाया जावे।

बीज कृषक बीज के महत्व से भली भांति परिचित है, इसलिये फसल के दौरान निगरानी कर प्रारंभ से ही स्वस्थ एवं संपुष्ट पौधों का चयन कर उनकी देखरेख करता है। पकने पर उनकी ग्रेडिंग, पेंकिंग कर रख लेता है। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि उन्नत, स्वस्थ एवं शुद्ध बीज के उपयोग मात्र से फसलों का उत्पादन 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त बीज प्रायः महंगे होते हैं साथ ही उनके अमानक होने की शिकायतें बनी रहती है, इन दोनों ही कमियों से बचने के लिए कृषक को बीज के मामले में स्वावलम्बी होना आवश्यक है। इसके फलस्वरूप कम व्यय पर कृषक उच्च कोटि के बीज स्वयं एवं अपने साथी किसानों के लिए तैयार कर सकेगा। वर्तमान में अनुसंधान केन्द्रों द्वारा बड़ी मात्रा में ब्रीडर बीज तैयार किए जा रहे हैं, इनमें से कुछ ब्रीडर बीज कृषकों को भी सीधे उपलब्ध है। इसी के साथ बीज निगम, बीज सोसायटीज एवं निजी संस्थाओं के द्वारा ब्रीडर से आधार बीज बड़ी मात्रा में तैयार किये जा रहे हैं, जो कृषकों को विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध कराए जा सकते है। संस्थाओं की जिम्मेदारी ब्रीडर एवं आधार बीज उत्पादन तक सीमित कर प्रमाणित बीज उत्पादन का कार्य कृषकों को देना एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा, जिससे कृषकों के लिए प्रमाणित स्तर के बीज कम लागत पर लगातार उत्पादित कर सकेंगे। शासन की सूरज धारा एवं अन्नपूर्णा का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को उपलब्ध कराने से कृ षकों को आधार बीज उचित कीमत पर उपलब्ध हो सकेगा।

अमानक पौध संरक्षण औषधि एवं उचित वैज्ञानिक पद्धति न अपनाने के फलस्वरूप कीट नियंत्रण भी समुचित नहीं हो पाता है। अतः कृषकों को कीटनाशकों के दुष्चक्र ये निकलना होगा, हमारे चारों तरफ कई प्रकार की वनस्पति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती हैं, इनमें कीट प्रकोप को नियंत्रित करने अद्भोत क्षमता रहती है। विशेष रूप से नीम, अकऊआ, तम्बाकू आदि कुछ ऐसे पौधे है जिनकी पत्तियों के

अर्क का उपयोग भी पौध संरक्षण में विशेष महत्व रखता है। प्रकृति में कई प्रकार के मित्र कीट पाए जाते हैं, इन्हें बढ़ावा देकर विनाशकारी कीटों को नष्ट किया जा सकता है। पौध संरक्षण के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन को अपनाना होगा। परम्परागत विधियों को अपनाने से कृषक खर्चीले रासायनिक पौध संरक्षण दवाइयों के दुष्चक्र से बाहर आ सकेगा एवं पर्यावरण सुधार में भी सहयोगी बन सकेगा।

सफल फसल उत्पादन के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। अधिकतर तथ्यों की पूर्ति रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से की जा रही है। कृषक आर्थिक रूप से कमजोर होने के फलस्वरूप समुचित उर्वरक का उपयोग नहीं कर पाने के कारण अपेक्षित उत्पादन भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

सरकार द्वारा उर्वरकों पर उनके उत्पादन मूल्यों की तुलना में अत्यधिक अनुदान दिया जा रहा है, जिस दिन भारत सरकार यह अनुदान कम या समाप्त कर देगी उसी दिन इसका उपयोग कृषक की क्षमता के बाहर हो जायेगा। अतः तत्वों की पूर्ति के लिए स्वावलंबी बनाने की दिशा में बड़े पैमाने पर जैविक खाद उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया जाना होगा। हरी खाद, नाडेप कम्पोस्ट, वमीकम्पोस्ट, राक फास्फेट, माइका के लिए शासकीय सहायता बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराई जाना होगी। इसके फलस्वरूप ग्रामों मे स्वच्छता भी रहेगी तथा गांवों को निर्मल ग्राम बनाने में सहयोग होगा।

मनरेगा से गरीब एवं पिछड़े लोगो का आर्थिक विकास

दयाशंकर श्रीवास्तव . शोधार्थी.

केन्द्र सरकार के द्वारा अगस्त 2005 में लोकसभा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट पारित किया गया। 5 सितम्बर 2005 को ये लागू हुआ। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) जो 2005 में केन्द्र सरकार के द्वारा एक्ट बनाया गया। यह अधिनियम जम्मू–कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप 2 फरवरी 2006 से ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, भारत में लागू की गई है। जिसमें 100 दिन का ग्रामीणों को रोजगार देने का प्रावधान रखा गया। एक्ट में 33 प्रतिशत कार्य महिलाओं को देने को कहा गया, अगर 15 दिन के भीतर कार्य माँगने पर नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान रखा गया।भारत सरकार के द्वारा आजादी के बाद से ही भारत में गरीबी दूर करने के लिये अनेक कार्यक्रम बनाये गये। समाज के गरीब लोगो की गरीबी दूर करने के लिये अनेक आजीविका कार्यक्रम चलायें गये एवं भूमि सुधार, खाद्यान, परिसम्पत्ति का निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य अनेक कार्यक्रम गरीब लोगों के लिये चलाये गये, फिर भी गाँव की गरीबी दूर नहीं हुई। अभी भी भारत में तीस करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते है। उनको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं रोजगार नहीं मिल पाता। भारत सरकार के द्वारा दो प्रमुख कार्यक्रम चलाये जा रहे है :– महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), एवं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाय.) जिसका उद्‌देश्य लोगों को काम का अधिकार एवं गरीब एवं पिछड़े लोगो का आर्थिक विकास करना। केन्द्र सरकार के द्वारा 2005 में एन.आर.ई.जी.ए. सितम्बर माह में एक्ट बनाया गया। ग्रामीण बेरोजगारी भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले से किया पहले चरण में वर्ष 2006–07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुनिंदा जिलो में इस योजना का कार्यान्वयन किया गया था। इसमें सर्वाधिक 23 जिले बिहार के सम्मिलित थे। जबकि गोआ के 2 जिलो में ऐसा कोई भी जिला इसमें‘ शामिल नहीं था पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए चयनित 200 जिलों में वह 150 जिलों को शामिल थे। जहां काम के बदले रोजगार (Food for work) कार्यक्रम पहले से चल रहा था। काम के बदले अनाज योजना व सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय अब इस नई योजना में कर दिया गया हैं।

1 अप्रैल 2008 से इस योजना के दूसरे चरण का विस्तार 130 अन्य जिलों मे किया गया है। 1 अप्रैल 2008 में मनरेगा को 34 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी 614 जिलो, 6096 विकासखण्डों और 2.65 लाख ग्राम पंचायतों में विस्तारिकृत किया गया। अप्रैल 2008 में भारत के सभी जिलो में लागू

कर दी गई है। जिससे 2007–08 के दौरान यह कार्यक्रम 330 जिलो में लागू था इसके लिए 2008–09 के बजट में 16000 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया था, जबकि 2009–10 के बजट में इसके तहत् 39100 करोड़ रू. की राशि आबंटित की गई है। इस योजना के तहत् चयनित जिलो में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। प्रत्येक परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है तथा इसके विभाजन परिवार के वयस्क के बीच किया जा सकता है, राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए लागू वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान इसके लिए किया जाता है जो 60 रूपए से कम नही होगी वर्ष 2009–10 के बजट में वास्तविक मजदूरी दर को बढ़ाकर 100 रू. प्रतिदिन कर दिया गया है। योजना के तहत् 33 प्रतिशत लाभ भोगी महिलाएं होगी। रोजगार के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति द्वारा पंजीकरण कराने के 15 दिन के भीतर रोजगार न दिए जाने पर निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा प्रदान किया जाने का प्रावधान है, यह योजना रोजगार के अन्य कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग है क्योंकि यह मात्र एक योजना नहीं बल्कि एक कानून है जो रोजगार की कानूनन गारंटी प्रदान की गई है। अतः तदानुरूप आवश्यकतानुसार अधिक राशि भी इस कार्यक्रम के तहत् उपलब्ध कराई जा सकती है वर्ष 2008–09 के दौरान मनरेगा के तहत् 4.47 करोड़ परिवारों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए जबकि 2007–08 के दौरान 3.39 करोड़ परिवारों को ही इसके तहत् लाया जा सका था। इस अविधि के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए थे और कुल सृजित व्यक्ति दिवस रोजगार का 48 प्रतिशत महिलाओं के लिए था। एन. आर.ई.जी.ए. के पूर्व एस.जी.एस.वाय., आई.आर.डी.पी., ट्रायसेम, डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए., एस.आई.टी.आर.ए., जी. के.वाय., एम.डब्ल्यू.एस. आदि योजनाओं के द्वारा भी ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 देश के 200 जिलो में फेस 1 में लागू हुआ। 2006–07 में 130 जिले और जुड़ गये। फेस 2, 2006–07 में कुल राशि 12073.56 करोड़ में से 8823.36 करोड़ राज्यों के द्वारा खर्च की गई। 2006–07 में 44.12 करोड़ प्रत्येक जिले ने औसत राशि को खर्च किया। 2007–08 में सरकार ने बजट में 12000 करोड़ मनरेगा को दिये। जिसमें कि 8303.82 करोड़ 14 नवम्बर 2007 को रिलीज किये गये। जिसमें 5365.99 करोड़ 1 फेस के 200 जिलो को दिये गये एवं 2937.92 करोड़ 2 फेस के 131 जिले को दिये गये।

वर्ष 2006–07 में 2.12 करोड़ परिवारों के द्वारा रोजगार की माँग की गई, जिसमें 2.10 परिवारों को काम दिया गया। 90.51 करोड़ लोगों को रोजगार मनरेगा से प्राप्त हुआ। जिसमें औसतम 45.2 लाख लोगो को हर जिले में रोजगार प्राप्त हुआ। कुल 90.51 करोड़ मानव दिवस में से अनुसूचित जाति को 22.95 करोड़ मानव दिवस (25.36 प्रतिशत्) एवं अनुसूचित जनजाति 32.99 (36.45 प्रतिशत) लोगों के द्वारा 55.

94 करोड़ मानव दिवस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो लगभग 62 प्रतिशत था। 1.97 करोड़ परिवारों के द्वारा रोजगार की माँग की गई। जिसमें 1.88 करोड़ परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ। कुल 56. 14 करोड़ मानव दिवस हुये। जिसमें कि अनुसूचित जाति 14.70 करोड़ मानव दिवस (26.18 प्रतिशत) एवं अनुसूचित जनजाति 18.44 करोड़ मानव दिवस (32.84 प्रतिशत) जो कि कुल 33.14 करोड़ मानव दिवस है। जो कुल 59.03 कुल प्रतिशत है। इसमें महिलाओं की भागीदारी 26.61 करोड़ मानव दिवस जो लगभग 47. 40 प्रतिशत है।

कृषि की प्रधानता एवं कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव

डॉ सुभाष पाण्डें , जिला जबलपुर

भारत में भूमि श्रम अनुपात अनुकूल नहीं है, प्रति व्यक्ति भूमि बहुत कम है, अन्य शब्दों में प्रति हेक्टेयर व्यक्तियों की संख्या अधिक है, **भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52 प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है।** 2012–13 के ऑकड़ों के अनुसार चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14.1 प्रतिशत भाग कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र से प्राप्त होता था, वर्ष 2011–12 के लिए यह 14.1 प्रतिशत अनुमानित किया गया।

जनाधिक्य की स्थिति :– भारत में जनाधिक्य की स्थिति पाई जाती है, प्रत्येक दशक में यहां जनसंख्या में लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 2001–11 के दशक में जनसंख्या में 17.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई जनसंख्या वृद्धि की दर इतनी ऊंची होने से जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 1.76 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। 1 मार्च, 2011 को भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गई थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5 प्रतिशत है, जबकि भारत के पास विश्व के कुल भूमि क्षेत्रफल का केवल 2.42 प्रतिशत क्षेत्र ही है।

असंतुलित आर्थिक विकास :–अभी भारतीय अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास नहीं हुआ है, 2011–12 के आंकड़ों के अनुसार देश की श्रमशक्ति का लगभग 52 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है।

अत्यधिक दरिद्रता :– भारत में अभी भी गांवों व शहरों में करोड़ों व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे जीवनयापन करते है, योजना आयोग की संशोधित विधि के अनुसार वर्ष 1999–2000 में 26 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे रह रही थी। योजना आयोग के अनुसार 2009–10में यह अनुपात घटकर 29.8 प्रतिशत था।

पूंजी का अभाव :–राष्ट्रीय आय कम होने तथा इसका बड़ा भाग उपभोग व्यय हो जाने से बचत कम हो पाती है, यद्यपि सकल घरेलू बचतें जो 1999–2000 में चालू बाजार मूल्यों पर GDP का 24.9 प्रतिशत थी, 2011–12 में GDP का 30.8 प्रतिशत हो गई, इसी प्रकार GDP के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर 1999–2000 में 26 प्रतिशत थी, जो 2011–12 में 35.0 प्रतिशत हो गई।

औद्योगीकरण का अभाव :– भारत में आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के उद्योगों का अभाव है आधारभूत उद्योगों के अभाव में अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार नहीं हो पाती है, औद्योगिक क्षेत्र (खनन, विनिर्माण तथा बिजली उत्पादन को सम्मिलित करते हुए) की औसत वार्षिक वृद्धि दर नौवीं योजना काल में 4.5 प्रतिशत थी, जोकि लक्षित 8.7 प्रतिशत से कम थी। आठवीं योजना में यह 8 प्रतिशत थी, 2007–08 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 15.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, जबकि वर्ष 2009–10 के अनुमानों के अनुसार यह दर 5.3 प्रतिशत थी, 2012–13 की तीसरी तिमाही के अनुमानों में यह 2.8 प्रतिशत हो गई।

आर्थिक कुचक्रों का जोर :– यह कहा जाता है कि भारत एक गरीब देश इसलिए है, क्योंकि वह गरीब हैं वास्तव में एक पिछड़ें हुए देश की आर्थिक परिस्थिति का यह एक सही ंचित्र है। देश में अनेक आर्थिक कुचक्र चलते रहते है, जिन्हें तोड़ना अत्यंत कठिन होता है।

बाजार की अपूर्णताएं :– भारत में बाजार की अनेक अपूर्णताएं एवं कमियां भी देखने को मिलती है, जैसे–उत्पादन के साधन, विशेषकर श्रमिक, एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में अनेक कारणों से गतिशील नहीं हो पाते हैं आर्थिक क्रियाओं में विशिष्टीकरण की कमी पाई जाती है, इससे साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो पाता है।

राष्ट्रीय कृषक आयोग एवं नई राष्ट्रीय कृषि नीति

सुशील कुमार सिंह .शोधार्थी. जिला जबलपुर

किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कार्य योजना का सुझाव देने के लिए वर्ष 2004 में डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय कृषक आयोग ने दिसम्बर 2004, अगस्त 2005, अप्रैल 2006 तथा अक्टूबर 2006 में अपनी पांच अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थीं।

चौथी रिपोर्ट केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 13 अप्रैल, 2006 को प्रस्तुत की थी जिसमें किसानों के लिए एक विस्तृत नीति के निर्धारण की संस्तुति की गई है इसमें कहा गया है कि सरकार को सभी कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को, विशेषतः वर्षाधारित कृषि वाले क्षेत्रों में के न्यूनतम समर्थन मूल्य उचित समय पर प्राप्त हो सकें, कृषिगत उपजों के मूल्यों में होने वाले उतार–चढ़ावों से किसानों की सुरक्षा के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों साथ–साथ वित्तीय संस्थानों द्वारा नियंत्रित मार्केट रिस्क स्टेबलाइजेशन फण्ड के गठन को आयोग ने कहा है इसी के साथ सूखे एवं वर्षा संबंधी आपदाओं से किसानों की सुरक्षा के लिए एग्रीकल्चर रिस्क फण्ड की स्थापना की संस्तुति भी आयोग ने की है,

संक्षेप में नई कृषि नीति के लिए निम्न बातों पर जोर दिया गया है : –

1. सभी कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य,
2. मूल्यों में उतार चढ़ाव से किसानों की सुरक्षा हेतु मार्केट रिस्क स्टेबलाइजेशन फण्ड का सुझाव,
3. सूखे एवं वर्षा संबंधी जोखिमों से बचाव हेतु एग्रीकल्चर रिस्क फण्ड का सुझाव,
4. सभी राज्यों में राज्यस्तरीय किसान आयोग के गठन का सुझाव
5. किसानों के लिए बीमा योजनाओं का विस्तार
6. कृषि संबंधी मामलों में स्थानीय पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि
7. राज्य सरकारों द्वारा कृषि हेतु अधिक संसाधनों के आवंटन की संस्तुति,
8. केन्द्र एवं राज्यों में कृषि मंत्रालयों का नाम बदलकर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय करने का सुझाव।

कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना

आयात निर्यात नीति 2001–02 में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के तहत् सात राज्यों में आठ नए कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना को मंजूरी केन्द्र सरकार ने प्रदान की थी, कृषि मंत्रालय द्वारा संसद में 15 दिसम्बर , 2003 को दी गई जानकारी के अनुसार देश के 19 राज्यों में कृषि निर्यात क्षेत्रों की कुल संख्या 46 हो गई है कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि कृषि निर्यात क्षेत्रो के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को कुल 82 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 46 को अनुमति प्रदान की जा चुकी है, ज्ञातव्य है कि कृषि निर्यात क्षेत्रों के मामले में 'एपेडा' केन्द्र सरकार की शीर्ष एजेन्सी है। स्थापित किए जाने वाले कृषि निर्यात क्षेत्र है :–

1. आलू (उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, प. बंगाल, तमिलनाडु)
2. आम (आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र)
3. लीची (उत्तराखंड, पं. बंगाल, बिहार)
4. अनन्नास (पं. बंगाल, त्रिपुरा)
5. खीरा (कर्नाटक)
6. सेब
7. अखरोट
8. पुष्प (तमिलनाडु, कर्नाटक)
9. सब्जियां (पंजाब, बिहार)
10. अंगुर एवं अंगुर की शराब (महाराष्ट्र)
11. प्याज, लहसुन (मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र)
12. बासमती चावल (पंजाब, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश)
13. मसाले (मध्यप्रदेश)
14. गेहूं (मध्यप्रदेश)
15. बागवानी उत्पाद (केरल)
16. औषधीय एवं सुगन्धित पौधे (उत्तराखंड)

पांचवी आर्थिक गणना – 2005: प्रमुख आंकड़ें एक दृष्टि में

देश में कुल उद्यमों की संख्या	4.212 करोड़
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम	2.581 करोड़ (61.3 प्रतिशत)
शहरी क्षेत्रों में उद्यम	1.631 करोड़ (38.7 प्रतिशत)
कृषि से संबंधित कार्य में संलग्न उद्यमों का प्रतिशत	15 प्रतिशत
गैर–कृषि संबंधी कार्यो में संलग्न उद्यमों का प्रतिशत	85 प्रतिशत
10 या अधिक कामगारों वाले उद्यमों की संख्या	5.83 लाख (कुल उद्यमों का 1.4 प्रतिशत)
1998–2005 के दौरान उद्यमों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि	4.80 प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्रों में	5.53 प्रतिशत
शहरी क्षेत्रों में	3.71 प्रतिशत
उद्यमों की संख्या में 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक वृद्धि प्राप्त करने वाले राज्य	केरल, तमिलनाडु, मिजोरम व त्रिपुरा
1998–2005 की अवधि में रोजगार में औसत वार्षिक वृद्धि	2.49 प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्र में	3.33 प्रतिशत
शहरी क्षेत्र में	1.68 प्रतिशत

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

बलराम सेन . शोधार्थी. जिला जबलपुर

भारत सरकार ने 1956 में संसद में एक अधिनियम पास करके खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग **(KVIC)** की स्थापना की। विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की यह एक महत्वपूर्ण संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रति व्यक्ति विनियोग के साथ गैर–कृषि क्षेत्र में रोजगार अवसरों का सृजन करती है, **(KVIC)** की स्थापना निम्नांकित उद्देश्य के साथ की गई –

1. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने का सामाजिक दायित्व,
2. विक्रय योग्य वस्तुओं को उत्पादित करने का आर्थिक दायित्व,
3. ग्रामीण व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने एवं एक सुदृढ़ ग्रामीण सामुदायिक भावना उत्पन्न करने का एक विस्तृत दायित्व।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए (KVIC) खादी एवं ग्राम उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों को बनाता है एवं उनके क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता प्रदान करता है, इस दायित्व को पूरा करने के लिए (KVIC) निम्नांकित कार्य सम्पादित करता है –

1. अर्ह संस्थाओं एवं उद्यमियों को वित्त सुविधाएं देना।
2. खादी एवं ग्राम उद्योगों में कार्यरत् एवं रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।
3- खादी एवं ग्राम उद्योग क्षेत्र में शोध एवं (R&D) विकास को प्रोत्साहित करना।
4- खादी एवं ग्राम उद्योग वस्तुओं की बिक्री एवं विपणन के लिए आकर्षक योजनाएं लागू करना।

(KVIC) के उपर्युक्त कार्य कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सम्पादित किए जाते है।

(KVIC) अधिनियम में 1987 के संशोधन के परिणामस्वरूप ग्रामीण उद्योगों को सात बृहद वर्गो में वर्गीकृत किया गया है –

1. खनिज आधारित उद्योग
2. वन आधारित उद्योग
3. कृषि आधारित एवं खाद्य उद्योग
4. पॉलीमार एवं रसायन आधारित उद्योग
5. इंजीनियरिंग एवं गैर–परम्परागत ऊर्जा से संबंधित उद्योग
6. खादी को छोड़कर टेक्सटाइल उद्योग
7. सेवा क्रियाएं

KVIC की प्रगति :–

1955–56 में केवल दो राज्य खादी एवं ग्रामोद्यो बोर्ड, 242 पंजीकृत संस्थाएं एवं 60 सहकारी समितियां KVIC के क्षेत्र में कार्यरत् थी यह संस्था वर्तमान में एक ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी है। 2010 के अंत में देश में 36 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड एवं 2.70 लाख गांव KVIC के छाते के नीचे लाए जा चुके थे उत्पादन की दृष्टि से भी खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हुई है। 1955–56 में जहां इस क्षेत्र का उत्पादन 16.67 करोड़ (खादी 5.54 करोड़ एवं ग्रामीण उद्योग 10.93 करोड़) के स्तर पर था वह 2006–07 के अंत में बढ़कर 14,531.69 करोड़ (खादी 465.26 करोड़ एवं ग्राम उद्योग 11,951.14 करोड़) हो गया। इसी प्रकार इस अवधि में रोजगार स्तर 9.64 लाख व्यक्ति (खादी 6.57 लाख व्यक्ति एवं ग्रामोद्योग 3.07 लाख व्यक्ति) से बढ़कर 2006–07 के अंत में 88.52 लाख व्यक्ति (खादी 8.83 लाख व्यक्ति एवं ग्रामोद्योग 79.67 लाख व्यक्ति) हो गया।

KVIC ने वर्ष 2001–02 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य को पोषित करने वाले अनेक विकासपरक कार्यक्रमों को गति देने के लिए श्रृंखलाबद्ध नीतिगत निर्णय लिए है, जिनमें प्रमुख है :–

1. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) के के क्षेत्र का विस्तार किया गया और व्यक्तिगत/उद्यमी के लिए परियोजना की लागत सीमा 10 लाख से बढ़कर 25 लाख की गई और साथ ही चयनित 10 राज्यों में

स्वयं सहायता से REGP योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। नीतिगत निर्णय के अंतर्गत REGP योजना को विकेन्द्रकृत रूप में लागू करने का निर्णय किया गया।

2. खादी के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित खादी के पैकेज को लागू किया जाना स्वीकृत किया गया और साथ ही खादी के दस्तकारों के लाभार्थ, बीमा एजेन्सियों के साथ जनश्री आरोग्य बीमा योजना लागू किया जाना अनुमोदित किया गया।

3. ग्रामोद्योग की वस्तुओ को बेहतर विपणन तंत्र उपलब्ध कराने के लिए सर्वोदय ब्राण्ड को अपनाया गया और यह नाम नहाने के साबुन, शहद, अगरबत्ती एवं अचार आदि उत्पादों को विशेष रूप से दिया गया।

ग्रामीण विकास मं बैंक कि भूमिका

विमल कुमार कोशले , शोधार्थी. जिला जबलपुर

यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध करने वाली शीर्ष संस्था है।राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना 12 जुलाई, 1982 को की गई थीं। नाबार्ड की चुकता पूंजी 100 करोड़ में भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक का बराबर (50:50) का योगदान था। वर्ष 1996–97 में इसे बढ़ाकर 1,000 करोड़ कर दिया था जिसमें RBI का योगदान 800 करोड़ तथा केन्द्र सरकार का 200 करोड़ था। 31 मार्च, 2010 को नाबार्ड की 2,000 करोड़ की चुकता पूंजी थी जिसमें 72.5 प्रतिशत हिस्सेदारी RBI की थी। RBI ने NABARD ईक्विटी में अपनी लगभग सारी हिस्सेदारी सरकार को अक्टूबर 2010 में बेच दी थी। 13 अक्टूबर, 2010 को किए गए ईक्विटी हस्तान्तरण के तहत् RBI ने NABARD की केवल 1 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखी है। अतः अब नाबार्ड की ईक्विटी में केन्द्र सरकार व RBI की हिस्सेदारी क्रमशः 99 प्रतिशत व 1 प्रतिशत रह गई है। कृषि ऋणों को बढ़ावा देने के लिए 'नाबार्ड' की चुकता पूंजी में चरणबद्ध तरीके से 3,000 करोड़ की वृद्धि की घोषणा 2011–12 के बजट प्रस्तावों के अंतर्गत सरकार द्वाराकी गई थी। अतः NABARD की पूंजी बढ़कर 5,000 करोड़ हो गई।

पुनः NABARD की अधिकृत पूंजी में वृद्धि की सरकार की योजना है बैंक की कुल अधिकृत पूंजी वर्तमान में 5,000 करोड़ है। जिसे बढ़ाकर 20,000 करोड़ करने का फैसला केन्द्रीय मंत्रिमंडल की 7 फरवरी 2013 की बैठक में किया गया है। इसके लिए नाबार्ड एक्ट में संशोधन किया जाएगा। अधिकृत पूंजी में वृद्धि से नाबार्ड द्वारा अपेक्षाकृत अधिक संसाधन बाजार से जुटाए जा सकेंगे तथा इसकी ऋण उपलब्ध कराने की क्षमता में भी वृद्धि होगी।

ज्ञातव्य है कि नाबार्ड की कुल चुकता पूंजी वर्तमान में 3,500 करोड़ है। इसमें 99 प्रतिशत से भी अधिक योगदान केन्द्र सरकार का है तथा शेष एक प्रतिशत से कम हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक की है।

नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं (राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) को पुनर्वित सुविधाएं प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती हैं। अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेन्सियों से

राशियां प्राप्त करता है। यह केन्द्र सरकार की गारंटी प्राप्त बॉण्ड तथा ऋणपत्र जारी करके भी संसाधन जुटा सकता है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय ग्रामीण साख (स्थिरीकरण) निधि के संसाधनों का भी प्रयोग करता है। 1 अप्रैल , 995 से नाबार्ड के तहत् एक नई ग्रामीण आधारिक संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना की गई। इस कोष के लिए उन बैंकों से अंशदान स्वीकार किया गया था जो प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) को लक्ष्य के अनुरूप साख उपलब्ध नहीं करा सके थे। RIDF बजट के दौरान वार्षिक रूप से घोषित की जाने वाली धनराशि के साथ वर्षानुवर्ष जारी रहा है। 2007–08 तक 13 श्रृखलाएं पूरी की जा चुकी है। इस प्रकार RIDF-I से RIDF-XIII तक का कुल कॉपर्स 72,000 करोड़ (भारत निर्माण के लिए आवंटित 8000 करोड़ को छोड़कर) हो गया है। RIDF के 11 जनवरी, 2008 तक स्वीकृत तथा वितरित ऋण की राशि क्रमशः 69,883 करोड़ तथा 41,360 करोड़ रही थी। वर्ष 2007–08 के बजट प्रस्तावों में RIDF के लिए 12,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। 2008–09 के बजट में ग्रामीण सड़कों के लिए अलग विंडो के साथ ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF-XIV) को बढ़ाकर 14,000 करोड़ आवंटित किए गए थे। वर्ष 2009–10 अंतरिम बजट में RIDF-XV के तहत् 14,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। वर्ष 2010–11 के बजट में RIDF-XVI के तहत् 16,000 करोड़ तथा 2011–12 के बजट में RIDF-XVII के तहत् 18,000 करोड़ आवंटित किए गए थे। 2012–13 के बजट में RIDF-XVIII के तहत् 20,000 करोड़ आवंटित किए गए थे जबकि 2013–14 के बजट में RIDF-XIX के तहत्भी 20,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

वर्ष 2011–12 के दौरान इस संस्था ने 86,231 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए तथा 79,331 करोड़ के ऋण संवितरित किए।

भूमि विकास बैंक :–

इन्हें भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है, किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई है ये बैंक किसानों को भूमि खरीदनें, भूमि पर स्थायी सुधार करने अथवा पुराने ऋणों का भुगतान करने आदि के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करते है। इन बैंको का ढांचा दो स्तर वाला है राज्य स्तर पर केन्द्रीय भूमि विकास बैंक तथा जिला अथवा तालुक स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंको की स्थापना की गई है। कुछ राज्यों में, जैसे– जम्मू–कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में यह ढांचा ऐकिक है, अर्थात् वहां पर शीर्षस्थ भूमि विकास बैंक है, जो जिला स्तर पर स्वयं अपनी शाखाओं द्वारा सीधे ही अपनी गतिविधियां सम्पन्न करते है।भारत में भूमि बंधक बैंकों अथवा भूमि विकास बैंकों का वास्तविक प्रारंभ मद्रास में हुआ, जबकि इस राज्य ने अपने राज्य के प्राथमिक बैंकों को समन्वित

करने के लिए 1929 में केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक की स्थापना की । इसके बाद देश के अनेक राज्यों में इनकी स्थापना की गई।देश मे भूमि विकास बैंकों की पूंजी के मुख्य स्रोत है– 1. अंश पूंजी,2. सुरक्षित कोष, 3. जमा राशि, 4. ऋण पात्र, तथा 5. ऋण । इनमें से ऋणपात्र सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ऋणपात्रों से ही केन्द्रीय भूमि विकास बैंक अपनी अधिकांश कार्यशील पूंजी एकत्रित करते है। इन बैंकों के ऋणपात्रों में मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, जीवन बीमा निगम तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारें निवेश करती है। यह ऋणपत्र दीर्घकालीन अवधि (25 वर्ष तक) के होते है।

भूमि विकास बैंक किसानों की अचल संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान करते हैं, साधारणतया प्रतिभूति के मूल्य का 50 प्रतिशत ऋण दिया जाता है।

देश की राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय

Ravi Burman, RDVV, Jabalpur

वित्तीय वर्ष 2012–13 में देश की राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय संबंधी अग्रिम अनुमान सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 7 फरवरी, 2013 को जारी किए गए थे (यह आंकड़ें प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल 2013 अंक के पृष्ठ 1398–1399 पर प्रकाशित किए गए थे) इससे पूर्व 2011–12 की राष्ट्रीय आय के संबंध में अपने पहले संशोधित अनुमान सीएसओ ने 31 जनवरी, 2013 को जारी किए थे 2012–13 में कृषिगत उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी हो जाने तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तथा बैकिंग क्षेत्र के ताजा आंकड़ें आने के पश्चात् 2012–13 में राष्ट्रीय आय के 7 फरवरी 2013 के अपने आंकड़ों में सीएसओ ने संशोधन किया है तथा ये संशोधित आंकड़ें 31 मई, 2013 को जारी किए गए है।

ताजा संशोधित आंकड़ों में 2012–13 में देश का सकल घरेलू उत्पाद (2004–05 के स्थिर मूल्यों पर) 55,05,437 करोड़ रूपये आकलित किया गया है जो 7 फरवरी, 2013 के अग्रिम आकलन में 55,03,476 करोड़ रूपये आकलित था। 2011–12 में यह 52,43,582 करोड़ रूपये रहने का सीएसओ का 31 जनवरी, 2013 का पहला संशोधित अनुमान था, जीडीपी आंकड़ों में संशोधन के पश्चात् भी 2012–13 में आर्थिक वृद्धि दर 5.0 प्रतिशत ही अनुमानित है।

7 फरवरी, 2013 के आंकड़ों में भी 2012–13 में आर्थिक वृद्धि 5.0 प्रतिशत ही अनुमानित की गई थी, 2012–13 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय आदि के आंकड़ों में भी संशोधन सीएसओ द्वारा मई 2013 में किया गया है, किन्तु 31 मई 2013 के ये आंकड़ें 7 फरवरी 2013 के आंकड़ों के काफी निकट ही है।

जीडीपी, जीएनपी व प्रति व्यक्ति आय के ताजा संशोधित आंकड़ें बॉक्स में दर्शाए गए है।

राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ें एक दृष्टि में

	2011–12 (31 जनवरी, 2013 के पहले संशोधित आकलन)	2012–13	
		7 फरवरी, 2013 के अग्रिम आकलन	31 मई,2013 के संशोधित आकलन
उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) (करोड़ रूपये में)			
I. 2004–05 के मूल्य स्तर पर	52,43,582 (6.2)	55,03,476 (5.0)	55,05,437 (5.0)
II. चालू मूल्यों पर	83,53,495 (15.0)	94,61,979 (13.3)	94,61,013 (13.3)
उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (GNP) (करोड़ रूपये में)			
I. 2004–05 के मूल्य स्तर पर	51,96,848 (6.4)	54,47,169 (4.8)	54,49,104 (4.9)
II. चालू मूल्यों पर	82,76,665 (15.2)	93,62,069 (13.1)	93,61,113
प्रति व्यक्ति आय (रूपये में)			
I. 2004–05 के मूल्य स्तर पर	38,037 (4.7)	39,143 (2.9)	39,168 (3.0)
II.चालू मूल्यों पर	61,564 (13.7)	68,747 (11.7)	68,757 (11.7)

सीएसओ के 31 मई, 2013 के संशोधित आकलन में 2012–13 में देश में जीडीपी में वृद्धि जहां पूर्ववत् 5.0 प्रतिशत ही आकलित की गई है, वहीं कृषि क्षेत्र में वृद्धि 1.8 प्रतिशत के स्थान पर 1.9 प्रतिशत, खनन व उत्खनन में 0.4 प्रतिशत के स्थान पर 0.6 प्रतिशत, विनिर्माणी क्षेत्र में यह 1.9 प्रतिशत के स्थान पर 1.0 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र में 5.9 प्रतिशत के स्थान पर 4.3 प्रतिशत अब आकलित की गई है। सेवाओं में व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन एवं संचार उपक्षेत्र में वृद्धि 5.2 प्रतिशत 7 फरवरी 2013 के आंकड़ों में आकलित की गई थी, जो अब 31 मई 2013 के आंकड़ों में 6.4 प्रतिशत आकलित है। इसी प्रकार सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाओं में वृद्धि दर पहले 6.8 प्रतिशत आकलित की गई थी, जो अब 31 मई के संशोधित आंकड़ों में 6.6 प्रतिशत आकलित है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना

श्वेता सौंधिया शोधार्थी

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर म.प.

भारत सरकार की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अनुसार ऐसी अपेक्षा की गई है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास भारत की तस्वीर बदलकर रख देगा, क्योंकिक यह किसानों के लिए उत्पादों को ज्यादा लाभकर मूल्य दिलाकर एवं शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों की बर्बादी को नियंत्रित कर अधिक लाभ सुनिश्चित करेगा, साथ ही यह उद्योग में रोंजगार पैदा कर गरीबी भी कम करेंगा। कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। यह विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसें बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है।

तथा डेयरी उत्पादों का संसार में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने की क्षमता रखता है। यह तीसरा सबसें बड़ा अनाज उत्पादक देश है। और मछली उत्पादन के मामले में भी संसार में तीसरे स्थान पर है। इसके बावजूद जहां कुछ विकसित देशों में उपभोग स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण 80 प्रतिशत तक होता है, वही भारत में ऐसे उत्पादों के प्रसंस्करण का स्तर केवल 6 से 7 प्रतिशत हैं।

महिलाओं में बचत प्रतिभा का प्रोत्साहित करने और उनके कॅरियर व घर–गृहस्थी को संवारने के लिए महिला बैंक खोंले जा रहे हैं। यह बैंक निम्न और मध्यमवर्गीय परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने के साथ ही महिलाओं को तमाम छोटी–छोटी जरूरतों के लिए लोन देंगे। महिला बैंक के माध्यम से किचन,एजुकेशन के अलावा शादी और महिलाओं को बिजनेस करने के लिए भी लोन की सुविधा दी जाएगी।

वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने बताया कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू किए गए भारतीय महिला बैंक (बी एम बी) की मार्च 2014 तक देश के सभी राज्यों में एक–एक शाखा काम करने लगेगी। उन्होने कहा कि बैंको की शाखाओं का नेटवर्क बनाने में सौ वर्ष तक का समय लगा है। लेकिन बीएमबी की मात्र चार महीने में 25 शाखाएं हो जायेंगी। बीएमबी की पहुँच को बढ़ाने के लिए नया मॉडल अपनाना पड़ेगा और कुछ सेवाओं का आउटसोंर्स किया जाएगा। उन्होने बताया कि बीएमबी में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबर ने कहा कि बीएमबी महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहायक होगा। महिलाओं के विकास के बगैर भारत को मजबूज नहीं बनाया जा सकता है।

युवा आबादी, बेहतर बचत निवेश दरों तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था से समन्वय के कारण भारत का मध्यम अवधि में वृद्धि का परिदृश्य सकारात्मक हैं।

कारोबार के लिहाज में सर्वाधिक अनुकूल तथा पिछले दशक में दुनिया की बड़ी कंपनियों से निवेश आकर्षित करने वाला आयरलैण्ड सूची में सबसे ऊपर है। न्यूजीलैंड इस बार नीचे खिसककर दूसरे स्थान पर आ गया हैं। हांगकांग तीसरे स्थान पर बरकरार है।

करोबार करने के लिहाज से दुनिया के बेंहतर देशों में भारत, फोर्ब्स की सूची में 98 वे स्थान पर है। 11 अलग– अलग तत्वों, संपत्ति अधिकार, अनुसंधान, कर, प्रौद्योगिकी, भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत व्यापार और मौद्रिक आजादी लालफीताशाही, निवेशकों की सुरक्षा तथा शेयरबाजार के प्रदर्शन के आधार पर कारोबार के लिए बेहतर देशों में 145 देशों की सूची तैयार की गई है, जिसमें बताया गया है कि भारत खुले बाजार की अर्थव्यवस्था। की ओर आगें बढ़ रहा है।

युवा आबादी, बेहतर बचत निवेश दरों तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था से समन्वय के कारण भारत का मध्यम अवधि में वृद्धि का परिदृश्य सकारात्मक है।

कारोबार के लिहाज से सर्वाधिक अनुकूल तथा पिछले दशक में दुनिया की बड़ी कंपनियों से निवेश आकर्षित करने वाला आयरलैण्ड सूची में सबसें उपर हैं। न्यूजीलैंड इस बार नीचे खिसककर दूसरे स्थान पर आ गया है। वही हांगकांग तीसरे स्थान पर बरकरार है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

उधमिता (पेदरू0971.6211द्ध वर्षः 22, अंक 9 जनवरी 2014 पेज 32 ,33
उधमिता (पेदरू0971.6211द्ध वर्ष 21, अंक12 अप्रेल 2013 पेज 25
उधमिता (पेदरू0971.6211द्ध वर्ष 21, अंक12 अप्रेल 2013 पेज 32,33
उधमिता (पेदरू0971.6211द्ध वर्ष 21, अंक12 अप्रेल 2013 में लिखा है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना

महाकौशल क्षेत्र का स्वाधीनता आन्दोलन में योगदान

Smita , RDVV jabalpur

प्राचीन समय में ही भारत देश को उसकी सम्पन्नता के कारण साने की चिड़िया कहा जाता था। यही कारण था कि समय–समय पर यहां विदेशियों का आगमन होता रहा है। ' शक आर्य, पुर्तगाली, डच आदि विदेशी जातियों का यहां आगमन हुआ परन्तु ये जातियां भारत में स्थायी रूप से नहीं बसी। 16वीं सदी में भारत में यूरोपीय जातियों जैसे अंग्रेज व फ्रांसीसियों का ऐसा आगमन हुआ कि भारत लगभग दो सौ वशो तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा।

व्यापारिक कम्पनी के रूप में अंग्रेजो ने भारत में प्रवेश किया यूरोप के विभिन्न देश भारत के साथ्रा व्यानपार करने के लिये लालायित थें । 31 दिसम्बर 1600 ई0 को ब्रिटिश महारानी एलिजा बेथ अंग्रेज व्यापारियों की इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करनें का अधिकार पत्र प्रदान किया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बहुत तेजी के साथ प्रगति किया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बहुत तेजी के साथ प्रगति की और व्यापारिक कंपनी के रू॰ में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के बाद 1750 ई0 कम्पन ने भारत में ' शक्ति राजनीति का खेल प्रारम्भ किया एवं 1850 ई0 तक भारत में शक्ति राजनीति का खेल प्रारम्भ किया एवं 1850 ई0 तकभारत के विशाल भाग में ' शासन स्थापित कर लिया।

मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु सन् 1707 में हो गई थी परवर्ती मुगल सम्राटों की दुर्बलताओं के कारण दक्षिण में निजाम, मैसूर में हैदर अली तथा बंगाल,बिहार उड़ीसा रूहेलखण्ड, केरल व भरतपुर स्वतंत्र हो गये थे। उधर राजस्थान में राजपूतों की स्वतंत्रता की लालसा ने भारत को आंतरिक रूप से दुर्बल बना दिया। अंग्रेंजों ने भारत के इन्हीं कमजोरियों का लाभ उठाते हुए कर्नाटक व प्लासी के युद्धों को जीतने के साथ–साथ भारत में स्थिर रूप से अपने पैर जमा लिये तथा भारतीय प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली।

जैसे जैसे अंग्रेजों की ' शक्ति बढ़ती गई उनकी लालसा भी उतनी ही बढ़ती गई और अब उनकी कम्पनी का लक्ष्य अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना अपने साम्राज्य का विस्तार करना रह गया था।

प्लासी का छलपूर्ण युद्ध जीतने के पश्चात क्लाइव ने लिखा था। ''मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के हथियारों के भय और उनके प्रभाव के द्वारा मैं सम्पूर्ण देश को कंपनी के लिये आत्मसात कर लेता जिस सरलता से वर्तमान सूबा मीरजाफर, अभी कर रहा है।

क्लाइव और उसकी जाति के लोग कम से कम अपने कार्यो के वर्णन में ईमानदार थे। वह तो आगे आने वाले शासको ने अपने अतिक्रमण पर सहायक संधि और व्यपगमन का सि्द्धां जैसे भारी भरकम ' शब्दो का मुलम्मा चढ़ाया। वर्षो बाद अन्य ' शब्दावलियों का भी प्रयोग हुआ अनेक संधि–संगठनों के रूप में उन्हें लिपिबद्ध किया गया। परन्तु उसे नाम कुछ भी दे दिया जाये पराधीनता अपनी दुर्गंध फेलाती ही है। अंग्रेजों को यह ज्ञात न हो सका कि उन्होंनेक अपने साम्राज्य रूपी भवन का निर्माण भावनाओं और कडवे अपमानों के ज्वालामुखी पर किया था अग्नि को पृथ्वी के गर्भ में दबाया जा सकता है किन्तु वह अन्दर ही अन्दर धधकती और सुलगती रहती है और अवसर की प्रतिक्षा में रहती है दमन का प्रतिरोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

यदि पहले से नहीं तो कम से कम वेलेजली के समय से ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत में तेजी से अपने पैर जमाने लगा इसमें मुगल साम्राज्य के ध्वांसावशेषों पर खड़े होने वाले भारतीय राज्यों के भाग्य का प्रभावित होना आवश्यक था। कंपनी सरकार से उनके संबंध इन बातों पर निर्भर थे कि बदलती हुयी राजनीतिक परिस्तितियां कैसी थी तथा गवर्नर जनरलों के व्यक्तिगत विचार एवं महत्वाकांक्षायें क्या थी।

18 वीं ' शताब्दी के भारत का यदि हम अवलाकन करें तो सत्ता ने दृढ़ता से अपने पैर जमा लिये थे यह काल भारत में राजनैतिक दुर्बलता और नैतिक पतन का काल था। मुगल कालीन वैभव नष्ट हो चुका था, जनसंख्या घटने लगी थी, वाणिज्य एवं व्यापार का विकास अवरूद्ध होने लगा था। धीरे–धीरे सभी प्रकार के व्यापारों पर अंग्रेजों का अधिपत्य होता चला जा रहा था चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता का बोलबाला था। सामाजिक प्रथाओं और रूढ़ियों में अब और भी अधिक विकृति आ गई थी। धर्म तथा कला के क्षेत्र में असृजनात्मक प्रवृत्तियां घर कर गई थी।

''जब अठारहवीं सदी के मध्य में अंग्रेजी सत्ता ने अपने पैर जमा लिये थे, तब भारत राजनैतिक निर्बलता और पतन के निम्न स्तर पर था। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति लगभग पतन के गर्त में पहुंच चुकी थी। 18वीं शताब्दी के मध्य से लगभग सौ वर्ष तक वह पतन के अत्यन्त ही निम्न स्तर पर हो गई थी। उस अंधकारमय युग में किसी भी भारतीय भाषा में किसी भी सर्वश्रेष्ठ महत्वशाली कृति की रचना नहीं हुई थी। धर्म में भी कोई विकास नहीं हुआ था और संरक्षण के अभाव में लगभग समस्त ललित कलायें प्राणहीन हो विलुप्त हो गई थी।''

भारतीय जनता अंधविश्वास के अंधकार में डूबी हुई थी। जातिवाद और छुआछूत का बोलबाला था परन्तु अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना ने जो नवीन शिक्षा और विचारधारा को भारत में प्रसारित किया उसके परिणाम स्वरूप देश में एक नवीन चेतना का विकास हुआ। वारेन हेस्टिग्ज से लेकर लाई विलियम वेटिंग के काल

तक लगभग प्राचीन व्यवस्था का अन्त हो चुका था। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतवासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर दिया था भारतीय पाश्चात्य विचार धारा से अत्याधिक प्रभावित थे और अपने देश की सामाजिक तथा राजनैतिक दशा का मूल्यांकन भावनाओं के स्थान पर तर्क और बुद्धि से अधिक करते थे। इस काल में भारत मध्ययुग से मुक्त होकर आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा था।

15 अगस्त 1947 को भारत राष्ट्र का स्वतंत्र होना एक युगान्तरकारी घटना थी यह वह घड़ी थी जिसके लिये हमारे देश के हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहूति दे दी थी यह इतिहास को झकडोर करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी। हिन्दुस्तान की जनता की स्वतंत्र होने की चेतना की विराट अभिव्यक्ति सन् 1857 के विद्रोह के रूप में आई। दाशता के बंधन को तोड़ने के अदम्य शक्ति के साथ शुरू हुआ यह संघर्ष सन् 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ समाप्त हुआ।

विश्व के प्रत्येक मानव समाज के विकास में आन्दोलनों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जब कोई तत्कालीन व्यवस्था बहुसंख्यक जनता के लिये असहाय हो जाती है तब आन्दोलनो का सूत्रपात होता है। ऐसी ही व्यवस्था अंग्रेजो द्वारा भारत में स्थापित की गयी। जिसके विरोध में आन्दोलनो का सूत्रपात हुआ 1579 में गोवा के जेसूट कॉलेज का प्राध्यक्ष (रेक्टर) नियुक्त होने वाला ''थामस स्टीफन' प्रथम अंग्रेज था जिसे भारत वर्ष की पुण्य भूमि पर बसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

19वीं सदी में राजा राममोहन राय और ब्रम्ह समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद थियोसोफिकल सोसायटी और ऐनी बेसेन्ट तथा अन्य धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने भारतीयों में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न की। इन्होंने भारतीयों को उनके गौरवपूर्ण अतीत व श्रेष्ठतम सभ्यता को समझाया। गरिमामय महान निधियों का ज्ञान कराया, देश और संस्कृति के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा व निष्ठा करवाया। कुछ पाश्चात्य विद्वानों जैसे मैक्समूल, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किन्स, हावेल, करम्युसन आदि ने अपने ग्रंथों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म और ललित कलाओं की युक्तकंठ से प्रशंसा की और यह प्रदर्शित किया कि भारतीय धर्म संस्कृति और कला श्रेष्ठतम है।

ठसी समय भारतीय साव्यि में रचित उपन्यासों, कविताओं नाटकों तथा अन्य ग्रंथो में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावनायें भरी हुयी थीं। बंकिमचंद के उपन्यास आनंदमठ ने देश को वंदेमातरम गीत दिया। नील नदी दर्पण नामक बंगला नाटक में यूरोपियों द्वारा अधिकतर नील के बागीचों में श्रमिकों के ' शोषण और अत्याचार का दिग्दर्शन है। ऐसी साहित्यिक रचनाओं ने राष्ट्रीयता की बेगवती धारा को ' शक्ति प्रदान की।

19वीं सदी भारतीय नवजागरण की सदी थी परन्तु इस युग में राष्ट्रीय जागृति भी हुई। नव जागृति का उद्‌भव किसी एक निश्चित तिथि का परिणाम नहीं था। इसके उद्‌भव और विकास में आर्थिक राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, एवं ' शैक्षणिक तत्वों का विशेष योगदान रहा है। इसके कई कारण थे क्योंकि जब मध्यप्रांत का गठन हुआ उस समय प्रांत में न तो कोई रेलमार्ग था और न ही कोई पक्की सड़क थी परन्तु जब यह बम्बई से रेलमार्ग द्वारा जुड़ गया तो आवागमन के साधनों ने मध्य प्रांत में राजनैतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

व्यापारी के रूप में भारत आने वाली ये फिरंगी भारत के भाग्य विधाता बन गये। भारतीयों को पराधीनता के इस बंधन से मुक्त होने के लिये काफी संघर्ष करना पड़ा, तब कहीं जाकर 1947 में अर्थात 'थामान स्टीफन' ने भारत में बसने के पूरे 368 वर्ष बाद अंग्रेज भारत से विदा हुए और भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुयी।

15 अगस्त 1947 को भारत की ब्रिटिश शासन से मुक्ति एक कठिन संग्राम का परिणाम थी। यह संग्राम विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद पूरा हुआ था। अंग्रेजी ' शासन के अन्तर्गत विभिन्न कारणों से भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। नयी सदी के साथ जन्मी इस राष्ट्रीय आन्दोलन को सर्वाधिक आन्दोलन को सर्वाधिक बल मिला और देश में एक सशक्त आन्दोलन छिड़ गया।

अंग्रेजी साम्राज्य द्वारा किये गये आर्थिक ' शोषण एवं लूट के कारणवश 1857 का विद्रोह हुआ यह विद्रोह उपनिवेशिक ' शासन के विरूद्ध भारत का प्रथम सामूहिक प्रयास था। इस जनक्रांति को अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चला कर दबा दिया था किन्तु जनता के बढ़ते हुये शेष को वह रोक न सकी यह ' शेष अंदर ही अंदर तीव्र रूप धारण करता चला गया। 1857 की घटनाओं ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ दिया विद्रोह के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार के हाथ में शासन सत्ता स्थापित हो गई। कम्पनी के हाथों से ' शासन निकलकर ब्रिटिश संसद के अधिकार में चला गया।

1857 के विप्लव के पश्चात् अंग्रेजों का भारतीय पर से विश्वास उठ गया था यही कारण था कि भारतीय को महत्वपूर्ण पदों से वंचित किया जाने लगा। महत्वपूर्ण विभागों पर भारतीयों की जगह अंग्रेजों की नियुक्ति ही की गई। सन् 1913 में देश में 2501 प्रशासनिक तथा न्यायिक नियुक्तियों की गई जिनका वेतन 800 रूपये से अधिक था इनमें से 2153 पदों पर यूरोपवासी, 106 पर आंग्ल–भारतीय और केवल 242 पर भारतीय नियुक्त किये गये। 1857 के विप्लव के पश्चात् देश की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी थी विद्रोह के दमन के लिये ' शासन को अनुमानतः 4 करोड़ रूपये खर्च पड़ा था जिसका बोझ भारत को

उठाना पड़ा। इस व्यय की भरपाई के लिये ' शासन द्वारा नमक जैसे अति आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाया गया, जिसके विरोध में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वृहद् आंदोलन किया गया।

''समस्त आयात माल पर 10 प्रतिशत कर लागू किया गया और हलका आय भी प्रथम बार लगाया गया। आयकर का भार विशेष रूप से निर्धनों पर पड़ा क्योंकि न्यूनतम आय को कर से मुक्त रखे जाने के विचार से ' शासन उस समय परिचित नहीं था वस्तुतः फायनेंस मेम्बर का यह मत था कि करों के भुगतान करने का दायित्व धनवानों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक है, क्योंकि राज्य को कायम् रखने और सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने में धनवानों की अपेक्षा गरीबों का हित अधिक है।

19वीं ' शताब्दी में श्री सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी द्वारा 1876 में 'इंडियन एसोशियेसन'' की स्थापना की गई। लार्ड रिपन के वायमरायत्व काल में (1880'84) ''स्थानीय स्थायत्व ' शासन' का प्रारम्भ किया गया। 1875 में इंडियन लीग (कलकत्ता) की तथा1884 में महाजन सभा (मद्रास), 1885 में प्रेसीडेंसी एसोसियेशन (बम्बई) में विभिन्न संगठनों की स्थापना हुई।

महाकौशल कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों ने 30 नवम्बर 1921 को जनता के नाम एक परचा निकाला उसमें गांधी जी द्वारा चलाये गये असहयोग आन्दोलन से देश में निर्मित परिस्थिति का विवरण दिया गया जिससे जनता की राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा मिला।

महाकोशल में असहयोग आन्दोलन का सबसे अधिक जोर जबलपुर जिले में रहा। महात्मा गांधी के शिक्षा संस्थाओं के बहिष्कार के आव्हान से देश के सभी भागों में राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हुई। जबलपुर की सबसे बड़ी संस्था स्कूल हितकारिणी राष्ट्रीय ' शाला में परिणित हुई। गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में महाकौशल में इसका प्रधान स्थान था।

नागपुर कांग्रेस के बाद भी मध्य भारत के हिन्दी भाषी का अलग संगठन हुआ और हिन्दी मध्य प्रान्त की राजनैतिक परिषद का पहला अधिवेशन मई 1921 में जबलपुर में इं. राघवेन्द्रराव की अध्यक्षता में हुआ इसमें प्रतिनिधियों तथा दर्शकों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। नवनिर्मित हिन्दी मध्यप्रांत समिति की बैठक 27 नवम्बर 1921 को सागरमें हुई जिसमें 61 सदस्यों ने भाग लिया। ई. राघवेन्द्रराव अध्यक्ष एवं उमाकांत बलवंत घाटे, सेठ गोविन्ददास, अब्दुल कादिर सिद्धीकी उपाध्यक्ष चुने गये ।के.आर. खाण्डेकर तथा ठाकुर लक्ष्मणसिंह मंत्री थे। समिति ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के लिये प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया। जिसमें ' याम सुन्दर भार्गव, रविशंकर ' शुक्ल, नाथूराम मोदी, घनश्याम सिंह गुप्ता, ठाकुर देवीलाल आदि भी थे। सेठ गोविन्द दास ने लिखा कि ''1920 के असहयोग आन्दोनल में तीन व्यक्ति गिरफ्तार हुये थे—माखनलाल चतुर्वेदी, पं. सुन्दरलाल तथा महात्मा भगवानदीन।''

माखनलाल चतुर्वेदी महाकौशल क्षेत्र के प्रथम राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे जिन पर देश भक्ति के अपराध के लिये मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें जुलाई 1921 में आठ माह का कारावास व दंड दिया गया।087

असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा अचानक स्थगित कर देने के कारण राष्ट्रीय आंदोलन की जन चेतना के प्रवाह को एकाएक रोक सी लग गई थी लेकिन झंडा सत्याग्रह ने सम्पूर्ण देश में फिर से राजनैतिक चेतना में हलच ल पैदा कर दी।

असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि'' आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिये मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार यहाँ तक की मौत भी सहने को तैयार हूँ।''

महाकौशल में झण्डा सत्याग्रह

राष्ट्रीय आन्दोलन में महाकौशल के झण्डा सत्याग्रह का विशेष योगदान है। सन् 1922 में कांग्रेस की एक समिति जिसके अध्यक्ष हकीम आजमल खाँ थे और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, डॉ.अंसारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और कस्तूरी रंगा आयंगर प्रमुख सदस्य थे। ये महाकौशल में असहयोग आन्दोलन की सफलता एवं जनता का मनोबल ऊँचा करने के लिये आये थे।

असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा अचानक स्थगित कर देने के कारण जन चेतना के प्रवाह को एकाएक रोक सी लग गई थी लेकिन झण्डा सत्याग्रह ने सम्पूर्ण देश में फिर से राजनैतिक चेतना में हलचल पैदा कर दी। इसकी ' शुरूआत प्रांतीय सरकार द्वारा नगर पालिका समितियों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने पर पाबंदी लगाने के आदेश दिये जाने से हुई। राष्ट्रीय झण्डे के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने के विचार से या ब्रिटिश सरकार को चुनौत देने के लिये झण्डा सत्याग्रह का एक प्रारूप पं. सुन्दरलाल के मन में आया था।088 पं. सुन्दरलाल ने बैतूल से प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने के बाद उन्होंने अपने झंडा सत्याग्रह वि" ायक कल्पना को सर्वप्रथम उन्होंने जबलपुर में मूर्तरूप प्रदान किया।

जबलपुर का झंडा सत्याग्रह अपना बिशिष्ट स्थान रखता है। जबलपुर में जब कांग्रेस सत्याग्रह जांच समिति के अध्यक्ष हकीम अजमल खाँ का आगमन हुआ तो यहाँ की नगर पालिका की ओर से उनके सम्मान

समारोह का आयोजन किया गया।089 झंडा सत्याग्रह में श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने एक जत्थे का नेतृत्व किया जिसमें अनेक नेताओं के अतिरिक्त श्री वल्लभ भाई पटेल और राजेन्द्र प्रसाद भी सम्मिलित थे।

18 जुलाई का दिन समस्त भारत में झंडा सत्याग्रह की बागडोर लौहपुरूष बल्लभभाई पटेल के हाथों में आ गई।

इधर महाकौशल के सागर नगर पालिका समिति ने 10 अप्रैल 1923 को अपनी बैठक में ' शासन के आदेश का विरोध करते हुये और झण्डा सत्याग्रह प्रारम्भ करने के लिये जबलपुर नगर पालिका सदस्य को धन्यवाद देते हुये एक संकल्प पारित किया और सत्याग्रहियों का एक जत्था सागर से नागपुर भेजा गया।

झण्डा सत्याग्रह प्रारम्भ करने का श्रेय दमोह जिले को है क्योंकि दमोह जिले के ही एक नवयुवक प्रेमचंद ''उस्ताद'' ने जबलपुर नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने में अनुकरणीय साहस दिखाया था।

1923 में जबलपुर की म्यूनिसिपल कमेटी में कांग्रेस को बहुमत हो गया था। जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष कन्छेदीलाल ने कांग्रेस समिति के सदस्यों को मानपत्र देने तथा टाउन हाल पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने के लिये ' शाम 5 बजे का निर्णय लिया गया और गांधी जी की अगुवाई में आन्दोलन प्रारम्भ करने साथ ही कांग्रेस ने बीच में चरखायुक्त तिरंगे झण्डे को राष्ट्र का प्रतीक अंगीकर कर लिया था।

इधर पूर्व डिप्टी कमिश्नर ने कार्यक्रम को रद्ध करके टाउन हाल में ताला लगा दिया जिससे कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं में तीव्र आक्रोश उभरकर सामने आया तथा इस अत्याचार पूर्ण कार्यवाही को चुनौति के रूप में स्वीकार किया गया।

18 मार्च 1923 को जबलपुर में जुलूस निकाला गया और जुलूस के साथ स्थानीय नेता बाल मुकुंद त्रिपाठी, सुभद्राकुमारी चौहान, ताजुद्दीन माखनलाल चतुर्वेदी, अब्दुल रहीम वकील आदि टाउन हाल पहुँचे और उस्ताद प्रेमचन्द्र नौजवान ने अपने तीन साथियों सीताराम यादव, परमानन्द जैन, खुशालचन्द्र जैन की सहायता से टाउन हाल पर चढ़कर तिरंगा झण्डा फहरा दिया।091

ज्बलपुर पहला ' ाहर था जब देश में पहली बार किसी सार्वजनिक भवन पनर इस प्रकार राष्ट्रीय झण्डा फहराया गया था यूरोपियन डिप्टी कमिश्नर ने अत्यन्त क्रुद्ध होर झण्डा को उतारने का आदेश ही नहीं दिया अपितु उसे पैरों तले कुचला भी, इससे तत्काल रोष युक्त आन्दोलन फूट पड़ा।

जिला कांग्रेस कमेटी ने सत्याग्रह प्रारम्भ किया और डिप्टी कमिश्पर के आदेशों का उल्लंघन करते हुये पं. सुन्दरलाल, सुभद्राकुमारी चौहान, नाथूराम मोदी तथा कुछ स्वयं सेवकों ने`जुलूस निकाला जुलूस को पुलिस ने रोका ही नहीं अपितु सभा के सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।092 इस पर नगर पालिका के समस्त सदस्यों ने विरोध स्वरूप त्यागपत्र देदिया। बिल्ला के रूप में एक छोटा सा झण्डा पं. सुन्दरलाल के पास से बलपूर्वक छीना गया और उसके विरोध स्वरूप पं. सुन्दरलाल ने 72 घण्टे का अनशनल किया। झण्डा वास मांगने पर पं. सुन्दरलाल को 6 मास की सजा हुयी। महाकौशल के समाचार पत्रों ''श्री शारदा'' , ''कर्मवरी'' ''प्रभा'', ''स्वरज्य'', ''हितवाद'' आदि ने जबलपुर नगर पालिका के साहस की प्रशंसा करते हुये बधाइ दी। झण्डा सत्याग्रह के प्रभाव के कारण सागर से ''दैनिक प्रकाश'' साप्ताहक ''द उदय'' का प्रकाशन आरम्भ हुआ था। बालकृष्ण ' शर्मा ''नवीन'' ने तो कानपुर से प्रकाशित ''प्रभा'' का झण्डा विशेषांक अंक निकाला तथा आवरण पृष्ठ पर झण्डे की इज्जत के लिये सुभद्रकुमारी चौहान का चित्र भी प्रकाशित किया।

जबलपुर की इस घटना से सारा प्रांत उत्तेजित हो गया। नागपुर की जनता ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुये झण्डा सत्याग्रह का केन्द्र नागपुर को बनाया। महाकौशल कांग्रेस समिति ने अपने नेताओं को नागपुर भेजा। जमनालाल बजाज ने आंदोलन के सगठन का कार्य हाथ में ले लिया और सत्याग्रह प्रारम्भ करने के लिये जलियांवाला बाग की दुःखद घटना का वार्षिक दिवस 13 अप्रैल को चुना गया। इधर प्रशासन ने समस्त नगरपालिकाओं तथा जिला परिषदों को परिपत्र प्रचलित कर दिये जिसमें उन्हें अपने अपने भवनों पर राष्ट्रीय झण्डा न फहराने के आदेश दिये गये थे।

पहली मई को जमनालाल बजाज, भगवानदीन के अधीन स्वयं सेवकों का एक जत्था नगर से राष्ट्रीय झण्डा लिये हुये आगे बढ़ा किन्तु ज बवह जिला न्यायालय पहुँचा तो रोक लिया गया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. ग्वालियर पुरातत्व रिर्पोट सं.1671. क्रमांक 111
2. एपिग्राफिया इंडिका 1पृ. 361ः जनरल ऑफ मध्यप्रदेश इतिहास परिषद 4पृ.3
3. ग्वालियर पु.रि. सं.1671 क्रमांक 111
4. पलीटः भारतीय अभिलेख संग्रह प्र. 38
5. गिराशी और पाण्डेय. एपिग्राफिया इंडिका, भाग 23 पृ. 113
6. कीलहार्नः एपिग्राफिया इंडिका भाग 2पृ. 7 गिराशी का इ.इ.भाग 4 खंड एक1.
7. आर्क्यालाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया –1624–25 पृ.168

ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोत

यशवंत सिंह ,शोध छात्र,रा.दु.वि.वि जबलपुर

ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों की सीमितता के कारण वैकल्पिक पुनरोपयोगी स्रोतों का विकासउ करन व इनका विदोहन करना आवश्यक हो गया है। केन्द्र सरकार ने अपने गैर–परम्परागत.ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का नाम बदलकर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 20 अक्टूबर, 2006 से कर दिया है। ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतों में कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं

सौर ऊर्जा :–इसमें सूर्य के ताप को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका प्रयोग खाना
बनाने, पानी गर्म करने, स्थान गर्म करने, फसल सुखाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतकीकरण करने में किया जाता है। 31 मार्च 2006 तक यह प्रणाली देश के कुल 15 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा चुकी थी और इससे हर साल 50,000 खरब किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है तथा प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 50 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली राजस्थान के माउंट आबू में स्थापित की गई है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि के लिए एक नया जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन प्रारंभ करने का सरकार का इरादा है। इस मिशन का उल्लेख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 15 अगस्त, 2009 को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में किया था। मिशन के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी 19 नवम्बर, 2009 को प्रदान की थी। इसके शुरूआती खर्चो के लिए 4337 करोड़ भी मंत्रिमंडल की इस बैठक में स्वीकृत किए गए थे। इस मिशन का लक्ष्य सन् 2022 तक सौर विद्युत् की 20 हजार मेगावाट क्षमता सृजित करना है। यह उस समय की कुल विद्युत् क्षमता का 10 प्रतिशत होगी।

देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 60 विभिन्न शहरों को सौर शहर के रूप में विकसित करने की केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना है। इनमें से 48 शहरों के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी मंत्रालय द्वारा दी जा चुकी है।
इनमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर व रायपुर, हरियाणा के गुड़गांव व फरीदाबाद, मध्यप्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, भोपाल व रीवा, राजस्थान के अजमेर, जयपुर व जोधपुर, उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार–ऋषिकेश व चमोली–गोपेश्वर तथा

उत्तर प्रदेश के आगरा व मुरादाबाद शामिल है। औपचारिक रूप से मिशन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा 11 जनवरी , 2010 को प्रारंभ किया गया। इस मिशन के अंतर्गत 2022 तक सौर ऊर्जा से 20000 मेगावाट विद्युत् को ग्रिड से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जुलाई 2012 तक ग्रिड से जुड़े फोटो वोल्टाइको की स्थापित क्षमता 1040–67 मेगावाट हो जाने का अनुमान था। बारहवीं योजना के अंत तक स्थापित क्षमता 10000 मेगावाट तथा तेरहवीं योजना के अंत तक 20000 मेगावाट हो जाने का लक्ष्य है।

पवन ऊर्जा – पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में वर्ष 2012 में भारत का विश्व मे पांचवी स्थान है। भारत का पवन ऊर्जा क्षमता में एशिया में पहला स्थान है। इस मामले में विश्व के पहले चार अग्रणी देश क्रमशः अमरीका, जर्मनी, स्पेन व चीन है, वर्ल्ड विंउ एनर्जी एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2012 के अंत में भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 17365–03 मेगावाट थी, जबकि पूरे विश्व में यह 120791 मेगावाट थी। ऐसोसिएशन के अनुसार विश्व में विद्युत् के कुल उत्पादन में पवन ऊर्जा भारत में गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत् के मामले में 18 GW स्थापित क्षमता के साथ पहले स्थान पर है, जो गैर–पारम्परिक ऊर्जा क्षेत्र की स्थापित क्षमता का 70 प्रतिशत है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की अच्छी संभवनाएं है।

दिसम्बर 2005 के आंकड़े के अनुसार भारत में तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2893 मेगावाट बताई गई है। 1001 मेगावाट क्षमता के साथ महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है तथा 585 मेगावाट के साथ कर्नाटक का तीसरा स्थान है। विश्व में पवन ऊर्जा का 125 मेगावाट का सबसे बड़ा संयंत्र कर्नाटक में MSPL कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा। पवन ऊर्जा पर वैश्विक सम्मेलन नवम्बर 2006 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

बायोगैस :– देश में मार्च 2011 तक 36.5 लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके थे, जो प्रत्येक वर्ष 410 लाख टन समृद्ध जैविक खाद तैयार कर रहे है। 2005–06 के दौरान पारिवारिक उपयोग के लिए लगभग 5400 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए। बायोगैस के उत्पादन संबंधी तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए भारत में तीन बायोगैस केन्द्र कोयम्बटूर, उदयपुर और

पूसासमस्तीपुर में स्थित है। मार्च 2011 तक बायो मास से विद्युत् उत्पादन की स्थापित क्षमता 1118 MW है।

कचरों से प्राप्त ऊर्जा :– 31 मार्च, 2006 तक देश में कचरे से प्राप्त ऊर्जा की क्षमता 48 मेगावाट थी।

.**भूतापीय ऊर्जा** :– भूतापीय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते है, जो प्राकृतिक गर्म पानी के झरने या तालाब से संयंत्र लगाकर प्राप्त की जाती है। वर्ष 2010 में विश्व के लगभग 74 देशों में भू–गर्भीय विद्युत् प्लाण्ट संचालित थे। 78 देशों में भू–गर्भीय ऊर्जा का उपयोग सीधे गर्मी पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। विश्व में भू–गर्भीय ऊर्जा की कुल क्षमता 10.7 GW है, लेकिन वर्तमान में इसके व्यावसायिक उत्पादन का 88 प्रतिशत विश्व के मात्र सात देशों– सं. रा. अमरीका, फिलीपीन्स, इण्डोनेशिया, मेक्सिको, इटली, न्यूजीलैण्ड तथा आइलैण्ड तक ही सीमित है। भारत में ऐसे लगभग 340 स्थान है, जहां गर्म झरनों का पता चलता है। अतः भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोतों की पर्याप्त मात्रा है, जिनके विकास और दोहन की पर्याप्त गुंजाइश है। जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में भूतापीय ऊर्जा की संभावनाओं का मूल्यांकन कार्य जारी है।

6.**लघु जलविद्युत्** :–25 मेगावाट तक विद्युत् क्षमता वाले जल विद्युत् संयंत्रों को लघु जल विद्युत संयंत्र कहा जाता है। इनकी सम्भाव्य उत्पादन क्षमता 15384 MW है। जनवरी 2012 तक लघु जल विद्युत् प्लाण्टों की स्थापित क्षमता 3300 MW है, जो गैर– पारम्पारिक पुनर्प्रयोग ऊर्जा की स्थापित क्षमता का 15 प्रतिशत है। जल विद्युत् की सम्भाव्यता अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू–कश्मीर में विद्यमान है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 26 प्रतिशत स्थापित क्षमता कर्नाटक राज्य में है।

.**वूडी बायोमास से विद्युत् उत्पादन** :– भारत में वनों से प्राप्त लकड़ी, गन्ने की खोई, तथा कृषि क्षेत्र से प्राप्त अन्य अवशिष्टों से विद्युत उत्पादन की संभाव्य क्षमता 19500 मेगावाट आंकी गई है। इसके तहत् 31 मार्च, 2005 तक614 मेगावाट की बायोमास आधारित परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है।

राजनीतिक व्यवस्था में नैतिकता

डॉ. प्रवेश कुमार पाण्डेय, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

अरस्तू के अनुसार – "जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वह या तो पशु है या देवता"। लेकिन समाज इन दोनों से ही नहीं बनता है। समाज बनता है मानव से मानव ने ही अपने लिए समाज का निर्माण किया है। समाज के बाहर मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, और यही समाज जो हमारे ताने–बाने के लिए बना है, उसमें मानव के विकास का आधार तैयार किया जाता है। क्योंकि बिना आधार तथा उद्देश्य के समाज, राज्य नष्ट हो जाते हैं। सवाल यह है कि इन समाजों का नेतृत्व तथा आधार और उद्देश्य कौन तय करता है ? उत्तर यही है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था।

इसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहकर समाज के उद्देश्य को पूरा किया जाता है और यही राजनीतिक संस्कृति भी कहती है। राजनीतिक संस्कृति व्यक्ति के, समाज के, राज्य तथा राष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति तथा राजनीतिक पर्यावरण को प्रकट करती है। यदि यही परिस्थितियाँ तथा पर्यावरण प्रदूषित हो जाए तो राज्य, समाज की क्या स्थिति होगी यह किसी से छुपा नहीं है। विश्व. में अनेक राजनीतिक व्यवस्थाऐं, तथा संस्थाऐं विद्यमान हैं, और इन्हीं व्यवस्थाओं से राजनीतिक संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। जो आवश्यक भी है। चूंकि इन्हीं व्यवस्थाओं के संचालन के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। नेतृत्व, राष्ट्र का, व्यक्ति का पथ प्रर्दशक माना जाता है, और यह नेतृत्व कोई आम व्यक्ति नहीं करता है, समाज के उच्च वर्ग जिनकी पैठ राजनीतिक व्यवस्था में है, उनके हाथ में है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना आसान है लेकिन राजनीतिज्ञों में परिवर्तन होना या करना आसान नहीं हैं। लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि यदि परिवर्तन नहीं होगा तो नेतृत्व दिशाविहीन हो जाएगी और यदि नेतृत्व दिशाविहीन हुआ तो राष्ट्र पतन के रास्ते पर चल पड़ेगा। परिणाम यह होगा कि राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति नष्ट हो जाएगी, या राष्ट्र नष्ट हो जाएगा।

नेतृत्व सही हाथों में होना चाहिए यही कथन विश्व के सभी रानजीतिज्ञों एवं विद्वानों का है। पर क्या आज यह नेतृत्व सही हाथों में है, सोचना पड़ेगा ? राजनीति में मूल्यों का अपना एक अलग स्थान है, बिना मूल्यों की राजनीति तथा बिना मूल्यों के नेतृत्व राजनीतिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है और जैसा कि प्रो. रामदेव भारद्वाज लिखते है कि– "यदि नेतृत्व में नैतिकता का संकट उत्पन्न होगा तो व्यवस्था अपने आप पतन की ओर चल पड़ेगी"। और यही व्यवस्था पूरी दुनिया पर लागू होती है। राजनीतिक व्यवस्था में मूल्यों का स्थान सर्वोच्च है। मूल्यविहीन राजनीति और नेतृत्व में नैतिकता का संकट स्पष्ट रूप से राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है।

आज हमारे सामने प्रश्न यह उत्पन्न हो गया है कि जिस देश ने विश्व को मूल्य तथा नैतिकता का पाठ पढ़ाया आज वही देश इस संकट से जूझ रहा है। क्या हम अपने मूल्यों को ताख पर रख दिया है। आज हमारी नैतिकता पुरानी पड़ गई या हम उसे भूल गए, विचार करना होगा, जो समीचीन है, जरूरत है। क्योंकि यह सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि विश्व बाजार, पूँजीवाद, समाजवाद और यर्थाथवाद के लिए भी आवश्यक है। उनमें यह (नैतिकता, मूल्य) गौंड माना जाता है। लेकिन

सामाजिक व्यवस्था में यह नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के यही तो प्रतिमान है जिसके आधार पर यह खड़ा हुआ है।

जिस नेतृत्त्व तथा नैतिकता और मूल्यों पर चलकर हमने स्वतंत्रता पाई आज उसी स्वतंत्रता के नायकों के सपनों को हम धूमिल कर रहें है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का पूरा स्वरूप बदला नजर आ रहा है। बाजारीकृत व्यवस्था ने हमें चकाचौंध कर दिया है, और हम उसी गुमान में बढ़ते चले जा रहे हैं।

राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो हम यह देखते हैं कि आज राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। जिनके पास अपराध ज्यादा उनकी प्रोफाइल उतना ही मजबूत होगी, दावेदारी होगी। अपराधी की पूजा होती है चरण–वंदन होते हैं। ये अपने आपको को सर्वोच्च समझते है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यदि नजर दौड़ाऐ ंतो स्पष्ट दिखाई देगा कि किस तरह से पिछले दो दशकों से इसमें भ्रष्टाचार महामारी की तरह फैला है। ताजा उदाहरणों में – 2जी घोटाला, 3जी घोटाला, व्यापमं घोटाला, ताबूत घोटाला, चारा घोटाला, बोफोर्स घोटाला अनेकानेक घोटाले लगातार हो रहें हैं। इन पर भी विचार करना होगा।

यही स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की भी है। जिसमें, भान्ति, संधि, समझौता तथा वार्ता भाामिल है। राष्ट्रों के बीच आज यह प्रतिस्पर्धा का रूप ले चुका है, जिसमें नैतिकता–अनैतिकता में बदल गई हैं। वर्चस्व की स्थिति जिस तरह बढ़ रही है, इसमें नैतिकता तथा मूल्यों का पतन हो गया है। आक्रमण, भक्ति प्रदर्शन, वर्चस्व तथा अनैतिकता आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु बन गई है। राष्ट्रों के द्वारा कूटनीतिक चालें चलना आम बात हो गई है। जिसके चलते नक्सलवाद, आंतकवाद जैसी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। हर एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए कई अनैतिक हथकड़े अपना रहे हैं। क्या यह उचित है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। अनैतिकता से प्राप्त राष्ट्रीय हित कितने दिन तक सुरक्षित रहेगा, यह हम भली भांति जानते हैं।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर्यावरण को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। जिस पथ पर हम चल रहे हैं वह नैतिक या अनैतिक है ? कहने की आवश्यकता नहीं है। नवउपनिवेशवादी व्यवस्था तथा बाजारीकृत व्यवस्था ने हम सबको इसमें समेट लिया है, और हम धंसते चले जा रहे हैं। विद्वानों का मत है कि राजनीतिक व्यवस्थाऐं

यदि सुधारा जाए तो भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता समाप्त हो जाएगीं। लेकिन ये राजनीतिक व्यवसथाऐं सुधारेगा कौन ? जो स्वयं भ्रष्ट हैं और इनसे भी ज्यादा भ्रष्ट हमारा प्रशासनिक तंत्र है जो सदैव डायनासुर की तरह मुँह फाड़े खड़ा है, कि यदि कोई आये तो उसको अपने जाल में फँसा ले। हलांकि प्रशासनिक सुधारों के लिए अनेक आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया लेकिन परिणाम शून्य निकला। प्रशासनिक सुधार की दिशा में राष्ट्रीय एंव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए जो निम्नलिखित प्रमुख है – इग्लैण्ड के चार्ल्स वैवेज (1792–1871) ने डिफरेंस एंजिन, अमेरिका के रॉब्सन टाउन (1844–1924) ने विनिमय प्रस्ताव पेश किया। अमेरिका के फैडरिक विनस्लो टेलर (1856–1915) द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादन किया गया और साथ ही साथ प्रशासकीय सुधार की दिशा में अनेकों अध्ययन किए गए जिसमें केमरालिस्ट्स, वैज्ञानिक प्रबंध, समय तथा गति का अध्ययन, हाथौर्न–प्रयोग, भारत

सरकार द्वारा ओ. तथा एम. का संगठन का बनाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। भारत में इस दिशा में अनेक संगठन, समिति बने जिसमें 1949 में आयंगर आयोग, 1953 में पाल. एच. एपलबी ने ओ. तथा एम. को बनाने पर बल दिया। 1945–46 में रिचर्ड टोटेनहोम ने विभागों के संगठन के बारे में प्रतिवेदन दिया। 1956 में रेलवे भ्रष्टाचार जाँच समिति बनी। 1966 में पिल्ले समिति बनी। इन तमाम समितियों तथा अयोगों को बनाने के बाद भी प्रशासनिक सुधार नहीं हुआ। हमारा लोकतंत्र लगातार आहत होता रहा है। यहाँ प्रश्न करना समीचीन होगा कि आखिर किया क्या जाए ? सुधार किया जाए, सोच बदली जाए, व्यवस्था परिवर्तित की जाए, नैतिकता को लाया जाए, जिस नैतिकता तथा मूल्यों को पाठ हमने पढ़ाया वह स्वयं पढ़नी चाहिए। भाासन–प्रशासन की सीमाओं तथा कार्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, विश्वास पैदा करना चाहिए। तभी जाकर व्यवस्था परिवर्तित होगी, व्यवस्था परिवर्तित होगी तो विकास होगा, और यदि विकास होगा तो लोक कल्याणकारी राज्य अपने आप स्थापित होगी, यह दृढ़ निश्चय है। तभी जाकर अच्छा तथा सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा और व्यक्ति, समाज, राज्य में नैतिकता तथा मूल्यों का समावेश हो पाएगा।

संदर्भ ग्रंथ

1 Tolcott-parsons, Essays in sociological Theory, The Free press, Glencoe, Illin ois, 1981.

2 M.J.Levy, The Structure of Society, Prin Ceton University, New Jersey,1987.

3 R.M. Maclver and C.h.page, Society, macmillian and Co.Ltd, London, 1979.

4 Radhakamal mukerJee , the social structure of values, second Edition,S.Chand & Com.New Delhi, 1989.

5 Robert A.Dahl, On Democracy, East-West press, New Delhi, 2001.

6 Huntington,Samuel P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentith Centur, Norman: University of Oklahoma press, 1991.

7 National Development Council report 1958 also Savita, Gandhi and Social policy in India, National publishing House New Delhi,1970.

8 Prasad, Narmadeshwar, “Change Strategy in a Developing society India, Meenakshi Prakashan Meerut,1970.

9 Yadva, J.S., Panchayat Election in Rural, Delhi Kuruksutra Journal vol.VIII No. 14 Aug. 1970.Page 41.

10 Bandhopadhaya, J., Mao-Tse-Tung and Gandhi perspective on social Transformation, Allied Publication Bombay, 1973.

11 Dharmadhikari, Dada, Sarvodaya Darshan, Sarva Seva Sangh Prakshan, Varanasi, 1957.

12 सिंह, प्रताप, आधुनिक भारत, रिसर्च पब्लिके" ान, दिल्ली, 1987.

13 अग्रवाल, आर.सी., प्राचीन एवं मध्य भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, सुल्तान चन्द एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 1981.

14 डॉ. सुरेन्द्र कटारिया, कार्मिक प्र" ाासन, आर.बी.एस.ए. पब्लि" ार्स, जयपुर,1997.

15 प्र" ाासनिक सुधार आयोग, राज्य प्र" ाासन पर रिपोर्ट, भारत सरकार 1969,70.

16 Maheshwari, S.R., State Administration In India, Macmillon, New Delhi, 1979.

17 Arora, R.K., Comparative Public Administration Ecological perspective, Associated Publishing house New Delhi ,1997.

18 Gerald E. Caiden:, Dynamics & of public Administration Rinehart publication, New Delhi,1971.

19 Sharma, M.P., and B.L. Sadana, public Administration, Kitab mahal, New Delhi,1990.

20 Johnston, Michael and Arnold Heidenheimer, eds, political Corruption: concepts and Contexts. New Brunswick, N.J. Transaction publishers, New York, 2002.

21 Levi, Michael and David Nelken. The Corruption of Politics and the politics of Corruption, Oxford, Blackwell publishers, 1996.

22 Ward, Peter M. Corruption, Development and Inequality, London Routiedge publishers 1989.

भू– जल संरक्षण योजना से ग्रामीणों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति

प्रशांत कुमार बेन
समाज कार्य एवं समाज शास्त्र विभाग
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

भू–जल संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत भू–आयामी उपाय किये जा रहे है। इस कार्यक्रम का सर्वांगित विकास का मूल उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य विकास का लक्ष्य रहा है किन्तु उसके साथ–साथ स्वास्थ्य विकास को भी महत्त्व दिया गया है। भू–जल संरक्षण कार्यक्रम योजना के साथ स्वास्थ्य सुधार, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं ग्राम समिति, समूह गठन के माध्यम से स्वास्थ्य में उचित बदलाव लाने के प्रयास तथा सामुदायिक विकास में अपनी भागीदारी एवं जिम्मेदार बनाना है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शासन की गरीबी उन्मूलन की विभिन्न योजनाओं में जनजाति, स्वरोजगार जनसंरक्षण तथा सामाजिक संगठन के माध्यम से जागरूकता का अभियान। प्रस्तुत अध्ययन कुण्डम विकासखण्ड के 6 ग्रामों में सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्था द्वारा किये गये सामाजिक विकास हेतु भू–जल संरक्षण योजना के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने का प्रयास है। ग्राम **खाम्हा एवं ग्राम उमरझर के बीच में पड़ने वाले ग्राम– खितौला, किवलारी, पडरिया, सिमरिया** में भू–जल–संरक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन न होने पर भी मूलतः आदिवासी ग्रामीणों के जनजीवन में इस योजना का प्रभाव देखा गया।

अतः मूलतः अध्ययन शासन एवं गैर–सरकारी संस्था द्वारा किए गए सामाजिक एवं आर्थिक विकास एवं प्रभाव का अध्ययन है।

शासन द्वारा चलाये गये कार्यक्रम

हम जब भी जल शब्द का उच्चारण करते हैं तो अनायास ही **'जल ही जीवन है।'** यह तथ्य सामने आता है। मानव और अन्य जीवों के लिए भोजन से अधिक आवश्यक पेयजल है। कृषि उत्पादन के लिए भी जल की आवश्यकता उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। यहाँ तक कि हमारे बड़े–बड़े उद्योग भी जल के बिना संचालित होना असंभव है।

1989 में जब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम गरीब जनता के लिए चलाए गए तो उनकी एक उपयोजना के रूप में दस लाख कुओं की योजना चलाई गई जिसका वित्तीय प्रबन्ध इन दोनों योजनाओं के मद से होना था। इस उपयोजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था करना। बाद में जब ये रोजगार योजनाएँ

जवाहर रोजगार योजना में विलीन हो गई तो दस लाख कुँओं की योजना को भी उसी में शामिल कर दिया गया। पेयजल तथा ग्रामीण जल आपूर्ति की दिशा में जैसा कि पहले कहा जा चुका है प्रयास प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही शुरू हो गए थे लेकिन 1954 में ग्रामीण जल आपूर्ति, स्वच्छता कार्यक्रम और स्वास्थ्य

को केंद्रीय सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र का दर्जा दिया और स्थानीय विकास को सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अंतर्गत रखा गया। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नए कुओं का निर्माण, पुराने कुओं की मरम्मत और हैंडपम्प लगवाना था। इन उपयोजनाओं के लिए आवश्यकता पर निर्धारित राशि जिसे केन्द्र और राज्य सरकार 75:25 की भागीदारी पर वहन करेंगे। (तेजस्कर पाण्डेय, 2012)

जहाँ तक इस परियोजना के क्रिर्यान्वयन का प्रश्न है उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के जन स्वास्थ्य और यान्त्रिकी विभागों को सौंपी गई है।

राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल मिशन 1991 से कार्यरत है लेकिन 1998 में मिशन ने रख–रखाव और मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर इस योजना का पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में जानी–मानी शोध संस्थाओं द्वारा सर्वेक्षण कराया। इनके मूल्यांकन आने शुरू हो गए हैं। (तेजस्कर पाण्डेय, 2012)

अतः पेयजल की समस्या काफी गम्भीर समस्या है सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लिए जागरूक है। गाँवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास भी कर रही है। बहुत सारी योजनाएँ इसलिए ग्रामीण स्तर पर असफल हो जाती हैं क्योंकि उनमें जनता की सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पाती है, साथ ही परियोजनाओं को पूरा होने पर रख–रखाव का कोई उचित प्रबन्ध नहीं हो पाता क्योंकि उनमें कमियों को दूर नहीं किया जाता जिस कारण योजना पूर्णतः सफल नहीं हो पाती है, इसलिए इस दिशा में ग्राम पंचायतें, गैर–सरकारी संस्थाओं की भूमिका प्रभावकारी हो तो योजनाओं को सफल बनाने में सहायता मिलेगी।

जल के कुशल प्रबन्ध की व्यवस्था :

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ, उपलब्ध सेवाओं और जल के उचित उपयोग के बारे में उपयुक्त वातावरण तैयार करने की आवश्यकता से सातवीं पंचवर्षीय योजना में निम्न बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है –

1. सिंचाई की वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए खेतों में नालियाँ बनाने व भूमि को समतल करने पर उचित ध्यान दिया जायेगा।
2. सिंचित क्षेत्रों में क्षारयुक्त भूमि व पानी के रुकने की समस्या के निराकरण हेतु जल विकास योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जायेगा।
3. उन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी जो काफी आगे की अवस्था में पहुँच चुकी हैं।
4. सूखाग्रस्त क्षेत्रों व पिछड़े क्षेत्रों में ही नये मध्यम दर्जे की परियोजनाओं को लागू किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करने के दौरान ग्रामीण एवं वृद्धों से सम्पर्क करने पर यह तथ्य सामने आया कि उनके लिए सूखे की समस्या तीन प्रकार की हैं – पेयजल की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी तथा पशुओं के लिए चारे की अनुपलब्धि। सूखे का सर्वाधिक प्रभाव सन् 1987 में देखा गया जब देश में 457 जिलों में से 212 जिलों में भयंकर सूखा पड़ा था। कृषि भूमि धूल के टीलों में बदल गई तथा नदी, नाले व झील सूख गए। वृद्ध व्यक्तियों के कथनानुसार उन्होंने अपनी स्मृति में कभी इस प्रकार के

असाधारण सूखे का अनुभव नहीं किया। कुल मिलाकर 15 राज्यों में खरीफ की फसल को 60 प्रतिशत नुकसान पहुँचा। सूखा की भयानकता से निपटने के लिए राज्य, केन्द्र में निरन्तर सहायता की माँग करते रहते हैं।

सरकार, सूखा से पीड़ित ग्रामीण अंचल के जन–जीवन को सामान्य बनाने हेतु अनेक उपाय करती है, जिनमें जल स्रोतों का नियोजित विकास, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, नये कुएँ खुदवाना, पुराने कुओं को गहरा कराना तथा चारा फसलें उगाना, शामिल हैं। सितम्बर, 1987 में सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति अघोषित कर इस ओर एक प्रभावी कदम उठाया। अधिकतम उत्पादन हेतु राष्ट्रीय जल नीति के अतिरिक्त अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। (तेजस्कर पाण्डेय, 2012)

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम :

- सूखाग्रस्त अस्थायी रूप से पानी की कमी अथवा स्वभाविक नमी अप्राप्त होने का समय होता है जो संभावित वर्षा अथवा सिंचाई की सुविधाओं से वंचित होने पर होता है। (डॉ. बी.के. खन्ना, 2011)
- सूखाग्रस्त यह मौसम का एक प्राकृतिक आपदा है जो पूरे क्षेत्र को महीनों तथा वर्षों तक प्रभावित करता है जिसमें आर्थिक, औद्योगिक तथा जनजीवन को भी नितांत प्रभावित करता है। (के. एन. जोशी, 2003)

वर्षा के प्रारूप, अकाल के प्रभाव, सिंचाई विस्तार आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए 13 राज्यों के 74 जिलों के 615 विकासखण्डों को प्रारम्भिक रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल करने के लिए चयनित किया गया था। इन क्षेत्रों में देश की 12 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इन क्षेत्रों में मिट्टी काली और लाल पाई जाती है जिसमें पोषक तत्त्वों की कमी होती है। अधिकांश क्षेत्र पठारी होने से मिट्टी उथली होती है। काली मिट्टी में सूखने पर दरारे पड़ती हैं व लाल मिट्टी आसानी से बह जाती है।

इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करने का प्रमुख उद्देश्य –

अकाल की गहनता को कम करके धीरे–धीरे समाप्त करने के लिए प्रयास करना।

वहाँ के निवासियों, विशेषकर कमजोर लोगों की आय को स्थिर करना।

सूखाग्रस्त क्षेत्र में उपलब्ध सभी संसाधनों, जैसे भूमि, पानी, पशुधन एवं मानवीय संसाधनों का अनुकूल प्रयोग करना।

पर्यावरण में संतुलन बनाये रखना। इस हेतु सामाजिक वानिकी चारागाहों का विकास आदि कार्य करना।

सूखे से पीड़ित लोगों के लिए सहायता उद्योग धन्धों का विकास, पशुपालन और दुग्धोत्पादन, आधारिक संरचना का विकास, पीने के पानी की व्यवस्था, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कों के निर्माण जैसे कार्य प्रारम्भ करना।

फसलों के प्रारूप की पुनर्संरचना तथा सस्य विज्ञान में परिवर्तन।

मिट्टी एवं आद्रता रक्षण उपाय।

उपरोक्त लक्ष्यों के सन्दर्भ में कार्यक्रम के तीन मुख्य अवयव (संभाग) इस प्रकार है –

अ. भूमि विकास तथा भूमि को समतल बनाना,

ब. जल संचय और भण्डार के साधनों का निर्माण, सूखा अवरोधक बीज तथा उर्वरकों का प्रयोग

स. विशिष्ट उपकरण एवं तकनीक का प्रयोग। (तेजस्कर, 2012)

सिंचाई के स्रोत : भारत में सिंचाई के विभिन्न स्त्रोतों में कुएँ, तालाब तथा नहरें प्रमुख हैं। सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण बड़ी, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं के रूप में किया गया है। 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक की योजनाएँ बड़ी, 2 हजार से 10 हजार हेक्टेयर तक की मध्यम तथा 2 हजार हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की लघु सिंचाई परियोजनाएँ मानी जाती हैं। बड़ी एवं मध्यम परियोजनाएँ जैसे नदी पर बनाई जाती हैं, लघु परियोजनाएँ भूमिगत जल स्रोतों पर आधारित होती है जैसे कुएँ, गहरे नलकूप आदि। सिंचाई के विभिन्न साधनों में –

1. **कुएँ** – देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं की सिंचाई का योगदान 40 प्रतिशत है। भूमिगत जल के उपयोग का यह महत्त्वपूर्ण साधन है। कुओं से सिंचाई ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती तथा जहाँ भूमिगत जल उपलब्ध होता है।

2. **तालाब** – ऐसे क्षेत्र जहाँ भूमि समतल नहीं है, पथरीली है तथा नदियां साल भर नहीं बहती हैं, वहाँ तालाब का निर्माण कर सिंचाई कार्य किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा के पानी को एकत्र कर लिया जाता है। तालाबों द्वारा सिंचाई से पानी का वाष्पीकरण बहुत अधिक मात्रा में होता है तथा तालाब निर्माण के लिए भी काफी उपजाऊ भूमि काम में ली जाती है। इसलिए तालाबों से सिंचाई का योगदान निरन्तर कम होता जा रहा है। (तेजस्कर पाण्डेय, 2012)

समस्याग्रस्त ग्रामीणों की सामाजिक व आर्थिक अवस्था के साथ कृषि श्रमिकों की दशा अत्यन्त दयनीय है आज भी जनजातियों द्वारा अपनी भूमि को किरायें पर देते हैं तथा लेते हैं एवं दूसरों की भूमि पर मजदूरी करते हैं। सामाजिक विकास के विभिन्न आयामों के प्रभाव का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि दिन भर के परिश्रम के बाद आज भी इनका पैसा व अनाज आवश्यकतानुसार प्राप्त नहीं होता है जिस कारण उनके परिवारों के पालन–पोषण एक समस्याग्रस्त है यह भी पाया गया अधिकतर किसानों के पास साधन एवं संसाधन उपलब्ध न होने के कारण कृषि से उनकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमजोर हो रही है। जैसा की पर्यावरण तथा मिट्टी, पानी, संरक्षण से लापरवाही के कारण, मौसम में परिवर्तन और मिट्टी उत्पादक क्षमता में कमी और पानी के साधन ना होने के कारण किसानों में कृषि के प्रति एक अविश्वास सा बन गया है, क्योंकि वह कुशल कारीगर अन्य किसी कार्य के ना होने के कारण कृषि मजदूरी एवं मजदूरी पर ज्यादा निर्भर रहते है, जिसके कारण वे ग्राम से शहर की ओर पलायन कर जाते है, साथ ही पीछे अपने परिवार को छोड़ जाते है, जिससे उनकी आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। (आशा कपूर एवं सौरभ भूश, सन् 2003)

भू–जल संरक्षण कार्यक्रम को शुरूआत

महामाया शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति जो गैर–सरकारी संस्था मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्राप्त परियोजना भू–जल–संरक्षण कार्यक्रम की शुरूआत कुण्डम विकासखण्ड में सन् 2008 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया, परन्तु ग्रामीणों की सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत

स्वरूप सुविधाओं के प्रति लोगों को जागरुक किया गया एवं उन्हें प्रशिक्षित किये जाने की पहल की गई। भू–जल संरक्षण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य छोटे किसान, भूमिहीन, कृषि मजदूर, महिलाओं के साथ मिलकर मिट्टी और पानी का संरक्षण, वृक्षारोपण, कृषि एवं पशुधन का विकास के साथ–साथ शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य के स्तर को सुधारना क्योंकि – अनुसूचित जनजाति वर्ग शासन की योजनाऐं की पहुँच बहुत सीमित है और इन योजनाओं को प्राप्त करने की संभावना भी बहुत कम है, आदिवासी अपने हक को कैसे प्राप्त कर सके इसके लिये इस कार्यक्रम को माध्यम बनाया गया तथा सहभागिता की प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है और समुदाय विकास परियोजनाओं में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये यह कार्यक्रम चलाया गया और स्वास्थ्य संबंधी सुधार किया जा सके।

कृषि केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि 67 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है तथा देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देती है। भूमि क्षेत्रफल का सर्वाधिक भाग कृषि के काम में आता है। आवश्यक अधिकांश खाद्य सामग्री की पूर्ति तथा सूती वस्त्र, चीनी, चाय, काफी, रबर, वनस्पति, घी, तेल, उद्योग इत्यादि को आवश्यक कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि संपूर्ण परिवहन व्यवस्था का मुख्य आधार, जनजीवन की आत्मा तथा सभ्यता और संस्कृति का आवश्यक अंग है राजस्व में कृषि का अच्छा योगदान है। कृषि वस्तुओं के निर्यात से भी सरकार को राजस्व मिलता है। कृषि ग्रामीण समुदाय में जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन होती है। इस प्रकार कृषि अपनी अनेक विशेषताओं के कारण महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।

कुण्डम विकासखण्ड में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति (सन् 2008 के पूर्व)

शिक्षा :ग्राम उमरझर में एक आँगन बाड़ी, एक प्राथमिक स्कूल एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिये बच्चों को 5 कि.मी. दूर कुण्डम जाना पड़ता था गाँव से आवागमन के साधनों का अभाव होने पर ग्रामीणों द्वारा शिक्षा अर्जन करने में लड़कियों के लिये भेदभाव था। ग्रामीणों का यह सोचना था कि शादी के उपरान्त ससुराल जाकर पति, बच्चों की जबावदारी ही संभालना है तो लड़की को शिक्षा क्यों दी जाये?

स्वास्थ्य स्थिति : जल–संरक्षण कार्यक्रम के पूर्व ग्राम में स्वास्थ्य की स्थिति किस प्रकार थी? प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञात हुआ कि बच्चों में कुपोषण का स्तर अधिक था इसी संदर्भ में महिलाओं ने यह भी बताया कि समय पर इलाज ना होने के कारण ग्राम उमरझर, में वर्ष 2007 में 13 बच्चों की 3 दिन के अंदर उल्टी, दस्त से मौत हो गई थी। ग्राम में पीने का पानी तथा उस पानी का अन्य उपयोग मवेशी और ग्रामवासी एक साथ करते थे जिससे ग्राम में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती थी। जैसे – मलेरियां, उल्टी, खुजली, निमोनियां, पीलियां, मोतीझिरा, चेचक, इत्यादि यह बीमारिया बहुत अधिक मात्रा में फैलती थी। ग्रामवासियों की लापरवाही एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्राम में सेवाऐं देने में लापरवाही करना अन्ततः सामान्य वैद्य द्वारा इलाज करवाते थे जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवा में उचित लाभ नही मिलता था।

कृषि श्रमिकों की समस्या : इस प्रकार श्रमिक के अन्तर्गत वे सभी लोग आ जाते हैं जो दूसरों के लिये शारीरिक या मानसिक कार्य करते हैं। जिसके बदले में उसको नकद या वस्तु के रूप में भुगतान प्राप्त होता है। कृषि का संबंध उत्पादन से होता है। उत्पादन के क्षेत्र में श्रमिक एक महत्वपूर्ण कारक है। कृषि प्रणाली और देश की भावी आयोजित विकास के लिए श्रम की महत्ता को सभी ने स्वीकार किया है। राष्ट्र की

आर्थिक उन्नति का स्वप्न श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि से ही साकार होता है। पूंजीपति समाज मे श्रमिक वर्ग आधारशिला के समान है। उसके अभाव में पूंजीपति वर्ग उसी प्रकार अचल एवं अस्तित्वहीन है जिस प्रकार एक चालक के अभाव में मशीन का कोई महत्व नहीं।

'श्रमिक शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थ में समस्त कामकार शक्ति या दाम शक्ति के रूप में किया जाता है जिसमें जीविका उपार्जन के लिए काम करने वाले सभी व्यक्ति समाहित हो जाते हैं।' इन सभी विषयों का अध्ययन में गैर–सरकारी संस्था की भूमिका और वर्तमान में कृषि श्रमिकों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक सार्थक प्रयास किया गया।

कृषि श्रमिकों की समस्याएँ निम्न हैं –

रोजगार हेतु ग्रामीणों का पलायन :एक कुशल ग्रामीण कृषक होने के बाद भी संसाधनों के अभाव में अन्य जगह काम की तलाश में शहरों में पलायन कर जाते हैं जो कृषक मजदूर कृषक के यहाँ मजदूरी करते हैं उन्हें कृषक के यहाँ मजदूरी न मिलने पर वह भी पलायन करते हैं जिससे की अपने परिवार का भरण–पोषण कर सके। रोजगार तो इन्हें मिल जाता है परन्तु यह अपने परिवार से दूर रहते हैं तथा उनके मन में सदैव परिवार की असुरक्षा की भावना बनी रहती है।

वर्षाधारित कृषि :

ग्रामीण कृषि हेतु वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं, यदि वर्षा उचित मात्रा में नहीं होती है तो ये कृषक कृषि नहीं कर पाते हैं और न ही कृषक मजदूर को मजदूरी करने का अवसर मिलता है जिससे इनकी आर्थिक स्थिति निम्न हो जाती है।

ऋणग्रस्तता :

जल की कमी होने के कारण कृषि करना सम्भव नही है न ही कृषक मजदूर को मजदूरी मिलना। परिवार का भरण–पोषण करने के लिए ग्रामीणों को साहूकार से ऋण लेना पड़ता है। ऋण दर न चुकाने पर सदैव ऋणी बना रहता है। अन्य रूप से कहा जाय तो भारतीय कृषक मजदूर कृषि ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है और ऋण में ही मर जाता है।

मौसमी रोजगार –

कृषि श्रमिकों की मुख्य समस्या मौसमी रोजगार की है, इन्हें वर्ष में कुछ ही महीने काम मिल पाता है और अन्य समय में ये बेकार रहते हैं।

कम मजदूरी –

इन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है अखिल भारतीय कृषि मजदूर जाँच के आधार पर कृषि कार्यों में लगभग 81 प्रतिशत मजदूरों को जीविका अर्जन का काम करना पड़ता है।

अत्यधिक कार्यभार एवं अनियमित घंटे –

कृषि श्रमिकों की एक समस्या अत्याधिक कार्यभार एवं काम करने के अनियमित घंटे की है।

निम्न जीवन स्तर –

कृषि श्रमिकों का रहन–सहन का निम्न स्तर होता है न कि उनके पेट भरने के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था होती है और न ही पहनने के लिए अच्छे वस्त्र की व्यवस्था। ऋणों में डूबे रहने के कारण ये सारी जिन्दगी गरीबी में काट देते हैं।

सहायक धंधो का अभाव –

ग्रामों में सहायक धंधों के अभाव में जब कभी प्राकृतिक प्रकोप के फलस्वरूप फसल नष्ट हो जाती है तो कृषि श्रमिकों का जीवन दूभर हो जाता है।

कृषि में मशीनीकरण से बेकारी –

कृषि में आधुनिक मशीनों के प्रयोग ने कृषि श्रमिकों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न कर दी है।

संगठन का अभाव – कृषि श्रमिकों की एक बहुत बड़ी समस्या संगठनों का अभाव है।

अध्ययन विधि : यह अध्ययन कुण्डम विकासखण्ड के 6 ग्रामों में खाम्हा, खितौला, किवलारी, पड़रिया, सिमरिया एवं उमरझर के विशेष संदर्भ में जिला जबलपुर से लगभग 50 कि.मी. दूर डिण्डोरी मार्ग की उत्तर दिशा में आदिवासी ग्रामीण बाहुल्य जनजाति में किया गया। यह आदिवासी मूलतः कृषि, कृषि मजदूरी पाशुपालन, मजदूरी, मत्स्यपालन एवं अन्य कार्यों पर निर्भरशील होकर अपना जीवनयापन करते है। कुण्डम विकासखण्ड में कुल जनसंख्या लगभग 85600 है जिसमें केवल 6 ग्राम में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर 100 पुरुषों तथा 50 महिलाओं को उत्तरदाताओं के रूप में चुना गया खाम्हा से 30, खितौला 20, किवलारी 20, पड़रिया 20, सिमरिया 20 एवं उमरझर से 40 उत्तरदाताओं का चयन कर उनसे जानकारी प्राप्त की गई इन सभी उत्तरदाताओं में भू–जल–संरक्षण कार्यक्रम के पूर्व एवं क्रियान्वयन होने के पश्चात् की स्थिति की जानकारी प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से तथा साक्षात्कार द्वारा प्राप्त की गई है। निदर्शित 150 उत्तरदाताओं से समान रूप से कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पूर्व तथा पश्चात् वर्तमान स्थिति को ज्ञात किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य :

भू–जल संरक्षण कार्यक्रम के पूर्व एवं पश्चात् ग्रामीणों के जनजीवन पर आये शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन।

भू–जल संरक्षण योजना से ग्रामीणों के जीवन पर आये लाभ की जानकारी।

गैर–सरकारी संस्था की भूमिका (वर्तमान स्थिति)

महामाया शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति द्वारा कुण्डम विकासखण्ड के ग्रामीणों को परामर्श दिया गया कि शिक्षा के अभाव में बच्चे स्वयं से अपनी मानसिकता का विकास नही कर सकते यदि बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जायेगा तब उनका जीवन स्तर शून्य रह जायेगा साथ ही वह स्वयं से अपना भविष्य उज्जवल बनाने पर असमर्थ रहेंगे।

शिक्षा (सारणी क्रमांक –1) क्रियान्वयन के पूर्व एवं वर्तमान स्थिति

क्र.	शिक्षा		पु/म	खाम्हा	खितौला	किवलारी	पडरिया	सिमरिया	उमरझर	कुल	प्रतिशत
1	निरक्षर	पूर्व	पु	10	5	6	4	5	10	40	40
			म	5	4	4	3	2	4	22	44
		वर्तमान	पु	6	5	4	3	3	6	27	27
			म	3	3	4	3	2	3	18	36
2	प्राथमिक	पूर्व	पु	6	4	3	2	1	8	24	24
			म	1	2	2	2	3	3	13	26
		वर्तमान	पु	8	3	4	2	2	9	28	28
			म	2	3	1	2	4	3	15	30
3	माध्यमिक	पूर्व	पु	4	2	1	3	3	9	22	22
			म	1	1	2	2	2	2	10	20
		वर्तमान	पु	5	3	2	3	3	10	26	26
			म	2	1	3	1	1	2	10	20
4	हा. सेकेण्डरी	पूर्व	पु	2	1	2	3	3	3	14	14
			म	1	1	*	1	1	1	05	10
		वर्तमान	पु	3	1	2	4	4	4	18	18
			म	1	1	*	2	1	2	07	14
5	स्नातक	वर्तमान	पु	*	*	*	*	*	1	01	01
			म	*	*	*	*	*	*	00	00
कुल		पूर्व	पु	22	12	12	12	12	30	100	100
			म	8	8	8	8	8	10	50	
		वर्तमान	पु	22	12	12	12	12	30	100	100
			म	8	8	8	8	8	10	50	

सारणी क्र. 1 भू—जल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के पूर्व एवं वर्तमान स्थिति के विषय में प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि निरक्षर उत्तरदाताओं में योजना के क्रियान्वयन के पूर्व 40 प्रतिशत पुरुषों की संख्या थी। जबकि सन् 2008 इस कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने के पश्चात् वर्तमान में निरक्षर पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या 27 प्रतिशत पाई गई। इसी प्रकार महिला उत्तरदाताओं की संख्या योजना के क्रियान्वयन के पूर्व 44 प्रतिशत निरक्षरों की संख्या थी। जबकि क्रियान्वयन के पश्चात् वर्तमान में 36 प्रतिशत महिला उत्तरदाता निरक्षर पाई गई। इस योजना के क्रियान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर यह ज्ञात होता है कि 13 प्रतिशत निरक्षर पुरुषों की संख्या वर्तमान स्थिति में प्रभावित पाये गये क्योंकि निरक्षरों की संख्या योजना के माध्यम से कम होती दिखाई दे रही है। इसी प्रकार महिलाओं की संख्या में भी 8 प्रतिशत कमी पाई गई। पुरुष एवं महिला उत्तरदाताओं के बीच निरक्षर होने की स्थिति में भू—जल संरक्षण कार्यक्रम का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है जिसमें मूलतः महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में प्रगति तीव्र होना पाया गया। इसी प्रकार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पूर्व प्राथमिक शिक्षा अर्जित पुरुषों की संख्या 24 प्रतिशत थी जबकि सन् 2008 में इस कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने के पश्चात वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त पुरुषों की संख्या 28 प्रतिशत पाई गई तथा महिला उत्तरदाताओं की संख्या क्रियान्वयन के पूर्व 26 प्रतिशत और क्रियान्वयन के पश्चात् वर्तमान में 30 प्रतिशत पाई गई इस योजना के क्रियान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर यह ज्ञात होता है कि 4 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाता वर्तमान स्थिति में प्रभावशील है जिस कारण प्राथमिक शिक्षा में योजना के माध्यम से वृद्धि दिखाई दे रही है। जबकि महिलाओं की संख्या पर 4 प्रतिशत वृद्धि पाई गई पुरुष एवं महिला उत्तरदाताओं के बीच प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में भू—जल संरक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का प्रभाव महिलाओं एवं पुरुषों में समान रूप से प्रभावशील पाया गया।

माध्यमिक शिक्षा प्राप्त पुरूषों की संख्या 22 प्रतिशत थी जो भू—जल संरक्षण कार्यक्रम क्रियान्वयन के पूर्व की अवस्था थी। जबकि सन् 2008 में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के पश्चात् वर्तमान में पुरुषों की संख्या 26 प्रतिशत पाई गई महिला उत्तरदाताओं की संख्या योजना क्रियान्वयन करने के पूर्व एवं पश्चात् 20 प्रतिशत पाई गई, जिसमें किसी प्रकार का अंतर नही पाया गया अतः इस योजना के क्रियान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर यह पाया जाता है कि 4 प्रतिशत पुरुषों की संख्या वर्तमान स्थिति में प्रभावशील है जबकि महिलाओं की संख्या पर पूर्व एवं वर्तमान स्थिति पर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अतः माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं में महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों में प्रगतिशील उल्लेखनीय है।

हायर सेकेण्डरी शिक्षा में भू—जल संरक्षण कार्यक्रम क्रियान्वयन के पूर्व पुरूष उत्तरदाताओं की संख्या 14 प्रतिशत थी जबकि सन् 2008 में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के पश्चात् वर्तमान में पूछे जाने पर पुरुषों की संख्या 18 प्रतिशत पाई गई जो प्रत्यक्षतः 4 प्रतिशत संख्या की वृद्धि परिलक्षित है तथा महिला उत्तरदाताओं की संख्या क्रियान्वयन के पूर्व 10 प्रतिशत थी जबकि योजना का क्रियान्वयन करने के पश्चात् वर्तमान पर महिलाओं की संख्या 14 प्रतिशत पाई गई। अतः इस योजना के क्रियान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर पुरुषों एवं महिलाओं में हायर सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त करने की मानसिकता में उन्नत दृष्टिकोण पाया गया। अतः यह नितान्त रूप से कहा जा सकता है कि हायर सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त करने की मनोवृत्ति पुरूषों एवं महिलाओं में समान रूप से वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार स्नातक शिक्षा प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं में योजना क्रियान्वयन के पूर्व में शून्य था किन्तु क्रियान्वयन के पश्चात् के पुरुष उत्तरदाताओं में केवल 1 संख्या है जबकि महिलाओं में यह संख्या 0 है। अतः भू–जल–संरक्षण के क्रियान्वयन के पश्चात स्नातक शिक्षा प्राप्त करने वाले पुरुषों में उत्तरोत्तर प्रगति पाई गई।

चिकित्सा (सारणी क्रमांक –2) क्रियान्वयन के पूर्व एवं वर्तमान स्थिति

क्र.	विवरण		खाम्हा	खितौला	किवलारी	पडरिया	सिमरिया	उमरझर	कुल	प्रतिशत
1	जड़ी–बूटी	पूर्व	7	6	5	4	10	15	47	31.33
		वर्तमान	4	4	5	3	5	4	25	16.67
2	जादू–टोना	पूर्व	8	7	8	12	6	17	58	38.67
		वर्तमान	1	2	1	2	*	*	6	4
3	झाड़–फूक	पूर्व	12	5	5	3	4	6	35	23.33
		वर्तमान	3	3	2	2	1	3	14	9.33
4	अस्पताल	पूर्व	3	2	2	1	*	2	10	6.67
		वर्तमान	22	11	12	13	14	33	105	70
कुल		पूर्व	**30**	**20**	**20**	**20**	**20**	**40**	**150**	**100**
		वर्तमान	**30**	**20**	**20**	**20**	**20**	**40**	**150**	**100**

सारणी क्र. 2 अध्ययन के दौरान कुण्डम विकासखण्ड के अंतर्गत 6 ग्रामों का दौरा करने पर स्वास्थ्य के विषय में ग्रामीणों तथा विकासखण्ड कार्यालय के अंतर्गत 189 ग्रामों में कहीं भी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र न होना बताया गया। केवल विकासखण्ड मुख्यालय में एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है। अध्ययन हेतु चयनित 6 ग्रामों में यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि सन् 2008 में भू–जल–संरक्षण योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया अतः इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उत्तरदाताओं द्वारा चिकित्सा की प्रकृति में प्रभावित होने वाले विभिन्न पद्धतियों में जड़ी–बूटी, जादू–टोना, झाड़–फूक तथा अस्पताल के उपयोग करने व न करने के विषय में प्राप्त जानकारी यह ज्ञात करवाती है कि बीमार होने पर चिकित्सा, उपचार के लिये उत्तरदाता हेतु जड़ी–बूटी का उपयोग क्रियान्वयन के पूर्व 31.33 प्रतिशत तथा क्रियान्वयन के पश्चात् वर्तमान में 16.67 प्रतिशत की संख्या ने सहमति व्यक्त की है अतः 14.66 प्रतिशत

मानसिकता में वर्तमान अंतर यह स्पष्ट करता है कि योजना के क्रियान्वयन के पश्चात ग्रामीणों में चिकित्सा पद्धति में जड़ी–बूटी का प्रयोग करना कम पाया गया।

इसी प्रकार बीमार होने पर चिकित्सा उपचार के लिये उत्तरदाता द्वारा जादू–टोने का उपयोग प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पूर्व 38.67 प्रतिशत तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात वर्तमान में एक चौथाई से भी अधिक 34.67 प्रतिशत की संख्या घटकर केवल 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह कहना है कि अभी भी वह जादू–टोने का उपयोग चिकित्सा प्रकृति के रूप में करते हैं तथा उत्तरदाताओं की जानकारी के अनुसार 34.67 प्रतिशत ग्रामीणों की मानसिकता यह अंतर स्पष्ट करती है कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन होने के पश्चात् चिकित्सा की पद्धति जादू–टोने का उपयोग करना कम पाया गया।

ग्रामीणों की स्वास्थ्य की सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति चिकित्सा पर उपयोग झाड़–फूक के विषय में पूछे जाने पर प्राप्त जानकारी के अनुसार भू–जल संरक्षण कार्यक्रम क्रियान्वयन के पूर्व 23.33 प्रतिशत तथा योजना के क्रियान्वयन के पश्चात वर्तमान में 9.33 प्रतिशत की संख्या ने सहमति व्यक्त की है।

आय के स्रोत– (सारणी क्रमांक –3) क्रियान्वयन के पूर्व एवं वर्तमान स्थिति

क्र.	विवरण		खाम्हा	खितौला	किवलारी	पडरिया	सिमरिया	उमरझर	कुल	प्रतिशत
1	कृषि	पूर्व	14	8	9	4	6	19	60	40
		वर्तमान	15	8	8	4	6	21	62	41.33
2	कृषि–मजदूरी	पूर्व	9	7	6	10	5	11	48	32
		वर्तमान	11	8	7	11	6	11	54	36
3	पशुपालन	पूर्व	4	3	4	*	2	6	19	12.67
		वर्तमान	4	2	4	2	5	3	20	13.33
4	मत्स्यपालन	पूर्व	*	*	*	*	*	*	00	00
		वर्तमान	*	*	*	*	*	4	4	2.67
5	अन्य कार्य	पूर्व	3	2	1	6	7	4	23	15.33
		वर्तमान	*	2	1	3	3	1	10	6.67
कुल		पूर्व	**30**	**20**	**20**	**20**	**20**	**40**	**150**	**100**
		वर्तमान	**30**	**20**	**20**	**20**	**20**	**40**	**150**	**100**

सारणी क्र. 3 में 6 ग्रामों के उत्तरदाताओं से पूछे जाने पर कि सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषि के लिये सहयोग पूर्व में जिस किसी माध्यम से प्राप्त होता था, क्या 2008 में भू–जल–संरक्षण योजना का क्रियान्वय होने के पश्चात् भी इसी प्रकार से प्राप्त होता है। जिसमें 6 ग्राम के कुल उत्तरदाआतों ने कुल 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह कहना है कि कृषि करने हेतु खाद्य बीच का अन्य प्रकार से सहयोग पूर्व में प्राप्त होता था जबकि 41.33 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं द्वारा यह बताया की 2008 के पश्चात भू–जल–संरक्षण योजना के क्रियान्वयन होने से उन्हें वर्तमान में भी इसी प्रकार शासन की ओर से योजना के माध्यम से कृषि करने पर सहयोग मिलता है। अतः ग्रामीणों को इस योजना के माध्यम से 1.33 प्रतिशत आधिक्य की संख्या यह बताती है कि उन्हें इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का प्रभाव प्रतीत होता है।

इसी प्रकार उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया की भू–जल–संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के पूर्व कृषि मजदूरी में उन्हें कितना लाभ होता था पूर्व तथा वर्तमान में प्राप्त आँकड़ों में 4 प्रतिशत का आधिक्य यह परिलक्षित कराता है कि 2008 में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात् वर्तमान में उन्हें पूर्व की अपेक्षा कृषि मजदूरी सरलता से प्राप्त होती है।

पशुपालन के लिये उत्तरदाताओं से पूछे जाने पर 1 प्रतिशत आधिक्य का अंतर यह सोचने के लिये बाध्य करता है कि भू–जल–संरक्षण योजना जीवन के विभिन्न आयामों में जिस प्रकार सफल सिद्ध हुआ है परन्तु पशुपालन में इस योजना का क्रियान्वयन कितना सिद्धकारी है। ग्रामीणों की अज्ञानता को 1 प्रतिशत की वृद्धि से यह पुष्टि करती है कि इस योजना का क्रियान्वयन पशुपालन में पूर्ण रूप से लाभदायक होने की अस्पष्टता को 1 प्रतिशत अधिक उत्तरदाताओं की सहमति इस बात की पुष्टि करती है कि वर्तमान में यह योजना कुछ मात्रा में लाभप्रद है। इसी प्रकार मत्स्यपालन में 6 ग्रामों में न किसी प्रकार की कोई योजना थी और न ही मत्स्यपालन से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों की संख्या थी किन्तु 2008 में भू–जल–संरक्षण योजना के क्रियान्वयन होने के पश्चात् केवल उमरझर ग्राम में वर्तमान में मत्स्यपालन योजना का प्रभाव देखा गया केवल 2.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं की सहमति से यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है।

उत्तरदाताओं से जब अन्य कार्य (अर्थात् अस्थाई, छुटपुट, नितांत अस्थिरता प्राप्त होने वाले) के विषय में योजना के क्रियान्वयन के पूर्व 15.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह बताया कि वह अन्य कार्यों से अपनी आय प्राप्त करते थे किन्तु 2008 में क्रियान्वयन होने के पश्चात् इस योजना से लाभान्वित होने वाले 6.67 उत्तरदाताओं का यह कहना है कि 8.66 प्रतिशत का अन्तर यह स्पष्ट करता है कि योजना के क्रियान्वयन होने के पश्चात् वर्तमान में इन उत्तरदाताओं के आय का स्रोत स्थिर एवं निश्चित कार्य में संलग्न है।

निष्कर्ष :कुण्डम विकासखण्ड के 6 ग्राम के अध्ययन करने के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि महामाया शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति जो गैर–सरकारी संस्था मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्राप्त परियोजना भू–जल–संरक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर कुण्डम विकासखण्ड के इन 6 ग्रामों में सामाजिक, आर्थिक विकास करना मुख्य धेय था। अतः इन ग्रामों में उन्नयन के विभिन्न आयामों में से केवल तीन बिनदुओं पर अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष के रूप में प्राप्त होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में निरक्षरों की संख्या सन् 2008 में इस योजना के क्रियान्वयन करने के पश्चात् पूर्व से वर्तमान में पुरुषों में 13 प्रतिशत और महिलाओं में 8 प्रतिशत की संख्या वर्तमान में प्राप्त अंतर तथा प्राथमिक शिक्षा में पुरूषों एवं महिलाओं में 4–4 प्रतिशत का अंतर, माध्यमिक शिक्षा में पुरूष 4 प्रतिशत, हायर सेकेण्डरी शिक्षा में पुरूष, महिला में 4–4 प्रतिशत तथा

स्नातक शिक्षा 1 प्रतिशत का अंतर यह स्पष्ट करता है कि भू–जल संरक्षण कार्यक्रम क्रियान्वयन होने के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावित हुआ है यह प्रभाव जब अध्ययन के दौरान चिकित्सा क्षेत्र में ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी यह स्पष्ट करती है कि योजना क्रियान्वयन के पश्चात जड़ी–बूटी के उपयोग में 15 प्रतिशत की कमी चिकित्सा के लिये जादू–टोने का उपयोग 35 प्रतिशत की कमी तथा झाड़–फूक करने में 14 प्रतिशत की कमी तथा चिकित्सा हेतु अस्पताल जाने पर 63.33 प्रतिशत आधिक्य उत्तरदाताओं की मानसिकता का परिवर्तन यह स्पष्ट करता है कि ग्रामीणों में चिकित्सा पद्धति से भू–जल संरक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन होने के पश्चात् परिवर्तन दिखाई पड़ता है। आय के स्रोत में कृषि, कृषि मजदूरी, पशुपालन, मत्स्यपालन में नितान्त परिवर्तन की कोई मात्रा परिदर्शित नही होती है किन्तु इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् ग्रामीणों के विभिन्न आय के स्रोत में अन्य कार्य के माध्यम से होने वाले आय 9 प्रतिशत की संख्या यह स्पष्ट करती है कि आय स्थिर व अनिश्चित ग्रामीणों के आय के स्रोतों में इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् स्थिरता आई है। ग्राम से शहरों की ओर पलायन करने की संख्या में भी कमी हुई है क्योंकि भू–जल संरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगार ग्रामीणों को ग्राम पर ही रहकर रोजगार प्राप्त होने लगा है तथा उनके पारम्परिक आय के स्रोत में स्थिरता लाने हेतु आय में सहयोग करने लगा है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नही होगा शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक उन्नयन हेतु योजनाओं में भू–जल–संरक्षण कार्यक्रम एक उपयोगी कार्यक्रम है जो सर्वांगिक रूप से उन्नयन हेतु क्रियान्वित होता है। यह नितांत रूप से कहा जा सकता है कि ग्राम में बच्चों की शिक्षा के प्रति जाग्रति कृषि एवं अन्य स्रोतों से आय को स्थिर करने तथा ग्राम से शहर की ओर पलायन करने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है जिस कारण ग्राम में स्थिर रहकर रोजगार व स्व–व्यवसाय करने में ग्रामीणों की मानसिकता में अधिकाधिक परिवर्तन देखा गया इसके अतिरिक्त ग्रामवासियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि वे पुराने झाड़–फूक इत्यादि त्यागकर बीमार होने पर अस्पताल में जाकर चिकित्सा करवाने की मानसिकता अधिकतर बढ़ती जा रही है। अतः भू–जल संरक्षण कार्यक्रम प्रमाणिक रूप से सफल है।

सन्दर्भ :

1 तेजस्कर पाण्डेय, ओजस्कर पाणेय, सन् 2012, समाज कार्य – भारत बुक सेन्टर, 17, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

2. महामाया शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, कुण्डम

3. के.एन. जोशी, सन् 2003, एनालायसिस ऑफ वेस्ट लैण्ड एण्ड इट्स डवलपमेन्ट राजस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ डवलपमेन्ट स्टडी

4. डॉ. बी.के. खन्ना, सन् 2011, डिजास्टर स्ट्रेन ट्रेडिंग कम्यूनिटी माइग्रेशन, एण्ड प्रिपियरनेस न्यू इण्डिया पब्लिसन एजेन्सी

5. आशा कपूर एवं सौरभ भूश, सन् 2003, क्रोनिक पॉवरटी इन इण्डिया, इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली

उन्नीसवीं शताब्दी का हिन्दी गद्य साहित्य

बबीता रावत
शोधार्थी (हिन्दी),
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर (मध्य प्रदेश) भारत

डॉ. कीर्ति बाजपेई
अध्यक्ष हिन्दी विभाग,
माता गुजरी स्नातकोत्तर
महिला महाविद्यालय,
जबलपुर **(मध्य प्रदेश) भारत**

शोध सारांश :– हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल (उन्नीसवीं शताब्दी) को गद्य काल की संज्ञा दी गई हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि जिस परिणाम में गद्य की रचना हुई, वह परिणाम और विकास पद्य साहित्य में देखने को नहीं मिलता। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही देश की तत्कालीन परिवर्तित परिस्थितियों के प्रभावान्तर्गत गद्य का प्रचार बड़ी तेजी से होने लगा था। तत्कालीन साहित्यकारों ने गद्य की अनेक विधाओं को जन्म दिया, ताकि साधारण – सी भाषा के द्वारा आम जनसामान्य को देश की स्थिति से अवगत कराया जा सके, क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, वे भारतीयों का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुप से शोषण कर रहे थे। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रत्येक रचनाकार ने अपनी प्रत्येक गद्य विधा की रचना किसी न किसी उददेश्य को लेकर की है। इस शताब्दी के हिन्दी साहित्य व पत्रकारिता के माध्यम से ही हमें तत्कालीन भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती हैं। हमें हिन्दी गद्य साहित्य से पता चलता है कि इस शताब्दी में रीतिकालीन प्रवृत्तियां ह्रासोन्मुख हो गई थी, और देश–प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, बाल–विवाह का निषेध, शिक्षा प्रसार, मद्य निषेध जैसे विषयों पर रचनाएं लिखी जाने लगीं थी। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इसी शताब्दी में हुआ था। शोधार्थियों के लिए उन्नीसवीं शताब्दी का हिन्दी गद्य व इसकी विधाएं अच्छा विषय बन सकता हैं।

भूमिका

हिन्दी गद्य का क्रम–बद्ध इतिहास उन्नीसवीं शताब्दी से प्राप्त होता है इससे पहले भी ब्रजभाषा–गद्य राजस्थानी गद्य तथा खड़ी बोली गद्य की परम्परायें क्षीण मन्द एवं शिथिल गति से चल रही थी। हिन्दी गद्य के उपर्युक्त तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है इसका सूत्रपात दसवीं शताब्दी के आस–पास से माना जाता है, ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग अनुमानतः संवत् 1400 के आस–पास से स्वीकार किया गया है। हठयोग, ब्रहाज्ञान आदि विषयों से सम्बन्धित कुछ गोरखपन्थी गद्य–पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। आगे चल कर सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में श्री बल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी कृत 'श्रंगाररस मंडन' तथा विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी कृत 'चौरासी वैशणवन की वार्ता' और 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' ब्रजभाषा गद्य के नमूने माने गए हैं। खड़ी बोली गद्य में जो सामग्री प्राप्त है वह है– गोरखनाथ, गोकुलनाथ, गंगभट्ट, नाभादास, जटमल, अमरसिंह कायस्य आदि लेखकों का स्फुट गद्य तथा रामप्रसाद निरंजनी कृत 'भाषा योग विशिष्ट' (1741 ई०) दौलतराम जैन (मध्यप्रांत) कृत 'जैन पदमपुराण' (1761 ई०) मथुरानाथ शुक्ल कृत 'पंचांग दर्शन' (1800 ई0) हिन्दी गद्य के उन्नायकों में सदासुखलाल, इंशाअल्ला खां, लल्लूलाल और सदलमिश्र का नाम भी उल्लेखनीय है। जिन्होंने हिन्दी गद्य साहित्य की परम्परा को बढ़ावा दिया।

उन्नीसवीं शताब्दी की हिन्दी गद्य विधाएं

(क) उपन्यास

(ख) नाटक

(ग) कहानी

(घ) निबंध

(ङ) एकांकी

(च) यात्रा वृतांत

(छ) आत्मकथा एवं जीवनी

(ज) हिन्दी आलोचना

(झ) पत्रकारिता

(क) हिन्दी गद्य साहित्य में उपन्यास का जन्म एवं विकास

उपन्यास साहित्य की वह विधा है जिसमें सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन को यथार्थ जटिलता में उभारा जाता है। उपन्यास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टिता यह है कि सामान्य जीवन के द्वंद, विस्तार और गति के विस्तृत चित्रण की समाई इसमें सबसे अधिक संभव है। उपन्यास दो शब्दों के मेल से बना है—'उप' और 'न्यास'। 'उप' का अर्थ है सामने या पास, 'न्यास' का अर्थ है स्थापना, अर्थात् विषय की स्थापना, प्रस्तुत करना ही उपन्यास है। उन्नीसवीं शताब्दी के काल को भारतेन्दु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेन्दु ने अपने एक अमृतसर निवासी मित्र पं० सन्तोषसिंह को लिखा था, जैसे भाषा में कुछ नाटक बन गये हैं अब तक उपन्यास नहीं बने हैं। आप या हमारे पत्र के योग्य सहकारी सम्पादक जैसे बाबू काशिनाथ व गोस्वामी राधाचरण जी कोई भी उपन्यास लिखें तो उत्तम हो। हिन्दी उपन्यासकारों में पहला महत्वपूर्ण नाम लाला श्री निवासदास का है, इनके द्वारा रचित 'परीक्षा गुरू', इंशाअल्ला खां रचित 'रानी केतकी की कहानी', और श्रद्धाराम फिल्लौरी कृत 'भाग्यवती', आदि आरम्भिक उपन्यास हैं। आगे चलकर राधाकृष्ण दास ने 'निःसहाय हिन्दू', बालकृष्ण भट्ट ने 'नूतन ब्रह्मचारी', 'सौ अजान एक सुजान', भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'पूर्ण प्रकाश', 'चंद्रप्रभा', देवकीनंदन खत्री ने 'चंद्रकांता', 'नरेंद्रमोहनी', 'कटोरा भर खून', 'कुसुमकुमारी' 'भूतनाथ' आदि की रचना की। इस शताब्दी में मेहता लज्जाराम शर्मा के 'धूर्त रसिकलाल', 'आदर्श हिन्दू', 'स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी' आदि भी प्रसिद्ध थे। बंगला साहित्य के माध्यम से यह विधा उन्नीसवीं सदी में हिन्दी साहित्य में आई।

(ख) उन्नीसवीं शताब्दी में नाटक विधा का विकास

हिन्दी गद्य साहित्य में सच्चे अर्थो में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ही हिन्दी नाटक की विकास यात्रा को आरंभ किया। सन् 1861 में उन्होंने किसी बंगला नाटक का अनुवाद करके 'विद्यासुन्दर', शीर्षक नाटक की रचना की। इसलिए ये नाटक के प्रवर्तक कहे जाते हैं, इन्होंने सत्रह नाटकों की रचना की। भारतेन्दु द्वारा रचित

नाटकों की चार धारायें हैं— मौलिक, अनुवाद, प्रहसन, रूपान्तरित। भारतेन्दु के समकालीन अन्य नाटककारों में प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट लाला श्री निवासदास, राधाकृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, लाला श्री निवासदास, बद्रीनाथ, अम्बिकादत्त व्यास, विजयानन्द त्रिपाठी, गोपालराम गहमरी, देवकीनन्दन त्रिपाठी,प्रेमघन आदि हैं। इन नाटककारों ने ऐतिहासिक, पौराणिक, राष्ट्रीय, समस्याप्रधान, प्रेमप्रधान, प्रहसनधारा के अर्न्तगत नाटकों की रचना की है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रमुख नाटकों में भारतेन्दु द्वारा रचित 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति', 'विषस्य विषमौषधम्', 'चन्द्रावली', 'भारतदुर्दशा', 'अन्धेर नगरी', आदि प्रमुख हैं। बालकृष्ण भट्ट ने 'दमयन्ती स्वयंवर', 'वेणी संहार', जैसे पौराणिक तथा ऐतिहासिक नाटकों की रचना की और दूसरी ओर उन्होंने 'नई रोशनी का विष' 'जैसा काम वैसा परिणाम', आदि सामाजिक नाटकों की रचना की। इस शताब्दी के अन्य प्रमुख नाटककार लाला श्री निवासदास ने 'रणधीर प्रेममोहिनी' (हिन्दी का पहला दुखान्त नाटक) की रचना की। राधाकृष्ण दास के 'महाराणा प्रताप', 'महारानी पद्मावती' जैसे ऐतिहासिक नाटक हैं। इस सदी के अन्य नाटकों में राधाचरण गोस्वामी कृत 'अमरसिंह राठौर', प्रतापनारायण मिश्र रचित 'भारतदुर्दशा', 'कलिकौतुक', देवकीनंदन त्रिपाठी कृत 'भारत हरण' आदि का नाम लिया जा सकता है। अतः उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी गद्य साहित्य में नाटक विधा का विकास पूर्ण रूप से हुआ।

(ग) उन्नीसवीं शताब्दी का हिन्दी कहानी साहित्य

अनादि काल से ही मानव किसी न किसी रूप में कहानी कहता व सुनता आया है। यही कारण है कि संसार के सभी देशों में लोक कथाओं तथा उपदेश कथाओं का एक लम्बा इतिहास देखा जा सकता है। भारत में ऋग्वेद, उपनिषदों, पुराणों, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, जातक साहित्य, आदि में असंख्य कहानियां बिखड़ी पड़ी हैं। संस्कृत में पंचतंत्र, हितोपदेश तथा कथासरित् सागर की कहानियां आज भी काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन ये कहानियाँ आधुनिक हिन्दी कहानी से सर्वथा अलग हैं, क्योंकि इनमें मात्र वर्णनात्मकता तथा उपदेशात्मकता होती है। आधुनिक हिन्दी कहानी का स्वरूप अंग्रेजी तथा उससे प्रभावित बंगला कहानी के अनुकरण का ही परिणाम है। कुछ विद्वानों के अनुसार इंशाअल्ला खां द्वारा 'रचित रानी केतकी की कहानी', को प्रथम कहानी मानते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी की प्रमुख कहानियों में इंशाअल्ला खां द्वारा 'रचित रानी केतकी की कहानी', राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द की 'राजा भोज का सपना', भारतेन्दु की 'अद्भुत अपूर्व सपना' आदि हैं।

(घ) हिन्दी गद्य में निबंध साहित्य का विकास

उन्नीसवीं शताब्दी में विभिन्न पत्र –पत्रिकाओं ने जो उन्नति की, उससे निबंध रचना को विशेष प्रोत्साहन मिला। निबंध का रूप और आकार अभी अस्थिर था, परन्तु इसलिए कहानी से लेकर गम्भीर चिन्तन तक का माध्यम वह बन सका। निबंध लिखना हिन्दी में नयी चीज थी। बँगला में उपन्यास, कविता, नाटक आदि के लिए आदर्श मिल सकते थे परन्तु प्रतापनारायण मिश्र के से निबंध हिन्दी की अपनी उपज थे। तत्कालीन लेखक अपने लेखों के माध्यम से एक ओर सामाजिक रूढियों और अंधविश्वासों से समाज को मुक्त करना चाहते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के निबंधकारों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र , बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', लाला श्रीनिवासदास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री आदि थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द जी के निबंधों में 'अंग्रेज स्तोत्र', 'पांचवे पैगम्बर', 'स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन', 'लेवी प्राण लेवी' आदि हैं। प्रतापनारायण मिश्र जी के निबंधेां में 'नवगीत', 'खुशामद', 'आप', 'बात', 'भौं', 'प्रताप पीयूष' आदि हैं। इस सदी के अन्य निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी के निबन्धों में 'साहित्य सरोज', 'भट्ट

निबंधावली', 'जात पाँत', 'सीमा रहस्य', 'आशा', 'साहित्य जनसमूह के ह्रदय का विकास' आदि हैं। ये इस काल के सर्वश्रेठ निबन्धकार हैं। इस काल के प्रसिद्ध निबन्धों में राधाचरण गोस्वामी का 'यमपुर की यात्रा' बालमुकुन्द गुप्त के 'शिवशंभू के चिट्ठे' 'चिट्ठे और खत' आदि है।

(ङ) हिन्दी गद्य में एकांकी

'एकांकी' साहित्य की वह विधा है, जो नाटक के समान अभिनय से सम्बन्धित है और जिसमें किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ लोग एकांकी को नाटक का लघु रुप मानते है। लेकिन यह उचित नहीं है, क्योंकि नाटक और एकांकी दो अलग – अलग विद्याएँ है। प्राचीन भारत में नाट्य साहित्य में एकांकी नाट्य भी मिल जाते हैं, लेकिन आधुनिक एकांकी नाट्य का स्वरुप संस्कृत की एकांकियों के अनुकरण पर आधारित नहीं है इस पर अंग्रेजी साहित्य के एकांकी साहित्य का प्रभाव देखा जा सकता है। उन्नीसवीं सदी के गद्य में प्रमुख एकांकियों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र रचित 'विषस्य विषमौषधम्', बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित 'शिक्षादान', 'जैसा काम वैसा परिणाम', प्रतापनारायण मिश्र द्वारा रचित 'जुआरी खिलाड़ी', देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा रचित 'एक एक के तीन – तीन' तथा राधाचरण गोस्वामी के द्वारा रचित ' तन–मन–धन गोसाई जी के अर्पन', 'बूढे मुँह मुँहासे' आदि प्रसिद्ध एंकाकी है।

(च) उन्नीसवीं शताब्दी के हिन्दी गद्य में यात्रावृतान्त

यात्रावृतान्त का शाब्दिक अर्थ है – यात्रा का वृतान्त अर्थात् लेखक ने अपने यात्रा काल में जिन अनुभवों लेखनीबद्ध किया है, वे ही यात्रा – वृतान्त के अन्तर्गत आते हैं। प्राचीन भारत में रामायण, महाभारत संस्कृत साहित्य, और जातक कथाओं में यात्राओं के विवरण मिलते हैं। विदेशी यात्रियों में हेनसांग, इब्नबतूता, ट्रवरनियर, फाह्यन आदि ने भी देश के विभिन्न भागों में घूमकर जो अनुभव किये थे, उन्हें लिपिबद्ध किया था। उन्नीसवीं शताब्दी यानि भारतेन्दु युग में स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अनेक नगरों तथा तीर्थ स्थानों की यात्रा की, फलस्वरूप उन्होंने यात्रावृतान्त लिखे जो तत्कालीन पत्र – पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। इस सन्दर्भ में 'सरयूपार की यात्रा' 'मेंहदावल की यात्रा' 'लखनऊ की यात्रा' 'हरिद्वार की यात्रा' 'वैद्यनाथ धाम की यात्रा' आदि भारतेन्दु जी के प्रमुख यात्रा वृतान्त हैं। उनके समकालीन कुछ साहित्यकारों ने भी यात्रा वृतान्त लिखे। इनमें प्रतापनारायण मिश्र द्वारा रचित 'विलायत की यात्रा' तथा बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित 'कातिकी का नहान', 'गया यात्रा' प्रमुख रचनाऐं हैं। इस सन्दर्भ में श्रीमती हर देवी द्वारा 'मेरी लन्दन की यात्रा' भगवानदास वर्मा द्वारा रचित 'लन्दन का यात्री', दामोदर शास्त्री द्वारा रचित 'मेरी पूर्व दिग्यात्रा' तथा तोताराम वर्मा द्वारा रचित 'मेरी दक्षिण दिग्यात्रा' आदि कुछ उल्लेखनीय यात्रा वृतान्त हैं।

(छ) आत्मकथा एवं जीवनी

आत्मकथा का अर्थ है – अपनी कथा। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है, तब उसे 'आत्मकथा' कहा जाता है। जीवनी का अर्थ है – जब किसी महान व्यक्ति के जीवन का सम्पूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है, तो उस साहित्यिक रचना को जीवनी कहा जाता है। 'आत्मकथा' के इतिहास में बनारसीदास जैन द्वारा रचित 'अर्द्धकथानक' को हिन्दी की पहली आत्मकथा माना गया है। उन्नीसवीं सदी की प्रमुख आत्मकथाओं में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा रचित 'कुछ आप बीती कुछ जग बीती' (अपूर्ण) को शामिल किया गया है। इस युग में लेखक अम्बिकादत्त व्यास ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों का वर्णन 'निज

वृतान्त' में किया है। तत्पश्चात् परमानन्द द्वारा रचित 'काले पानी का कारावास', स्वामी श्रद्धानन्द की 'कल्याण मार्ग का पथिक है' उल्लेखनीय आत्मकथाएं हैं। इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी में आत्मकथा गद्य का विकास हुआ। हिन्दी साहित्य में आरम्भ से ही संतों–महात्माओं तथा भक्तों के जीवन–चरित्र लिखने की परम्परा को काफी बल मिला। हिन्दी साहित्य के आदिकालीन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा ऐतिहासिक काव्यों की रचना की जिनमें 'पृथ्वीराज रासो', 'हम्मीररासो', 'परमालरासो', 'जयचन्दप्रकाश' इत्यादि चरित्र काव्य हैं। मध्य काल में नाभादास द्वारा रचित 'भक्तमाल', स्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता', 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' उल्लेखनीय जीवनियाँ कही जा सकती हैं। उन्नीसवीं शताब्दी की प्रमुख जीवनियों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा रचित 'बादशाह दपर्ण', 'पंच पवित्रत्मा', 'चरितावली', 'गोपालशर्मा शास्त्री द्वारा रचित 'दयानंद दिग्विजय' (1881), 'नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र'(1883), देवी प्रसाद मुंसिफ द्वारा रचित 'महाराजा मानसिंह का जीवन चरित्र', (1883), कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित 'अहिल्याबाई का जीवन चरित्र' (1887), 'छत्रपति शिवाजी जीवन चरित्र', राधाकृष्णदास द्वारा रचित 'श्री नागरीदास जी का जीवन चरित्र' ((1894)) आदि हैं।

(ज) हिन्दी आलोचना का उद्भव

आलोचना शब्द संस्कृत की लुच् धातु से बना है। इसमें 'ल्युट' प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लुच् धातु का अर्थ है 'देखना' और आलोचना शब्द का अर्थ है – सही प्रकार से किसी वस्तु को देखना। व्यापक स्तर पर आलोचना शब्द का अर्थ है– किसी साहित्यिक रचना के गुण–दोषों का मूल्यांकन करना। उन्नीसवीं सदी में हिन्दी की सभी गद्य विधाओं का श्री गणेश हुआ। इस युग में गद्य साहित्य खडी बोली में ही लिखा गया था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा रचित 'नाटक' नामक ग्रंथ आलोचना का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जा सकता है। इस युग में बद्रीनाथ नारायण चौधरी 'प्रेमघन', बालकृष्ण भट्ट तथा प्रताप नारायण मिश्र आदि के निबंधों में आलोचना का पूर्ण रूप दिखाई देता है। 'कवि वचन सुधा' नामक पत्रिका में 'हिन्दी कविता' नाम से प्रथम आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित हुआ था। इस युग में जगन्नाथप्रसाद कृत 'छन्द प्रभाकर', मुरारिदान कविराज कृत 'जसवन्त जसोभूषण', प्रताप नारायण सिंह कृत 'रसकुसुमाकर' आदि जैसे सैद्धान्तिक आलोचना के ग्रन्थ लिखे गए। बद्रीनारायण चौधरी ने 'बंग विजेता' पर आलोचना लिखी तथा बालकृष्ण भट्ट के 'संयोगिता स्वयंवर' पर 'हिन्दी प्रदीप' में 'सच्ची आलोचना' शीर्षक से आलोचना की। भारतेन्दु कालीन पत्र–पत्रिकाओं के आविर्भाव में काफी योगदान दिया।

(झ) उन्नीसवीं सदी में पत्रकारिता

पत्रकारिता को 'पाँचवा वेद' और 'रणभूमि' से भी अधिक बड़ी चीज माना गया है। वास्तव में पत्रकारिता स्वतन्त्रता और अभूतपूर्व क्रान्ति की संदेशवाहिका है।भारत का पहला समाचार पत्र 'कलकत्ता जनरल एडवरटाईजर' 29 जनवरी 1780 ई0 को प्रकाशित हुआ। इसके संपादक जेम्स अगस्ट हिक्की थे, लेकिन 1781ई0 में इसे बन्द कर दिया गया। हिन्दी का पहला समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' है जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ई0 को हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्र था। यह डेढ़ साल तक चला, और फिर इसका प्रकाशन बन्द हो गया। सन् 1829 में राजा राममोहन राय ने 'बंगदूत' नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया, जो हिन्दी में भी प्रकाशित होता था। 'बनारस अखबार' 1849 का प्रकाशन काशी से राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने किया। सन् 1854 में कलकत्ता में 'समाचार सुधा – वर्षण' नामक प्रथम हिन्द दैनिक समाचार – पत्र का प्रकाश हुआ। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। सन् 1855 में 'प्रजा हितैषी' का संपादन राजा

लक्ष्मणसिंह ने किया। उन्नीसवीं शताब्दी के युग – प्रवर्तक पत्रकार भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी थे। उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान के उत्थान में योगदान किया उन्होंने अपने जीवन काल में तीन पत्रिकाओं 'कविवचन सुधा' 15 अगस्त 1867 काशी, 'हरिश्चंद्र मैगजीन' 1873 बनारस, और नारी जगत के उत्थान के लिए 'बाला बोधिनी' 1874 (मासिक पत्रिका) बनारस, का प्रकाशन किया था। सन् 1877 में बालकृष्ण भटट् ने इलाहाबाद से 'हिन्दी प्रदीप' नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की, जो लगभग तीस वर्ष तक प्रकाशित होती रही। इस शताब्दी की अन्य पत्र–पत्रिकाओं में बालमुकुन्द संपादित 'भारत मित्र' 1877, श्री निवास दास संपादित 'सदादर्श' 1874, प्रतापनारायण मिश्र संपादित ब्राह्मण 1880, कानपुर बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' द्वारा संपादित 'आनंद कादंबिनी' 1881 मिर्जापुर आदि हैं। उपयुक्त पत्रों के अतिरिक्त इस युग में 'उचित वक्ता' 1878, 'हिन्दी बंगवासी' 1890, 'आर्यमित्र' 1878, 'सारसुधानिधि' 1879 कलकता, 'भारतेंदु' 1883, वृंदावन, 'भारतोदय' 1885, 'आर्यवृित्त' 1887 आदि प्रमुख पत्रिकाएं रहीं।

निष्कर्ष :– उन्नीसवीं शताब्दी के साहित्यकारों की रचनाएं प्रतिभा और यश–सौरभ का प्रतिनिधि साहित्य है। जिनकी गद्य रचनाएं केवल हिन्दी प्रदेश में ही नही बल्कि दूर–दूर तक फैली थीं। यह निर्विवाद रुप से कहा जा सकता है कि उन्नीसवीं शताब्दी हिन्दी गद्य साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखती है, इस सदी में गद्य की अनेक विधाओं का जन्म हुआ, जिनसे हिन्दी साहित्य का इतिहास विस्तृत और समृद्ध बना।

सन्दर्भ ग्रंथ

{1} तिवारी, रामचन्द्र (1955) 'हिन्दी का गद्य साहित्य' पृष्ठ – 4 – 8।

{2} धीर, सुशीला (1971) 'भारतेन्दु युगीन नाटक' पृष्ठ – 2, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।

{3} शर्मा, रामविलास (1975) 'भारतेन्दु – युग और हिन्दी भाषा ' पृष्ठ – 96 आवृत्ति – 2014,, नई दिल्ली।

{4} मिश्र, के0 सी0 (सं) 'यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स पत्राचार संस्थान' 12, चर्च लेन, इलाहाबाद।

{5} सिंह, त्रिभुवन (सं) 'भारतेन्द हरिश्चन्द्र और भारतीय नव जागरण'' पृष्ठ – 317, सीमा प्रेस, ईश्वरगंगी, वाराणसी।

{6} बिज, बी0 डी0, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' (प्रश्नोतर रुप में) लक्ष्मी पब्लिशिंग हाऊस, रेलवे रोड, रोहतक।

{7} कुमार, संजीव (2001) 'सामान्य हिन्दी' लूसेंट पब्लिकेशन, डी0 एन. दास लेन, बंगाली अखाड़ा, लंगर टोली, पटना।

PAPER ON INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

Aradhana Tiwari
Research Scholar
A.P.S. University, Rewa (MP)

ABSTRACT :International Financial Reporting Standards (**IFRS**) are designed as a common global language for business affairs so that company accounts are understandable and comparable across international boundaries. They are a consequence of growing international shareholding and trade and are particularly important for companies that have dealings in several countries. They are progressively replacing the many different national accounting standards. The rules to be followed by accountants to maintain books of accounts which is comparable, understandable, reliable and relevant as per the users internal or external. IFRS began as an attempt to harmonize accounting across the European Union but the value of harmonization quickly made the concept attractive around the world. They are sometimes still called by the original name of **International Accounting Standards** (IAS). IAS were issued between 1973 and 2001 by the Board of the International Accounting Standards Committee (IASC). On 1 April 2001, the new International Accounting Standards Board(IASB) took over from the IASC the responsibility for setting International Accounting Standards. During its first meeting the new Board adopted existing IAS and Standing Interpretations Committee standards (SICs). The IASB has continued to develop standards calling the new standards **International Financial Reporting Standards**.

INTRODUCTION: IFRS stands for International Financial Reporting Standards. Standards and Interpretations issued by IASB. IFRS is a set of international accounting standards stating how particular types of transactions and other events should be reported in financial statements.

Prior to IFRS, International Accounting Standards were used. The term International Financial Reporting Standards (IFRSs) has both a narrow and a broad meaning. Broadly, IFRSs refers to the entire body of IASB pronouncements, including standards and interpretations approved by the IASB. However the IAS are still in use until they are superceded by IFRS.

AREA: The objective of financial statement is to provide information about the financial position, performance and changes in the financial position of an entity. It should also provide the current financial status of the entity to all the users of financial information. IFRS follows accrual basis of accounting and the financial statements are prepared on the basis that an entity will continue for the foreseeable future.

Financial statements are prepared for a variety of reasons. The information provided by them is useful to users. IAS sets out four qualitative characteristics of the financial statements:

- **Understandability** – the information is readily understandable by users.
- **Relevance** – the information may be used to influence economic decisions of users.
- **Reliability** – the information is free from material error and bias.
- **Comparability** – the information enables comparisons over time to identify and evaluate trends.

BASIC PURPOSE OF FINANCIAL STATEMENTS: 'To provide information about the financial position, financial performance and cash flows of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions.'

PURPOSE OF ACCOUNTING STANDARDS:

Inconsistency between company accounts prompted the accounting profession to introduce standardized procedures known as accounting standards. It is the legal requirement that the financial reports provide a true and fair view of the transactions made by the company during the course of a year. Accounting standards outline the specific

procedures required to consistent and functional reports. Their purpose is also to improve the quality and the usefulness of the financial statements.

WHY IFRS: JUSTICATION

1. Single set of accounting standards would enable internationally to standardize and assure better quality on a global screen,
2. It would also permit international capital to flow more freely, enabling companies to develop consistent global practices on accounting problems.
3. It would be beneficial to regulators too, as a complexity associated with needing to understand various reporting regimes would be reduced.
4. For investors, it gives a better understanding to the financial statements and assess the investment opportunities other than Home Country.
5. It also benefits the accounting professionals in a way that they will be able to sell their services in the different part of world.

CHALLEGNES IN ADOPTION OF IFRS:

1. Lack of knowledge and skills especially in first few years – often giving rise to improper application of the standards and interpretation issues;
2. Companies are often not geared in terms of systems and processes to meet the extensive information and data requirements of the different standards;
3. IFRS often requires significant judgments and estimates e.g fair values, provisions, impairment, etc.;
4. Companies must get ready for first time adoption of IFRS well in advance of their first IFRS financial statements – e.g comparatives, transition provisions, etc.
5. Where IFRS differs largely from existing GAAPs e.g in terms of recognition and measurement criteria of assets and liabilities, the opening IFRS financial statements can be significantly different resulting sometimes in solvency issues for certain companies.
6. IFRS sometimes does not take into consideration local context and sometimes local adaptation is required.
7. IFRS sometimes conflicts with local regulations e.g Banking Act;

CONVERGENCE WITH IFRS:

Convergence means to achieve harmony with IFRSs; in precise terms convergence can be considered “to design and maintain national accounting standards in a way that financial statements prepared in accordance with national accounting standards draw unreserved statement of compliance with IFRSs”, i.e., when the national accounting standards will comply with all the requirements of IFRS.

But convergence doesn’t mean that IFRS should be adopted word by word, e.g., replacing the term ‘true & fair’ for ‘present fairly’, in IAS 1, ‘Presentation of Financial Statements’. Such changes do not lead to non-convergence with IFRS.

CONCLUSION: The need to have globally comparable and robust accounting standards has stimulated the development and implementation of a common set of International Accounting Standards across the globe. This will benefit organizations, individual investors and the economy as a whole. The new standards are expected to impart transparency in financial statements, ensure easier comparability with competitors, promote efficient global investment, give cheaper access to global capital and facilitate consolidation transactions.

The (ICAI) had announced that IFRS will be mandatory in India for financial statements for the periods beginning on or after 1 April 2012, but this plan has been failed and IFRS/IND-AS (Converged IFRS) are still not applicable. There was a roadmap as given below but still Indian companies are following old Indian GAAP. There is no clear new date of adoption of IFRS. Reserve Bank of India has stated that financial statements of banks need to be IFRS-compliant for periods beginning on or after 1 April 2011.

REFERENCES:

- *Wikipedia, the free encyclopedia*
- *Wiley IFRS 2008: Interpretation and application of International Accounting and Financial Reporting Standards 2008 by Eva K. Jermakowicz*
- *International Financial Reporting Standards (IFRSs)- published by Taxmann Publications P Ltd.*
- *The IFRS Manual of Accounting authored by the UK Accounting Consulting Services team of PricewaterhouseCoopers LLP and published by CCH.*
- *IFRS : A Quick Reference Guide by Robert Kirk*
- *CACLUBINDIA.COM*
- *INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA*

ELECTRONIC RESOURCES IN ACADEMIC LIBRARIES

Dr. Pradeep Kumar Trivedi
Librarian & Head
Deptt. of Lib & Inf. Sc.
Govt. P.G. College, Barghat, Seoni (M.P.)

ABSTRACT : The growth of electronic resources in academic libraries has changed the whole traditional library system. Electronic resource management creates new problems and challenges to academic libraries. Paper gives detail information about the origin of the ERMS (E-resource Management Systems) and the available ERMS in the library digital landscape.

KEYWORDS: ERM, ERMS, Digital Libraries, Integrated Library Systems, Collection Management

INTRODUCTION :Electronic Resource Management (ERM) refers broadly to an evolving array of problems, tasks, processes and practices associated with the management of electronic resources such as databases, electronic journals and electronic books in libraries. A closely related term is Electronic Resource Management System (ERMS), which refers to systems that support "management of the information and workflows necessary to efficiently select, evaluate, acquire, maintain, and provide informed access to electronic resources in accordance with their business and license terms" (Anderson et al. 2004). While the ERMS emerged from early e-resource management efforts, developments in both are now closely tied.

ORIGIN AND DEVELOPMENT OF ERMS : Libraries began making use of electronic resources – starting with bibliographic (or indexing and abstracting) databases like ERIC and Medline through DIALOG and other database vendors during the late 1960's -- as the introduction of machine-readable cataloging (MARC) and other innovations were leading to the introduction of Online Public Access Catalogs (OPACS) and Integrated Library Systems (or the ILS). Available databases grew rapidly in number and variety, and have been credited with "revolutionizing" bibliographic research during the 1970's (Hawthorne 2008, p. 5). At that time, most access was mediated, or provided by librarians serving as intermediaries, but during the 1980's many became available in CD-ROM format with interfaces designed for end-users. CD-ROM access subsequently expanded through the use of local area networks, and some libraries began local loading of databases via tape or FTP onto local servers. Most were offered on a subscription basis and came with licensing agreements that formally defined terms of use – a development that has had a significant impact on E-resource management.

During the same decade databases and a wide variety of documents began to become available via the Internet – including a prototype electronic journal in 1982 (Hawthorne 2008, p. 9), and arguably the first ongoing electronic e-journal several years after that (Medeiros 2006, p.56). These developments were spurred on dramatically by the advent of the World Wide Web, which was ushered in by the appearance of the first web browser (Mosaic) in 1992, and then the introduction of Netscape in 1994.

The web has been widely credited for its revolutionary impact; for instance, Legg notes that ". . . it has transformed the way information is produced, stored and shared in arenas as diverse as shopping, family photo albums, and high-level academic research" (2007, p. 407). The implications of the Web for libraries have been immense. For example, within a few years of its emergence, databases formerly available via CD-ROM began to become available via the Web, and Albitz and Shelburne have noted that a pronounced "surge" of such databases appeared in 1998 (2007, p. 17). In addition, while by 1995 only about 115 electronic journals (or e-journals) were in existence (Hawthorne 2008, p. 9), a recent estimate puts the total at about 12,000, or "approximately 60% of the universe of some 20,000 active peer-reviewed journals." (Johnson and Luther 2007, p. 1)

Rapid and continuing innovation in web-based technology, standards, and business and publishing models and practices have made for an extremely dynamic and expanding e-resources marketplace. While libraries have been providing access to bibliographic databases for decades, provision of full text has become equally important – first through subscriptions to "aggregator" databases that combine bibliographic information with the text of journal and newspaper articles, and then through e-journals. Other types of resources that have appeared include databases that make the full text of historical materials available and searchable, electronic books (or e-books), and databases that integrate textual materials with digital media of various kinds – including photographs, music, and video. Significantly, the web's rich and varied linking options have enabled many of these resources to provide new types of functionality and be tied seamlessly to one another.

As these changes have been taking place, libraries have needed to think seriously about the wide-ranging implications of the digital era for library collections and related practice. For

"The balance is shifting away from print to electronic information, and we must make some difficult, painful reallocations of acquisitions and personnel funding and redesigns of collection management operations to match this changing balance." (Branin 1994, p. xv)

example, as early as 1993, as Branin noted in his welcoming remarks for the Advanced Collection Management and Development Institute held in Chicago that focused on the growing reliance on information in electronic formats:

While discussions at that time tended to focus on the integration of electronic resources into broader patterns of collection development and management, predictions of rapid growth and fundamental change were being widely made; as indicated by shifts in libraries' spending patterns, these have largely been borne out since then. For example, the Association of Research Libraries reported that expenditures for electronic resources among research libraries rose from 3.6% to 25% over the ten year period ending with the 2002-2003 academic year (Kennedy 2008, p. 351). Within another three years they had increased to 43% (ARL 2008, p. 5) and seem to be rapidly closing in on the symbolically important figure of 50%.

OBJECTIVES OF ERMS : Electronic resources whether acquired via purchase or license, free from the web, born digital or multiple format materials for e.g., CD-ROM combined with a book, electronic resources present a number of challenges encountered with the selection and acquisition and its management. It is advisable for the library to develop clear policies and processes for the selection and management of such resources. These electronic resources within the library are developed with due consideration of cost, technical feasibility, licensing, access and preservation requirements and constraints.

RELEVENCE OF ACADEMIC LIBRARIES IN INDIA : Academic libraries are the treasure trove of knowledge which cater to the needs of scholars, scientists, technocrats, researchers, students and others who are directly associated with the mainstream of higher education. In this competitive age, the policy makers have to rise to the occasion and create a new generation of knowledge workers. The information personnel of the academic libraries are also called upon to equip themselves with the best tools, techniques, procedures and practices. The ways in which people communicate, and acquire and share knowledge, will inevitably have an impact on the library, its services, and its staff (Miller, 2006). The academic libraries play an important role in the academic community by providing necessary forum and resources for faculty and students to do their research and advance their knowledge. In order to effectively meet the growing needs of the clients and achieve success in the management of libraries, the academic libraries need to actively address the innovative resources and services (Cohen, 2007).

Academic libraries are also required to play the role of scholarly partner in exploring new pathways to knowledge and acting upon this (Gelfand, 2007; Ogburn, 2008, Abram, 2008). It is widely acknowledged that meaningful

reference work and research support is absolutely essential to ensure successful dissemination of knowledge to the clients on the basis of meaningful team spirit and work.

It is imperative that subject reference workers adapt to the reality of dealing with socially networked clients. Reference interaction has always been a conversation (Lankes, 2008); moving towards reference in the social environment is therefore a natural development that has been shown to be not only practically liable, but also to benefit the community of users in the field of higher education. Academic libraries are required to develop know how and show how systems which are highly essential elements of meaningful academic library management.

TYPES OF ERMS

The e-resources are basically divided in two major types are:

1. Online e-resources, which may include :

    - e-journal, magazines, newsletters;
    - e-books;
    - e-databases;
    - web sites;
    - institutional repositories;
    - technical report servers;
    - patents;
    - thesis and dissertations;
    - standards;
    - wikis, blogs, discussion forums

2. Other electronic resources may include:

    - CD-ROM;
    - Consortia;
    - Diskettes;
    - Other portable computer databases

ADVANTAGES OF ERMS

The reasons for actually embarking on the purchasing of electronic resources are generally accepted because of the ease of usability, readability, affordability and accessibility. The following are the advantages of e-resources over the print media

1. Multi-access: A networked product can provide multiple points of access at multiple points in time (24 hours a day. 7 days a week) and to multiple simultaneous users.

2. Speed: An electronic resource is lot quicker to browse or search, to extract information from, and to integrate that information into other material and to cross-search or reference between different publications.
3. Functionality: E-resource will allow the user to approach the publications to analyze its content in new ways by click of the mouse on search mode.
4. Content: The e- resources can contain a vast amount of information, but more importantly the material can consist of mixed media i.e. images, video, audio animation which could not be replaced in print.

Apart from the above some other advantages of e-resources may include: international reach, unlimited capabilities, reduced cost, convenience, searchability and linking.

DISADVANTAGES OF ERMS

Electronic resources also have some disadvantages as follows:

- Initial high infrastructure and installation cost;
- Need special equipment to access;
- Lack of trained professionals;
- Lack of compatibility among different publishers;
- Lack of standards as the guidelines for producing and maintain e-resources;
- Causes more concern about copyright and royalty issues;
- Multiple competing standards;
- ICT infrastructure is still poor and e-resources need high bandwidth that is very expensive;
- Difficult to read on computer screen continuously;
- Reduced quality of font on screen;
- Degradation and obsolescence of software and media.IMPACT OF ERMS ON LIBRARIANS : Librarians can solve the space problem through e-resources that was required to store physical documents and users feel difficulty in searching relevant information from physical document. The physical documents are turned unusable in few decades but librarians can solve this problem through resources that store vast, relevant and update information. Librarians can solve fund problems also. E-resources help to librarians to provide books, journals, magazines, news, music, newsletters, reports, proceedings, subject guide, directories and web search tools in e-format to users. It is the duty of librarian to package and repackage of resources for the purpose of users access but it is very difficult task to differentiate between author, user and publisher. Everyone who has access e-resources can be user, author or publisher. E-resources follow the library science rule as save the time of users means low searching time, availability of vast amount of e-resources, low price per user and sometime free, solve space problems and fund constraints are some basic reasons which force to librarians to use the e-resources in libraries.The foremost effect of e-resources on librarians to satisfied the future need of the user to provide electronic access to all relevant information and integrate it on network across the world. The next effect is to develop new standard and skills for the library profession to meet the user's needs in a proactive way.CONCLUSION : The academic libraries have to be managed on the basis of constant introspection at the individual level and scientific evaluation at the institutional level in this age of knowledge management. Academic libraries in India are called upon to play a crucial and leading role over other types of libraries by transforming their information management skills, techniques, practices and resources. Redefining roles and responsibilities, constructive intervention of the organization leaders in institution building endeavors, positive involvement of

information personnel in delivery system and constant evaluation of goods and services will make the Indian academic libraries highly appropriate and resourceful in future.

REFERENCES :

1. Albitz, R.S. (2002). Electronic resource librarians in academic libraries: a position announcement analysis, 1996-2001. *Portal: Libraries and the Academy*. vol. 2, no. 4, pp. 589-600.
2. Albitz, R.S. and W.A. Shelburne (2007). Marian through the looking glass: the unique evolution of the electronic resources (ER) librarian position. pp. 15-30 in Jacobs (2007).
3. Anderson, I. et al. (2004) *Electronic resource management: Report of the DLF electronic resource management initiative, Appendix A: Functional Requirements for Electronic Resource Management, pp. 49-61*. Washington, D.C.: Digital Library Federation. Available at http://www.diglib.org/pubs/dlf102/dlfermi0408appa.pdf; accessed 6/5/2008.
4. Bhatt, R. K. and Madhusudhan. (2004) M. University libraries in India and electronic journals: the Role of Consortia-based Subscription of E-Journals for the Effective Use of Financial resources. 2nd International CALIBER-2004, New Delhi, 11-13 Feb. 2004. Electronic Journals: the Role of Consortia, pp.129-133.
5. Branin, J. (1994) Fighting back once again: from collection management to knowledge management. Pp. xi-xvii in Johnson and MacEwan (1994).
6. Chakravarty, Rupak and Singh, Sukhwinder (2004). E-Rersources for Indian Universities: new initiatives. SRELS Journals of Information Management. 42 (1), March 2004, 57-73.
7. Chisman, J. and G. Matthews (2006). Electronic resource management. Pp. 297-303 in C.A. Borchert and G. Ives (eds.): Mile-High Views: Surveying the Serials Vista: NASIG 2006.
8. Collins, M. (2005) Electronic Resource Management Systems: Understanding the Players and How to Make the Right Choice for Your Library. *Serials Review*. v. 31 no. 2 (June) p. 125-40.
9. Collins, M. (2008) Electronic Resource Management Systems (ERMS) Review. *Serials Review*. v. 34 no. 4 (December) p. 267-99.
10. Conger, J.E. (2004). *Collaborative electronic resource management: from acquisitions to assessment.* Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2004.
11. Davis, T. and D. Grover (2008). Professional Training in License Term Mapping to ERM Systems. Washington, D.C.: Digital Library Federation. Available at http://www.diglib.org/standards/ERMI_Mapping_Report_20080408.pdf; accessed 4/29/2008.
12. Fons, T. (2008). The future of Electronic Resource Management Systems: Inside and out. pp. 363-373 in Yu and Breivold (2008).
13. Hawthorne, D. (2008) History of Electronic Resources. pp. 1-15 in Yu and Breivold (2008).
14. Johnson, R.K. and J. Luther (2007) The e-only tipping point for journals: what's ahead in the print-to-electronic transition zone. Available at http://www.arl.org/bm~doc/Electronic_Transition.pdf; accessed 4/17/2008.
15. Kennedy, M.R. (2008). The Impact of Locally Developed Electronic Resource Management Systems, pp. 350-362 in Yu and Breivold (2008).
16. Mahajan, Preeti (2005). Academic Libraries in India: a Present-Day Scenario, Library Philosophy and Practice, 8(1).
17. Medeiros, N et al. (2008) *White paper on interoperability between acquisitions modules of integrated library systems and electronic resource management systems.* Washington, D.C.: Digital Library Federation. (available at http://www.diglib.org/standards/ERMI_Interop_Report_20080108.pdf; accessed April 11, 2008).
18. Meideros, N. (2007) Managing Electronic Resources in the Tri-College Consortium. *Library Workflow Redesign: Six Case Studies.* Washington, D.C.: Council on Library and Information Resources. Available at http://www.clir.org/pubs/reports/pub139/pub139.pdf; accessed 7/2/2008.

19. Medeiros, N. (2006) Accommodating consortia within electronic resource management systems: Extending the ERMI specifications. *OCLC Systems & Services.* v. 22 no. 4, p. 238-40.

20. Meyer, S., et. al. (2006) E-Matrix--Choosing to Grow Your Own Electronic Resource Management System. *Serials Review*. v. 32 no. 2 (June) p. 103-5.

21. Parker, N. (2004) *Electronic resource management: Report of the DLF electronic resource management initiative, Appendix B: Electronic resource management workflow flowchart, pp. 62-68.* Washington, D.C.: Digital LibraryFederation. Available at http://www.diglib.org/pubs/dlf102/dlfermi0408appa.pdf; accessed 6/5/2008.

22. Robertson, N. (2004) *Electronic resource management: Report of the DLF electronic resource management initiative, Appendix C: Entity Relationship Diagram for Electronic Resource Management, pp. 69-81*. Washington, D.C.: Digital Library Federation. Available at http://www.diglib.org/pubs/dlf102/dlfermi0408appa.pdf; accessed 6/5/2008.

BANKING LOKPAL YOJANA (With reference to Customer Rights)

DR. VANDANA JAIN
PROFESSOR
SJHSGICCS INDORE

The Banking OMBUDSMAN Scheme has been formulated by the Reserve Bank of India to provide an expeditious grievance redressal mechanism to customers of banks. It provides for an institutional and legal framework for resolution of complaints relating to banking services and other matters as specified under the Scheme. The Scheme has been brought into force by way of direction issued by the Reserve Bank in terms of Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949. The Reserve Bank will also appoint its serving senior officials as the Banking Ombudsman and will also fully fund it for better effectiveness. The Banking Ombudsman Scheme was first introduced in 1995 and was revised in 2002. Over the past five years, around 36,000 complaints have been dealt by the Banking Ombudsmen.

❖ **DICTION OF BANKING OMBUDSMAN**

Banking Ombudsman (BO) Scheme applies to whole of India (including Jammu and Kashmir).Banking Ombudsmen have jurisdiction over

- All commercial banks (scheduled and non scheduled, public and private)
- Regional rural banks
- scheduled primary co-operative banks
- NBFCs (BO's Jurisdiction limited to "loan" part.)

❖ **PROCEEDINGS BEFORE THE BANKING OMBUDSMAN**

- The Banking Ombudsman endeavors' to promote, through conciliation or mediation, a settlement of the complaint by agreement between the complaint and the bank named in the complaint.
- If the terms of settlement (offered by the bank) are acceptable to the complainant in full and final settlement of his complaint, the Banking Ombudsman will pass an order as per the terms of settlement which becomes binding on the bank and the complainant.
- If a complaint is not settled by an agreement within a period of one month, the Banking Ombudsman proceeds further to pass an award. Before passing an award, the Banking Ombudsman provides reasonable opportunity to the complainant and the bank, to present their case.
- For passing an award, the Banking Ombudsman is guided by the documentary evidence placed before him by the parties, the principles of banking law and practice, directions, instructions and guidelines of justice.

❖ **The Banking Ombudsman can receive and consider any complaint relating to the following deficiency in banking services (including internet banking):**

The type and scope of the complaints which may be considered by a Banking Ombudsman is very comprehensive, and it has been empowered to receive and consider complaints pertaining to the following:

Non-payment or inordinate delay in the payment or collection of cheques, drafts, bills, etc.;

Non-acceptance, without sufficient cause, of small denomination notes tendered for any purpose, and for charging of commission for this service;

- Non-acceptance, without sufficient cause, of coins tendered and for charging of commission for this service;
- Non-payment or delay in payment of inward remittances ;
- Failure to issue or delay in issue, of drafts, pay orders or bankers' cheques;
- Non-adherence to prescribed working hours;
- Failure to honor guarantee or letter of credit commitments;
- Failure to provide or delay in providing a banking facility (other than loans and advances) promised in writing by a banker its direct selling agents;
- Delays, non-credit of proceeds to parties' accounts, non-payment of deposit or non-observance of the Reserve Bank directives, if any, applicable to rate of interest on deposits in any savings, current or other account maintained with a bank ;
- Delays in receipt of export proceeds, handling of export bills, collection of bills etc., for exporters provided the said complaints pertain to the bank's operations in India;
- Refusal to open deposit accounts without any valid reason for refusal;
- Levying of charges without adequate prior notice to the customer;
- Non-adherence by the bank or its subsidiaries to the instructions of Reserve Bank on ATM/debit card operations or credit card operations;
- Non-disbursement or delay in disbursement of pension to the extent the grievance can be attributed to the action on the part of the bank concerned, (but not with regard to its employees);
- Refusal to accept or delay in accepting payment towards taxes, as required by Reserve Bank/Government;
- Refusal to issue or delay in issuing, or failure to service or delay in servicing or redemption of Government securities;
- Forced closure of deposit accounts without due notice or without sufficient reason;
- Closure of account without customer concern.
- Refusal to close or delay in closing the accounts;
- Non-adherence to the fair practices code as adopted by the bank; and
- Financial lose incurred to customer due to wrong information given by bank official.
- Any other matter relating to the violation of the directives issued by the Reserve Bank in relation to banking or other services.

- complaints from Non-Resident Indians having accounts in India in relation to their remittances from abroad, deposits and other bank-related matters;

One can file a complaint before the Banking Ombudsman if the reply is not received from the bank within a period of one month after the bank concerned has received one s representation, or the bank rejects the complaint, or if the complainant is not satisfied with the reply given by the bank.

One's complaint will not be considered if:

One has not approached his bank for redressal of his grievance first.

- One has not made the complaint within one year from the date one has received the reply of the bank or if no reply is received if it is more than one year and one month from the date of representation to the bank.
- The subject matter of the complaint is pending for disposal / has already been dealt with at any other forum like court of law, consumer court etc.
- . Frivolous or vexatious.

- The institution complained against is not covered under the scheme.
- The subject matter of the complaint is not within the ambit of the Banking Ombudsman.
- If the complaint is for the same subject matter that was settled through the office of the Banking Ombudsman in any previous proceedings.

❖ APPLYING TO BANKING OMBUDSMAN

He can file his complaint before the Banking Ombudsman if the reply is not received from the bank within a period of one month, after the bank concerned has received his representation, or the bank rejects the complaint, or the complainant is not satisfied with the reply given to him by the bank.

For filing a complaint before the Banking Ombudsman, it is essential for a complainant to first attempt to find a satisfactory solution directly with his bank by making a written representation to the bank named in the complaint. The complaint should, however, be made before expiry of period of one year after the cause of action has arisen.

No. The complaint should not be for the same subject matter that was settled through the office of the Banking Ombudsman in any previous proceedings. A complainant can file a complaint with the Banking Ombudsman simply by writing on a plain paper. He can also file it online (at www.bankingombudsman.rbi.org.in or by sending an email to the Banking Ombudsman. There is also a prescribed form for filing a complaint, which is available with all the branches of the banks. However, it is not necessary to use this format. The complainant should, however, incorporate all the required information.

The complainant can be filed by an authorized representative (other than an advocate) of the complainant. he complaint should have the name and address of the complainant, the name and address of the branch or office of the bank against which the complaint is made, facts giving rise to the complaint supported by documents, if any, the nature and extent of the loss caused to the complainant, the relief sought from the Banking Ombudsman and a declaration about the compliance of conditions which are required to be complied with by the complainant.

❖ AWARD GIVEN BY BANKING OMBUDSMAN

After an award is passed, its copy is sent to the complainant and the bank named in the complaint. It is open to the complainant to accept the award in full and final settlement of his complaint or to reject it.

Issued by the Reserve Bank of India and such other factors, which in his opinion are necessary in the interest

If the award is acceptable to the complainant, he is required to send to the bank concerned, a letter of acceptance of the award in full and final settlement of his complaint, within a period of 15 days from the date of receipt of the copy of the award by him.

Yes, a complainant can make a written request to the Banking Ombudsman, for extension of time with the reasons for seeking such extension.

If the Banking Ombudsman is satisfied with the reasons stated by the complainant in his letter of request for extension of time (for sending his letter of acceptance of the award), he may grant extension of time up to further period of 15 days for such compliance.

If the bank is satisfied with the award, within a period of one month (from the date of receipt of letter of acceptance from the complainant of the award in full and final settlement of his claim in the matter), the bank is required to comply with the award and intimate the compliance to the Banking Ombudsman.

If the complainant is not satisfied with the award passed by the Banking Ombudsman, he can approach the appellate authority against the Banking Ombudsmen's decision.

The rejection of an award by the complainant does not affect any other recourse and/or remedies available to him as per the law.

The bank has the option to file an appeal before the appellate authority under the scheme.

❖ APPEAL AGAINST THE AWARD

The appellate authority is the Deputy Governor in the Reserve Bank of India.

Either party aggrieved by the award may, within 45 days of the date of receipt of the award, appeal against the award before the appellate authority. The appellate authority may, if he is satisfied that the applicant had sufficient cause for not making an application for appeal within time, also allow a further period not exceeding 30 days.

The banks can appeal only with the prior sanction of their Chairman or, in his absence, the Managing Director or the Executive Director or the Chief Executive Officer or any other officer of equal rank.

❖ BANKS TO DISPLAY THE SCHEME FOR COMMON KNOWLEDGE OF PUBLIC

- The banks covered by the Scheme shall ensure that the purpose of the Scheme and the contact details of the Banking Ombudsman to whom the complaints are to be made by the aggrieved party are displayed prominently in all the offices and branches of the bank in such manner that a person visiting the office or branch has adequate information of the Scheme.

- The banks covered by the Scheme shall ensure that a copy of the Scheme is available with the designated officer of the bank for perusal in the office premises of the bank, if anyone, desires to do so and notice about the availability of the Scheme with such designated officer shall be displayed along with the notice and shall place a copy of the Scheme on their websites.
- The banks covered by the Scheme shall appoint Nodal Officers at their 14 Substituted by Notification Ref CSD.BOS.No. 4736/13.01.01/2008-09 dated February 3, 2009 Regional/Zonal Offices and inform the respective Office of the Banking Ombudsman under whose jurisdiction the Regional/Zonal Office falls. The Nodal Officer so appointed shall be responsible for representing the bank and furnishing information to the Banking Ombudsman in respect of complaints filed against the bank. Wherever more than one zone/region of a bank are falling within the jurisdiction of a Banking Ombudsman, one of the Nodal Officers shall be designated as the 'Principal Nodal Officer' for such zones or regions.

सीता का जन्म

डॉ. (श्रीमति) प्रीति मिश्रा (पाण्डे)
जबलपुर (म. प्र.)

सीता के जन्म के विषय में अनेक मत है। मतभेद के कारण है वे भूमिजा आयोनिजा, धरणिजा, अग्निजा, पद्मजा, रावणात्मजा आदि नामों से प्रसिद्ध हैं।

कृषि की अधिष्ठात्री देवी सीता :–

संपूर्ण वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में कृषि संबंधी कुशलक्षेत्र के लिए जिन देवताओं की कल्पना की गई है। उनमें सीता का भी स्थान रहा है। अथर्ववेद में भी कृषि के विभिन्न कार्यो के लिए सीता से ही प्रार्थनाएं की गई है। कृषि की अधिष्ठात्री देवी के व्यक्तित्व पर देवत्व का आरोप किया गया है और देवी रूप में उनका महत्व वैदिक काल में उत्तरोत्तर वृद्धि पाता रहा है। वैदिक साहित्य में कही भी मानवी सीता का उल्लेख नही मिलता है। सर्वप्रथम आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायण में ही उनका मानवी रूप दुष्टिगोचर होता है।

भूमिजा :–

रामायण तथा अन्य परवर्ती रामकाव्यों में सीता की उत्पत्ति भूमि से स्वीकार की गई है। अतः उन्हें भूमिजा माना गया है।

आयोनिजाः–

अधिकांश परवर्ती राम काव्यों में आयोनिजा सीता की अलौकिक उत्पत्ति की ओर संकेत किया गया है। रामायण के कई स्थलों पर रघुवंश, जानकी हरण आदि में आयोनिजा सीता की पृथ्वी से ही उत्पत्ति होने का उल्लेख किया गया है।

औरस पुत्रीः–

कुछ विद्वानों ने सीता को जनक की पालिका पुत्री न मानकर औरस पुत्री माना जाता है। महाभारत के रामोपाख्यान तथा पदम– चरित्र में पुत्री का वृतांत प्राप्त है।

जनकजाः–

रामायण तथा अन्य रामकथाओं में सीता का वर्णन (जनक) की राजकन्या के रूप में किया गया है। राजप्रसाद में जनक पुत्री की भांति पालित होने के कारण उन्हें जनक कुल की कन्या बताया गया है। इसी कारण से रामकाव्यों में वे 'विदेहजा' जनकनन्दिनी, जनकसुता, जनकात्मजा इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। राम संबंधी लगभग सभी काव्यों में उन्हें जनकपुत्री के रूप मे सम्बोधित किया गया है।

रावणात्मजा :– सर्वाधिक प्राचीन कथाओं में सीता को लंकाधीश रावण या मंदोदरी की पुत्री माना गया है। गुणभद्रकृत उत्तरपुराण महाभारत वह पुराण तथा अद्भुत रामायण आदि में सीता मन्दोदरी के गर्भ से उत्पन्न बतलाई गई इसलिए उन्हें रावणात्मजा कहा जाता है।

पभजा –:

दशावतार चरित्र के रचयिता क्षेमंन्द्र ने सीता को पभजा रूप में कल्पित किया है।

रक्तजा :–

समय व्यतीत होने के साथ–साथ उनके जन्म के विषय में नवीन कथाएं प्रचलित होती गई। चौदहवी शताब्दी के पूर्वाद्धो में निर्मित अद्भुत रामायण में सीता को ऋषियों के रक्त से उत्पन्न माना है।

अग्निजाः

अध्यात्म रामायण तथा आनंद रामायण में अग्निजा सीता की कथा वर्णित है। अग्नि से उत्पन्न होने के कारण वे अग्निजा कहलाती है।

दशरथात्मजाः

बौद्धो के दशरथ– जातक में रामायणीय कथा का विकृत रूप प्राप्त होता है। जिसमें सीता दशरथ की पुत्री तथा राम की सहोदरा भगिनी के रूप में चित्रित है।

लक्ष्मी की अवतार सीता :– वाल्मीकि रामायण में अग्नि–परीक्षा के समय आकाश से आय हुए देवता को लक्ष्मी का अवतार बताते है। अद्भुत रामायण आदि में भी लक्ष्मी ने सीता के रूप में जन्म लिया है।

इस प्रकार सभी रामकाव्यों का मूल आधार रामायण ही है। अतः सीता कों पृथ्वी से उत्पन्न (भूमिजा) मानना है युक्ति संगत है।

सीता तत्व :–

सीता तथा सीता तत्व में पर्याप्त अंतर है। सीता से तात्पर्य सीता जी के उस रूप से है। जब वे केवल मानवी न रहकर देवी स्वरूपा वैष्णवी शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करती है। सामान्यतया वासना के क्षेत्र में ही सीता तत्व शब्द का व्यहार होता है। यह तत्व शब्द जिस शब्द के साथ संबंध हो जाता है। उसके गौरव में अनायास वृद्धि कर देता है। इस प्रकार जब हम सीता शब्द पद का प्रयोग करते है। तब हमारा तात्पर्य उस सीता से हो जाता है जो शाश्वत सत्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है। सीता तत्व को जयघोस कारक ग्रंथ अध्यात्म रामायण तथा हिन्दी साहित्य में रामचरित मानस है। रीतिकालीन मधुरोपासना में सीता को तत्व के रूप में पर्याप्त प्रतिष्ठा दी गई है।

शैशव

मानव का बाल्यकाल ही उसके सम्पूर्ण जीवन की नीव होता है। परंतु खेद है कि सीता के बाल्यकाल के विषय में सभी कवि मौन रहे। है। किसी भी ग्रंथ में उनके बाल्यकाय का प्रत्यक्ष चित्रण नहीं है। रामकाव्यों सें उनके शैशव के विषय में अनुमान मात्र लगाया जा सकता है। जिस समय कन्या राजा को पृथ्वी से प्राप्त हुई उस समय उसकी अवस्था क्या थी, इसका उल्लेख किसी ग्रंथ में प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया है। परंतु आदिकाव्य रामायण में जनक विश्वामित्र वार्तालाप तथा सीता अनुसूर्या वार्तालाप से अनुमान लगाया जा सकता है कि भूमि से प्रकट होने के समय सीता की अवस्था बहुत छोटी थी। जनक स्वयं विश्वामित्र को

बताते है कि पृथ्वी से प्रकट हुई मेरी कन्या धीरे–धीरे बड़ी हो गई है। आधुनिक काल में ऋता शुक्ल की कृति 'कितने जनम वैदेही' से भी सीता के शैशावस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ''बालिका के लिए कही से थोड़े गोरस का प्रबंध करो''

''महारानी नवजात कन्या को अपने अंक में समेटे राजमहल की ओर चल पड़ी थी।''

''सुनयना माँ के आँचल तले किलकारियाँ भरती नन्हीं जानकी'' इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि भूमि से प्राप्त सीता एक नवजात कन्या थी। यह छोटी कन्या राजप्रसाद में धीरे–धीरे अपनी वैवाहिक अवस्था को प्राप्त करती है। स्नेहमयी माता बड़े लाड़ प्यार से उनका लालन–पालन करती है। माता पिता उन्हें अनेक प्रकार के उपदेश और शिक्षाएं समय–समय पर देते रहते है।

म. प्र. महिला वित्त विकास निगम की महिला सशक्तिकरण के रूप में भूमिका

डॉ . माया उसरेठे

अतिथि वि .शासकीय आदर्श महाविद्यालय जबलपुर

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा देश के आर्थिक विकास हेतु प्रयास प्रारंभ किये तब विशेषज्ञों द्वारा यह यह निर्णय लिया गया कि भारत की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत योगदान महिलाओं का है। यदि देश का विकास करना है। और उन्हे विकास की प्रमुख धारा से जोड़ना है। तो उनमें उद्यमिता का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। तभी देश के आर्थिक विकास में सुधार संभव है। महिलाओं में उद्यमिता विकसित करने उन्हे आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए म. प्र. सरकार द्वारा महिला वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 31 अक्टूबर 1988 में म. प्र. सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई है। निगम की स्थापना का उद्देश्य महिलाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराना है। उन्हे आत्मनिर्भर बनाना व उनके हुनर एवं कला को उद्यामिता के माध्यम से सबके सामने लाना है।

उद्देश्य– महिलाओं की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक उन्नति के लिए योजनाए बनाना उन्हे प्रोत्साहन देना सहयोग देना एवं उनके शशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम संचालित करना महिलाओं के आर्थिक उत्थान एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से योजनाओं एवं कार्यक्रम को संचालित किया जाना। आर्थिक गतिविधियां को स्थापित तथा संचालित करने हेतु मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करना महिलाओं और स्वयं सेवी संगठनों ऋण अनुदान आदि से संबंधी वित्तीय सेवायें उपलब्ध कराना महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में मागदर्शन एवं सहायता देना। महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अधिक लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से प्रदर्शनियों मेलों का आयोजन करना तथा विक्रय केन्द्रों की स्थापना करना।

निगम द्वारा ऋण अनुदान मूलक योजनायें,जैसे फोटो कॉपियर योजना, ग्राम्य योजना, प्रशिक्षण मूलक योजनाओं में समर्थ योजना उद्यमिता जागरूकता शिविर कौशल उन्न्यन योजना टंकण योजना विपणन प्रोत्साहन योजनायें– ममत्व मेंला जिला स्तरीय हाट बाजार योजना विकासात्मक योजना स्वयं सहायता समूह स्वशक्ति परियोजना भारत सरकार की योजनायें आदि ।

म. प्र. महिला विकास निगम द्वारा महिला उधमियों के द्वारा उत्पादित माल के विपणन कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रति वर्ष मेलों का आयोजन भोपाल में किया जाता है। व दिवसीय अवधि के मेंलों में राज्य राज्य के समस्त मध्यम उधमी अपने उत्पाद का प्रदर्शन करते है। वर्ष 2004 से 2008 तक अवधि में आयोजित ममत्व मेंलों में क्रमशः 139,160,200 मध्यम उद्यामियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया था।

म. प्र. महिला वित्त विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापाना का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों स्व सहायता समूहों के माध्यम से निर्धन महिलाओं का ऋण उपलब्ध कराये जाते है। ये ऋण अल्पअवधि व मध्यम अवधि के क्रमशः रूपये 4000 रू. 6000 राशि के होते है। वर्ष 2001–02 से 2007–2008 की अवधि में जबलपुर संभाग में 210 टीम महिला कोच के माध्यम से प्रदत्त सहायता का विवरण निम्न है।

राष्ट्रीय महिला कोष से आर्थिक सहायता

वर्ष	**गैर सरकारी संगठन**	**स्व सहायता समूह (संख्या)**
2001–02	05	35
2002–03	09	28
2003–04	04	32
2004–05	08	25
2005–06	12	36
2006–07	05	35
´2007–08	08	20
कुल	50	231

स्त्रोतः– म. प्र. महिला आर्थिक विकास निगम ये प्राप्त जानकारी पर आधारित

म. प्र. वित्त विकास निगम द्वारा समाज की निर्धन तलाकसुदा परिव्यक्ता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार योजनाएँ तथा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं में कमि कुशलता के विकास के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। स्व सहायता समूह योजना महिलाओं में लघु बचत संकलित करके, अपनी आवयश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रभावी माध्यम है।

म. प्र. महिला विकास निगम महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए समर्पित संस्थान है। जो महिलायें शिक्षित व अशिक्षित है। सभी को स्वावलंबी बनाने के लिए यह निगम कार्य कर रहा है। इस निगम द्वारा उच्च शिक्षित महिलाओं के लिए भी स्वावलंबन के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे है।

संदर्भ :–

म. प्र. महिला वित्त एवं विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन

संडमेंप उद्यमिता विकास केन्द्र म. प्र. भोपाल लघु उद्योग

मध्यप्रदेश में लिंगानुपात का बदलता स्वरूपः समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

डॉ. सीमा सिंह
समाजशास्त्र विभाग
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

लिंगानुपात को इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि प्रति 1000 पुरूषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कितनी है ? इस अनुपात को कभी–कभी 100 में या 10 या फिर 1 में भी व्यक्त किया जाता है।

लिंगानुपात सूचकांक में गिरावट/परिवर्तन समाज के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिमानों विशेषकर महिलाओं के प्रति उनके व्यवहार के द्योतक है।

भारत में सन् 1901 में लिंगानुपात 1000 पुरूषों पर 972 महिलाओं का था जबकि मध्यप्रदेश में यह 1000 पुरूषों पर 972 महिलाओं का था जो सम्पूर्ण भारत के लिंगानुपात के समतुल्य था।

मध्यप्रदेश में वर्ष 1901 से वर्ष 2011 तक लिंगानुपात लगातार परिवर्तित होता रहा है। प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या वर्ष 1901 से 2011 तक निम्न प्रकार से प्रदर्शित है।

तालिका नं. 1 लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाएं

1901	1921	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
972	967	949	947	946	945	932	920	921	912	919	930

ब्रिटिश भारत में मध्यप्रदेश का स्वरूप भिन्न रहा है भौगोलिक दृष्टि से इसमें सेन्ट्रल प्राविन्स एण्ड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल रियासत आदि शामिल थे जनसंख्यात्मक दृष्टि से इसमें जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है।

1 नवम्बर 1956 को वर्तमान मध्यप्रदेश का गठन हुआ जिससे पुरूषों और महिलाओं का अनुपात राज्य विभाजन के फलस्रूप बदला। हालांकि वर्ष 1901 में मध्यप्रदेश में प्रति 1000 पुरूषों में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक 972 रही थी परंतु वर्ष 2011 के जनसंख्या आंकड़ों में लिंगानुपात 930 होना मध्यप्रदेश में महिलाओं की घटती संख्या को बताता है। मध्यप्रदेश में वर्ष 1901 से वर्ष 2011 तक लिंगानुपात चम्बल क्षेत्र के जिलों में लगातार घटता रहता है जबकि सतपुड़ा मैकल व नर्मदा सोन घाटी के जिलों में लिंगानुपात बढ़ा है।

जनसंख्या वर्ष 1901 से वर्ष 2011 तक सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले तालिका–2 में निम्न रूप से स्पष्ट है।

तालिका नं. 2 प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक लिंगानुपात के रूप में (जिले वार)

	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
बालाघाट	1065	1037	1032	1028	1021	989	1009	1000	1006	1002	1022	1021
अलीराजपुर	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	1009
मण्डला	1027	1017	1012	1013	1008	1048	1002	994	1006	990	1002	1005
डिण्डौरी	1028	1017	1011	1015	1010	1011	1011	999	999	985	994	1004
झाबुआ	.	1001	971	958	956	949	958	969	985	977	990	989

उपरोक्त जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि म.प्र. के जनजातीय बहुल क्षेत्र बालाघाट, अलीराजपुर, मण्डला, डिण्डौरी व झाबुआ में महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरूषों से अधिक रही है जो महिलाओं के प्रति जनजातियों के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।

जनसंख्या वर्ष 1901 से वर्ष 2011 तक न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले –

तालिक क्रमांक–3

प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या (जिलेवार)

	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
भिण्ड	'	851	835	835	839	843	849	834	827	816	829	838
मुरैना	'	843	819	823	830	832	831	822	817	808	822	839
ग्वालियर	'	861	822	834	853	885	853	834	844	831	847	862
दतिया	'	935	922	912	914	912	903	882	854	847	858	875
शिवपुरी	'	912	892	899	903	908	888	864	855	849	858	877

उपरोक्त जनसंख्या के आंकड़ो के आधार पर कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश के चम्बल क्षेत्र के जिलों में प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या राज्य के औसत से बेहद कम रही है।

मध्यप्रदेश के कुछ क्षेत्रों विशेषकर चम्बल प्रदेश में लेंगिक अनुपात घटने के सामाजिक व भौगोलिक कारण निम्न रहे हैं।

सामाजिक ढांचा– चम्बल प्रदेश एक कठोर जलवायु वाला क्षेत्र है जहां प्राचीन काल से ही विभिन्न राजवंशों का शासन रहा है। इस क्षेत्र में जातिगत रूढिवादिता, लगातार हुए युद्ध, असुरक्षित माहौल, आर्थिक असुरक्षा इन सभी ने महिलाओं के साथ भेदभाव को बढावा दिया है विशेषकर कन्या भ्रूण हत्या ने इस क्षेत्र में लिंगानुपात को घटाया है।

भौगोलिक परिस्थितियां– चम्बल प्रदेश – दुर्गम, बीहड़ों से घिरा क्षेत्र. है जहां तुलनात्मक रूप से कृषि उत्पादन कम बारिश व कठोर जलवायु के चलते प्रभावित रही है जिससे आर्थिक असुरक्षा ने कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया –

दहेज प्रथा–

पुरूष संतान की सोच–

मध्यप्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला क्षेत्र जनजातिय बहुल क्षेत्र रहा है विशेषकर बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी में गौंड व बैगा जनजाति का बाहुल्य होना जिनका दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति सदैव सकारात्मक रहता है इस समाज में महिलाएं संख्यात्मक रूप से पुरूषों के लगभग बराबर पाई जाती है।

इसी प्रकार झाबुआ और अलीराजपुर में भील जनजाति का बाहुल्य है यह समाज भी महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण से अछूता रहा है। चूँकि जनजातीय समाज महिलाओं से संबंधित विभिन्न कुप्रथाओं यथा बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या से परे रहा है।

मध्यप्रदेश में लिंगानुपात की सर्वाधिक निम्न स्थिति 0–6 वर्ष के बच्चों में है इस संदर्भ में रीवा संभाग में वर्ष 2001 में प्रति 1000 बालकों पर 937 बालिकाऐं थी जो वर्ष 2011 में 920 रह गई इस वर्ग में 1991 में 941 बालिकाएं, 2011 में 932 बालिकाएं व 2011 में 912 बालिकाओं का अनुपात चिन्ताजनक है।

तालिका–4 सर्वाधिक लिंगानुपात (0–6 वर्ष आयु) वाले समूह वर्ष 2011 प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या

अलीराजपुर	डिण्डौरी	मण्डला	बालाघाट	सिवनी
971	970	965	961	954

तालिका –5 न्यूनतम लिंगानुपात (0–6 वर्ष आयु)

वर्ष 2011 प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या

मुरैना,	ग्वालियर,	भिण्ड,	दतिया,	रीवा
825	832	835	852	883

चूँकि लेगिंक आधार पर ही समाज पुरूषों और महिलाओं के कार्य और भूमिका निश्चित करता है। (भले ही हम चाहे या न चाहे) कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। प्राचीन काल से ही महिलाओं की भूमिका के साथ भेदभाव किया गया क्योंकि इसका आधार लिंग था क्योंकि महिलाओं को रसोई में खाना पकाने, कपड़े धोने, पशुओ की देखभाल करने, बच्चा पैदा करने व उन्हें पालने और ऐसे ही अन्य स्त्रियोचित कार्यों तक सीमित कर दिया गया।

मध्यप्रदेश में लिंगानुपात का स्वरूप क्षेत्र वार अलग अलग दिखाई देता है। मध्यप्रदेश की लिंगानुपात की सर्वाधिक निम्न स्थिति चम्बल प्रदेश बुन्देलखण्ड प्रदेश, रीवा प्रदेश में दिखाई देती है।

जबकि लिंगानुपात का सकारात्मक स्वरूप नर्मदा सोन घाटी और सतपुडा मैकल पवर्तीय क्षेत्र के जनजातीय बहुत क्षेत्रों में दिखाई देती है।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने और प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या को सामान्य बनाने के लिए गर्भवती महिलाओं की समस्त जानकारी एक डाटा बैंक से जोड़ना, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम चलाना और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना मूलभूत उपाय हैं। जिससे लिंगानुपात बढेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रतियोगिता दर्पण – मार्च 2007
2. लैंगिक मुद्दे क्या – "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान कर सकेगा हल पृष्ठ कुरूक्षेत्र पृष्ठ – 33 नई दिल्ली,
3. प्रतियोगिता दर्पण – मार्च 2007
4. भारत –2014
5. एस.ए. सिद्धिकी – मध्यप्रदेश सम्पूर्ण अध्ययन, उपकार प्रकाशन
6. राम आहूजा – भारतीय समाज, पृष्ठ 353, रावत पब्लिकेशन
7. मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान, पुण्णेकर पब्लिकेशन इन्दौर

जलीय प्रदूषण : रासायनिक खाद एवं कीटाणुनाशक

Dr. Kanti Pachori
Asstt.Prof.in Chemistry
Govt.Nirbhaya Singh Patel Science College Indore M.P

प्रस्तवना :– एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक देश की जनसंख्या 13 अरब हो जाएगी और जल की वार्षिक खपत 1093 अरब घनमीटर, उस समय वर्तमान जल मांग की तुलना में 50 प्रतिशत और अधिक जल की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट के अनुसार जल की उपलब्धता की दृष्टि से भारत आज 180 देशों की सूची में 133 वें स्थान पर है। वहीं जल गुणवत्ता की दृष्टि से 122 देशों की सूची में 120 वें स्थान पर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5,177 घनमीटर तथा वर्ष 2001 में 1820 घनमीटर थी। नवीनतम आंकलनों के अनुसार यह उपलब्धता वर्ष 2050 तक घटकर प्रति व्यक्ति 1140 घनमीटर रह जाएगी। जल की वार्षिक मांग, वर्तमान 605 अरब घनमीटर से बढ़कर वर्ष 2050 में 1447 अरब घनमीटर तक जा सकती है।

कृषकों द्वारा अंधाधुंध उपयोग में लाये जा रहे अविघटशील रासायनिक उर्वरकों ने पर्यावरणीय घटकों पर विषैला दुष्प्रभाव डाला है ऐसे अविघटनशील रासायनिक उर्वरक जैविक विधियों द्वारा बिना विघटित हुये लंबे समय तक पर्यावरणीय घटकों में किसी रूप में उपस्थित रहकर अपना विषैला दुष्प्रभाव देता रहता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस दुष्प्रभाव से मानव भी अछूता नहीं है। ऐसे अविघटनशील रासायनिक उर्वरक जलीय परिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के द्वारा मानव के शरीर में प्रवेश कर मानव के लिए गंभीर संकट पैदा कर रहा है।

अधिकांश जलीय प्रदूषण अकुशल प्रबंधनों एवं मानवीय गलतियों का नतीजा है और मानव की इन गलतियों में सुधार लाकर इन्हें नियंत्रित कर सकता है। देश में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। इसी क्रम में पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसी अधिनियम में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रावधान किये गये है। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासनिक स्तर पर अधिनियमों का कार्यान्वयन कराना सरकार की जिम्मेदारी हे। जैसा कि हम जानते है कि जल प्रदूषण के भिन्न–भिन्न स्रोत है। ऐसे में जल प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए, प्रदूषकों को इनके स्रोत स्थल पर रोककर उपचार द्वारा शुद्ध किया जाना आवश्यक है। सतही एवं भूमिगत जल के समुचित प्रबंधन एवं अनियंत्रित भूमिगत जल के दोहन पर भी अंकुश लगाना जरूरी है। इसके अलावा जल निकायों में पर्याप्त मात्रा में जल पुनर्भरण एवं जल संरक्षण के लिये और अधिक प्रयास किये जाने की जरूरत है। इसके लिए हमें भी बढ़–चढ़कर स्वैच्छिक भागीदारी लेनी होगी। तभी बढ़ते जल प्रदूषण को कम करने के साथ–साथ प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को भी बढ़ाया जा सकता है।

रासायनिक खाद एवं कीटाणुनाशक मिट्टी के इस स्वस्थ पर्यावरणीय संतुलन को भारी नुकसान पहुंचाते है। विगत 50 वर्षो से अधिक उत्पादन के लालच में किसानों द्वारा अपनी जमीन पर अंधाधुंध रासायनिक खाद व जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। इनके निरंतर प्रयोग से जमीन की

मिट्टी निर्जीव एवं अनुपजाऊ हो रही है। फसलों के लिये जमीन रासायनों पर अवलंबित हो गई है क्योंकि उसका प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं की संख्या में कमी आ रही है जिससे, देश के अनेक स्थानों में भूमि की उर्वरकता प्रभावित हुई है। मृदा के भौतिक व रासायनिक गुणों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के साथ जैव–विविधता को बनाये रखना भी कठिन हो रहा है। कृषि उत्पादों का मानव स्वास्थ पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कैंसर, डाइबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी खतरनाक बीमारियों में भी बढ़ोत्तरी हो रही है।

प्राकृतिक कृषि एक ''पर्यावरण सुधारक कृषि'' है। इस कृषि की प्रथम चर्चा जापान के कृषक एवं दार्शनिक 1930-2008 ने की, इसी प्राकृतिक कृषि का भारत की भूमि के लिये संशोधित स्वरूप सुभाष पालेकर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सुभाष पालेकर द्वारा इस खेती हेतु भारतीय नस्ल की गायों के गोबर गोमूत्र का प्रयोग करके, एक ऐसी कृषि पद्धति विकसित की गई जिसको अपनाने से 1. समय के साथ–साथ भूमि अपनी खोई उर्वरता को पुनः प्राप्त करती है। 2. किसान का रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों पर होने वाला पूरा खर्च बचता है। 3. रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होने से खाद्यान्न, फल एवं सब्जी की गुणवत्ता, स्वाद एवं पौष्टिकता में वृद्धि होती है। 4. बैक्टीरिया एवं केंचुओं की संख्या में वृद्धि से जमीन भुरभुरी व छिद्रमय होती है। 5. जमीन की Water-holding capacity बढ़ती है। 6. फसलें प्राकृतिक आपदाओं (पाला, ओले, अधिक बरसात) का मुकाबला दृढ़ता से करती है।7. फसलों को NKP एवं माइक्रोन्यूट्रिएन्ट की आपूर्ति बिना मूल्य होती है। 8. किसानों को कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आवश्यक सभी वस्तुएं किसान के पास उपलब्ध होती है व पूर्णतः प्राकृतिक होती है।

महर्षि अरविन्द कृत सावित्री : एक अनुशीलन

डॉ. ममता गुप्ता पी.डी.एफ.
संस्कृत, पालि एवं प्राकृत विभाग,
रा.दु.वि.वि. जबलपुर

महर्षि अरविन्द एक महान योगी एवं दार्शनिक थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता एक डाक्टर थे। इन्होंने युवा अवस्था में स्वतन्त्रता संग्राम में क्रान्तिकारी के रूप में भाग लिया, ब्रिटिश सरकार इनके क्रान्तिकारी विचारों और कार्यों से अत्यधिक आतंकित थी अतः 2 मई 1908 को चालीस युवकों के साथ उन्हें गिरफ्तार करके अलीपुर जेल भेज दिया गया। अलीपुर जेल में ही उन्हें हिन्दू धर्म एवं हिन्दू–राष्ट्र विषयक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति हुई। उसके पश्चात वे योगी बन गये और इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। उन्होनें अनेक काव्य एवं दर्शनिक ग्रन्थों कर रचना की जिनमें 'द मदर', 'लेटर ऑन योगा', 'फ्यूचर पोएट्री', 'दिव्य जीवन', 'योग समन्वय', 'सावित्री' आदि है।

सावित्री महर्षि अरविन्द द्वारा रचित अंग्रजी महाकाव्य है जिसे उन्होंने अपने आश्रम के एकान्तवास में लिखा था। उनकी अन्तिम रचना है। वैसे तो प्रारम्भ काल से ही उन्होंने अंग्रेजी में कविता करने में दक्षता प्राप्त कर ली थी किन्तु आश्रम में उनका पूर्ण विकास हुआ। सावित्री का कथानक 18 श्लोकों में निबद्ध महाभारत के अति प्रसिद्ध आख्यान से लिया गया है। सावित्री और सत्यवान की कथा भारतीय जनमानस के लिए कोइ नई कथा नहीं है। इसमें **'दाम्पत्य प्रेम'** और **'पातिव्रत्य धर्म महिमा'** का वर्णन किया गया जिसकी शक्ति से एक धर्मनिष्ठ पत्नी **मत्यु** को भी पराजित करके अपने पति के जीवन की रक्षा करती है।

अनेक पौराणिक आख्यानों के समान यह भी एक पौराणिक आख्यान (माइथॉलालिक टेल) था जिसे महर्षि ने अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर आध्यात्म की चरम ऊँचाइयों पर प्रतिष्ठित कर दिया है। एक छोटी से कथा का आश्रय लेकर उन्होंने एक अद्भुद्, अनुपम संसार की रचना की है। इस अलौकिक प्रतिभाशाली इन महर्षि कवि ने महाभारत के 18 श्लोकों में वर्णित कथानक को 12 पर्वों 41 सर्गों वाले विशाल महाकाव्य का स्वरूप प्रदान किया। इस ग्रन्थ का अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हुआ है। इसकों लिखने में श्री अरविन्द को 24 वर्ष लगे।

श्री नीरदवरण के अनुसार सावित्री को श्री अरविन्द ने 12 बार लिखा था वह इसलिए कि योगबल से श्री अरविन्द चेतना के आकाश में ज्यों–ज्यों ऊपर उठते गए सावित्री का संशोधन अनिवार्य होता गया। श्री अरविन्द के अनुसार सत्य तक जाने का सही मार्ग दर्शन नहीं, काव्य का मार्ग है। वस्तुतः जिस लोक की छोटी सी प्रकाश कणिका महाकवियों के मन को उदभावित करके उनसे अलौकिक काव्य का निर्माण करती है, सावित्री का प्रणयन उसी लोक के सूर्य के साथ बैठ कर किया गया है या क्या पता, श्री अरविंद उस सूर्य के साथ एकाकार हो गए हों। इसी कारण श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' कहते है–

सावित्री मेधा का काव्य नहीं है, कोई भी विलक्षण काव्य केवल मेधा के बल पर नहीं लिखा जाता। दार्शनिक तो यूरोप में बहुत उच्च कोटि के हुए हैं, किन्तु उनके दर्शन मेधा की उपज हैं, तर्क शक्ति के परिणाम हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा, सोचकर लिखा। दार्शनिक के रूप में श्री अरविन्द की विशेषता यह है कि वे केवल प्रज्ञावान पंडित ही नहीं, बहुत बड़े योगी भी थे। अतएव उन्होंने जो कुछ लिखा, देखकर लिखा, अनुभव करके लिखा। श्री अरविन्द के दर्शन का सार उनकी अनुभूति है। विचार उस अनुभूति को केवल परिधान प्रदान करता है। श्री अरविन्द

ने भारत की इस परम्परा को फिर से प्रमाणित कर दिया कि सच्चा दर्शन वह है, जो सोचकर नहीं, देखकर लिखा जाता है।

इस महत्त्वपूर्ण काव्य में सावित्री सत्यवान की पुराण कथा के माध्यम से कवि ने अपने दर्शन तथा इस पृथ्वी पर महामानव के अवतरण की अपनी विशिष्ट कल्पना को व्यक्त किया है। यह महाकाव्य विपुलकाय है, इसका सम्पूर्ण वाचन और मनन कठिन है। अतः इसके अनुशीलन के लिए व्योहार राजेन्द्र सिंह द्वारा रचित **'सावित्री'** नामक पुस्तक का आश्रय लिया गया है जिसमें महाकाव्य का गद्यात्मक हिन्दी अनुवाद, सुमित्रानन्दन पंत द्वारा किए गए पद्यात्मक अनुवाद (कुछ अंशों का), सावित्री के सम्बन्ध में श्री माँ और स्वयं श्री अरविन्द के विचारों को संयोजन किया गया है। इस भावानुवाद में महाकाव्य की संक्षिप्त कथा और उसके भीतर निहित भावनाएँ जितना संभव हो सकता था उतने सरल शब्दों में सामान्य पाठकों के लिए प्रस्तुत की गई है।

सवित्री में 3 खण्ड हैं। प्रथमखण्ड में तीन पर्व है –

1. आदि पर्व (The book of begining)
2. लोकों के यात्री का पर्व (The book of Treveller of the world)
3. दिव्य जीवन का पर्व (The book of Divine life)।

द्वितीय भाग में पाँच पर्व है –

1. जन्म और खोज का पर्व (The book of Birth and Quest)
2. प्रेम का पर्व (The book of love)
4. नियति का पर्व (The book of fate),
4 योग का पर्व (The book of Yoga)
5. मृत्यु का पर्व (The book of death)।

तृतीय भाग में पर्व है –

1. शाश्वत रात्रि का पर्व (The book of Eternal night)
2. द्विविध सान्ध्य प्रकाश का पर्व (The book of Dual light)
3. शाश्वत दिवस का पर्व (The book of Everlasting Day)
4. पृथ्वी की वापसी (The returin to Earth)

जिनका अनुवाद **'सृष्टि का आरम्भ', 'विश्वयात्रो' 'दिव्य आद्याशक्ति', 'जन्म और खोज', 'प्रेम' 'विश्वभवन का यात्री', 'योग', 'मृत्यु', शाश्वत रात्रि',**

'दुहरा प्रकाश' 'शाश्वत दिवस' तथा **'उपसंहार'** शीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है। [प] प्रथम पर्व के तीन सर्गों में कवि ने अपनी विश्वसृजन सम्बन्धी मान्यता का वर्णन किया है–

It WAS the hour before the Gods awake.

Across the path of the divine Event

The huge foreboding mind of Night, alone

In her unlit temple of eternity,

Lay stretched immobile upon Silence' marge.[ii]

(नये सृष्टि विकास क्रम की प्रारंभिक अवस्था में विकास को गति देने वाले देवगणों के जागरण की बेला अभी नहीं आई थी। नये प्रकाश को लाने वाली दिव्य उषा के पथ पर अपनी शाश्वतता के अँधेरे मन्दिर में महारात्रि का विशाल इन्कारी मन महामौन के किनारे अचल अटल अकेला ही पसरा पड़ा था।)

अश्वपति का चरित्र भी इसी पर्व में वर्णित है। सत्यवान के लिए अश्वपति की तपस्या को कवि ने आत्मज्ञान और विश्वज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु मानवता की खोज के रूप में चित्रित किया गया है। द्वितीय पर्व में अश्वपति विश्व के विभिन्न स्तरों से ऊपर उठते हुए उच्चतर मानस तथा उच्च ज्ञान के स्तर तक पहुँच जाता है। उसके हृदय में जिज्ञासा की अग्नि प्रज्ज्वलित है।

अश्वपति इस पृथ्वी पर सतयुग लाना चाहते हैं। मानव चेतना कितना महान ज्ञान अर्जित कर सकती है, वह कितनी गइराई और ऊँचाई तक जा सकती है, वह अश्वपति की तपस्या से प्रकट होता है। तृतीय पर्व में अश्वपति विश्व के ऊपर प्रवेश कर अनुभव प्राप्त करता है और सृजनशक्ति के आपने सामने पहुँच जाता है। वह आत्मा के दिव्य लोक के दर्शन करता है जहाँ सत्य शक्ति और चेतना दिव्य आनंद और समरसता एक साथ मौजूद हैं। वह इन सब तत्त्वों को पृथ्वी पर उतारना चाहता है, पृथ्वी पर दिव्य राज्य लाना चाहता है। दैवी शक्ति से उसे वरदान प्राप्त होता है कि अन्धकार व अज्ञान शक्तियों को जीतकर सत्य को मानव जगत् में उतार सके। दैवी शक्ति उसे वरदान देती है कि उसकी कृपा पृथ्वी पर अवतरित होगी। इस प्रकार सावित्री का पृथ्वी पर जन्म होता है–

A seed shall be sown in Death's tremendous hour,

A branch of heaven transplant to human soil;

Nature shall overleap her mortal step'

Fate shall be changed by an unchanging will.[iii]

(मृत्यु की घनघोर घड़ी में एक बीज बो दिया जायगा और स्वर्ग की एक सुन्दर डाली का मानव–माटी (शरीर) में रोपण कर दिया जायगा। प्रकृति अपने मरणशील कदम के ऊपर से छलांग लगा जायगी अर्थात् उसका विकास द्रुत गति से बढ़ जायगा। एक परिवर्तनीय इच्छा शक्ति द्वारा पृथ्वी के भाग्य को बदल दिया जायगा।')

सन्तान कामना की एक सामान्य कथा को श्री अरविन्द ने यह दिव्य रूप दिया है। अश्वपति की यात्रा अचेतन से चेतन के उच्च स्तर पर पहुँचने की यात्रा है। इसकी कठिनाई मानवात्वा द्वारा अनुभूत विघ्न बाधाएँ हैं जो उसे सत्यवान की प्राप्ति में सामने आती हैं और उसकी सफलता मानव जाति के द्वारा सत्य की प्राप्ति की सफलता है।

सावित्री भी केवल महाभारत की एक सामान्य राजकुमारी न रहकर दिव्य कृपा की अवतार बन जाती है। वह मानव के दुःखों और अपमानों को सह कर अन्धता और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर दिव्यलोक की प्राप्ति करती है। वह यमराज का सामना कर अपने पति सत्यवान को मृत्युपाश से छुड़ाती है। अपनी अमरता और अनन्तता के विस्तार से ही वह यह विजय प्राप्त करती है।

सावित्री का जन्म, बाल्यकाल, पति के वरण की उसकी यात्रा, सत्यवान से मिलन वापस आने पर नारद से मिलन आदि कथाएं ज्यों कि त्यों रक्खी गई हैं। अन्तर इतना ही है कि श्री अरविन्द की सावित्री अपनी मनुष्यता के साथ अपनी दिव्यता का भी एक साथ अनुभव करती है। नारद—सावित्री संवाद के माध्यम से कवि ने विश्वनियन्ता का उद्देश्य तथा मानव के अदृष्ट और कर्म सिद्धान्त को उच्च शिखर तक पहुँचा दिया है।

सवित्री के 4 से 6 पर्वों में दैवी माता द्वारा दिए गए वरदान की महत्ता प्रदर्शित की गई है। सावित्री केवल मानव जाति की प्रतिनिधि नहीं है अपितु दैवीय कृपा की अवतार भी है। यम कुटिलताएँ प्रलोभन, छल आदि की उपस्थिति करने वाले अज्ञान का प्रतिनिधि है। सारा संवाद उच्च के उच्चतर स्तर पर उठता चला जाता है। उसमें अतिमानस क्षेत्र की ज्योति और आत्मप्रेरणा की चमक बीच बीच में कौंध जाती है।

एक छोटे से कथानक को कितना विस्तृत और उच्च शिक्षर तक पहुँचाया जा सकता है, इसका प्रमाण है सावित्री महाकाव्य। उसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य भरे हुए हैं, जिससे मानव विकास हो सकता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सावित्री का प्राचीन कथानक समाप्त हो जाता है। पिता का राज्य प्राप्त कर सावित्री और सत्यवान राज्य— सुख भोगने लगते हैं। किन्तु श्री अरविन्द की सावित्री, में वे दोनों मृत्यु का राज्य पार कर अनन्त दिवस के राज्य में प्रवेश करते हैं जहाँ का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, जहाँ अज्ञान और मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। वहाँ कुछ काल ठहरकर वे दोनों पृथ्वी की ओर देखते हैं दैवीय कार्य पूर्ण करने के लिए लौट पड़ते हैं वह कार्य है नवीन मानवता का सृजन। यही सावित्री की सबसे बड़ी विशेषता है।

सावित्री महाकाव्य के सम्बन्ध में कुछ लोगों को अध्यायों की संगति लगाने में कठिनाई होती है। प्रथम पर्व का प्रथम सर्ग उषाकाल के रूपक से प्रारम्भ होता है। उसमें आत्मा प्रकृति में प्रवेश करती है, जैसे अन्ध रजनी के बाद सूर्य का उदय होता है। इसमें हम सावित्री को अपने जीवन की मुख्य समस्या का सामना करते हुए देखते हैं। सत्यवान की अचानक मृत्यु से वह स्तम्भित है। उसके सामने पृथ्वी, प्रेम और काल खड़ा हुआ है। उसके हृदय में यम का सामना करने के लिए विश्वव्यापी दुःख उदय होकर उसकी शान्ति और शक्ति की परीक्षा लेता है। दूसरे पर्व में सावित्री के हृदय की आन्तरिक प्रक्रिया बतलायी गई है। विशेष अध्यायों में कवि हमें सावित्री के जन्म के पूर्व अश्वपति के राज्य में ले जाता है, उनमें हमें अश्वपति के आन्तरिक जीवन के संघर्ष और सिद्ध के दर्शन मिलते हैं, जिससे सावित्री का जन्म होता है। सिद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच कर वह पृथ्वी पर उतरते हैं। उनको आदेश मिलता है कि वे मनुष्य जाति की पूर्णता के लिए प्रयत्न करें। इस प्रयत्न में उन्हें दैवीय कृपा की सहायता मिलेगी जिससे मनुष्य की समस्या

हल होगी। अश्वपति के इस दिव्य यात्रा के वर्णन से ही सावित्री महाकाव्य के दूसरे और तीसरे पर्व भरे हुए हैं।

महर्षि अरविन्द ने सावित्री की कथा को बिम्बों और प्रतीकों के माध्यम से एक रहस्यमयी आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कर दिया है। महर्षि की यह रचना एक विशुद्ध काव्यात्मक रचना न होकर एक दार्शनिक दस्तावेज बन गई है। रचना में वर्णित वातावरण और वर्ण्य इसे इस लोक से उपर उठा देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी लौकिक व्यक्ति द्वारा रचित न होकर किसी अलौकिक व्यक्ति द्वारा रची गयी है। श्री अरविन्द ने स्वयं कहा है कि सावित्री एक अन्तःप्रेरित काव्य है जिसकी कुछ पंक्तियाँ ही नहीं, वरन् पृष्ठ के पृष्ठ ईश्वरीय प्रेरणा से लिखे गए है। वे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है [पअ] कि इसकी पंक्तियाँ ऊपर से उतरती चली आ रही हैं और मुझसे लिखवाई जा रही हैं। इस कथन से प्लेटों की काव्यविषयक उस मान्यता का अनायास ही स्मरण हो आता है जिसमें उन्होंने काव्य को दैवीय आवेश में किया गया कार्य माना है।

सावित्री शब्द सावितृ से बना है। इसमें सु धातु है जिसका अर्थ है, उत्पन्न करना। सोम शब्द भी सु धातु से बना है जिसका अर्थ है उत्साहवर्धन प्रेम अथवा आत्मिक आनन्द। इस प्रकार सावित्री का अर्थ सर्जक, सृष्टि को उत्पन्न करने वाला। वेदों में सविता प्रकाश और सृजन का देवता है। उसका पार्थिक प्रतीक हमारा सूर्य है जो समस्त सौरजगत को प्रकाशित और पोषित करता है।

इस प्रकार सावित्री का अर्थ होगा सविता की पुत्री अथवा दैवी सर्जक की शक्ति। सावित्री महाकाव्य सावित्री दैवी का प्रतीक है, जो मानव रूप में अवतरित होकर मानवात्मा को अपने दैवी लक्ष्य की ओर ले जाती है। सत्यवान का अर्थ है जिसके पास सत्य और अथवा जो सत्य पाना चाहता है। इस काव्य में सावित्री के पिता अश्वपति को जीवन स्वामी माना गया है। वेदों में अश्व जीवनी शक्ति का द्योतक है, अतः अश्वपति का अर्थ जीवन का स्वामी ही हो सकता है। सावित्री में राजा अश्वपति पृथ्वी पर अवतरित जिज्ञासु आत्मा का प्रतीक है।

सावित्री एक प्रतीकात्मक महाकाव्य है । साहित्य समालोचक मानते हैं कि कवि की विशेष प्रतिभा बिम्बों का सृजन करने में है। ये बिम्ब प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त होते जा रहे हैं जो कवि की सर्जनात्मक प्रेरणा अथवा सृजन शक्ति के रूप में प्रकट होती है। ये बिम्ब वहीं तक प्रभावशाली और यथार्थ होते हैं। जहाँ वे कवि के अनुभव या उस चेतना की अवस्था को प्रकट करते हैं। जब ये बिम्ब यथार्थ होते हैं तब वे प्रतीक बन जाते हैं। वह कविता केवल अनुभव मात्र नहीं रह जाती किन्तु प्रभावशाली अभिव्यक्ति बन जाती है। श्री अरविन्द इसकों अनिवार्य शब्द तथा प्रेरक कहते हैं।

यही दर्शन की शक्ति, अपने अनुभव के सत्य का दर्शन अथवा अतिमानस सत्य, जो कि प्रतीक के रूप में प्रकट होता है, कवि को आत्म प्रकाशन की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए कवि सृजन करता है अथवा अपनी कल्पना से ऐसा बौद्धिक प्रतीक निर्माण करता है जो पाठकों को कवि का अभिप्रेत अर्थ समझाता है। कालिदास मेघ को दूत बनाकर और शैली स्काईलार्क पक्षी को प्रतीक बनाकर अपनी बाद कहते हैं।[अ]

सवित्री में प्रारम्भ से प्रतीकों और बिम्बों की सर्जना होने लगती है, आदि पर्व में ही उषाकाल, उसके पूर्व रात्रि का प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है। रात्रि प्रतीक है सृष्टि के पूर्व की शून्यता तथा उषा प्रतीक है सृष्टि का जो सतत है सुन्दर है। उषा देवी सावित्री के अवतरण की पूर्व सूचिका के

रूप में भी वर्णित की गई है। सावित्री एक ज्योति है, स्वयं देवी है जो संसार के उद्धार के लिए अवतरित हुई है। सत्यवान शाश्वत आत्म तत्त्व का प्रतीक है जो अज्ञान के आवरण से आवृत है, जिसको अज्ञान से मुक्त कराने और परम तत्त्व से उसका शाश्वत मिलन कराने के लिए ही सावित्री का पदार्पण लौकिक जगत में हुआ है–

सावित्री ईश्वरीय कृपा की प्रतीक है जो कि सत्यवान रूपी जीव को ईश्वर तक पहुँचाने के लिए अवतरित होती है। वह जीवात्मा को परमात्मा से मिलाकर और फिर पृथ्वी पर वापस आकर स्वर्ग का राज्य स्थापित करती है।

"O strong forerunner, I have heard thy cry.

One shall descend and break the iron Law,

Change Nature's doom by the lone spirit's power.

A limitless Mind that can contain the world,

A sweet and violent heart of ardent calms

Moved by the passions of the goods shall come

('ओ नयी सृष्टि के योद्धा अग्र धावक, मैंने तेरी पुकार सुन ली है (मैं वचन देती हूँ कि) एक शक्ति पृथ्वी पर उतरेगी और नियति के कठोर नियम (मृत्यु और पीड़ा आदि) को तोड़ेगी, प्रकृति द्वारा ढाये जाने वाले महाविनाश के दृश्य को वह अपनी अकेली आत्मिक शक्ति से बदल देगी। एक ऐसे असीम मन के साथ आयेगी जो सारे जगत को अपने भीतर सभी लेगा। देव तुल्य भावावेग से उत्प्रेरित एक अति मधुर, अटल प्रचण्ड शान्ति, हृदय के तीव्र उन्मेष के साथ पृथ्वी पर अवश्य अवतार लेगी।

सावित्री के पिता अश्वपति तपस्या का, आत्म का अज्ञान के अन्धकार से मुक्त कराने की प्रक्रिया का, भौतिकता से अध्यात्मिकता तक की यात्रा का प्रतीक है। यम प्रतीक है इस जगत में भ्रमित करने वाले तत्त्वों का जो आत्मा का भ्रम में डाल कर परम तत्त्व से दूर करने कारण बनते हैं।

स्वयं महर्षि अरविन्द के शब्दों में 'इस काव्य में सावित्री भगवती माता (Divine Mother) के अवतार के रूप में निरूपित हुई है। यह अवतार सुदूर अतीत में हुआ माना जाता है जबकि समस्त विषय का उद्घाटन होना था जिससे कि अमरत्व के मार्गों को भेदा जा सके।'[अप]

वस्तुतः कवि के अपने अनुभव (चाहे वे भौतिक जगत से सम्बद्ध हों अथवा आध्यात्मिक जगत से) ही काव्य सर्जना के मूल में रहते हैं। यदि वह अपने अनुभव संसार को अपनी प्रतिभा से बिम्बों और प्रतीकों में ढाल कर उसे अभिधेयता और लौकिकता से परे एक अलौकिक संसार की सर्जना करता है तो वह कवित्व की चरम ऊँचाईयों का स्पर्श कर लेता है और वह सार्वभौमिक और सर्वकालिक व्यक्तित्व को रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है।

श्री अरविन्द की सावित्री में यह विशेषता अपने उच्चतम रूप में विद्यमान है। अभी संसार में चिन्तकों का एक खासा दल है, जो श्री अरविन्द को केवल मनीषी, दार्शनिक और कवि समझकर सन्तोष कर लेता है। मेरा विश्वास है कि श्री अरविन्द केवल दार्शनिक, कवि और मनीषी ही नहीं थे, वे मनुष्य के आसन्न आध्यात्मिक विकास के नेता, योगी और युगावतार थे। श्री अरविन्द ने योग और दर्शन पर जो

अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, वे मनुष्य की ऊँची–से–ऊँची मेधा के श्रेष्ठ प्रमाण हैं। किन्तु क्या केवल मेधा के बल पर सावित्री काव्य की रचना की जा सकती थी? सावित्री के रचयिता की दृष्टि के सामने गोचर और अगोचर, दोनों ही निरावरण हो गए थे। बुद्धि गोचर तक ही विहार करती है। बुद्धि के परे भी कोई शक्ति है, जो अगोचर को देख लेती है। श्री अरविन्द में बुद्धि का बड़ा ही प्राबल्य है, किन्तु सावित्री काव्य बुद्धि की रचना नहीं है। वह उस शक्ति का चमत्कार है, जो बुद्धि की सीमा के परे विहार करती है, जिससे अदृश्य देखा जाता है और अकथनीय का कथन किया जाता है। सावित्री अकथनीय के ही कथन का प्रयास है।[अपप]

संदर्भ :–

सवित्री – श्री अरविन्द / प्रथम पर्व / प्रथम सर्ग
सवित्री – श्री अरविन्द / प्रथम पर्व / प्रथम सर्ग
सावित्री – राजेन्द्र सिंह ब्योहार (भूमिका भाग)
सवित्री – राजेन्द्र सिंह ब्योहार (प्रतीक काव्य)
सवित्री – श्री अरविन्द प्रथम पर्व तृतीय सर्ग
सवित्री– राजेन्द्र सिंह ब्योहार (आध्यात्मिक काव्य)
श्री अरविन्द मेरी दृष्टि में– रामधारी सिंह दिनकर पृष्ठ–17

महिला सशक्तिकरण एवं मानव अधिकार

डॉ .रजनी सूर्यवंशी
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य शासकीय महावि.मण्डलेश्वर

शोध सारांश :– महिला सशक्तिकरण और उनके मानवीय अधिकार दोनों एक दुसरे से अविभाजित रूप से सम्बन्धित है। सशक्तिकरण होने से महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक एवं सांस्कृतिक संदर्भो में उनकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव के साथ ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर समाज की मुख्य धारा में जुडने के साथ ही समाज के विकास में महती भूमिका निभा सकती है। चूंकि महिला सशक्तिकरण सामाजिक रूपांतरण से भी सम्बन्धित है जिसमे मानव अधिकारों का हिस्सा है और विकास कार्यो में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह तभी सम्भव हो सकता है जब महिलाए इसमें सकारात्मक भूमिका अदा करे।

भारतीय संविधान में महिलाओं के मानवाधिकार के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता की घोषणा की गई है सवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त वैधानिक संरक्षण भी प्रदान किया गया है। परन्तु अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकार, समाज एवं स्वयं महिलाओं को निरंतर प्रयास जरी रखने होगे।

अध्ययन का उद्देश्य :–महिलाओ हेतु विश्व एवं भारत में मानव अधिकारों के लिए प्रयासों की स्थिति देखना। मानव अधिकारों के परिणाम स्वरूप महिलाओं में सशक्तिकरण की स्थिति देखना।

शोध विधि :– शोध हेतु द्वितीयक आकडो का उपयोग किया जा रहा है अध्ययन एवं विभिन्न रिपोर्ट एवं आकडो का उपयोग कर निष्कर्ष प्राप्त किया गया है।

विश्लेषण :– मानव को सुखी और शांतिपूर्वक जीवन जीने के अधिकारों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मानवाधिकार की संकल्पना की गई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार सम्बन्धित विधेयक में समानताए शिक्षा, धर्म, सामाजिक सुरक्षा, मानव व्यव्हार, न्याय, आत्मनिर्णय का अधिकार, धर्मान्तरण संरक्षण और आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के अधिकार भी सम्मिलित है विश्व स्तर पर महिलाओं की स्थिति असन्तोषजनक होने पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला अधिकार को मानव अधिकार घोषित किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्तराष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 में पहली बार महिलाओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। वर्ष 1977 में महिलाओं की व्यक्तिगत गरिमा का प्रश्न उठाया गया। वर्ष 1978 में महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने के लिए एक संगठन का प्रस्ताव किया गया। वर्ष 1979 में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले समस्त प्रकार के भेदभावो को दूर करने के लिए अधिवेशन हुआ है। 1992 में महिलाओ के प्रति हिंसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में चर्चित हुआ। 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओ एवं बालिकाओं के अधिकारों को मानव अधिकारों के विभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया। 1995 में बीजिंग सम्मेलन में महिला अधिकारों के लिए मानव अधिकारों के रूप में संघर्ष विस्तृत रणनिति जारी की गई। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने लेंगिक हिंसा को अपराध घोषित किया।

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की 69 वें बैठक का आयोजन न्यूयार्क स्थित मुख्यालय में 20 सितम्बर 2014 को किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बीजिंग घोषणा पत्र चर्चा का विषय रहा। लगभग 20 वर्ष बीतने पश्चात भी महिलाएँ लगातार लेंगिक भेदभाव का शिकार हो रही है लेंगिक असमानता के खिलाफ कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र ने He for She अभियान की नीव रखी। इस अभियान का उद्देश्य पूरे विश्व के पुरुषो एवं युवको माहिलाओ एवं बालिकाओ ले साथ दो यम दर्जे के व्यवहार या हिंसा के खिलाफ कदम उठाने को प्रोत्साहित करता है।

भारत में मानवाधिकारों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। भारत में 20 वी सदी के आरम्भ से महिलाओं के अधिकारों हेतु संगठित प्रयास प्रारम्भ हो गये। महिला मानव अधिकारों हेतु प्रयास करने वाले महान व्यक्तित्व राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योति राव फुले है, जिन्होंने महिला शिक्षा, सति प्रथा उन्मूलन, सम्पति के अधिकार दिलाने एवं उनके उत्थान हेतु क्रन्तिकारी कदम उठाएं। 1920 में भारतीय महिलाओं की महिला परिषद् 1926 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1929 में राष्ट्रवादी उदारवाद संघ, महिला कोष संघ एवं 1947 में महिलाओं का भारत संघ आदि के माध्यम से महिला मुद्दों को व्यापक राष्ट्रवादी स्वरूप प्रदान किया जा चूका था। महिलाओ के लिए समान अधिकारों के संघर्ष में सरोजनी नायडू, माग्रेट कजिन्स, एनीबेसेंट, रामेश्वर नेहरु, बेगम हामिद अली, राजकुमारी अमृता कौर एवं अनेक महिलाओ की भूमिका उल्लेखनीय रही है।

भारतीय संविधान में महिलाओ के मानवाधिकारों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता की घोषणा की गई है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मिल अधिकारों के रूप में भी महिलाओ को मानव अधिकार प्राप्त है। संविधान के भाग 4 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्वों में भी पुरुष एवं स्त्री को समानता प्रदान की गई है संविधान के भाग 4 में 42 वें संसोधन (1976) के बाद मूल कर्तव्यो के प्रावधान जोडे गए। जिनमे एक नागरिक कर्तव्य महिला का सामान भी है। 73 और 74 संसोधनो के बाद महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में 33.3 प्रतिशत आरक्षण के बाद महिला अधिकारों की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन की शुरुवात की गई है।

संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त संविधान प्रदत्त विधियों द्वारा भी महिलाओं को वैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। महिला प्रमुख कानून अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 आपराधिक विधि (संशोधन), दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961,1964 सती निवारण अधिनियम 1934, विशेष विवाह अधिनियम 1954, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, बल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, स्त्री और बाल संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम 1956, मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986, स्त्री अशिष्ट रूपं (प्रतिषेध) अधिनियम 1990, घरेलु हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं प्रसव पूर्ण जाँच तकनीकी (नियमन एवं रोकथाम) का दुरूपयोग अधिनियम 1994 आदि संरक्षण प्रदान करते है। नारी अधिकारों के लिये वैधानिक प्रयासों की श्रृखला में भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण निति (2000) एक ओर उल्लेखनीय कदम है। 1992 में स्थापित राष्ट्रीय महिला आयोग को आवंटित कार्य एवं जिम्मेदारियाँ भी काफी व्यापक एवं विविध है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा से सम्बन्धित तमाम पहलुओं और सशक्तिकरण प्रक्रिया को बढावा देने के सभी प्रयासों को इसके दायरे में लाया गया है। इस प्रकार भारत में महिला मानवाधिकार प्रयास सराहनीय है।

सरकार, महिला आयोग, महिला संगठनो आदि के प्रयास से मानवाधिकार का पक्ष मजबूत हुआ है एवं महिलाओ के लिए विकास के द्वार खुले। उनमे शिक्षा का प्रसार बड़ा जिससे जागृति एवं, आत्मविश्वास

उत्पन्न हुआ। आज वे राजनीती, समाज सुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञानं, उद्योग, व्यावसायिक, प्रबंधन, शासन–प्रशासन, डाक्टरी, इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, कला संगीत, आध्यात्म, खेलकूद आदि क्षेत्रों में पुरुषो के साथ अपनी उपस्थिति बना रही है उनके कंधे से कन्धा मिलकर कार्य कर रही है।

एक और तो परिदृश्य उत्साहवर्धक है परन्तु दुसरी और दृष्टिपात करे तो दिखाई देगा की आज भी लाखों – करोड़ों महिलाएँ गरीब शोषण एवं उत्पीड़न की शिकार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अध्ययन लिंग असमानता सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट 2014 से किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओ को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के प्रति कई नुकसान और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाए व्यापक रूप से पिछड़ी हुई है। औसतन 25 वर्ष की 60 प्रतिशत महिलाएँ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकी है जबकि इसी वर्ग के पुरुषो में यह दर 67 प्रतिशत है। यह विसंगति निम्न मानव विकास देशो समूह में अधिक है। दक्षिण एशिया में शिक्षा लिंग असमानता सबसे ज्यादा 15 प्रतिशत है। महिला श्रम बाजार में भी पुरुषों से पीछे हैं जिनमे महिलाए 51 प्रतिशत और पुरुष 77 प्रतिशत तक शामिल होते है।

महिलाओ की आर्थिक और नवीनतम आकड़ो पर आधारित **''एम्पाँवरिग द थर्ड बिलियन – विमेन एण्ड द वार्ड आफ वर्क इन 2012''** रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के रोजगार की दर समान हो तो सकल घरेलू उत्पादन में भारत 27 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 86 कराड़ो 50 लाख महिलाए अर्थव्यवस्था में योगदान देने के बावजूद बिना कमाई के जीवन गुजरने को बाध्य है। इस संख्या का 94 प्रतिशत विकासशील देशो में है जबकि 6 प्रतिशत विकसित देशो में है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में लिंग असमानता में भारत 189 देशो की सूची में 135 रेंक के साथ माध्यम मानव विकास में स्थान बना पाया है। इसी प्रकार थर्ड बिलियन इंडेक्स 2012 में शामिल 128 देशो में भारत 115 वे स्थान में महिला विकास हेतु स्थान प्राप्त कर पाया है।

संयुक्त राष्ट्र जनसँख्या कोष और इन्टरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वूमन द्वारा हाल ही में जारी एक सर्वे के मुताबिक दस में से छः पुरुषों ने माना की वे अपना दबदबा कायम रखने के लिए पत्नी के साथ हिंसा करते है।

मानव अधिकार हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास सराहनीय होने के बावजूद अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे इसके लिए निम्नलिखित प्रयास भी आवश्यक है :–

- → समाज में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता
- → महिला शिक्षा की अनिवार्यता
- → महिलाओ की आर्थिक निर्भरता हेतु आवश्यक कदम
- → कानूनविद न्यायलय प्रक्रिया एवं विलम्ब को महिला उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार मानते है अतः महिलाओं के लिए संवेदनशील एवं विशेष कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता
- → सरकारी एवं गैर सरकारी तथा स्वयं महिलाओ के अपने प्रयास निरंतर आवश्यक है।

निष्कर्ष :—यह एक प्रमाणित तथ्य हैं कि विश्व में सबसे अधिक अपराध और आत्याचार महिलाओं के मानवधिकार काफी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हो जाते है। विश्व के सभी देशों में महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए है, ताकि वे सम्मानपूर्वक स्वंय का जीवन व्यक्ति कर सकें।

भारत सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु असंख्य प्रयास किए जा रहे है। आए दिन महिलाओं को मानवाधिकार दिलवाने के लिए नए—नए नियम एवं कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्त्री – पुरूष समानता की आवाज काफी दूर से आती प्रतीत होती है। कारण कई है जैसे महिला शिक्षा एवं समाज की मानसिकता में परिवर्तन का अभाव।लेकिन उपचार का प्रारम्भ हमारे आपने बीच में से होगा। यदि हमारी मानसिकता बदले तो निश्चित ही परिवार में होते जा रहे परिवर्तनों के कारण समाज में परिवर्तन में होते जा रहे परिवर्तनों के कारण समाज में परिवर्तन आएगा और तब महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन नहीं होगा और वे नई ऊर्जा एवं शक्ति के साथ देश के विकास में योगदान दे पाएँगी।

Transformation and Regeneration of Transformed Brinjal

Joshi Naveen and H.S. Vageeshbabu

Indian Institute of Horticultural Research Hisaraghata lake post Bangalore-

ABSTRACT :- Transgenic plants are a boon to the society owing to their potential resistance to diseases caused by pests and insects, resistance to drought, salinity and other adverse conditions thereby increasing productivity of crops. In the present study, a protocol has been standardized for the successful transformation of Brinjal (*Solanum melongena L) Cv* Manjarigota resistant to *Lepidopteran* pest fruit and shoot borer (*Leucinodes orbonalis,* Guenee). Lepidopteran is a destructive pest of eggplant that causes yield losses of 60-70%. Hypocotyls of brinjal were transformed using *Agrobacterium* strain EHA 105 with a binary vector pBin *Bt2.* It has kanamycin resistance gene which is used as selection marker. In this study, transformation based on regeneration from hypocotyls has been demonstrated. Cocultivation of the explants with *Agrobacterium* has been done which enabled the transformation of brinjal. Transformed plants showed transient expression of the Bt gene which were then regenerated via callus induction. It describes a potential method for the development of insect and pests resistance crops.

Keywords:- *Agrobacterium*, pBin Bt2, Manjarigota, Cocultivation, kanamycin.

INTRODUCTION :- Eggplant (Solanum melongena L.; Division Anthophyta; Class Dicotyledoneae; Order Solanales) is an agronomically important non-tuberous solanaceous crop grown primarily for its large oval fruit. Eggplant is native to India and China and was probably introduced to Europe by Arabic traders and then brought to North America by early European settlers. In popular medicine, eggplant is indicated for the treatment of several diseases, including diabetes, arthritis, asthma and bronchitis. In addition, several groups have provided evidence that eggplant extracts have a significant effect in reducing blood and liver cholesterol rates in humans (Khan 1979; Jorge et al. 1998) and adult rats (Silva et al. 1999). Nasunin, a major component of anthocyanin pigment of eggplant, has been shown to inhibit lipid peroxidation (Igarashi et al. 1993). More recently, free radical scavenging and iron chelating activities of nasunin were demonstrated by electron spin resonance (Noda et al. 1998; 2000). The production of this important vegetable is severely limited by several soil-borne pathogenic viruses and the insect pest Leucinodes orbonalis

which is commonly known as Fruit and Shoot Borer). It is a destructive pest of eggplant in tropical and sub tropical Asia. Larvae of *Leucinodes orbonalis* will bore in to shoots during the vegetative growth stage and later into flower and fruits rendering fruit growth unfit to human consumption and it also causes yield losses of 60-70%. Although chemical pesticides offer protection against crop losses until now, reluctance to rely on chemicals for stabilizing yield is increasing because of environmental concerns and health hazards. However, the introduction of the genes via intergeneric crossing or asymmetric protoplast fusion is often limited, due to sterility problems. With increasing application of biotechnology and molecular biology towards the problem of plant pest interaction, a possible solution for this problem is could be the development of transgenic plants genetically resistance to insects and pests. *Agrobacterium* has been called " natures own genetic engineer" because it naturally transfers DNA to its plant host. Transfer of genes by conventional methods of plant breeding, is possible over a narrow range i.e. within a species. Even by non-conventional methods involving tissue or organ culture, gene can be transferred only at the interspecies or intergeneric level. The modern techniques of gene transfer using recombinant DNA technology, however, allow transfer of genes from even bacteria and insects (or even artificially synthesized gene) to plants, thus increasing manifold the possibilities of improving plants.

Early studies of invitro regeneration of eggplant were based on culturing cell suspension (Fassuliotis *et al.,* 1981; Dumas de vaulx and Chambonnet 1982; Tuberosa *et al.,* 1987) and protoplast (Jia and Potrykus 1981; Saxena *et al.,* 1981; Bhatt and Fasdsuliotis 1981; Guri and Izhare 1984; Gleddie *et al.,* 1986; Mishio *et al.,* 1987; Li and Zang 1988; Clark *et al.,* 1988). Several other protocols for plant regeneration *via* direct and indirect organogenesis have been developed from different eggplant tissues. Different source of explants have been used for the induction of organogenesis in eggplant including hypocotyls (Kamat and Rao 1978; Matsuoka and Hinata1979; Alicchio *et al.,* 1982; Sharma and Rajam 1995a; Magioli *et al.,* 1998), epicotyls (Magioli *et al.,* 1998), stem nodes (Magioli *et al.,* 1998) and roots (Franklin and Sita, 2003). *In vitro* regeneration system has been used as strategies to select valuable agronomic traits in eggplant. The very basis of regeneration in tissue culture is the recognition that somatic plant cells are totipotent (i.e., capable of giving rise to a whole plant), and can be stimulated to regenerate into whole plants *in vitro* via organogenesis (Shoot formation) or somatic embryogenesis, provided they are given the optimal hormonal and nutritional conditions (Skoog and Miller, 1957). Organogenesis is the process by

which new shoots are created *in vitro* by cell division and differentiation, eventually leading to new shoot apical meristem and subsequent shoot elongation. Adventitious shoots or embryos are thought to arise form single cells and thus, provide totipotent cells that can be identified which are both competent and accessible for gene transfer, and will give rise to non-chimeric transformed plants.

***Bt* transgenic brinjal :-** The insect resistance eggplant to be studied in this trial contains the Cry protein from the soil bacterium *Bacillus thuringiensis*. These proteins are toxic to certain species of *Lepidopteron* pest of eggplant, but are safe to mammals, birds, fish, and beneficial insects (Rie *et al.,* 1990). Mahyco conducted efficiency studies. Insecticidal activity of transgenic *Bt* brinjal against brinjal fruit and shoot borer (*Luecinodes orbonalis*) and *Helicoverpa armigera* was assayed. *Bt* brinjal was found to be effective against these target pests. Insect mortality of 98% for BFSB was observed in the transgenic *Bt* brinjal shoots, whereas in the control shoots, mortality was less then 30%. The fruit bioassay results demonstrated that transgenic brinjal fruits are resistant to *Luecinodes*, as the mortality rates of the larvae are very high (up to 100%) when compared with non-transgenic control plants. The result of leaf and fruit bioassay against *Helicoverpa armigera* indicates that the *Bt* brinjal leaves and fruits are highly resistant (99%) to *Helicoverpa.*

Transformation in brinjal :- The present protocol describe the transformation of brinjal using *Agrobacterium tumefaciens* EHA105 containing the binary vector *pBinBt-02* harboring the *nptII* as selectable marker under no promoter which confer resistance against antibiotics kanamycin and GUS reporter gene under the control of CaMV35S promoters. Using *Agrobacterium tumefaciens* to transform plants *in vitro* entails inoculating explants or protoplast with a known concentration of bacterial broth and then co-cultivating the bacteria and plant tissue in a culture regime that is conductive for both bacterial infection and subsequent regeneration of transformation rates as defined by the number of transgenic plants recovered following co-cultivation with *Agrobacterium tumefaciens*. After co-cultivation explants are sub cultured in a suitable medium containing proper concentration of hormones and antibiotics for the growth of explants.

MATERIALS AND METHODS

Explants used** From the 10-12 old aseptic seedlings of brinjal (Solanum melongena** *L.) Cv. Manjarigota variety hypocotyls (1cm long) were excised and used as explants.*

Agrobacterium strain

The *Agrobacterium* strain containing *Bt* gene was used. The strain was obtained from cold spring harbor laboratory.

- Vector containing *Bt* gene- pBin *Bt2*.
- *Agrobacterium* host strain containing *Bt* gene EHA-105.

Media

Full strength (1x) MS media (as per standard composition) was used for explants treatment and sub culturing.

Modified M9 media was used for the growth of *Agrobacterium.*

Hormones used

Kinetin, NAA (Naphthalene acetic acid), BAP (Benzyl amino purine) and TDZ (Thidiazuron).

Antibiotics used

Cefotaxime/carbenicillin and kanamycin.

METHOD

Excised explants (1cm) from hypocotyls of germinated seedling were transferred to the solidified MS-media for pre-conditioning. These were then incubated in culture room for 48 hours. For the culturing of Agrobacterium strain containing *Bt* gene, Modified M9 medium was used. Kanamycin (@50mg/l) was also incorporated into the medium respectively to obtain kanamycin resistant strains. Wounded hypocotyls after pre-conditioning were treated with *Agrobacterium* and kept for co-cultivation. The hypocotyls from pre-conditioning medium (MS) were taken and dipped in M9 medium containing *Agrobacterium* strain for 10-15 minutes. These were then blot dried on sterile tissue paper and transferred further into same pre-conditioning medium. These plates are incubated in culture room for 48 hours. The hypocotyls after co-cultivation were transferred to Cefotaxime/carbenicillin containing plates to prevent overgrowth of Agrobacterium. These plates are further incubated for 168 hours in a culture room. The most widely used selectable marker has been neomycin phosphotransferase, type II enzyme. It is susceptible to antibiotic kanamycin. For successful selection of transformants; the explants were placed in selection medium containing Cefotaxime/carbenicillin (@250mg/l) and kanamycin (@50mg/l). Only transformed cells grow in kanamycin containing plates. The explants transferred to kanamycin containing plates under sterile condition were then incubated in culture

room for regeneration response for about 3-4 weeks. After 3-4 weeks shoots were initiated, after shoot initiation the explants were transferred or sub- cultured on shoot elongation media (SEM) having kanamycin and cefotaxime/carbenicillin. The explants were further sub-cultured on SEM till complete shoot elongation takes place. After shoot elongation the explants were transferred to root initiation media (RIM).

RESULTS AND DISCUSSION

Callus Induction

In the present study, hypocotyl explants cultured on MS media containing 2mg/l BAP and 0.05mg/l NAA showed callus-mediated shoot induction. First sign of callus initiation and shoot induction was observed in 14-16 days and 22-27 days after culture initiation. The hypocotyl explants showed early callus-mediated response compared to cotyledonary leaves in earlier studies in brinjal. The callus generated was compact in texture and white in color. Callusing response and regeneration response was markedly affected after *Agrobacterium* co-cultivation. Callusing was 69%; regeneration and transformation frequency was 44% respectively.

Transformstion

In present study, cefotaxime at 250mg/l was used as antibiotic to stop *Agrobacterium* over growth. It was found to be effective in controlling *Agrobacterium* over-growth for one week. Usually, cefotaxime at 200-500mg/l was used for effective control of *Agrobacterium* over-growth in *Agrobacterium* inoculated cultures. In the present study, *Agrobacterium* over-growth was seen when sub-culturing was delayed in explants inoculated with *Bt* construct. It may be because of reduced effect by cefotaxime with increased culture time. However, occurrence of over-growth also depends on virulence of *Agrobacterium* strain, its inherent resistance to antibiotic and concentration of antibiotic incorporated in culture medium.

Selection of transformants

Once the target cells have been transformed by one of the above methods, transgenic cells or they produce plants are chosen on a selection medium. The use of a marker gene in a transformation process aims to give a selective advantage to the transformed cells, allowing then to grow faster and better and to kill the non-transformed cells. The selectable marker used is *npt* II (neomycin phosphotransferase) that confer resistance to Kanamycin (Nap *et al.,* 1992). Each crop plant and cultivars is sensitive to kanamycin at different concentration. Kanamycin at 50mg/l employed for selection of transformants. It was found to be effective in selection of transformants.

Importance of Preconditioning

In the present study, similar culture condition was maintained for all the explants inoculated with gene construct. *Agrobacterium* strain harboring *Bt* construct was *EHA* 105. The explants cultured without preconditioning showed callus induction and shoot induction was nil. Explants failed to show shoot regeneration without preconditioning. Specific preconditions were required according to genotype and explants type. Hypocotyls explants were hypersensitive to bacterial culture when no preculture was allowed (Chakrabarty *et al.,* 2002). However, browning was not observed without preculture in hypocotyl explants of brinjal but they did not respond after co-cultivation with *Agrobacterium.* Explants showing shoot induction in the present study are being sub-cultured on to fresh medium for shoot elongation.

REFERENCES

Agarbouni, Z.; Grerer, A.F. & Tabaeizadeh, Z. 1995. ***Plant Cell Report,*** **15**: 102.

Aldenite, R.A. & Hodges, T.K. 1996. ***Plant,*** **199**: 612

Ali, M.;OKubo, H. & Fujieda, K.1991. *In vitro* multiplication of intraspecific and interspesific solanum hybrids through somatic embryogenesis and adventitious organogenesis. ***Journal of the Japanese for horticultural science*** **60** (3): 601-612.

Allicchio, R.; 1990. Somoclonal variation in eggplant (*Solanum melongenaL.)*. ***Biotechnology in agriculture and forestery*** 11: 416-433.

Allicchio, R.; Del Grosso, E. &Bouchueri, E.1982. Tissue culture and plant regeneration from different explants in six cultivars of *Solanum melongena.* ***Experientia*****38**: 449-450.

Amstrong, T.A. & Hinchee, M.A.E.W. 1991. Optimization of the transgenic GUS assay. *In vitro.*

Aragao, F.J.L. 2002. Development of transformation methods towards producing transgenic plants with abiotic stress tolerance. ***JIRCAS Working Report.t 23***: 35-42.

Arpaia, S.; mennella, G.; Onofaro, V. & Perri, E.1997. Production of transgenic eggplant (*Solanum melongenaL.)* resistance to Colorado potato Beetle (*Leptinotarsa decemlineata Say).* ***Theoretical and applied genetics 95***:329-334.

Arparia, S.; Mennelle, G.; Onofaro, V.; Peri, E.; Sunseri, F. & Rotino, G.L.1997. Production of transgenic eggplant (*Solanum melongena linn)* resistance to pest**. *Theol.Apll.Gent. 95***: 329-3334.

Asano, S.1996. Identification of *Cry* gene from bacillus thurengiensis by PCR and isolation of unique insecticidal bacteria. ***Memories of the Faculty of Agriculture Hokkaido university (Japan). 19 (7):*** 529-563.

Baum, J.A.; Kakefuda, M. & Gawron Burke, C.; 1996. Engineering *Bacillus thurengiensis* bioinsecticides with an indigenous site-specific recombination system. ***Applied and Environmental microbiology (USA). 62(12)**:* 4367-4337.

Bevan, M.; Flavel, R.B. & Chilton, M.D. (1983). A chimeric antibiotic resistance gene as selectable marker for plant cell transformation. ***Nature 304:*** 184-187.

Billing, S.; Jelenkovic, G.; Chin, c-k. & Eberhadt, J.1997. The effect of growth regulation and antibiotics on eggplant transformation. ***Journal of the American society for horticultural science122***: 158-162.

Binns, A.N. & Thomashow, M.F. 1998. Cell biology of *Agrobacterium* infection and transformation of plants. ***Annu.Rev.Microbial. 42*:** 575-606.

Bucherna, N.; Szabio, E. &Nagy, I.2001. DNA methylation and gene expression difference during alternative *In vitro* morphogenetic process in eggplant *(Solanum melongenaL.).* ***In vitro cellular and developmental biology-plant37 (5****):* 672-677.

Crickmore, N.; Zeigler, D.R.; Fietelson, J.; Schnepf, E.; Van Rei, J.; Lereclus, D.; Baum, J. and Dean, D.H.1998. Revision of the nomenclature for *Bacillus thurengiensis* pesticide crystal proteins. ***Microbol. Mol. Bio. Rev. 62*:** 807-813.

Donzella, G.; Spena, A. & Rotino, G.L.2000. Transgenic parthenocarpic eggplant: superior germplasm for increased winter production. ***Molecular Breeding 6****(1):* 79-86.

Doranie-oliaie, E.; Farsi, M.; Bagheri, A.R. & Ghreyazie, B.2003. Optimization of Agrobacterium- mediated transformation of Potato (Solanum *tuberosum)* with GUS gene. ***Agricultural-Science-and-technology.17*:** 1

Dumas de Vaulx, R. & Chambonnet, D.1982. Culture *In vitro* d'antheres d'aubergine *Solanum melongena L.):* Stimulation de la production de plantes au moyen de traitements a 35·c associes a de fibeles teneurs en substances de croissance. ***Agronomie2***: 983-988.

Fari, M.; NAGY, I.; Csanyi, M; Mityko, J. & Andrasfalvy, A.1995. *Agrobacterium* mediated genetic transformation and plant regeneration via organogenesis and somatic embryogenesis from cotyledon leaves in eggplant. ***Plant Cell Report15***: 82-86

Farooqui, M.A.; Rao, A.V.; Jayasree, T. & Sadanandam, A.1997. Introduction of atrazine resistance and somaticembryogenesis in *Solanum melongena*. ***Theoretical and Applied Genetics 95(4):*** 702-705.

Fassuliotis, G.; Nelson, B.V. & Bhatt, D.P.19981. Organogenesis in tissue culture of *Solanum melongena* Cv. Florida Market. ***Plant science Letters22:*** 119-125.

Gill, S.S.; Cowles, E.A. and Peitramtonio, F.V. 1992. The mode of action of *Bacillus thurengiensis* endotoxins. ***Anu. Rev. Ent. 37:*** 615-636.

Gleddie, S.; Keller, W.; Fassuliotis, G. & Setterfield, G. 1985. Somatic hybridization as a potential method of transferring nematodes and mite resistance into eggplant. ***Zeitschrift fur Pflanzenzuchtung 94:*** 352-355.

Gleddie, S.; Keller, W.A.; setterfield, G. 1983. Somatic embryogenesis and plant regeneration from leaf explants and cell suspension of *Solanum melongena* (eggplant). ***Canadian journal of botany. 61*****:** 656-666.

Guri and Sink, K.C.1998. *Agrobacterium tumefacieens* transformation of eggplant. ***Journal of Plant Physiology133***: 52-55.

Guri, A. and Sink, K.C.1988. *Agrobacterium* transformation of eggplant. ***J. Plant. Phy. 133*****:** 52-55.

Hain, R.P.; Stabel, A.P.; Czernilofsky, H.H.; Steinbiss, L.; Herrera-Estrella and Schell 1985. Uptake integration expression and genetic transmission of selectable chimeric gene by plant.

Jelenkovic, G.; Billings, S.; Chen, Q.; Lashomb, J.; Hamilton, G. & Ghidiu, G. 1998. Transformation of eggplant with synthetic *Cry II A* gene produces a high level of resistance to the *Coleredo* potato Beetle. ***Journal of the American society for horticultural science123***: 19-25.

Junzun, Philippe, M.O,; Barbara Schrammeijer, Paul, J.J,; Hookahs, Stephan, K,; Farri & Stephan, C.W.2000. The base of crown gall tumerogenesis**.** ***Journal of Bacteria 182*****:** 3885-3895.

Kumar, P.A.; Mandaokar, A.; Srunicasuk, Chakrabati, S.K.; Bisaria, S.; Sharma, S.R.; Kaur, S. & Sharma, R.P. 1998. Insect resistance transgenic brinjal plants. ***Molecular Breeding 4:*** 33-37.

Lin, W.; Anuratha, C.S.; Datta, K.; Potrykus, I.; Math Krishna, S. & Datta, S.K1995.Genetic engineering of rice for resistance to sheath blights. ***Biotechnology 13:*** 686-691.

Financial Inclusion Schemes in India: Comparative Analysis

Abhinav Upadhyay

Als , Amity University Gwalior

Introduction:- 5th G20 Summit November 11 – 12, 2010, Seoul, South Korea, the Leaders of the G20, recognized financial inclusion as one of the main pillars of the global development agenda, endorsed a concrete Financial Inclusion Action Plan. G20 leaders agreed at the Cannes Summit in 2011 to the Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) recommendation to support global and national financial inclusion data efforts and subsequently endorsed the G20 Basic Set of financial inclusion indicators at the G20 Los Cabos Summit in 2012, born out of the work of the GPFI.

In 2004 The Reserve Bank Of India (RBI) set up the Khan Commission to look into financial inclusion. Recommendations of the commission were incorporated into the mid-term review of the policy of Financial Year 2005–06. In the report RBI encouraged the banks with a view to achieving greater financial inclusion to make availability of basic "no-frills" banking account. In Indian scenario financial inclusion was first introduced in 2005, when it was introduced by K.C. Chakraborthy, the chairman of Indian Bank. Mangalam became the first village in India where all households were provided banking facilities.

Financial Inclusion: Current Scenario – India

<u>According to World Bank Findex Survey (2012):</u>

- Only 35.2% of Indian adults had access to formal financial institution & 7% of adults had zero access to their formal accounts in type of deposits or withdrawals in a typical month.
- 89.3% adults are still using the services of bank teller for making deposits in their account and 69.7% use this service for withdrawals.
- Only 8.4% adults use debit cards and the use of ATMs as the main mode of withdrawal is only 18.4%
- Only 6.8% adults personally paid for health Insurance.
- Loan taken from formal financial institution, family or friend & informal private lenders in the past year were only 7.7%, 19.7% and 6.6% respectively

Population (millions) **1,224.6** GNI per capita ($)	**1,270**

INDIA

Account at a Formal Financial Institution	
All adults (%, age 15+)	35.2
Male adults (%, age 15+)	43.7
Female adults (%, age 15+)	26.5
Young adults (%, ages 15–24)	27.3
Older adults (%, age 25+)	38.6
Adults with a primary education or less (%, age 15+)	30.5
Adults with a secondary education or more (%, age 15+)	59.5
Adults in income quintiles I (lowest) and II (%, age 15+)	27.1
Adults in income quintiles III, IV, and V (highest) (%, age 15+)	44.4
Adults living in a rural area (%, age 15+)	33.1
Adults living in an urban area (%, age 15+)	41.0
Use of Formal Accounts (%, age 15+)	
Use an account for business purposes	4.1
Use an account to receive wages	8.3
Use an account to receive government payments	4.0
Use an account to receive remittances	1.9
Use an account to send remittances	1.8

Access to Formal Accounts (%, age 15+)	
0 deposits/withdrawals in a typical month (% with an account)	7.0
0 deposits in a typical month (% with an account)	12.6
1–2 deposits in a typical month (% with an account)	72.3
3+ deposits in a typical month (% with an account)	11.4
0 withdrawals in a typical month (% with an account)	14.9
1–2 withdrawals in a typical month (% with an account)	68.5
3+ withdrawals in a typical month (% with an account)	12.2
ATM is the main mode of deposit (% with an account)	1.6
Bank teller is the main mode of deposit (% with an account)	89.3
Bank agent is the main mode of deposit (% with an account)	3.1
ATM is the main mode of withdrawal (% with an account)	18.4
Bank teller is the main mode of withdrawal (% with an account)	69.7
Bank agent is the main mode of withdrawal (% with an account)	3.2
Has debit card	8.4

Mobile Payments (%, age 15+)	
Use a mobile phone to pay bills	2.2
Use a mobile phone to send money	0.6
Use a mobile phone to receive money	2.0
Savings (%, age 15+)	
Saved any money in the past year	22.4
Saved at a formal financial institution in the past year	11.6
Saved using a savings club in the past year	3.2
Saved for future expenses in the past year	16.7
Saved for emergencies in the past year	18.0
Credit (%, age 15+)	
Loan from a formal financial institution in the past year	7.7
Loan from family or friends in the past year	19.7
Loan from an informal private lender in the past year	6.6
Outstanding loan to purchase a home	2.3
Outstanding loan for home construction	3.7
Outstanding loan to pay school fees	5.5
Outstanding loan for health or emergencies	14.2
Outstanding loan for funerals or weddings	3.4
Insurance (%, age 15+)	
Personally paid for health insurance	6.8

Source: 2012 The Little Data Book on Financial Inclusion

Swabhiman Scheme:-

On February 15, 2011 a nationwide programme on financial inclusion, "Swabhimaan" was launched by the Government of India, which focused on joining the underprivileged sections of the society in banking network to ensure that the benefits of economic growth reach everyone at all levels. This campaign is a big step towards inclusive growth in all sectors by bringing the deprived segments of Indian population into the formal banking fold for the first time.

"Swabhimaan" was an innovative initiative by the Government of India and the Indian Banks to cover economic distance between rural and urban India. This campaign promised to bring basic banking services to 73,000 unbanked villages with a population of 2,000 and above by March, 2012 and at least 5 crore new accounts will be opened. The movement will facilitate opening of banks accounts, provide need-based credit, remittance facilities and help to promote financial literacy in rural India. The programme sought to increase the demand for credit among the millions of small and marginal farmers and rural artisans who may get benefit by having access to banking facilities.

Services Offered:-

- Promises to bring basic banking services to unbanked villages with a population of 2000 and above.
- The scheme facilitates opening of banks accounts, need-based credit and remittance facilities besides helping in promoting financial literacy in rural India.
- The programme is aimed at increasing the demand for credit among small and marginal farmers and rural artisans who will benefit by having access to banking facilities.
- This campaign aims at providing branchless banking services through the use of technology.

Banks provide basic services like deposits, withdrawals and remittances using the services of Business Correspondents (BCs) also known as Bank Saathi.

- The initiative also enables Government subsidies and social security benefits to now be directly credited to the accounts of the beneficiaries so that they could draw the money from the Business Correspondents (BCs) in their village itself.
- Banking facilities like Savings Bank, recurring Deposits, Fixed deposits, Remittances, Overdraft facility, Kisan Credit Card (KCCs), General Credit Cards (GCC) and collection of cheques will be provided
- The facilities provided through banking outlets will enhance social security due to services offered by the scheme like micro insurance, access to mutual funds, pensions, etc.
- The Banks are also working together with the Unique Identification Authority of India (UIDAI) for enrolment, opening bank accounts and also to facilitate transfer of government subsidies and other payments.
- The financial inclusion programme now makes it possible for the large number of migrant workers in urban areas to remit money to their relatives in distant villages quickly and safely.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna

"Exclusion from the banking system excludes people from all benefits that come from a modern financial system. In this (PMJDY) mission, households will not only have bank accounts with indigenous RuPay Debit cards but will also gain access to credit for economic activity and to insurance and pension services for their social security"

- *Shri Narendra Modi,*
  Hon'ble Prime Minister of India
  (22nd August, 2014)

Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi on 15th August, 2014 announced "Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY)" which is a National Mission to make Financially Inclusive economy.

Six Pillars of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna

The programme for financial inclusion under the PMJDY is based on six pillars:

- The country will be divided into a number of sub-service areas (SSA), each with 1,000-1,500 households. One banking outlet (branch or BC) will be established within a distance of five km from every SSA by August 2015;
- One bank account will be ensured for every household by August 2015, along with a RuPay debit card and an accident cover worth ₹ 1,00,000. If the credit history is satisfactory during the first six months, the account

holder will become eligible for an overdraft worth ₹ 5,000;

- Financial literacy programmes will be expanded by August 2015 to spread awareness about financial services;
- A Credit Guarantee Fund will be created before August 2018 to cover potential defaults in overdrafts;
- All willing and eligible persons will be provided with micro-insurance by August 2018
- Pension payments under the Swavalamban Yojana scheme for workers in the unorganized sector will be paid through bank accounts by August 2018.

Date 09.10.2014 No of Accounts opened under PMJDY as on 08.10.2014:

http://financialservices.gov.in/

Difference between Swabhimaan Scheme & PMJDY:

S.No.	Earlier Approach (Swabhimaan)	New Approach (PMJDY)
1	Villages with population greater than 2000 covered; thus limited geographical coverage	Focus on household; Sub Service Area (SSA) for coverage of the whole country.
2	Only rural	Both rural and urban

3	Bank Mitr (Business Correspondent) was visiting on fixed days only	Fixed point Bank Mitr (Business Correspondent) in each SSA comprising of 1000-1500 households (3 to 4 villages on an average) to visit other villages in the SSA on fixed days
4	Offline accounts opening - Technology lock-in with the vendor	Only online accounts in CBS of the Bank
5	Focus on account opening and large number of accounts remained dormant	Account opening to be integrated with direct bank transfer (DBT), credit, insurance and pension
6	Inter-operability of accounts was not there	Inter-operability through RuPay Debit Card, AEPS etc.
7	No use of Mobile Banking	Mobile wallet and USSD based mobile banking to be utilized
8	Cumbersome KYC formalities	Simplified KYC/e-KYC in place as per RBI guidelines
9	No guidelines on the remuneration of the Bank Mitr (Business Correspondent). Banks went generally with Corporate BCs who used to be least expensive to them	Minimum remuneration of the Bank Mitr (Business Correspondent) to be ` 5000/-(Fixed + Variable)
10	A recent RBI survey finds that 47% of Bank Mitr are untraceable	Viability and sustainability of Bank Mitr (Business Correspondent) is identified as a critical component
11	Monitoring left to banks	Financial Inclusion campaign in Mission Mode with structured monitoring mechanism at Centre, State and

		District level
12	Financial literacy had no focus	The rural branches of banks to have a dedicated Financial Literacy Cell
13	No active involvement of states / districts	State level & District level monitoring committees to be set up
14	No brand visibility of the Programme & Bank Mitr (Business Correspondent)	Brand visibility for the programme & Bank Mitr (Business Correspondent) proposed
15	Providing credit facilities was not encouraged	OD limit after satisfactory operations / credit history of 6 months
16	No grievance redressal mechanism	Grievance redressal at SLBC level in respective states

Conclusion: -In a country like India where more than 60% population resides in rural areas financial reach to individuals has always been a tough task. Indian policy makers understood the importance of financial inclusion as a measure to make an inclusive growth of the economy, so at the time when the World reacted in 2010 at G20 summit to accept financial inclusion policy as a development agenda, India already had proactively formed Khan Commission set up by Reserve Bank of India to search the scope of financial inclusion and came forward by Swabhiman Scheme in February, 2011.

As Swabhiman Scheme was the first ever field implemented scheme, it had some weak links, due to which the practical implementation of the scheme was not efficient. Some policy points are incomplete or impractical like: Lower coverage of scheme, untraceable Bank Mitra who were the backbone of scheme, inactive bank accounts as no transactions were forced/bound to made, cumbersome KYC norms, no financial literacy etc. Due to these lacking points in the scheme, World Bank Findex Survey (2012) pointed out very weak financial inclusion status of the country.

PMJDY theoretically tried to cover up the limitations of past scheme. Apart from the six pillars, the policy is featured with direct bank transfer, credit insurance, pension, Ru Pay Debit card, minimum Bank Mitra remuneration & larger scope of policy. Till now the scheme had performed substantially well in opening of accounts, but the success of the Yojna will come with the financial use and operability of the opened accounts, there will be no use of the scheme if the account holders don't start using financial resources for their economic growth. Hence PMJDY have a way ahead to go for success.

References:- AFI (Alliance for Financial Inclusion). 2013. "Putting Financial Inclusion on the Global Map. The 2013 Maya Declaration Progress Report." Bangkok: AFI.

Crépon, Bruno, Florencia Devoto, Esther Duflo, and William Parienté. 2011. "Impact of Microcredit in Rural Areas of Morocco: Evidence from a Randomized Evaluation." Working Paper. Cambridge, Mass.: Massachusetts Institute of Technology, March.

http://www.commodityonline.com/news/swabhimaan-indias-unique-financial-inclusion-initiative-37812-3-37813.html

http://www.pmjdy.gov.in/

http://www.microfinancegateway.org/topics/financial-inclusion

http://csc.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=277

http://www.sify.com/news/sonia-gandhi-launches-swabhimaan-campaign-in-delhi-news-national-lckv4chbcjg.html

http://pib.nic.in/newsite/efeatures.aspx?relid=84236

http://financialservices.gov.in/banking/banking_stat.asp